20.03.2015

C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. VIII, Fourth Session, 2015/1936 (Saka)
No. 19, Friday, March 20, 2015/Phalguna 29, 1936 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 341 to 345	9-66
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 346 to 360	67-135
Unstarred Question Nos. 3911 to 4140	136-628

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 629-642

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 643, 845

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
15th Report 644

STATEMENTS BY MINISTERS 645-650

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 68th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance

Shri Arun Jaitley 645

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 210th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 188th Report of the Committee on `Functioning of Commission of Railways Safety‟, pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

Shri Rajiv Pratap Rudy 645

(iii) Central Sector Scheme of Financial Assistance for On-Board Ship Training for Indian Merchant Navy Cadets/Trainees

Shri Nitin Gadkari 649-650

SUBMISSION BY MEMBER
Re: Terrorist attack at Kathua in Jammu and Kashmir 646-647

DISCUSSION UNDER RULE 193

Agrarian situation in the country	651
Shri P.P. Chaudhary	651-653
Shri Naranbhai Kachhadia	654
Adv. Joice George	655-657
Shri Rakesh Singh	658-662
Shri Birendra Kumar Choudhary	663
Shri Kaushal Kishore	664-665
Shri P.K. Biju	666-669
Dr. Kirit P. Solanki	670
Shrimati Ranjeet Ranjan	671-673
Shri R.K. Bharathi Mohan	674-675
Shri Prahlad Singh Patel	677-678
Shri Dushyant Chautala	679-681
Shri Nityanand Rai	682-683
Shri Kamakhya Prasad Tasa	684-685
Shri Md. Badaruddoza Khan	686-687
Shri Jugal Kishore	690-691
Shri Gaurav Gogoi	692-695
Shri Daddan Mishra	696-698
Dr. K. Gopal	699-706
Shri Y.V. Subba Reddy	707-710
Shrimati Pratima Mondal	711-712
Shri Bhairon Prasad Mishra	713-715
Shri Rahul Kaswan	716-718
Dr. Virendra Kumar	719-721
Shri C. Mahendran	722-724
Prof. Chintamani Malviya	725-726
Dr. Mamtaz Sanghamita	727-728

Shri Tathagata Satpathy	729-731
Shri Sumedhanand Saraswati	732-734
Shrimati Anupriya Patel	735-736
Shri Ajay Mishra Teni	737-741
Dr. Bhagirath Prasad	742
Shri C.R. Chaudhary	743-745
Shri Ramesh Chander Kaushik	746-747
Shri Gajendra Singh Shekhawat	748-750
Shri Lallu Singh	751-752
Shri Mukesh Rajput	753-755
Shri Rajendra Agrawal	756-757
Shri Jagdambika Pal	758-759
Shri Chandra Prakash Joshi	760-761
Shrimati Santosh Ahlawat	781-783
Shri Ashok Mahadeorao Nete	784-785
Shrimati Riti Pathak	786
Shrimati Anju Bala	787-790
Shri Kodikunnil Suresh	790-794

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILLS PASSED BY RAJYA SABHA 688-689

UNDISCLOSED FOREIGN INCOME AND ASSETS (IMPOSITION OF TAX) BILL, 2015 763

MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL , 2015

(Amendments made by Rajya Sabha)

Motion to Consider	764
Shri N.K. Premachandran	767-768
Shri Mallikarjun Kharge	768-789

Shri K.N. Ramachandran	770
Shri Bhartruhari Mahtab	771-772
Shri Mohammad Salim	773
Shri Anandrao Adsul	774
Shri Narendra Singh Tomar	775-776
Clauses 9, 14 and 15	777-780
Motion to Pass	780
MOTION RE: EIGHTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	797
PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS	
(i) Framing of a Comprehensive Scheme providing for development of technical skills amongst youth to enable them to contribute towards making India a modern country and achieving the goal of 'Make in India'	
Shri C.R. Patil	798-802, 843
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	803-809
Shri Rattan Lal Kataria	810-811
Dr. Mamtaz Sanghamita	812-815
Dr. Manoj Rajoria	816-817
Shri S.S. Ahluwalia	818-820
Shri Balabhadra Majhi	821-822
Shri Jagdambika Pal	823-825
Shri Prem Das Rai	826-827
Shri Prahlad Singh Patel	828-829
Shri Santokh Singh Chaudhary	830-831
Shri Manoj Tiwari	832-833

Shri Rajesh Ranjan 834-835

Shri Rajiv Pratap Rudy 836-843

Resolution – Withdrawn 843

(ii) Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition

Shri Nishikant Dubey 844

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 872

Member-wise Index to Unstarred Questions 873-878

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 879

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 880

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 20, 2015/Phalguna 29, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question No. 341, Shri Rahul Shewale.

(Q. 341)

श्री राहुल शेवाले: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि एफ.एम. रेडियो चरण -3 के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति धारक वही कार्य और विज्ञापन कोड का पालन करेंगे जो ऑल इंडिया रेडियो पालन करता है परंतु वर्तमान में कई एफ.एम.चैनल्स इन नॉर्म्स का पालन नहीं करते। आज देश में सभी एफ.एम. चैनल्स पारिवारिक परिवेश में सुने जाते हैं परंतु एफ.एम. रेडियो चैनल अपने कार्यक्रमों में अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रखता। अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना आज एफ.एम. चैनल का एक फैशन बन गया है। इसमें कई उदाहरण हैं, जैसे किसी का बैंड बजाना या किसी का मुर्गा बजाना। हंसी मजाक की आड़ में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनके कंटेंट को जांचने के लिए एक सरकारी तंत्र का होना अति आवश्यक है। यदि इनके कार्यक्रमों में एक सेंसर लगाया जाए तो इस अभद्रता को रोका जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन मानदंडों के अनुपालन एवं इन पर नियंत्रण करने के लिए सेंसर करने का क्या कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और मानदंडों को सख्ती से पालन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि इस सवाल का मूल सवाल से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य के लिए यह कहना चाहूंगा कि हर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एक एग्रीमेंट करता है जिसे 'गोपा' कहते हैं यानी परमिशन एग्रीमेंट कहते हैं। ग्रान्ट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो की जो गाइडलाइन्स होती हैं, उसी के ऊपर ही वे हस्ताक्षर करते हैं। उसी के हिसाब से ही उनका ब्रॉडकास्ट हो सकता है। अगर सरकार के पास कोई शिकायत आती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर एक कमेटी है, वह उसके ऊपर एक्शन लेती है और 90 दिन का ब्रॉडकास्ट रिकार्ड करके रखा जाता है यानी पिछले दिनों में भी यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो उसको भी देखा जाता है।

श्री राहुल शेवाले: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एफ.एम. रेडियो चैनल थर्ड में बिडिंग में विभिन्न शहरों को जिन श्रेणियों में बांटा गया, उनका रिजर्व प्राइस किस आधार पर निर्धारित किया गया और क्या मापदंड अपनाये गये तथा कैटेगरी किस आधार पर तय की गई थी?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शहरों को ए,बी,सी और डी श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है। जो एक लाख से तीन लाख तक की आबादी के शहर हैं, वे कैटेगरी डी में हैं, तीन लाख से दस लाख तक की आबादी के शहर कैटेगरी सी में हैं, दस लाख से बीस लाख तक की आबादी के कैटेगरी बी में हैं, बीस लाख से ऊपर कैटेगरी ए में हैं और मैट्रो शहर अलग हैं। वर्ष 2011 के अंदर इनका रिजर्व प्राइस तय किया गया था। उस समय उन शहरों को, जिन शहरों में पहले से एफ.एम. था, उन शहरों में 2005 यानी फेज-2 पालिसी जब लांच की गई थी तो 2005 में जो सबसे ज्यादा ऊंची प्राइस थी, उसे 2011 में रिजर्व प्राइस माना गया। जो नये शहर हैं, उन पर अभी भी टी.आर.ए.आई. से रिक्मैंडेशंस आनी बाकी हैं, नये शहर अभी लिये जायेंगे। इस तरह से इन्हें कैटेगराइज किया गया है और इस तरह से उनकी रिजर्व प्राइस तय की गई है।

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Madam, before I ask my second supplementary, kindly allow me to frame my question. I would like to know this from the hon. Minister. Is it not bizarre and anachronistic that in our country when we have 406 TV channels which can independently air news and current affairs, we are not allowing the FM radio channels to air independent news? We have print media which cater to 40 crore circulation. In Bangladesh, community radio can broadcast independent news. In the US, there are 14,000 radio stations which can air independent news. In Italy, France, Greece and Australia, we have more than 1000 radio stations. But why is it that the Government of India, especially the new Government, which believes in transparency, does not want to allow FM radio channels to air their independent news? Why is it that the Government wants to make these FM radios to basically parrot what they want to say or people to hear?

It is because in this present day and age, we have Twitter and Face Book. I can operate my Twitter account or a Face Book page. I can open an independent website without the control of the Government. Why is it that the Government does not allow the FM radios to air independent news or current affairs? Why does it want to parrot only what the All-India Radio or Prasar Bharati says? There has to be some reasoning or logic behind it. That is why, I started by saying that this is very anachronistic and bizarre. Will the Government change its policy? It is

because, as it is all these FM radio stations are running on loss. They are nothing but music boxes. People do not want to hear music. We want to hear news and current affairs. Will you change this policy?

माननीय अध्यक्ष : म्यूजिक भी सुनते हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: मैडम, कितना सुनेंगे, कान पक जाते हैं।

HON. SPEAKER: No, do not say something like that.

COL. RAJYAVARDHAN RATHORE: Madam, while in your presence here, I would like to tell Owaisi Saheb that the Government is absolutely open to considering the option of news being available with the FM stations. It is absolutely open to it. However, I would like to bring to the notice of Owaisi Saheb the difference between a broadcast and an FM station. At any time if any broadcast is made, it is done on satellite channel. Therefore, even if a broadcast is made from Kashmir or from North-East or from down South, Owaisi Saheb sitting in Hyderabad can listen to it, and therefore, if there is anything, which is out of the normal, Owaisi Saheb and everybody else would notice it, and, therefore, will complain about it.

However, an FM broadcast is limited to 50 kilometres on an average radius. At present, the Government is of the opinion that, without a system of monitoring it, in case there is any particular community or a group which is carrying out anti-national activity, it would go unnoticed by the entire country. Hence, we are open to it. We would like the FM stations to broadcast their own news. But as of now, the difference between the previous policies and phase-III policy is that in phase-II policy, no news was allowed to be broadcast by FM stations but in phase-III we have allowed them to broadcast the All-India Radio, which is Akashvani, news plus we have taken out a lot of elements from news. For example, the communication on carriers, running commentary on sports, weather, cultural activities—these things have been removed from news so that can be broadcast by the FM stations as well.

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एफ.एम. रेडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारियां क्षेत्र में मिलती हैं, जैसे यातायात के बारे में, मौसम के बारे में, सांस्कृतिक समारोह के बारे में, युवाओं को उनकी परीक्षाओं के बारे में और नागरिक सुविधाएं जैसे बिजली, जलापूर्ति आदि के बारे में जानकारियां मिलती हैं।

जहां अभी तक एफ.एम. रेडियो की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, वहां कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, वहां यह समय की मांग है और आने वाले दिनों में इस फास्टट्रैक में एम.एम. रेडियो की सभी जगहों पर जरूरत होगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में क्या सभी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में आप एम.एम. रेडियो चालू करने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कब तक करने जा रहे हैं, यानि गुजरात में मेरे क्षेत्र अमरेली में आज तक एम.एम. रेडियो की कोई सुविधा क्यों नहीं है? पूरे देश में जहां अभी तक यह सुविधा नहीं है, वहां आप कब तक चालू करेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : महोदया, यह बहुत बढ़िया सवाल है और जितने भी सदस्य हैं, सभी इससे ताल्लुक रखते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सबका धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। सन् 1999 में जब एफ.एम. शुरू हुआ था, तब 12 शहरों के अंदर 21 चैनल्स थे। उसके बाद सन् 2005 में एक्सपैंशन हुआ और 222 चैनल्स आए। अब जब फेज़ थ्री लॉन्च होने वाला है, तो 294 शहरों के अंदर 839 चैनल्स आने वाले हैं। सरकार का इरादा है कि जो भी शहर एक लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं वहां पर एफ.एम. स्टेशन लगाए जाएं। उसके साथ-साथ जो लैफ्ट विंग एक्ट्रिमिस्ट एरिया है, वहां पर 67 नए टॉवर्स लगाए जाएंगे, ताकि वह पूरा इलाका कवर हो सके। उसके साथ-साथ बॉर्डर एरियाज जो हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के लिए हमने अलग से सुविधा की है। फेज थ्री में जो ऑक्शन होंगे, उसके अंदर पहले तीन साल की जो रेवेन्यु है, वह आधा कर दिया गया है। जो पहले तीन साल के लिए रैंटल्स हैं, वे आधे कर दिए गए हैं। जो 15 पर्सैंट की कैप है, जो सभी कंपनियों के ऊपर लागू है कि पूरे देश के अंदर आप 15 पर्सैंट से ज्यादा एम.एम. स्टेशंस ओन नहीं कर सकते हैं, वह नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र तक एक एफ.एम. स्टेशन पहुंच पाए, चाहे वह सरकार का हो या फिर प्राईवेट हो। यह बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि प्राईवेट एफ.एम. चैनल्स सरकार के कॉम्पिटिशन में नहीं है। यह सरकार ने सुविधा दी है कि जहां सरकार नहीं पहुंच पाए, वहां सरकार के नुमाइंदे पहुंचे।

श्री तापस पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में बहुत से ऐसे जिले हैं, जहां पर एफ.एम. की बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा नदिया

डिस्ट्रिक्ट है, मेरा संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर में एफ.एम. की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग नैचुरली एमपी को शिकायत करते हैं कि वह लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है। जब रास्ते से जाते हैं तब भी एफ.एम. बंद हो जाता है। काफी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ सोचा है या इसके लिए क्या समाधान करेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जहां पर भी एफ.एम. के ट्रांस्मिटर्स हैं, काफी लोगों से मैंने यह सुना है कि उनका जो ट्रांस्मिशन है, वह बहुत सीमित समय तक है। मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि अगले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से एक या दो महीने के अंदर हमारी यह कोशिश है कि जहां पर भी एफ.एम. ट्रांस्मिटर्स हैं, वहां पर कम से कम 18 घंटे का ट्रांस्मिशन होगा, सुबह 6 बजे से ले कर रात के 12 बजे तक और बाकी आपके पर्टिक्युलर क्षेत्र के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तथा आपके कारण से वहां तक मनोरंजन पहुंचेगा तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे।

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही एफ.एम. का विस्तार माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक लाख से ज्यादा की आबादी के सारे शहरों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उसमें हमारा संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जनपद भी हो जाना चाहिए। इसी से संबंधित मैं कहना चाहूंगा कि रिसर्च एवं डिवेल्पमेंट का सबसे मजबूत कार्य बीएसएनएल करता है, लेकिन खेद का विषय है कि इसका फायदा प्राईवेट कंपनियां उठाती हैं और बीएसएनएल का नेटवर्क प्रायः ध्वस्त रहता है। हम सांसदों को भी जो मोबाइल दिए गए हैं, उनके नेटवर्क प्रायः ध्वस्त रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई प्रभावी कदम सरकार उठाने जा रही है जिससे नेटवर्क संबंधी जो गड़बड़ी है, वह ठीक हो सके। बीएसएनएल की गड़बड़ी रहती है और प्राईवेट कंपनियां बेहतर नेटवर्क दे रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्या उसमें एफ.एम. भी सुनाई देता है?

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, नेटवर्क की प्रॉब्लम है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : यह सवाल मैं रवि शंकर प्रसाद जी तक पहुँचा दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : इससे एफ.एम. रेडियो का क्या सम्बन्ध है? क्या उस पर आता है, क्या सिग्नल कैच करते हैं?

श्री शरद त्रिपाठी: महोदया, जिन शहरों की आबादी ज्यादा है।...(व्यवधान)

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको भी और सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर जाकर एक बार देखिए कि वहाँ पर फेज थ्री

के अन्दर कौन-कौन से नये शहर शामिल हो रहे हैं और यदि आपका शहर शामिल नहीं हो रहा है तो पहला सवाल यह करिए कि वर्ष 2011 का जो सेंसस था, क्या उसमें आपके शहर की आबादी एक लाख से ज्यादा थी और अगर थी तो वह समस्या या वह प्वाइंट हमारे पास लेकर आइए, हम उसे जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे।

(Q. 342)

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो समेकित बाल विकास परियोजना आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत है, यह देश के लगभग हर गाँव से जुड़ा है, हर बच्चे से जुड़ा है। मैं उस सम्बन्ध में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रश्न किए थे, उनका जो मुझे उत्तर मिला है, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भ्रष्टाचार का एक मामला इसके अन्दर मैंने उठाया था और पूरे देश के आँकड़े जो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुए हैं, उनमें पूरे देश के अन्दर कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जबकि शायद मेरे लोक सभा क्षेत्र में ही बहुत शिकायतें होंगी, शायद इसे सही तरीके से जाँचा नहीं गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण मुझे यह समझ आ रहा है कि इस विभाग के अन्दर सबको संविदा के आधार पर कार्य पर रखा जाता है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सबको संविदा के आधार पर रखा जाता है और उनको नियमित रूप से सेवा का अवसर नहीं दिया जाता है। इसके कारण इस काम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार के रोग के निदान के लिए जो लाखों की संख्या में कार्यकत्री हैं, सहायिका हैं और जो ऊपर के कर्मचारी हैं, इनका मानदेय बढ़ाने अथवा इनको नियमित करने के सम्बन्ध में क्या सरकार विचार करेगी?

माननीय अध्यक्ष : आपके अनुसार नियमित सेवा वाले भ्रष्टाचार नहीं करते हैं।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam Speaker, there is no programme to make them Government servants. They get an honorarium of Rs. 3,000 and a helper gets Rs. 1,500. This will continue especially since we have had budget cuts like everybody else, with about Rs. 8,000 crore going to States.

However, the question of corruption is indeed alarming and I am glad that the Member has raised it. If we did not have corruption, we would have had less children malnourished and we would have had more pregnant mothers getting nutrition. So, there definitely is a problem. There are some problems. First, if we go right to the beginning up till now, no monitoring or training has been done for 40 years of the *Anganwadi* ladies. Secondly, they are misused. They are made to use electoral work and every other work. Thirdly, there are not enough *Anganwadi*

centres where they can hold their stocks, distribute things or weigh children. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Checking is regularly done.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Fourth, there has been virtually no checking done on how much food is actually distributed. The complaints are mainly of poor quality of food, irregular distribution of food and kickbacks in procurement of food. The food comes, normally, under the State.

There has been no monitoring system till now. Now, what we are doing in the Ministry is that each Anganwadi had a system where they had to fill-up 11 registers each. Now, these are पाँचवीं जमात पास, आठवीं जमात पास, and to ask them to feed the children; go from house to house; check pregnant women; do 10 other things that the Administration tells them; go and buy the food themselves; distribute it themselves; and make it themselves. Now, a training system is going to start, and a five-tier monitoring review mechanism has been put in place at the National, State, District, Block and Anganwadi levels. The guidelines were issued in 2011, but they were not implemented. Now, they are starting it. Further, now we are issuing tablets, if we can, to supervisors where they have to give us daily real-time monitoring of every child and every woman along with photographs so that we can see how much work they have done.

Secondly, we are setting up our own F&B labs. Till now, there were no labs. So, how do you check whether there are micro-nutrients and whether the food is any good? A whole lot of monitoring systems are being laid-out along with training procedures.

श्री केशव प्रसाद मौर्य: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस योजना के अंतर्गत जिस गाँव में आंगनवाड़ी केन्द्र होता है, उस गाँव के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि पोषाहार का बहुत बड़ा हिस्सा जिनको मिलना चाहिए, उनको मिलने की जगह पशुओं का आहार भी बड़े पैमाने पर मेरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता

है, शायद उतना आंगनवाड़ी केन्द्र में कम और बाहर बिकने के लिए ज्यादा जाता है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन गाँव के अंदर नहीं है और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं या परिवार हैं, जैसे कोई कबाड़ी का काम करता है, कोई भिखारी है, कोई घुमंतु जातियाँ हैं, कोई अपने गाँव से निकलकर किसी दूसरे ज़िले के अंदर चला गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे बच्चों का अस्थायी तौर पर जिन संबंधित गाँव, मोहल्ले या शहर के अंदर वे बच्चे जाते हैं, वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको पोषाहार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरे इलाहाबाद मंडल के अंदर जनपद कौशाम्बी में एक सर्वे हुआ जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी मिली। उसका एकमात्र कारण यह था कि वे बाहरी बच्चे थे, वे वहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे और उनको वहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र से सुविधा नहीं मिल पा रही थी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे बच्चों का अस्थायी तौर से रजिस्ट्रेशन कराकर उनको भी ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा, जहाँ के वे निवासी नहीं हैं, वहाँ पर उनको पोषाहार या अन्य शिक्षा संस्कार की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI : Madam, about 12.45 crore children were surveyed, and the children that are covered now by the Anganwadi Scheme are 8.42 crore, as on date, which is about 67.8 per cent. I agree that migrant children often escape the net, and since he has brought it to our notice, I will find out what we can do to have them registered along with the permanent residents of the area.

श्री सी.आर. पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर आंगनवाड़ी के बच्चों को न्यूट्रीशनल फूड दिया जाता है, उसकी वजह से कुपोषित बच्चों का प्रमाण कम हुआ है। उसी आधार पर क्या पूरे देश में वह लागू किया जाएगा? दूसरी बात यह है कि जो 1 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, अगर वे पढ़ाई करते हैं, स्टुडैन्ट हैं, तो उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करते हैं, उनको फ्री ट्रीटमैंट दिया जाता है, चाहे वह ऑपरेशन हो या लाखों रुपये का खर्च हो। क्या इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI : Madam, this Question does not really come under me because I have the responsibility for pregnant women and till the time the child is six years old. We are endeavouring to reduce malnutrition, which will show its effects in the next two years.

माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

श्री सी.आर. पाटील: मैडम, मेरा दूसरा प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया है। एक ही प्रश्न पूछने का मौका मिलता है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों के आधार पर ही सुनियोजित किया जाता है। आज हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां कुपोषण की बीमारी है लेकिन कुपोषण का एक दर्दनाक दृश्य वहां पूरी तरह से भयानक रूप से अग्रसर हो रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसे मैं कहूंगा कि यह भी कुपोषणग्रस्त हो चुका है। वहां के करीब 85 लाख बच्चों में से 60-65 लाख बच्चे कुपोषित घोषित किए गए हैं और उन्हें इन आंगनबाड़ी सिस्टम में कवरेज दिया गया है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मंत्री जी का उत्तर स्वयं देख लीजिए।...(व्यवधान)

महोदया, मेरा मंत्री जी से कहना यह है कि कई सांसदों ने पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। बच्चों को जो पोषाहार दिया जाना है, वह बच्चों को मिलता नहीं है, जितनी भी मिनी आंगनबाड़ीज मध्य प्रदेश को दी गयीं हैं, उनमें भी कमी है। हमने ढाई हजार मिनी आंगनबाड़ीज की मांग रखी थी और केवल 600 मिली हैं। मुझे मालूम है कि मंत्री महोदया भी इसमें बहुत रूचि लेती हैं, पर मूल प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में हम एक टॉप-डाउन एफर्ट के बदले में एक बॉटम-अप एफर्ट देख सकते हैं। जिन जिलों में यह बीमारी भयानक रूप से प्रचलित है, उन जिलों में एक बॉटम-अप एफर्ट के आधार पर इस कुपोषण की बीमारी का हम एक पूरा-पूरा समाधान निकाल कर उसे लेकर आएं।

इस प्रश्न पर मैं मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई सोच है जहां हम एक बॉटम-अप एफर्ट देख पाएं, ताकि हम इन बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएं?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, to begin with, the severely mal-nourished children in this programme are 1.55 per cent, a horrible figure of 1,26,000 all over India. I doubt that most of them would be in Madhya Pradesh. They are spread evenly all over. Wherever the *Anganwadi* does not do her work, we have a problem; wherever *Anganwadis* are good, we do not have a problem.

However, he is quite right that unless the community joins and it becomes a part of the Panchayati-raj and comes to their attention, it would be difficult to monitor it completely. What we have done is that we have started a scheme called *Sneh Shivir.* That has gone into 200 districts. What it does is this. It consists of making a team in the village of mothers, of influential people and they monitor the food, they monitor each child that is malnourished, whether severely or slightly. We have found that wherever the *Sneh Shivirs* are conducted, they have a huge impact. He is quite right that it has to be a bottom up and a participatory approach.

One of the things by which the mal-nutrition will be dealt with is by monitoring. As I said before, there has not been any monitoring either locally or State-wise or nationally for forty years. Now that we have started real time monitoring, you will see the effect happenening immediately. It is also going to be a carrot and stick thing. Up till now, if you did badly, it did not matter; if you did well, it did not matter. Lots and lots of positions are empty. We have been writing to every State saying that so many supervisory positions are vacant; so many *Anganwadi* positions are vacant. Now they are filling them up, but very slowly. We would like to reward *Anganwadis* that do well and make them supervisors. We would like to give the opposite to *Anganwadis* who have never done or whose villages show far more malnutrition than the national average. It obviously shows that they are stealing the food. So, a carrot and stick policy has to be applied after monitoring and this might work.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर।

…(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोलना चाहता हूं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा इतना नहीं है। उन्होंने करेक्शन करके बता दिया है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, I thank you for permitting me to ask a question. I am very sorry to say in the august House that the most

neglected Department is the Women and Child Department. The Minister has told here that about 35 per cent children, pregnant ladies and feeding mothers are mal-nourished. I know that. They are dying without getting a nutritious food. But even then, the allocation to this Department has come down from Rs. 18,108 crore in 2014-15 to Rs.8,245 crore only.

Allocation was reduced by nearly 50 per cent. Why has this happened? Hon. Finance Minister is also here. Allocation should be increased. Planning Commission also said Rs.2 lakh crore should be there. So, please allocate sufficient funds.

HON. SPEAKER: Is it a suggestion or do you have a question?

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER: Madam, you please compel the Government to increase the allocation.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, it is true that there has been a budget cut across the board for every Ministry. There has been a curtailment in the budget allocation for 2015-16 by about 50 per cent for the ICDS. The budgetary allocation for all plan schemes including ICDS was made against the backdrop of substantial higher devolution of 42 per cent to the States and the decision to give more flexibility to the States in the implementation of schemes.

Now that the Finance Minister is here, there is no doubt that I and the Health Minister will be meeting him after Parliament to ask if he could restore of the money if it is available. … (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: We are all with you. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्रॉस क्वैश्चिंग नहीं करें।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: However, we are a bit worried as to where we can find the funds. We give to 24 lakh women Rs.3,000 a month, to the helpers we give Rs.1500 a month, and this money will barely cover salaries leaving us very little space if any for training, monitoring and for building the Anganwadi Centres. Unless there is a centre in a village it is very difficult for the Anganwadi woman to work because she has nowhere to be. So we will be asking for this. But I would like to request the House … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, this is not the way. I will not allow this. ऐसा नहीं होता है, प्लीज बैठ जाइए।

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: However, Madam Speaker, I would request that the States for whom we have given 10 per cent now to tie in their funds into the children's scheme. After all this cannot be just the concern of Delhi and the Government of India. Every State has to be a part of this. They have now received thousands of crores of rupees, much of it from my Ministry. So they should put that money back into children's nourishment.

श्री जगदम्बिका पाल : यह बहुत महत्पवूर्ण विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिए।

(Q. 343)

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदया, सेना में नियुक्ति को एक सम्मानित, गौरवशाली और आदरणीय माना जाता है। सेना में नौकरी करने का मतलब देश सेवा करना है। सेना को आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि देश की सेना बर्फ, मरूस्थल और समुद्री क्षेत्रों में 24 घंटे देश की सुरक्षा में लगी रहती है। देश की सुरक्षा में कई लोग शहीद भी हो जाते हैं एवं उनका जीवन जोखिम भरा होता है। सेना के अंदर जो वातावरण है, इससे देश के सिपाही खुश नहीं हैं। आज वे सेना में ड्यूटी देते वक्त तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। समय पर आवश्यकता पड़ने पर उनको छुट्‌टी नहीं मिलती है, जिसके कारण सेना के प्रति युवाओं में, सिपाहियों में नकारात्मक भावनाएं पैदा हो रही हैं।

मंत्री जी का सेना, नौ सेना और और वायु सेना के संबंध में उत्तर है। सेना में अभी अधिकारियों के 9,642 स्थान रिक्त हैं और अन्य रैंक में 24,356 स्थान रिक्त हैं। नौ सेना में अफसरों की 1322 पद और नौ सैनिकों के 11,257 पद खाली हैं। वही हालत वायुसेना में हैं, अफसरों की 152 पद और वायु सैनिकों के 5,540 पद रिक्त हैं। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि जो पद खाली हैं, देश में रोज सुरक्षा की बात पर चर्चा होती है, बहुत अधिकारियों की कमी हैं, उनके पदों को कब तक भरा जायेगा? गत पांच सालों में कितने अधिकारियों ने अपने पद से त्याग पत्र दिए हैं, उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी है, यह जानकारी देने की कृपा करेंगे, उनके त्याग पत्र देने के कारण क्या हैं?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Hon. Speaker Madam, the reply very clearly indicates the vacancies and shortage. If you see the clarification given at the bottom of the chart, you will find that for other ranks in the Army, 24,356 is the vacant position against which 66,502 are already under training. So, there are more than required personnel under training.

For Air Force also, against 5,540 Airmen, there are 6,159 recruits who are already under training.

As far as Navy is concerned, out of 11,257 Sailors which form around 18 per cent of the vacancies, our intake of Sailors annually is around 4,500 while retirement is around 3,000. So every year 1,500 vacancies are being filled up. As far as officers of the Navy are concerned, the intake is around 800 and retirement is about 250. So in next 3 to 4 years, officers will also be taken care of.

Air Force does not have major vacancies of officers, because 152 is a very small number as compared to 11,864 which is the total number. It is what is called as annual shortfall. The major vacancies appear to be in the officers in the Army which is 9,642. I would like to inform the House that since, 2012, we have made efforts to reduce this. The vacancies were 10,100 in 2012 and 9,590 in 2013. वे लगभग 500 कम हो गए। In 2014, it came down to 8,455. Currently it was actually 7,642 down by 1,000 but it got increased to 9,642 because approximately 2000 positions are created afresh and therefore the number increase. These posts are created additionally. I would like to inform the hon. Member and the House that approximately 2,000 Army officers are inducted for training every year whereas around 1,000 retire. लगभग 1000 का गैप बढ़ता है।

There are two restrictions to increase this number. One is, training capability. We have training facilities available for about 2,200 personnel, of which we have to give some slots to foreign countries. About 2,000 personnel are being trained on our own.

Secondly, if we take one bunch, there will be problem of their placement and promotion when they fall due for those promotions. थोड़े-थोड़े हफ्ते में उसका निवारण करना ज्यादा अच्छा रहेगा। We are filling in the gaps. मुझे लगता है कि अगले 8-10 वर्ष में यह गैप पूरा भर जायेगा।

श्री राम टहल चौधरी: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश की सेवा करते हुए सेना के कई जवान शहीद हो जाते हैं और कई गायब हो जाते हैं। शहीद और गायब होने के बाद सेना के जवान को जो मुआवजा और सुविधा मिलनी चाहिए, उनमें काफी देरी होती है। उनके आश्रित परिवारों को नौकरी भी नहीं मिलती है, उनके मुआवजे का समय पर भुगतान नहीं होता है। कई शहीदों के ऐसे परिवार हैं, जिन्हें न तो अभी तक मुआवजा मिला है और न ही नौकरी मिली है। जबकि सरकार की तरफ से बराबर आश्वासन मिलता रहा है। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग गायब हुए? उनमें से अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा न मिलने का क्या कारण है? हमारे झारखंड में भी बहुत से ऐसे शहीद परिवार के लोग हैं जिन्हें अभी तक भुगतान नहीं हुआ और न ही उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिली है। सरकार इन लंबित मामलों को कब तक पूरा करने जा रही है?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: It is not in the scope of this Question but if there is a problem anywhere, the hon. Member can bring it to my notice. Sometimes, in some parts of the compensation, there are some delays. We are going through the full procedure. उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमैंट करने की जरूरत है। जो शहीद होता है, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी को आगे बढ़ाया जाता है। It continues till the lifetime as if the person was drawing salary. There are many more compensations. We are going through the full procedure and I will promise that there will be an institutional mechanism which we are working out. एक स्थायी स्वरूप की व्यवस्था जिससे ऐसे डिले हो जाए तो उसे सौल्यूशन देने की कोशिश करें।

HON. SPEAKER: Shri Prataprao Jadhav – not present; Shri Santok Chaudhary – not asking; Shri B.B. Patil.

श्री भीमराव बी. पाटील: महोदया, चौधरी साहब ने प्रश्न पूछा और मंत्री महोदय ने उसका जवाब भी दे दिया है। इसलिए मुझे प्रश्न नहीं पूछना है।

HON. SPEAKER: Q. No. 344 – Shri Bharathi Mohan.

(Q. 344)

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN: Thank you, Madam Speaker. In Tamil Nadu, under the guidance of our beloved leader hon. Puratchi Thalaivi Amma, the State Government is already providing medicines to poor people at low prices through a scheme titled Amma Marundhakam. So, my question is whether the Government has made any plans to introduce this model scheme throughout the country.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, the Rashtriya Arogya Nidhi scheme is to help the poor. No doubt, in Tamil Nadu they have got their separate scheme which is a good scheme. At the same time, our scheme is also pretty good. It gives a lot of freedom for the States to participate in it and take help for the poor people. So, at this point of time, there is no intention of the Government to take the scheme of Tamil Nadu into our scheme. At the same time, we have a provision where we go for good practices and try to replicate these good practices. For this, we have a workshop. In this workshop, the States are asked to showcase their programmes and schemes; and if the other States feel that they are good programmes, they can also do it in their own respective States. We encourage those States to adopt those schemes and also encourage them when they are implemented in other States also.

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN: I would like to know whether the Government is considering providing monetary assistance to the pregnant women and lactating mothers across the country, particularly in rural areas.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: I did not follow the question. …(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He can repeat it if you want.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: We give this facility to all government hospitals whether in rural areas or urban areas, because this facility is given to the patients of life threatening diseases and for which surgical interventions or other interventions are needed. This cannot be provided in a PHC or a CHC, but in a district hospital and above It is because the intervention that is needed is for the

life threatening diseases. So, wherever there is a Government hospital, we are there to help the hon. Member and we see to it that the *Rashtriya Arogya Nidhi* is received by the patient.

HON. SPEAKER: Shri Ansul Verma – Not present.

श्री नाना पटोले : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जीवन रक्षक उपाय के लिए जो निधि उपलब्ध कराते हैं वह बहुत कम होती है। आज कैंसर का इलाज, हार्ट का इलाज कराने के लिए दो नहीं पांच लाख रुपये लगते हैं। उससे कई रोगियों की मृत्यु हो जाती है। अपने देश-दुनिया में हेल्थ केयर की पॉलिसी बनाई जाती है, क्या वैसी पॉलिसी बनाई जाएगी? उसके आधार पर सभी लोगों को छह महीने में या साल भर में बीमारी होने से पहले ही जांच की जाती है, उसको इलाज मिल जाता है। यह योजना बहुत अच्छी है। बहुत से रोगियों को कम पैसा मिलने की वजह से वे सांसदों के पास आते हैं , आपके पास भी आते होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है? देश के सभी लोगों को हेल्थ केयर के नाम से इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सांसदों और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीय आरोग्य निधि में पहले हम एक लाख रुपये देते थे। वर्तमान सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में बनी तब इसे एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया, यह अभी किया गया है दूसरी बात Rs. 2 lakh is not the limit. That is the revolving fund हमारे 12 सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, दो लाख रुपये रिवोल्विंग फंड से लेकर खर्च कर सकते हैं। रिवोल्विंग फंड हम देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम दस लाख रुपये तक पेशेंट को दे सकते हैं It has to come to the *Rashtriya Arogya Nidhi* headquarters, that is to us. There is a Technical Committee and टेक्नीकल कमेटी उसको ओके करती है, उसके रीजन को देखती है, उसके बाद पैसा दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट का दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च होता है और वह बीपीएल पेशेंट है उस केस को केन्द्र सरकार को भेजें। हम जितना फास्ट कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पैसे की उपलब्धता है। उन्हें यह मिलेगा, इस बात की हम सुनिश्चित करते हैं।

(Q. 345)

SHRI PRATAP SIMHA: Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity. I have already got the detailed reply from the hon. Health Minister. I would like to ask a different question. This National Rural Health Mission which was started in 2005 has almost completed ten years now. No doubt, this was a very good initiative taken by the previous Government.

In our country we have got a three-tier health care system – Community Health Centres, Primary Health Centres and Tertiary Medical Care. But when we see these PHCs, CHCs and Tertiary Medical Care centres, we find them in a pathetic condition. So, my specific question is this. How much money has been spent under this programme in the last 10 years and what visible change did it bring both in public health and health infrastructure?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, Speaker, this is a very relevant question, a question that relates to the health sector. As far as NRHM is concerned, approximately every year a sum of Rs. 18,000 crore to Rs. 20,000 crore is being spent under this Scheme. It is a flagship Scheme of Government of India under the Ministry of Health and Family Welfare. As far as the primary and secondary health care is concerned, PHC level, CHC level, they also are priority areas of NRHM.

But the programme implementation is not done by us. We give funds but programme implementation and programme planning are to be done by the respective districts and the States. So, we have a District Planning and Implementation Programme, DPIP. It is the district which plans what they are going to do in the district; how they are going to take care of primary and secondary health care; what inputs they need; what are gaps are there; how those gaps can be filled and what financial support they need.

We also have a head called Flexi Pool under which there is flexibility of using funds for filling up the gaps. That has to be done at the district level which is passed at the State level. So, we have the District Planning and Implementation Programme (DPIP) and then it goes to the State Planning and Implementation Programme. Financial support is given by the Government of India on whatever the State Planning and Implementation Programme says. At the district level, I would request the hon. Member to take care of it. He may send us the plans which will be approved and finances will be given accordingly.

SHRI PRATAP SIMHA: Madam, the Constitution guarantees us right to live and right to protection.

Nowadays, cancer patients are increasing day-by-day but it is highly unaffordable for common man. We do not have proper facilities at District Hospitals to diagnose or to provide proper medication.

I would like to ask the hon. Minister as to whether the Government has any plans to provide proper medication in all tertiary centres.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The hon. Member is correct. Initially, in the health sector, we were facing the problem of communicable diseases. But in the course of time, non-communicable diseases also are on an increase. That increase is at an alarming rate. Patients of hyper tension, diabetes and cancer are increasing day-by-day. All these diseases are related to life style diseases. Life style which we have adopted is one of the major reasons for these diseases.

As far as cancer is concerned, we are trying to see that our capacity to deal with cancer increases. So, emphasis is in early detection of cancer. For early detection of cancer, screening at the primary stage is being focused and for that, capacity is being increased.

At this point of time, we have got 27 Regional Cancer Centres. We are also going to have two National Cancer Institutes in due course of time, 20 State Cancer Institutes and 20 Tertiary Cancer Institutes which are being planned and developed. Each Cancer Institute is being given about Rs. 45 crores to Rs. 20 crore

depending upon the capacity of the Institute. We are on this process. But certainly much more is to be done. At the same time, much is to be spent on the IHC part because life style is also to be taken into account. The systems of medicine should also be integrated into this system.

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनका विभाग आंकडों की जो बाजीगरी करता है, उसे वे सुधारें। इनके जवाब में खुद लिखा हुआ है कि

> "The 12th Five Year Plan has targeted to increase the public spending on core health care for Centre and State together to 1.87 per cent of GDP."

जो एनेक्श्चर वन लगा हुआ है, उसमें इनका जवाब है कि टोटल जीडीपी का 3.9 परसेंट है। इनके जवाब में एक जगह यह लिखा है कि इनक्रीज 1.97 करेंगे और दूसरी जगह लिख रहे हैं कि 3.9 परसेंट अभी है। ये दोनों डाटाज गलत हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह नहीं है।

मेरा प्रश्न है कि यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2005 में वादा किया था कि हम वर्ष 2012 तक स्वास्थ्य पर 2.5 परसेंट स्पैंडिंग जीडीपी का ले जायेंगे। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पूरा नहीं हुआ और 1.1. परसेंट तक ही रह गया। आज फिर हमारी सरकार और हमारे दल ने जनता से यह वादा किया है कि वर्ष 2019 तक हम 2.5 परसेंट स्पैंडिंग जीडीपी का स्वास्थ्य में ले जायेंगे। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक देश भी ठीक नहीं रहेगा। मेरा अनुरोध है कि आंकड़े ठीक कर लें। 2019 तक का सरकार का जो लक्ष्य है, क्या मंत्री जी हैल्थ स्पैंडिंग को बढ़ाएंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सही प्रश्न पूछा है। यह बड़ा रिलेवेंट प्रश्न है, वरना यह कन्फ्जूज़न रह जाता। जहां तक 1.11 परसेंट का सवाल है, यह सरकार की स्पैंडिंग है। जीडीपी का 2013-14 का आर.ई., रियल एक्सपैंडिचर है। 3.9 वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमाने द्वारा हैल्थ सैक्टर में किया गया टोटल खर्चा है, जिसमें प्राइवेट भी शामिल है। So, it should be clarified that the Government spending is 1.1 per cent of the GDP 2013-14 real expenditure. Rest is by the private. इसका भी रेश्यो लगभग 39 और 61 परसेंट के आसपास है। So, this is what I would like to say.

दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक्सपैंडिचर बढ़ाएं। यह सही बात है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टेट्स के साथ इन्टरैक्ट करके उनकी स्पैंडिंग कैपिसिटी बढ़ाई जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20 प्रतिशत खर्च नहीं हो रहा है। यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आ रहे हैं। अभी हमने इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोग्राम लिया है। इंद्रधनुष बड़ा एम्बीशियस प्रोग्राम है। मैं सभी स्टेट्स के बारे में बता सकता हूं कि टोटल एलोकेटिड फंड का 20 परसेंट भी खर्च नहीं हो रहा है। उनकी खर्च करने की कैपिसिटी बढ़ानी होगी ताकि सही रूप से आप्टिमम यूटिलाइज हो। ऐसा न हो कि बिल बन गया है और खर्च करना है इसलिए खर्च किया जाए। ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन की जरूरत है। भारत सरकार सजग है, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। Whatever finances are needed, that would be provided. ऑप्टीमम यूज़ होना चाहिए, इसे हम देखेंगे।

श्री मोहम्मद सलीम: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, प्रश्न उसी पर आधारित है। सरकार खुद तसलीम कर रही है कि हमारे देश में स्वास्थ्य में जो खर्च हो रहा है, उसका 30 परसेंट से कम सरकारी क्षेत्र में है और 60 परसेंट से ज्यादा, 70 परसेंट प्राइवेट सैक्टर्स में है। इस दौर में हैल्थ सैक्टर में फास्टेस्ट ग्रोथ है। यह इनकम जनरेटिंग और प्राफिट मेकिंग भी है। सरकार धीरे-धीरे जनता पर बर्डन डाल रही है। हमारे सामने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां आ रही हैं, एक के बाद एक बीमारियां आ रही हैं, इलाज महंगा हो रहा है। मेरा कहना है कि सरकार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रही है। 2013-14 बजट के मुकाबले में इस बार बजट में जीडीपी की परसेंटेज का स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम खर्च किया गया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो भी एलोकेशन होता है, राज्य सरकार की खर्च करने की कैपिसिटी न होने के कारण उसका ऑप्टिमम यूज़ नहीं हो पा रहा है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं कि बिल्डिंग बन गई है, मशीनरीज़ हैं लेकिन कर्मचारी नहीं है।

HON. SPEAKER: Please ask the question.

श्री मोहम्मद सलीम: ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन की मानिटरिंग होनी चाहिए ताकि रोगियों को सुविधा मिल सके। इसके लिए हर जिले में सैंट्रल स्कीम्स को इम्पलीमेंट करने के लिए प्रावधान है कि किस तरह से जन प्रतिनिधि को साथ लेकर मानिटरिंग की जानी चाहिए, लेकिन वह नहीं हो रही है। आप इस दिशा में क्या कदम उठाएंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सही है। मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि हैल्थ सैक्टर में कोई भी फंड कम नहीं किया गया है। It has been devolved. Now, the capacity of

the States has increased. इसके अनुपात में शेयर भी दे रहे हैं। स्टेट के साथ फ्लैगशिप प्रोग्राम में कोई भी पैसा खत्म नहीं किया गया है।

जहां तक मॉनिटरिंग का सवाल है, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं पर्सनली चीफ मिनिस्टर से मिल रहा हूं। मैंने मुलाकात की है, मैंने बताया है कि आपके यहां इन हैड्स में अभी तक खर्च नहीं हुआ है। साल का अंत आ गया था, उसके पहले मैंने सारी बातचीत की। अब मैं इसकी मॉनिटरिंग को पर्सनली देख रहा हूं। हमारी कोशिश है कि हम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसमें इन्वाल्व करें। हमने डिस्ट्रिक्ट निगरानी समिति की अध्यक्षता की दृष्टि से भी सारे हैल्थ सैक्रेटीज़ को कहा है, You are answerable to our Members of Parliament. हम मैम्बर आफ पार्लियामेंट के लिए भी अलग से ब्रॉशर भेज रहे हैं कि किस सैक्टर में काम किया है, कैसे फंड का एलोकेशन हुआ है। ये सब आपको भेज देंगे ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट, एरिया और कांस्टीटुएंसी में ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन कर सकें।

<u>12.00 hrs</u>

HON. SPEAKER: Shri Dushyant Singh. The time is up. Please be brief.

SHRI DUSHYANT SINGH: I would like to ask the hon. Minister if any studies have been conducted in linking the relations between health and sanitation and if cuts in the health care expenditure have been offset by the increase in spending on sanitation.

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सेनीटेशन का सवाल है, हैल्थ से जुड़े हुए जो वि-ाय हैं, उसमें हम आईईसी करते हैं और आईईसी के ही तहत लेते हैं और हमारी इंटर-डिपार्टमेंटल मीटिंग्स भी होती रहती हैं। उनमें हम सारी चीजों की चर्चा करते रहते हैं।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2152/16/15]

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2153/16/15]

(2) A copy of the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Amendment Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.70(E) in Gazette of India dated 4th February, 2015 under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 2154/16/15]

(3) A copy of the Notification No. S.O. 354(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 5th February, 2015, exempting the Vessel Sharing Agreements of Liner Shipping Industry from the provisions of Section 3 of the Competition Act, 2002 issued under clause (a) of Section 54 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 2155/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): On behalf of Shri Manohar Parrikar, *I beg* _to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Defence for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2156/16/15]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2157/16/15]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2158/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2159/16/15]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2160/16/15]

(3) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section 14 of the National Commission for Women Act, 1990:-

(i) Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2012-2013.

(ii) Action Taken Report on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2012-2013.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2161/16/15]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Women and Child Development for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2162/16/15]

(ii) Outcome Budget of the Ministry of Women and Child Development for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2163/16/15]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री थावरचंद गहलोत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2164/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2165/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Dr. Harsh Vardhan, I beg to to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) Annual Report of the Central Electronics Limited, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2166/16/15]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 2167/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Planning for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2168/16/15]

(2) Outcome Budget of the Directorate General Married Accommodation Project for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2169/16/15]

(3) Outcome Budget of the Ex-servicemen Contributory Health Scheme for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2170/16/15]

(4) Outcome Budget of the National Cadet Corps for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2171/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2172/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Prakash Javadekar, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2011-2012.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2173/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2012-2013.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2174/16/15]

(5) (i) copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wildlife Institute of India, Dehradun, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2175/16/15]

(7) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2176/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2177/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की परिणामी बजट।

[Placed in Library, See No. LT 2178/16/15]

(3) वर्ष 2015-2016 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[Placed in Library, See No. LT 2179/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): On behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg _to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2180/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 2181/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chanderi Development Society for Weavers, Chanderi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chanderi Development Society for Weavers, Chanderi, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 2182/16/15]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Baddi Infrastructure, Baddi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Baddi Infrastructure, Baddi, for the year 2013-2014.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 2183/16/15]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Foundry Cluster Development Association, Kolkata, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Foundry Cluster Development Association, Kolkata, for the year 2013-2014.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 2184/16/15]

(11) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2185/16/15]

(ii) Outcome Budget of the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2186/16/15]

(iii) Outcome Budget of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2187/16/15]

(12) A copy of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.1038(E) in Gazette of India dated 4th April, 2014 under Section 34 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

(13) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (12) above.

[Placed in Library, See No. LT 2188/16/15]

(14) A copy of the Cardamom (Licensing and Marketing) Amendment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.816(E) in Gazette of India dated 18th November, 2014 under Section 40 of the Spices Board Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 2189/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Dr. Mahesh Sharma, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Tourism for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2190/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) का.आ.3233 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए ''न्यायाधीश'' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(2) का.आ.281 (अ) जो 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित कि जाने के बारे में है।

(3) का.आ. 282 (अ) और का.आ. 283(अ) जो 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए ''न्यायाधीश'' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(4) का.आ. 289 (अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(5) का.आ. 294 (अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मामले के संचालन हेतु विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 2191/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया जी की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) का.आ. 295 (अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित वर्गीकृत उर्वरकों के दो नए ग्रेडों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 ख के अधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की समयावधि तक के लिए अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2192/16/15]

(2) का.आ. 296 (अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित औपबंधिक उर्वरकों का विनिर्देशन उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक भारत में विनिर्मित किए जाने के संबंध में नियत किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 2193/16/15]

(3) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 297 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 2194/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI G.M. SIDDESHWARA): I beg _to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2195/16/15]

(2) Outcome Budget of the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2196/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 2197/16/15]

(3) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 2198/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Y.S. Chowdary, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Earth Sciences for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2199/16/15]

(2) Outcome Budget of the Ministry of Earth Sciences for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2200/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 2201/16/15]

(2) A copy of the Notification No. G.S.R.686(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 25th September, 2014 regarding reorganisation of the jurisdiction of DRTs under DRATs at Chennai, Mumbai and Kolkata to rationalize the workload issued under sub-section (2) of Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 2202/16/15]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

(i) The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.863(E) in Gazette of India dated 3rd December, 2014.

(ii) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R.392(E) in Gazette of India dated 10th June, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2203/16/15]

(5) A copy of the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.588(E) in Gazette of India dated 14th August, 2014 under Section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 2204/16/15]

(6) copy of the J & K Grameen Bank Service (Amendment) Regulations, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. PSF/Notification/JKGB/14/665 in Gazette of India dated 24th November, 2014 under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976.

[Placed in Library, See No. LT 2205/16/15]

(7) A copy of the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 115(E) in Gazette of India dated 19th February, 2015 under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938.

[Placed in Library, See No. LT 2206/16/15]

(8) A copy of the One Rupee Currency Notes Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 740(E) in Gazette of India dated 22nd October, 2014 under Section 25 of the Coinage Act, 2011.

[Placed in Library, See No. LT 2207/16/15]

(9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 3 of 2015)-Department of Revenue-Direct Taxes, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2208/16/15]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 5 of 2015)-Performance Audit on Assessment of Assessees in Pharmaceuticals Sector, Department of Revenue-Direct Taxes, for the year ended March, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 2209/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE): I beg to lay on the Table -

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 2210/16/15]

(3) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 2211/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table –

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajghat Samadhi Committee, New Delhi, for the year 2013-2014.

[Placed in Library, See No. LT 2212/16/15]

12.07 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following two messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th March, 2015 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 17th March, 2015 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.08 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

15th Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I beg to present the 15th Report of the Business Advisory Committee.

12.09 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 68th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): On behalf of Shri Arun Jaitley, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 68th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14), pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

12.09 ½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 210th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 188th Report of the Committee on 'Functioning of Commission of Railways Safety', pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam Speaker, on behalf of Dr. Manesh Sharma, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 210th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 188th Report of the Committee on `Functioning of Commission of Railways Safety', pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. L.T. 2213/16/15 and 2214/16/15 respectevely.

12.10 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Terrorist attack at Kathua in Jammu and Kashmir

HON. SPEAKER: Now, the House will take up `Zero Hour'.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I do not want to take the time of the House. Anyway, the Home Minister is present here. I would like to raise an issue of public importance. A terrorist attack took place in Kathua district of Jammu on early Friday morning. A policeman and a civilian were killed when a group of heavily armed terrorists attacked a police station in Kathua district. Nine other people including seven from the Central Reserve Police Force, one policeman and one civilian have been reportedly injured in the assault which began at 6.20 a.m.

A senior officer said that terrorists opened fire using automatic weapons at the police station, and forced their entry into the building. Heavy exchanges of fire took place. Initially one policeman was killed in the initial attack. One of the injured civilians succumbed to injuries in hospital. According to the information which we have received through media, and other sources, heavy gunfight is still on in the area to neutralize the terrorists who are holed up inside the police station.

This is the first terrorist attack since the new Government of Peoples Democratic Party-BJP took office in Jammu & Kashmir. I do not want to make politics out of it because this has repeatedly been happening in Jammu & Kashmir. Why is Intelligence not acting immediately? Why is information not given to the Government of India? Why is the Chief Minister silent about all these activities? Is he directly supporting these activities or has he got some allergy to inform the Central Government? We want to know that. Not only this, several other things also happened without your knowledge. They released so many terrorists without informing you. That is why, Madam, through you, I request him to make a statement. It should not happen repeatedly.

HON. SPEAKER: He has already responded.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I know, he has already made his statement in the Rajya Sabha. I am also aware of that. That is not important. But, my request is this. In spite of warning from the Prime Minister, in spite of warning from the Home Minister, why such things are happening? There is some lacuna. Either your Chief Minister is not listening to you or you are not taking any action against them. So, I want to know about this.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, अभी कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री खड़गे जी ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस स्टेशन पर हुए फिदायीन आतंकवादी हमले का प्रश्न सदन के सामने उठाया है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज ही सुबह छः बजकर बीस मिनट पर आतंकवादी गेट पर तैनात एक सन्तरी की हत्या करके जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के राजबाग पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। यह पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर स्थित है। यह पुलिस स्टेशन कठुआ शहर से 15 किलोमीटर उत्तर में है एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अभी-अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस प्राप्त सूचना के आधार पर मैं यह बताना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं कि यह सदन, जम्मू-कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ जवानों, जिन्होंने फिदायीन आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, के शौर्य एवं पराक्रम की सराहना करता है। इसके अतिरिक्त, वहां पर एक आम नागरिक को फिदायीन आतंकवादियों ने मार दिया है, उसके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही, जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों के परिवारजनों एवं सीआरपीएफ जवानों के परिवारजनों के प्रति भी यह सदन अपनी संवेदना व्यक्त करता है। जो लोग घायल हुए हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो जवान, सीआरएफ की 121 बटालियन के सात जवान और एक सिविलियन व्यक्ति घायल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि यह कोई विवाद करने का प्रश्न नहीं है कि किसने क्या किया, किसने कैसे रिस्पांड किया। अभी तुरंत ही यह ऑपरेशन समाप्त हुआ है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है, इसलिए मैंने अपना यह दायित्व समझा कि संसद के समक्ष उपस्थित होकर मुझे यह सूचना देनी चाहिए, इसलिए यही सूचना देने के लिए मैं इस सदन में आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं।

HON. SPEAKER: Item 26. Shri Nitin Gadkari *ji*, you have to make a statement.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, आइटम 27 हो गया है, कई मंत्री नहीं थे तो संसदीय कार्य मंत्री ने उनकी जगह पर बोल दिया।

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया। किस बारे में बोल रहे हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, आइटम नंबर 26 रह गया, आपकी परमीशन लेकर वह इसको भी बोल सकते थे।

माननीय अध्यक्ष : राज्य सभा में वोटिंग है, बोला था, आपको समझ लेना चाहिए।

श्री नितिन गडकरी जी ।

12.13 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS ..... Contd.

(iii)Central Sector Scheme of Financial Assistance for On-Board Ship Training for Indian Merchant Navy Cadets/Trainees*

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF SHIPPING (SHRI NITIN GADKARI): Madam Speaker, India has a strong reputation for providing quality human resource for the global shipping sector. Out of a total number of 12 lakh sea-farers globally, India's share is 7 per cent, meaning about 84,000 Indians are working as sea-farers. They not only enhance the image of India but also earn precious foreign exchange for the country. The effort of the Government is to increase the share of India and to help Indian citizens to acquire skills for gaining employment all over the world.

The Indian Maritime University provides quality training to sea-farers, in association with 40 Maritime Training Institutes. Although there is enough capacity for classroom training for sea-farers, the efforts to train sea-farers have hit a road block in terms of the number of on-board training slots on ships. When I came to know of this I initiated discussions to find out a solution. Today I am happy to announce that we have found a way forward.

A scheme has been formulated to provide financial support to cadets who have completed their classroom training between 2010- 2012, but who have not been able to get on-board ship training due to non-availability of training berths on Indian ships.

In order to increase the training slots, foreign flagged ships will be eligible for reimbursement of 30 per cent of the cost of training with a maximum amount of Rs. 3 lakh. This amount, to be contributed by Ministry of Shipping, will be grant-in-aid and students will have not to return this money. The balance amount of 70 per cent of cost of training will be arranged for the cadets through loans from financial institutions under Ministry of Social Justice, Ministry of Tribal Affairs

* Placed in Library, See No. LT 2215/16/15

and Ministry of Minority Affairs are per their eligibility. Cadets belonging to General Category will be facilitated for obtaining loan from nationalised banks for meeting the 70 per cent cost.

The scheme is expected to benefit about 2000 cadets who will draw average starting salary, after undergoing training, about US$ 3000 per month that is about Rs. 1,80,000 per month.

The scheme is expected to benefit a wide section of society.

The detailed guidelines and procedure for the scheme are available at the website of DG (Shipping).

यह स्कीम लाँच हुई है, इस साल इसमें 3,000 लड़कों को रोजगार मिलेगा और हर साल इसकी केपेसिटी बढ़ाकर 10,000 लड़कों को हम ट्रेंड करके फॉरेन भेजकर ट्रेनिंग देंगे। उससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी आएगी।

HON. SPEAKER: So, it was not simply a paper laying, it was a statement.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, खासकर सी फेयरर के मामले में, जिसके लिए किसी को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए आज उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किया है, इससे देश के नौजवानों के लिए सी फेयरर की व्यवस्था की है, वह वास्तव में ऐतिहासिक है।

12.17 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
Agrarian situation in the country – Contd.

HON. SPEAKER: Now, there will be no 'Zero Hour'. We shall take it up in the evening. Now, we will start Discussion under Rule 193. बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

श्री पी.पी. चौधरी।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम 193 के तहत किसानों के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज की तारीख में 60 प्रतिशत किसानों को कृषि द्वारा रोजगार मिलता है। हालांकि मैं मानता हूं कि कृषि द्वारा रोजगार देने के 1961 के अगर आंकड़े देखें तो तब से लेकर 2014 तक इसमें 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। सन् 1961 में कृषि द्वारा करीब 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता था।

हमारी कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कुछ समस्याएं मैनमेड हैं और कुछ नेचर द्वारा पैदा होती हैं। जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए। अभी हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत के अन्य राज्यों में ओलावृष्टि की वजह से किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यह माना जाता है कि नेचर के अगेंस्ट कुछ जोर नहीं चलता। राम रूठ सकता है, लेकिन ऐसे मामले में राज को नहीं रूठना चाहिए।

मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में अधिक से अधिक राशि किसानों को राहत के रूप में दी जाए। जहां तक मैनमेड समस्या का सवाल है, 1961 से लेकर अब तक असंतुलित कृषि नीति होने की वजह से कृषि पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से किसान बहुत ही दुखी हुआ है। आज किसान को अपनी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। वर्ष 1961 में अगर किसान सौ रुपये अपने खेत में लगाता था तो उसको 130 रुपये मिलता था। आज किसान सौ रुपये खेत में लगाता है तो उसको केवल 60 रुपये की आय होती है। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड और इनसैक्टिसाइड ऐसे हैं जिनको खेत में यूज़ किया जाता है, जबकि वे बैन हो चुके हैं। अमेरीका और यूरोपियन कंट्रीज में भी जो पेस्टीसाइड और इनसैक्टीसाइड बैन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे किसान उनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है और न ही उनको इस बारे में जानकारी प्रोवाइड की जा रही है।

जहां तक ऋण और बीमा का सवाल है, उसमें भी पर्याप्त सुविधाएं न होने की वजह से किसानों का तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में जीडीपी में कृषि का हिस्सा केवल 13 प्रतिशत रह गया है, जबकि वर्ष 1961 में यह 55 प्रतिशत था। यह बहुत सोचने वाली बात है। आज हमारी 60 प्रतिशत कृषि मानसून पर निर्भर करती है और 40 प्रतिशत को ही ट्यूबवेल से पानी मिल रहा है। अगर हम पांच वर्ष का एवरेज लें तो हमारी कृषि तीन वर्ष बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती हैं। अगर दो साल मानसून ठीक भी रहता है तो भी हमारे किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिलता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में गांव मजबूरी की शरणस्थली बन चुका है। आज फूड सिक्योरिटी के साथ ही साथ नरेगा भी चल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि 80 परसेंट लोग फूड सिक्योरिटी में कवर्ड हैं। इसका कारण यह है कि कृषि के बर्बाद होने के कारण फूड सिक्योरिटी में एक रुपये प्रति किलो अनाज किसानों को खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं किसानों को अपनी किसानी छोड़कर नरेगा के मजदूर के तौर पर काम करना पड़ रहा है। मेरे मत में इसका उपाय यह है कि नदियों को जोड़ने का काम यदि सरकार कर लेती है तो पूरे देश की कम से कम 60 प्रतिशत जमीन सिंचित की जा सकती है। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। यही नहीं गांव में नदियों को जोड़ने से जो पानी आएगा, उससे देश का कोई भी गांव पीने के पानी से वंचित नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ इससे किसान का हर खेत सिंचित हो जाएगा। इससे सूखा और बाढ़ का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा।

<u>12.23 hrs</u> (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

पिछले दो वर्षों में 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये इंडस्ट्री को इंसेन्टिव के रूप में दिए गए और दो लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स के माफ किए गए। यही पैसा अगर नदियों को जोड़ने के लिए लगा दिया गया होता तो आज हमारे किसानों पर जो आपदा आयी हुई है, वह हमें देखने को नहीं मिलती। पिछले पचास सालों से किसानों की समस्या के बारे में इस सदन में चर्चा होती रही है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। जबकि किसान वहीं खड़ा नहीं है, वह और गरीब होता गया है। इसके समाधान के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं उस रिपोर्ट के अलग-अलग विषयों के बारें में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाती है तो उससे बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलेगी। …(व्यवधान)

महोदय, आज हम किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश का किसान इसे सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे आप बोलने के लिए पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

मैं बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में बता रहा था कि ओलावृष्टि के अलावा बाढ़ और सूखे की स्थिति भी आती है, उससे निपटने के लिए जिस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने यह कहा था कि अगर नदियों से नदियां जोड़ी जाती हैं तो उसमें हमें 2400 मेगावाट बिजली मिल सकती है। 25 मिलियन हैक्टेअर लैंड इरिगेट हो सकती है और दस मिलियन हैक्टेअर लैंड में ग्राउंड वाटर रीचार्ज होगा। मैं हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अभी इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा है, इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि क्षेत्र सिंचित करना, फसल बीमा योजना हेतु 2590 करोड़ रुपये प्रस्तावित करना, प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, फार्म क्रेडिट, जहां 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, मैं सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी जो आपदा आई है, चाहे मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली में आई है और चाहे राजस्थान में अन्य जगह आई है, मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

[*]**श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):** पिछले 65 वर्षों से किसानों के मुद्दों में चर्चा हो रही है और इस देश में 60 वर्षों से अधिक कांग्रेस ने राज किया है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों एवं किसान विरोधी नीति होने के कारण किसान की दुर्दशा निरंतर जारी है। 1995 से आज तक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज किसानों के 80 मिलियन परिवारों में से 40 मिलियन परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। यह सब पूर्व की सरकार की नीतियों का परिणाम है।

देश में 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमें किसान हितैषी नीतियों को लागू करना होगा। हमें किसानों के लिए को-ऑपरेटिव बैंक बनाने होंगे। हमें छोटे-छोटे किसानों को कम्पेटिटिव बनाना होगा। प्रतिवर्ष बहुत सारा अनाज बर्बाद होता है। लेकिन आज तक उसे बचाने के लिए कोल्ड चेन और ग्रेन स्टोर नहीं बन सके हैं। इस कार्य के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और आज फसल बीमा और कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी लागू करने की आवश्यकता है।

आज विचार करने का विषय है कि किसानों द्वारा जिस तकनीक को अपनाया जा रहा है, उसकी पैदावार कितनी है? उसकी लागत के अनुसार प्राप्ति कितनी है? आज उसकी जमीन की टेस्टिंग करने के बाद उसके अनुरूप तकनीकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसानों के प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

---

[*] Speech was laid on the Table.

HON. DEPUTY SPEAKER: I request the hon. Members to be very brief. There are many Members who want to speak on this issue. It was supposed to be completed yesterday night itself but keeping in view many members want to speak, we have taken up this discussion today also. So, I would request all the Members to be very brief in their speeches. After this, the hon. Minister has to reply and then, we have to take up other business also. So, highlight only the important issues in one's speech and be brief.

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sir, when we are discussing about the agrarian distress in India, we cannot ignore the agonies and pathetic economic conditions of the victims of the WTO regime and Indo-ASEAN free trade agreement. In Kerala, the plantation capital of India, millions of growers and workers are in distress due to the spiraling down of prices of cash crops. Two-third of Kerala's cultivated area is dedicated to eight cash crops – natural rubber, cardamom, pepper, arecanut, coconut, tea and coffee and cashew nut.

Sir, growers of cash crops are more vulnerable to the vagaries of the market than any other sector. Given the strategic importance of cash crops, the Government of India brought all these cash crops under the Ministry of Commerce and Commodity Boards were established under different enactments – Rubber Act, Coffee Act, Tea Act etc.

Forty-six percent of the country's plantation produced are being contributed by Kerala. As far as the Rubber is concerned, 83 per cent of natural rubber is being produced in Kerala. After economic reforms and trade relaxation in 1991, the Government has relaxed restrictions on import of agriculture produces especially cash crops like natural rubber and cardamom. Anybody can import rubber to India by paying 20 per cent or Rs. 30 whichever is lower as import duty. Rubber can also be imported under free export with a commitment to re-export the value added goods within 18 to 24 months. I am very grateful to this Government that the time period has been reduced to six month and I appreciate that also.

Mr. Deputy Speaker, Sir, during the period April, 2011, we were getting rubber at Rs. 240 per kilogram and now we are getting at Rs. 113 per kilogram. The cost of production of one kilogram of dry rubber is now Rs. 150 to 160 per kilogram.

There are WTO agreements as well as the Indo-ASEAN Free Trade Agreements wherein India has offered tariff concession on import of a number of agricultural commodities including rubber. The most alarming, rather unfortunate fact is that natural rubber is classified as an industrial product and not as an agricultural commodity. Bound rate of the imported tariff of natural rubber in dry form is fixed as 25 per cent or Rs.30, whichever is less, whereas the rate of latex is 75 per cent or Rs.49, whichever is less.

Taking advantage of the relaxed restrictions, the import of the natural rubber has witnessed manifold increase. During 2008-09, only 77,762 metric tonnes of rubber was imported to India whereas during 2014-15, they have imported 360,273 metric tonnes of rubber. Last year we consumed only 763,800 metric tonnes of rubber but the manufacturers had imported more than 125,000 metric tonnes of rubber in excess of their actual requirement and they are keeping it as a buffer for keeping the price of the natural rubber at a low rate.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I am in the process of concluding.

In these circumstances, there are re-negotiation clauses provided under the WTO and ASEAN agreements. Now, it is for the Government to invoke the re-negotiation clauses in the ASEAN GAR as well as WTO regime for the purpose of re-classifying the rubber and include rubber under the agricultural commodity.

As far as cardamom is concerned, there are a lot of problems in the cardamom sector also. Earlier, we were getting Rs.1,600 per kg for cardamom but now we are getting only Rs.450 per kg. Here also there is indiscriminate import of cardamom. Sir, you are also interested in cardamom because a lot of Tamil people are there in my constituency.

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not interested in anything. Please conclude.

ADV. JOICE GEORGE: Sir, I have only this point because there is nobody to represent the grievance of these cash crop growers. That is why, I am presenting their problems.

HON. DEPUTY SPEAKER: Many Members have already spoken on rubber. Please wind up.

ADV. JOICE GEORGE: I will take only one more minute.

Sir, because of indiscriminate import of cardamom from Guatemala and mixing it with our original cardamom and selling it as Indian cardamom domestically and internationally, we have lost our traditional markets in Saudi Arabia and in other countries. This is the case with tea also. In my constituency, there are 45,000 families of tea plant workers and 8500 families of small growers are there. They are all depending on tea but their life is also in distress because of the difficulties in the tea sector. The cardamom sector is also facing the very same problem. In these circumstances, I urge upon the Government to have a considered view in this matter and invoke the re-negotiation clause in the WTO and ASEAN agreement.

Sir, I am concluding. Agriculture is always subjected to vagaries of nature, market and several other factors. Thus, social protection programmes, crop insurance, price stabilization and ensuring a minimum of 50 per cent profits over the cost of production as recommended by the Swaminathan Commission and as stated in the BJP’s election manifesto are the need of the hour to mitigate the agrarian crisis in the country and they have to be introduced. I urge upon the Government to take immediate decisions to protect the agrarian people and also include natural rubber as part of ‘Make in India’ programme. Thank you, Sir.

***श्री राकेश सिंह (जबलपुर):**देश के एक अरब 26 करोड़ लोगों में से आज भी तकरीबन 65 फीसदी लोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ये वो लोग हैं जो देश के एक अरब 26 करोड़ लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में आज भी एक तिहाई का योगदान देते हैं। एक आंकड़ा पिछली सरकार के दिनों का है। तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री केवी थामस ने तब लोकसभा में स्वीकारा था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 11708 टन खाद्यान या तो खराब है या वितरित करने योग्य नहीं है। बार-बार खबरें आती हैं कि हमारे अनाज गोदाम खाद्यान से भरे हैं। कई बार खबरें आती हैं कि हमारे यहां इतना अनाज हो जाता है कि अनाज को खुले में बाहर रखना पड़ता है। हमारे देश का किसान दिन-रात मेहनत करके, अपना खून-पसीना एक करके, बारिश-ठंड-गर्मी के तमाम मौसमों में अपने खेत में लगा रहता है और सालाना औसतन 20 करोड़ टन खाद्यान पैदा करता है। इतना अनाज की देश के हर व्यक्ति को दो क्विंटल अनाज सालाना मिल सके। हर आदमी को हर महीने करीब 16 किलो अनाज मिल सके।

देश का किसान जो अपने अथक परिश्रम से इतना करता है, वो आज भी अपनी खेती को मौसम की मार से नहीं बचा पा रहा है। कई प्रदेशों में आज भी हमारे देश का किसान जो कर्ज लेता है, उसका 58 फीसदी सरकारी या सहकारी माध्यमों से नहीं, बल्कि अनौपचारिक तरीकों से ले रहा है। और किसान इन लोगों से जिस दर पर कर्ज लेता है, उसका ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता है। इसीलिए मध्यप्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पांच वर्ष पूर्व ही किसान को शून्य प्रतिशत यानि बिना ब्याज के कर्ज मिले यह निर्णय कर दिया था। जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने है। और मध्यप्रदेश में आज कृषि विकास दर 24.99 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का आंकड़ा है। 1997 से 2007 के बीच देश में एक लाख 82 हजार 936 किसान भाईयों ने आत्म हत्या की। मतलब हर आधे घंटे में एक किसान अपनी जान दे रहा था। देश का अन्नदाता ही अपना जीवन खत्म कर रहा था। हमारे विपक्षी सांसद यूपीए सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम होगा कि 2006 में जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाने गए विदर्भ का दौरा किया था, तो प्रधानमंत्री के उस दौरे के बाद वर्धा के एक किसान ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा था- 'प्रधानमंत्री के दौरे और फसल पर नए कर्ज की घोषणा के बाद मुझे लगा कि मैं दोबारा जी सकूंगा। लेकिन बैंक में मेरी कोई इज्जत नहीं थी।'

---

* Speech was laid on the Table.

...ये सच्चाई है देश के किसान की हताशा की। आजादी के 50 साल तक देश में राज करने की दावा करने वाले क्यों नहीं किसान भाईयों के लिए कुछ कर पाएं?

मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र से हूं जो मध्यप्रदेश में है। पिछले दिनों में मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि हुई है। जबलपुर एवं प्रदेश में फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशव्यापी यात्रा पर निकले हैं। गांव-गांव जाकर किसानों से मिल रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान नीमच जिले के दारू गांव में जब एक बूढ़े किसान ने अपनी व्यथा बताई तो फसल बर्बाद होने से परेशान उस रोते-बिलखते बूढ़े किसान को दिलासा देते हुए मुख्यमंत्रीजी ने कहा- कि 50 फिसदी बर्बाद फसल को हम 100 फीसदी मानेंगे। हमारे प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी पर 100 रूपये और 50 रूपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की घोषणा की है। जिसके चलते 35 लाख क्विंटल गेहूं खरीदी का रिकार्ड बना है। इसी तरह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन कार्यान्वित योजनाओं में देय अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया गया है। मिक्चर उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया है और कपास बीज बेचने वाली कंपनियों पर नियंत्रण करने हेतु 'मध्यप्रदेश कपास बीज विनियम एवं विक्रय मूल्य निर्धारण विधेयक' विधान सभा में पारित कराया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को बैलचालित एवं हस्तचालित कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 फीसदी टॉपअप अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। जो केन्द्र सरकार के 25 फीसदी अनुमान के अतिरिक्त है। इस तरह मध्यप्रदेश में इन किसानों को कृषि यंत्रों पर 75 फीसदी अनुदान मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसान जो गहरी जुताई करने वाले स्वचालित यंत्र नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए 'हलधर योजना' शुरू की है। इसमें ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर एक हजार रूपये अनुदान दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए हमारी प्रदेश सरकार स्प्रिंक्लर एवं डिप सिंचाई प्रणाली की खरीद पर 30 प्रतिशल टॉपअप अनुदान दे रही है। किसानों को लेकर सरकारों को ऐसे ही संवेदनशील होना चाहिए।

मेरे कई साथियों ने पिछली सरकार के वक्त 60 हजार करोड़ रूपये के किसान कर्ज की माफी घोषणा का जिक्र किया। लेकिन वो भूल गए कि उसके कुछ महीने बाद से ही उनके उस दावे की पोल खुल गई थी। इस सदन में कई बार ये बताया जा चुका है कि कैसे वो 60 हजार करोड़ रूपये का लाभ उन मजबूर किसानों को नहीं मिला, जो कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे थे। सुनियोजित तरीके से किसानों के नाम पर कर्ज का घोटाला करने वालों ने इसका फायदा उठाया, नहीं तो क्यों 2007 में भी विदर्भ इलाके में चार हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की।

किसान मात्र कर्ज माफी नहीं चाहता। वो खेती के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहता है। वो खेती के लिए पानी चाहता है। वो उन्नत बीज चाहता है। वो फसल के लिए उर्वरक चाहता है। वो खेती के लिए

बिजली चाहता है, जिससे वो सिंचाई कर सके। वो गांव से पास के कस्बे या शहर को जोड़ने वाली सड़क चाहता है।... और यही हमारी सरकारों ने किया।

मैं हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने किसान भाईयों के हालातों को मन में रखते हुए कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की थीं। मैं हमारे प्रधानमंत्रीजी के खेती के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के प्रयासों का कायल हूं, जो किसानों को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि वो किसी भी सरकार के सामने कर्ज माफी के लिए हाथ ना फैलाएं।

हमारी ही सरकार थी, जिसमें देश की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया था, जिससे देश ज्यादा से ज्यादा खेतों तक 12 महीनें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। ये हमारी ही सरकार थी, जिसने सबसे पहले देश के गांवों को राज्यमार्गों और नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' शुरू की थी। हमारी सरकार ने देश के गांवों को देश के व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने की कोशिशें की थी, और हम कर रहे हैं, जिससे किसान अपनी उपज पास की मंडी तक ले जा सकें। जिससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सके।

हमारी ही सरकार थी जिसने कृषि फसल बीमा योजना की शुरूआत की थी। हमारी सरकार के वक्त ही किसान कॉलसेंटर शुरू किया। जिससे किसान खेती से जुड़ी अपनी परेशानियों को लकर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन ले सके।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'स्वाइल हेल्थ कार्ड' की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि अब हमारे किसानों को मृदा जांच की सुविधा दिलाई जाएगी और ये सिर्फ घोषणा नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने इसका आसान रास्ता भी बताया। कैसे कृषि विश्विवद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों को किसानों से जोड़ा जाए। कैसे 11वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों को मृदा जांच का प्रशिक्षण देकर किसानों के लिए मदद का एक नेटवर्क तेयार किया जाए, ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर उसके अनुसार फसल का निर्णय ले सकें।

हमारी सरकार ने हाल में आम बजट में 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' की बात की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के हर गांव के हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। देश के जल संसाधन का वैज्ञानिक तरीके से इस तरह उपयोग हो कि सिंचाई के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा मिला सके। ... और इसीलिए आम बजट में मृदा जांच और इस सिंचाई योजना के लिए पांच हजार करोड़ रूपये की राशि का आवंटन किया गया है।

हमारे प्रधानमंत्रीजी ने ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जिससे हमारे गांव का युवा खेती ही नहीं पूरे गांव के विकास में अपना योगदान दे सके।

अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अब छोटी काश्त के किसानों याने स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले किसानों के लिए विशेष व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।

फसल बीमा योजना के तहत नियमों को इस तरह से निर्धारित किया जाए, जिससे बीमा क्लेम के वक्त किसानों को परेशानी ना हो। जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है।

साथ ही स्कूलों में कृषि संबंधी विषय पढ़ाया जाना चाहिए। जिससे देश में बच्चे खेती की आधुनिकतम तकनीक की जानकारियां पा सकें। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के हायर सेकेंडरी छात्रों को विशेष प्रशिक्षण या कृषि संबंधी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिले, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में कृषिगत कौशल विकसित कर सकें।

*__श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर):__ भारत देश की 80 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है। लेकिन खेती की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सिंचाई, बिजली, खाद की समय पर उपलब्धता, जो समय पर नहीं होता हे, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बिजली पम्प के साथ-साथ बाराहमासा नदी जो बहती है, उस पर यदि सुलिशगेट की व्यवस्था हो जाये तो किसानों की आधी समस्या दूर हो जायेगी और वे बिजली के भरोसे नहीं रहेंगे।

मैं झंझारपुर, बिहार से आता हूं। खाद की उपलब्धता हेतु यदि बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर फैक्टरी को सुचारू रूप से चलाया जाये तो खाद की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायेगी। साथ ही किसानों के अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। बीच में बिचौलिये लूट लेते हैं। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है और सहकारिता के माध्यम से अनाज की खरीद करायी जा रही है, वह बहुत धीमी गति से चल रही है। इन सभी चीजों पर मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

---

* Speech was laid on the Table.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसी पार्लियामेंट में सन् 1994 में एक डंकेल ड्राफ्ट पास हुआ था, जिसके तहत डेढ़ सौ से ज्यादा शर्तें थीं, जिनमें से तीन-चार मूल शर्तों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान का किसान अपने खेतों में देसी बीज नहीं बोएगा। दूसरा, विदेशी खादों को अपने खेतों में डालेगा। तीसरा यह कि विदेशी हाइब्रिड बीजों का उपयोग करेगा। मान्यवर, उसी के चलते आज विदेशी हाइब्रिड बीज दिया जा रहा है, जिसको एक बार किसान बोता है, दोबारा अगर बोता है तो इंपोटेंट बीज पैदा होता है और उससे फसल पैदा नहीं होती है। जो विदेशी खाद, हमारे यहां डीएपी जैसी खादें पहले कम रेट पर दी गईं और बाद में वह खाद जमीन को एडिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से दो बार जिन खेतों में वह खाद डाली जाती है, दोबारा उस खाद के डाले बगैर फसल पैदा नहीं होती है। यह डीएपी खाद अमरीका की है, लेकिन अमरीका में इसे उपयोग करने पर रोक लगाई गई है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का किसान अपनी खेती को बचाना चाहता है तो उनको डीएपी जैसी खादों का उपयोग हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में डीएपी खाद का उपयोग होता है, जिसकी वजह से लगातार हमारी फसल बेकार होती जा रही है। हमारी भूमि की उर्वरा क्षमता खत्म होती चली जा रही है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी पूरी साजिश है डंकल ड्राफ्ट की और डब्ल्यूटीओ की। जैसे डब्ल्यूटीओ ने एक पूरी साजिश बनाई है। हमारे देश की जमीन जो पहले बीघा, बिसवा, बिस्वांसी में लिखी जाती थी, डब्ल्यूटीओ के दबाव में हमारे यहाँ उसे हेक्टेअर में दर्ज कराकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फार्मिंग कराने की ऐसी एक पूरी साजिश है और उसी साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ अगर देशी बीज खत्म हो जाएगा, तो हम पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। वे बीज देंगे, तब हम बोएंगे, अगर वे बीज नहीं देंगे तो हमारे खेतों में फसलें नहीं होंगी।

इसलिए हमारी सरकार से माँग है, नम्बर एक- चूंकि यहाँ पेटेंट कानून भी इसी पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका है, जो विदेशी हाईब्रिड बीज हैं, जो विदेशी खादें हैं, उनको हम अपने देश में नहीं बना सकते हैं। इसलिए डीएपी जैसी पैरलल खाद के बराबर एक बेहतर उर्वरक खाद हमारे देश में सरकार की तरफ से बननी चाहिए। नम्बर दो- ऐसे उन्नतशील बीज हमारे देश में बनने चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बनें। हम विदेशी कारपोरेट घरानों के बीजों पर और विदेशी खादों पर निर्भर न हों। इसकी वजह से हमारे देश में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह तमाम चीजों में जो नकली कीटनाशक दवाएं दी जा रही हैं, उनकी वजह से हमारी फसलें ठीक तरह से पैदा नहीं होती हैं, बल्कि उनमें नुकसान भी होता है।

महोदय, मैं मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ का रहने वाला हूं। मेरे यहां आम की फसल बहुत होती है। पूरे देश और दुनिया में मलिहाबाद आम के मामले में प्रसिद्ध है। जो नकली दवाएं हैं, उनके कारण वहां आम की फसल बेहतर तरीके से नहीं होती है। वहां कोई भी निर्यात केन्द्र आम का नहीं खोला गया, जिससे वहां का किसान अपने आम को विदेश में भेज सके और उसे उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। किसानों को कोई लाभ देने का काम नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसानों को बेहतर तरीके से सुविधाएं देनी होंगी।...(व्यवधान) मैं एक मिनट और लूंगा। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस समय अतिवर्षा की वजह से फसल बर्बाद हुई, इसलिए किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए, किसानों की सिंचाई का पैसा माफ किया जाना चाहिए। किसान की जो फसल खराब हुई है, उसे उसका मुआवजा देना चाहिए। किसानों को अच्छी फसल पैदा करने के लिए 24 घंटे बिजली निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा वन विभाग की जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उस जमीन का भूमिहीन लोगों में आबंटन करना चाहिए, जिससे उन लोगों का इसका फायदा मिल सके। अगर इस तरीके के काम कराए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तरीके से किसानों का हित होगा। किसानों के हित के लिए फिर एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि डब्ल्यूटीओ की ऐसी साजिश को, इस देश के किसानों की फसल को ले लेने की जो साजिश है, उससे बचाने के लिए विदेशी हाईब्रिड बीज और विदेशी खाद पर निश्चित तरीके से रोक लगाई जाए, अन्यथा हमारी कृषि निश्चित तरीके से गुलाम हो जाएगी और हम एक-एक दाने के मोहताज हो जाएंगे और विदेशी लोगों की तरफ हम हाथ फैलाकर देखेंगे कि कब वे हमको अनाज दें और हम जिन्दा रहने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__SHRI P.K. BIJU (ALATHUR) :__ We all know that India lives in village and agriculture is the backbone of our economy. Around 70% rural households dependent on farming as main income source. It is no wonder that "Jai Jawan, Jai Kisan" became a catchy slogan and since 3rd five year plan we laid considerable stress on the agricultural sector. Subsequently, we embarked upon a spate of programme aiming the overall development of the country with agriculture as a main focus. Despite all these efforts and rhetoric, it is a fact that we are still lagging behind in the agriculture sector and the actual tillers of the soil are living in eternal penury. Agriculture is a sector which has been given primacy in every budget speech in the independent India but it is not reflected in the sector when you analyse the state of affairs in the ground level. There has been an upward trend in cases of farmer suicides in Maharashtra, Telangana, Karnataka and Punjab and recently, besides reporting of instances in Gujarat, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and even the so called developed state Kerala.

According to the IB, "the main reason of farmers' suicides can be attributed to both natural and manmade factors". While natural factors like uneven rains, hailstorm, drought and floods adversely affect crop yield, the manmade factors, i.e. pricing policies and inadequate marketing facilities result in post yield losses. The all India report titled 'Spate of Cases of Suicide by Farmers' emphasizes how government relief packages are of limited use as they do not address the plight of farmers who borrow from private moneylenders. Again, it is pointed out that the threat of attachment and fall in the price as the immediate causes of the mishap. Falling prices; crop failure and mounting debts have been identified as reasons behind these incidents. The victims had borrowed from banks, cooperatives and money lenders for their farming operations. But the price crash and crop failure shattered their dreams and they ended their miseries. The policies of the Centre including rise in fertilizer price and subsidy cut have further pushed the farmers into distress. Various programmes of the government did not benefit the farmers.

---

* Speech was laid on the Table.

The newly initiated slew of measures, including support price for agricultural products, one year moratorium on loans and interest concessions are just an eye wash. The moratorium on repayment of loans will not help farmers unless steps are taken to ensure higher price for their products. The interest concession will also not bring relief to many as only few farmers had availed loans from the government institutions . Agriculture land declined to 181.98 mn ha in 2011-2012 from 182.44 mn ha in 2007-08. 85% of all landholdings in country belong to small & marginal farmers. The farmers, who are the backbone of our economy are rendered speechless on the kind of treatment they received from the present government. In the department of agriculture allocations have been reduced from Rs.19,852 in previous year to Rs.1,7004. The amount Rs.5000 crore allocated for micro-irrigation projects is a paltry sum. Allocation of Rs.8.5 lakh crore as agriculture loan is another promise. But there is no blue print for finding out the resources. It is also worth noting that majority of the agriculture loan in India are spent on agricultural purpose and even if it is materialized, it will not be reflected in the agricultural sector. It is a fact that around 94% of the existing farm credit corpus goes directly to agro-based industries and not to the farmers. The problem is that the definition of farm credit has expanded over time and now includes retail chains and storage houses that eat into the subsidy. So, the promise of Rs.8.5 lakh crore is nothing but eyewash to boost the business. Announcement of the United National Agriculture Market by replacing Agriculture Marketing Price Committees (APMCs) will not solve the problem of lower price for agriculture produce. There was hardly any relief for a foreseen problem that farmers and consumers might face in the recent future in the form of failure of monsoon or natural calamities. It so appears that the Minister did little more than cosmetics and tokenism. If India's overall GDP as mentioned in economic survey 2014-15 is growing at 7.5% and if agriculture growth rate is limping at 1.1% in FY 2015 should it not be a cause for worry?

Census 2011 data reveal a shrinking farmer population in country, 42% farmers want to quit agriculture if given an alternative : Report of NCRB reveals that 270,940 Indian farmers have taken their lives since 1995. Farmers' suicide due to agrarian reasons increased by 26%. The NSSO date is a shocking eye opener. It states that out of 89.35 million farmer households 43.42 million (48.6%) indebted. Reasons are many including the policy of cutting in budgetary allotment from irrigation, subsidies for fertilizer to inadequate credit facilities.

Kerala is not exception from the national scenario. For example, my constituency, Alathur, where majority are subsisting upon rice cultivation are in either debt trap or leaving paddy cultivation. I request the Ministry of Agriculture to take appropriate step to materlize the right bank canal extension (RBC) project in Chittoor taluk, Palakkad district of Kerala. Minimum support price for rice is the need of the hour. Parallel to these, provisions should be made to easy loans through cooperative credit societies.

I urge the Government that beyond the rhetorical level the government has to take realistic steps to the development of agriculture in our country.

[*]डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : भारत कृषि प्रधान देश है और किसान सबसे ज्यादा भगवान भरोसे ही जीता है। किसान इस देश को अन्न मुहैया कराता है। वह पसीना बहा कर भी लोगों के लिए अन्न पैदा करता है।

अगर उनके बारे में सोचा जाए तो कृषि कुल मिलाकर कुदरत तथा भगवान की कृपा से ही चलती है। अगर बारिश कम हुई या ज्यादा हुई तो भी किसान ही बर्बाद होता है।

हाल ही में मौसम में आए परिवर्तन की वजह से कमोसमी बारिश हुई। इस बार सिर्फ बारिश नहीं हुई मगर कई राज्यों में ओले पड़े। मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां गुजरात में भी कई जगहों पर ओले पड़े। पूरे देश के कई प्रदेशों में ओले पड़ने की वजह से किसान को भारी मात्रा में नुकसान सहन करना पड़ा है।

किसान की फसल, जो उसने अपना पसीना एवं लहू बहाने से पैदा की थी, वह सिर्फ एक ही प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो गई है। किसान ने मेहनत के सिवाय, फर्टिलाईजर्स और महंगा बियारण के साथ जो लागत लगाई थी मुनाफा तो जाने दो, मगर उसे लगाई हुई लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है।

जिन्हें हम 'जगत का तात' कहते हैं वह किसान आज परेशान है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गुजरात सहित सभी प्रदेशों में कुदरती आपदा के तहत कमोसमी बारिश एवं ओले गिरे हैं, वहां सभी जगहों पर कृषि दलों को भेजा जाए। वहां हुए नुकसान का आंकलन करके किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए तथा उनके ऋणों के ब्याज की माफी की जाए।

---

[*] Speech was laid on the table.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से किसान और कृषि, जिसे हमारे देश की रीढ की हड्डी और स्तम्भ कहा जा सकता है पर अपनी बात कहना चाहूँगी। कल मैं सबकी स्पीच सुन रही थी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग सिर्फ आँकड़ों-आँकड़ों की बात कहते हैं, पक्ष में हों या विपक्ष में हों, सिर्फ आँकड़ों की बात कहते हैं कि हमने जीडीपी इतनी बढ़ाई और आपने जीडीपी इतनी कम की। अगर हम सही मायने में किसान के बारे में सोचना चाहते हैं, दिल से सोचना चाहते हैं और इच्छाशक्ति रखना चाहते हैं तो यह बॉल कभी इस तरफ, कभी उस तरफ से नहीं, बल्कि चाहे जीडीपी बढ़ी या घटी, लेकिन आजादी के बाद से आज तक लगातार किसान का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। जब 70 से 75 परसेंट लोगों के रोजगार का माध्यम कृषि था, आज मात्र 49 प्रतिशत लोगों के रोजगार का माध्यम कृषि आ गया है, वह भी मेरे ख्याल से नाममात्र का है। अगर आप किसान से पूछें तो उसकी जो न्यू जनरेशन है, जो युवा लड़का है, अगर उसे कोई भी 6-7 हजार रूपए का अल्टरनेट मिल रहा हो तो वह कभी भी किसानी नहीं करना चाहता है।

मैं आँकड़ों की बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं केवल कुछ बातें कहना चाहती हूँ, जो हम लोग क्षेत्र में जाकर देखते हैं और समझते हैं, उन्हें यहाँ कहना चाहूँगी। हम बहुत सारी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं आज किसानों को मिली हुई हैं, स्टेटवाइज मिली हों, चाहे सेन्टरवाइज मिली हों, चाहे वह बाँस लगाने की सब्सिडी हो, चाहे नर्सरी लगाने की सब्सिडी हो। चाहे मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी हो, चाहे कीटनाशक दवा के लिए सब्सिडी हो, प्रति एकड़ पर स्टेटवाइज़ सब्सिडी है। अगर हम बुकलैट में देखते हैं तो लगता है कि हम लोगों से ज्यादा मेहरबान कोई भी देश किसानों के प्रति नहीं होगा जितना हम हिन्दुस्तान के लोग हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर देखते हैं तो सारी बातें वहीं धरी की धरी नज़र आती हैं। हम किसानों के बहुत हमदर्द बनते हैं लेकिन आज जो सर्वे कहता है कि 70 प्रतिशत किसानों को सीधे खातों में जो नकदी जमा की योजना है, उनको जानकारी ही नहीं है। 27 परसेंट को भूमि अधिग्रहण क्या है, उसकी जानकारी ही नहीं है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 19 प्रतिशत किसान ही सब्सिडी के पक्ष में है, बाकी किसान सब्सिडी के पक्ष में भी नहीं हैं। 74 प्रतिशत किसानों ने माना है कि खेती संबंधी कोई जानकारी कृषि विभाग से नहीं मिलती है। 62 प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अनभिज्ञ हैं। ये जो 74 प्रतिशत किसान जो कृषि की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जब हम लोग जाकर हर पंचायत में हर किसान से पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि आपको यह सब्सिडी है, आपको यह सब्सिडी है, तो यह देखा जाता है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि केसीसी लोन है, डीज़ल सब्सिडी है, खाद की सब्सिडी है, बीज की सब्सिडी है, यूरिया

की सब्सिडी है, लेकिन जब वक्त पर किसान को यह सब चाहिए होता है तो वक्त पर हम कुछ भी नहीं दिला पाते हैं। अभी हाल ही में हम बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कई प्रदेशों में खाद और यूरिया के लिए त्राहिमाम हो रही है। सरेआम कालाबाज़ारी होती है। किसानों का कहना है कि अगर हम सरकारी बीज लेते हैं तो अनाज में, गेहूँ में दाना ही नहीं आता है। अगर हम मार्केट से बीज खरीदकर लाते हैं, तब गेहूँ में दाना आता है। यह हम और आप सरेआम देख रहे हैं। किसान को मेरे ख्याल से सब्सिडी नहीं, बल्कि उसको वक्त पर खाद, वक्त पर क्वालिटी बीज, वक्त पर डीज़ल की सब्सिडी और वक्त पर सिंचाई का साधन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसके अलावा किसान हम लोगों से या किसी सरकार से और कुछ नहीं चाहता है।

महोदय, हम केसीसी लोन की बात करते हैं। बिहार में यह कहा जाता है और किसान अपनी भाषा में बोलता है कि – '*मैडम, जेकरा एक धूर ज़मीन नईंछे, ओकरे केसीसी लोन होइछे।*' मतलब यह कि जिस किसान या व्यक्ति के पास एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है, उसको केसीसी लोन होता है, क्योंकि बिचौलिया और लेने वाला व्यक्ति यह जानता है कि हमें वापस नहीं देना है। आधा आप ले लीजिए, आधा हम ले लेंगे, इस तरह से केसीसी लोन मिलता है। जिनको केसीसी लोन चाहिए, उनके द्वारा जब तक 15 से 20 प्रतिशत मैनेजर या बिचौलियों को नहीं दिये जाएंगे, तब तक आपको लोन नहीं मिल सकता है। चाहे कोई भी आपदा आई हो, आप खेती की क्षतिपूर्ति देते हैं, पुनर्वास की क्षतिपूर्ति देते हैं, खेत की बरबादी की क्षतिपूर्ति देते हैं, ओले पड़ने की क्षतिपूर्ति देते हैं, लेकिन किसान को 15-20 परसेंट से ज्यादा नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सिर्फ इस ओर आकर्षित करूँगी कि आप कितनी जीडीपी बढ़ाएँगे, इस दौड़ में पड़ने से बेहतर होगा कि किसान की जो मिनिमम रिक्वायरमैंट है उसको देखें। आज किसान की लेबर कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जितना उपजाने की लागत नहीं है, उससे डबल उसको लेबर कॉस्टिंग देनी पड़ती है। लोग कहते थे कि जिसके पास पाँच बीघा ज़मीन है, वह ज़मींदार किसान है, लेकिन आज जिनके पास ज्यादा ज़मीन है, वे खेत में अनाज उपजाने से डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उससे डबल उनको लेबर पड़ जाएगी। क्यों नहीं हम लोग उनके एम.एस.पी. को उनकी जो लेबर कॉस्ट आ रही है, जो उनको उपजाने में लगता है, उसके आधार पर हम उनको एम.एस.पी. देते? हर प्रदेश का क्लाइमेट और एनवायर्नमैंट अलग है। उसके अनुसार ही एम.एस.पी. होनी चाहिए।

इतना कहकर मैं पूरे सदन से यह आग्रह करूँगी कि किसान के मामले में, भूमि के मामले में ध्यान दिया जाए।...(व्यवधान) मैं जैविक खाद के बारे में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। मेरे क्षेत्र में भीखू मेहता नाम का एक किसान है। यह नहीं है कि किसान नहीं चाहता है कि वह आर्गैनिक खेती करे या

जैविक खाद का इस्तेमाल करे क्योंकि आज खेतों की उर्वर क्षमता खत्म होती जा रही है। उस व्यक्ति ने 2 किलो केंचुए से जैविक खाद बनाना शुरू किया और आज उसने 300 ब्रिक्स जैविक खाद के बनाए हैं और वहाँ के किसानों को वह देता है। आज ज़रूरत है कि सरकार किसानों को जैविक खाद के उपयोग और उसके फायदे के बारे में बताए। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि जो कैमिकल युक्त खाद आज आ रही है, किसी भी हालत में, सिर्फ उपज बढ़ाने के लिए और हाइब्रिड बढ़ाने के लिए इसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए।

आख़िर क्या वज़ह है कि किसान कहता है कि हम खाने के लिए देसी बीज से अलग उपजाते हैं और बेचने के लिए अलग उपजाते हैं। आज हम लोगों को ज़हर दे रहे हैं। आज इसकी बहुत जरूरत है कि पूरा सदन इसकी चिंता करे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*__SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI) :__ More than 60% of the people in Tamil Nadu are engaged in agriculture and its allied activities for their livelihood.

Farmers are facing problems like deterioration of soil health, water shortage, price hike of fertilizers and other raw materials. This resulted in poor income and thereby farmers find it hard to run the day to day life. To alleviate the suffering of the farmers the Tamil Nadu government is implementing the following programme on the advice of hon. People' Chief Minister Puratchi Thalavi Amma.

1. Free distribution of raw materials and HDFC pipes, distribution of power tillers, tractors, planting machines on subsidy. Further, distribution of planting machines to farmers self help groups on 100% subsidy.
2. Encouraging drip irrigation.
3. Distribution of seeds on subsidy.
4. Free soil Testing and recommending ways for soil health improvement.
5. Development of horticulture through farm gardens.
6. Free electricity for agricultural pump sets.
7. Marketing of Agriculture produce through agriculture market commodities and procurement of paddy through direct purchase centers.
8. Distribution of interest free loan through cooperative societies to farmers for a specified period.
9. Marketing and selling of vegetables produced in the farms through amma thittam.
10. Free distribution of mulch animals and goats to poor farmers.
11. Raising of target for agricultural produce and achieving it.

I request the Central Government to extend Financial Assistance to the Tamil Nadu Government for implementing the above schemes.

---

* Speech was laid on the Table.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं करूणाकरन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए इस चर्चा को सदन में लेकर आए। मैं आपका भी आभारी हूं। आप भी गांव, गरीबों की सुविधाओं के लिए आसंदी के बाद भी प्रयास करते हैं।

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी सदन के भीतर किसान का मामला आता है, मुझे लगता है कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से प्रस्ताव है कि भारतीय कृषि नीति कैसी हो, इस सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश बड़ा है। देश की भौगोलिक और मौसम की जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनेगी, वह कभी भी एक-जैसी नहीं हो सकती। तमिलनाडु में जो होता है, वह मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। जो उत्तराखण्ड में होता है, वह मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। मैं नर्मदा के कछार से आता हूं, जहां एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन बातें कहनी हैं। जो भी नीतियां बनी हैं, उनमें मैं हज़ारों खामियां निकाल सकता हूं। लेकिन, मुझे जिससे सबसे ज्यादा तक़लीफ है, जिसके लिए मैंने कमेटियों में कई बार आपत्ति भी जताई है, वह यह है कि मैंने हमेशा यह कहा है कि आप कैसे हम पर किसी चीज़ को थोप सकते हैं। जीरो बजट खेती हिन्दुस्तान की पुरातन खेती में से है, जिसमें खर्च नहीं आता। लेकिन, आज तक किसी भी सरकार ने जीरो बजट खेती पर न इस सदन में चर्चा की, न उसे कभी पहचान दी और न ही कभी उसको लाभ दिया। दूसरी है जैविक खेती, जिसकी कम से कम इस देश में चर्चा शुरू हुई। कुछ राज्य सरकारों ने उस पर राहत भी दी है। बाद में लगा कि उसमें गुण-दोष हो सकते हैं। इस सदन में आज तक कभी भी इस बात पर निर्णायक चर्चा नहीं हुई कि वास्तव में कौन-से राज्य में यह अनुकूल है और कौन-से राज्य में यह प्रतिकूल है। तीसरी बात यह आती है कि हमने रासायनिक खेती को स्वीकार किया। पूरी दुनिया ने उससे अपने हाथ खींच लिए। हमने सारी सब्सिडी और सारी सुविधाएं देकर किसान को पूरे समय तक दिग्भ्रमित रखा और हमने पूरे समय इस देश के किसानों का नुकसान किया है, यह मेरा इस सदन में खड़े होकर आरोप है। मैं आपसे प्रार्थना करके पूछना चाहता हूं कि हम इन तीन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं?

महोदय, इस देश के भीतर क्षति मूल्यांकन की पद्धति नहीं है। ओला, पाला, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि के किन्हीं भी मामले में किसी भी फसल को, चाहे वह बागवानी की हो, चाहे हमारी फसलें हों, आज भी अनाबारी का कोई पैमाना देश के स्तर पर नहीं है। मैं जब वर्ष 1989 में पहली बार इस सदन में आया था तो मैंने अनाबारी पर प्रश्न लगाया तो मुझसे पूछा गया था कि यह 'अनाबारी' शब्द क्या होता है? यह हो सकता है कि स्थानीय भाषाओं में यह कुछ और हो। हमारी क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन का आधार क्या

होगा? आज़ादी के पहले प्रति एकड़ जो उपज थी, आज उसके 80 गुणा से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन क्षतिपूर्ति देने का हमारा पैमाना नहीं बदला है। हमें क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी? यह एक कारण है। दूसरा कारण बीमा योजना से संबंधित है। जब भी जो भी बीमा योजना आयी, जैसे जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, उस समय जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आयी थी, उसको हलके के आधार पर तय किया गया था। पंचायत को इकाई बनाने की बात की गयी थी, लेकिन वह प्रयोग इस देश में सफल नहीं हो पाया। वास्तव में, ओला किसी क्षेत्र को देखकर थोड़े ही न गिरता है। कई बार इससे आधा गांव खत्म हो जाता है और आधा गांव बच जाता है। एक किसान का आधा खेत इससे खत्म हो जाता है और आधा खेत बच जाता है। वह इसके लिए मुआवज़ा कैसे पाएगा? तहसील उसकी इकाई है, ब्लॉक उसकी इकाई है। यह पैमाना गलत है। हम किश्त देते हैं, हमारी राज्य सरकारें किश्त देती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 50 फीसदी पैसा देती है, हरियाणा की सरकार पैसा देती है, लेकिन वहां के किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो पैमाना है, जो आधार है, वह ही गलत है। तीसरी बात यह आती है कि इसे हम कहां देते हैं? हमने जैविक अनाज उपजा लिया। हमने जैविक सब्जी उपजा ली, लेकिन उसके बाद जब उसे विक्रय करने जाएंगे तो जिसकी क़ीमत हमें तीन गुनी मिलनी चाहिए, उस किसान को उसकी एक-तिहाई क़ीमत मिलती है। इसमें मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है। ये तीन बातें हैं। हमारे पास कोई कृषि नीति नहीं है। हम किस पद्धति से आकलन करें, किसका उपयोग करें जिसे स्व-विवेक से किसान कर ले? दूसरा तरीका होता है कि हम किस रास्ते पर जाएं? अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाएगा तो उसके मूल्यांकन का तरीका आज तक इस देश में नहीं है? फिर हम अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा कर लें तो हम उसे किसके दरवाजे पर बेचने के लिए जाएं? इसकी क़ीमत कौन तय करेगा, इसका कोई आधार नहीं है। हमें कहां राहत मिलेगी? मुझे आश्चर्य होता है कि इस सदन में बैठकर हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये बातें कुछ चंद मिनटों में नहीं हो सकती हैं। सदन को खुली चर्चा करनी चाहिए कि भारत की कृषि नीति कैसी हो? मैं जिस जिले से आता हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मटर का उत्पादन जबलपुर जिले में होता है। वहां कोई सरकारी मंडी नहीं है। किसानों ने खेत किराए पर लेकर उसे मंडी बना लिया है। मटर यहां से मुंबई जाता है। आज भी मटर हमारी अनाज की सूची में नहीं है। यह खामी किसी सरकार भर की नहीं है। किसान कहाँ पर जाए? हम हिन्दुस्तान के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन जबलपुर जिले में मटर जीरो लिखा मिलेगा। कभी आप आँकड़ा उठाकर देखिए, यह जीरो है, क्योंकि वह फसल की सूची में नहीं है। तमिलनाडु का मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड का कह सकता हूँ। मैं जब कमेटी में था, तब मैंने कहा कि बस्तर में चाहे सब्जी पैदा हो, चाहे अनाज पैदा हो,

वह जैविक है, लेकिन बस्तर के किसान को बाजार में जो मूल्य तीन रूपए किलो है, उसको एक रूपया भी नहीं मिलता, जिसकी 9 रूपए कीमत खुले बाजार में मिलनी चाहिए, उसे एक रूपया भी कीमत नहीं मिलती है। यह कड़वा सच है। इस पर चर्चा कौन करेगा?

मैं मानता हूँ कि नियम 193 के तहत यह चर्चा सदन में आई है, लेकिन यह समाधानकारक नहीं हो सकती है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप आसन पर बैठे हुए हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप एक बार अगले सत्र में एक दिन भारतीय कृषि नीति पर चर्चा के लिए रखिए। मैं समझता हूँ कि यह आपकी तरफ से प्रस्ताव आए तो शायद यह सदन किसान के लिए कुछ कर पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया इसलिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे आज इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ किसान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस हाउस में बैठा हुए हर सदस्य यह मानता है कि इस देश के अन्दर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह हमारा किसान है। आज अगर देखें तो बेमौसम बारिश या फिर सूखा किसी को सबसे ज्यादा मारता है तो वह किसान को मारता है। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि 70 परसेंट किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अगर हम उन 70 परसेंट लोगों की बात करें तो वे क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज एक ओर आलीशान बिल्डिंगों में, दफ्तरों में कुर्सी पर बैठकर नौकरी है और दूसरी ओर सर्दी के अंदर दो-चार डिग्री तापमान में खेत में जाना और गर्मियों में 40-45 डिग्री में अपना खेत संवारना किसान का कार्य है। दिन-प्रतिदिन खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है। इसका अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी की जेब पर पड़ता है तो हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित हमारे किसानों की जेब पर पड़ता है।

माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब एनडीए-दो की सरकार बनी तो पूरे देश के अंदर सूखा पड़ा। सरकार द्वारा मुआवजा एनाउंस किया गया, जिसके अंदर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और थोड़ा तूफान संबंधित एरिया आंध्र प्रदेश और ओडिशा का था। वह पैसा प्रदेश सरकारों के पास पहुंच गया, मगर हमारे किसानों के पास नहीं पहुंच पाया। पिछले साल बारिश के कारण हरियाणा प्रदेश का काफी हिस्सा ओलावृष्टि के कारण बारिश से खराब हुआ था, आज तक उसका मुआवजा नहीं पहुंच पाया।

तीन साल पहले का एक वाक्या मैं याद दिलाऊंगा, तब यूपीए की सरकार प्रदेश में थी, केन्द्र में थी। हमारे किसानों के पास मुआवजे के चेक आए। झज्जर, मेवात के किसानों के पास जब चेक आए तो यह बड़ी निंदा की बात है, उन पर 1 रूपए, 2 रूपए, 5 रूपए लिखने का काम सरकार ने किया था। ये एक्सिस बैंक के चेक थे। जब वे किसान एक्सिस बैंक में गए, तो 1,080 रूपए उसे खाता खुलवाने के लिए किसान को देने पड़े, जिससे वह 1 रूपए का चेक खाते में डाल पाए। क्या हमारी सरकार हमारे किसानों के बारे में ऐसा सोचती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस साल भी ओलावृष्टि और तूफान के कारण हरियाणा प्रदेश का, राजस्थान का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का बहुत बड़ा भाग बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हुआ है। सरकार जरूर विचार कर रही होगी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। जब मुआवजे के आकलन के लिए वह अपनी टीमों को या प्रदेश सरकार को दिशा-निर्देश दे तो मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि उसमें सख्त हिदायत देने का काम करे कि जिसकी

फसल 25 परसेंट बर्बाद हुई है, उसे 200 या 500 रूपए नहीं, उस फसल के आकलन के तहत कम से कम 7 से 8 हजार रूपए और जिसकी 75 से 80 प्रतिशत फसल बर्बाद हुई है, उसे कम से कम 25 हजार रूपए मुआवजा केन्द्र सरकार यहां से निर्धारित करके प्रदेश सरकारों को भेजने का काम करे।

जब हम नेशनल डिजास्टर फण्ड की चर्चा करते हैं तो बेमौसम बारिश के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब मैंने डाटा निकाला तो पता चला कि सरकार द्वारा चार सालों के अंदर एन.डी.आर.एफ. के तहत हरियाणा में एक रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में हरियाणा के अंदर कृषि से संबंधित 161 लोगों ने आत्महत्या की है। पिछले 10 सालों में उनकी संख्या दोगुनी हो गयी है, वहां 374 लोगों ने आत्महत्या की है। आज किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, वे आत्महत्या इसलिए करते हैं कि हमारे बैंक उनके ऊपर दिन-प्रतिदिन कर्जा डालते हैं, उनकी जमीन को कुर्क करने का काम करते हैं।

मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करें, आज तक हमारे देश के किसानों के ऊपर जितने कर्ज हैं, आपकी सरकार किसान हितैषी है, आपकी सरकार 50 प्रतिशत बोनस देने की बात करती थी, एक कलम से एक बार ऐसा इतिहास रचिए कि हमारे एक-एक किसान का कर्जा माफ करवाने का काम करें, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश की जी.डी.पी. का 70 प्रतिशत हिस्सा पहले खेती से आता था, आज वह 14 प्रतिशत आता है। आप एक बार हमारे किसानों के ऊपर से कर्ज हटा कर देखिए, दोबारा हमारे किसान 70 प्रतिशत तो नहीं, मगर उसको 40 प्रतिशत तक पहुंचा कर देश की जी.डी.पी. मे सबसे बड़ा योगदान हमारा कृषि क्षेत्र करेगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के तहत किसानों को फायदा पहुंचेगा। मैंने वह स्कीम ऊपर से नीचे तक पढ़ा है। उसके अंदर सरकार द्वारा लिखा गया है कि 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के तहत जहां 100 लोगों की रिहायश है, वहां पर सरकार बिजली कनेक्शन देने का काम करेगी। किसान 100 की तादाद में खेतों में नहीं रहते हैं, वे 2 की तादाद में रहते हैं। आप माननीय पावर मिनिस्टर जी से बात कर 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के माध्यम से हर खेत में, चाहे वहां एक आदमी रहता हो, उसके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, तब हमारे किसान मानेंगे कि आपकी सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सोचने का काम किया है।

हम लिंकेजेज ऑफ रिवर्स की बात करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था। अगर आज सरकार लिंकेजेज ऑफ रिवर्स के लिए ग्रान्ट देने का काम करेगी तो 10 साल बाद हमारे किसानों को उसका फायदा मिलेगा।

मैं दोबारा आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से मिलकर आग्रह करें कि आपकी सरकार स्पेशल ग्रान्ट लिंकेजेज ऑफ रिवर्स के लिए दें। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया, लेकिन बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नित्यानन्द राय (उजियारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में जो देखने को मिला है उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वह पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, किसानों के लिए सभी चिन्तित हैं और किसानों के मुद्दों पर, उनकी भलाई के लिए एक मत दिखाई पड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जितनी योजनायें बनायी हैं, उनका लाभ अब तक किसानों को 67 वर्ों में नहीं मिला है, वह लाभ आगे मिलने की उम्मीद जगी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कृि के क्षेत्र में किसानों की कठिनाइयां समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किये हैं। आजादी के 67 वर्ा बीत गये हैं। किसानों की कठिनाइयां अभी तक समाप्त नहीं हुयी हैं। किसान जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, आज उनका पेट ठीक से नहीं भर पाता है। उनके बच्चों की पढ़ाई में कठिनाइयां आती हैं। अगर किसान के परिवार में कोई बीमार पड़ जाय तो उनके पास कर्ज लेकर इलाज कराने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है।

13.00 hrs

किसान की बेटी के हाथ पीले हों, कितने अरमान संजोकर वह अपनी बेटी की शादी तय करता है। अगर उसकी फसल मारी गई तो उसकी उस वर्ष की उम्मीद भी मिट जाती है। वर्तमान में ओला पड़ा, अति वृष्टि हुई, किसानों को नुकसान हुआ, न जाने हमारी कितनी बहनों की शादियां तय हुई होंगी कि जब खेत में लगी हुई फसल कटेगी, हमारे घर पैसे आएंगे तो हम अपनी बेटी की शादी बहुत अरमानों के साथ कर सकेंगे। एक सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आजादी से अभी तक सभी सरकारें किसानों के बारे में बातें करती रहीं, लेकिन इस देश के 70 प्रतिशत लोग जो खेती पर निर्भर हैं या खेती करते हैं, उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अब तक जिन्हें किसानों के बारे में बात करने का अवसर मिला, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने या बजट में प्रावधान करने का अवसर मिला, वे लोग जिम्मेदार होंगे। अब उम्मीद है क्योंकि एक अच्छी सरकार बनी है। एनडीए की सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री की योजनाओं के अनुरूप इस देश का किसान खुशहाल होगा। फिर भी हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं।

उद्योग में जो पैदा होता है, फैक्ट्रियों में उत्पादन के जो मूल्य निर्धारित होते हैं, उसे उद्योगपति देखता है, लेकिन किसान अपनी कृषि उपज का मूल्य निर्धारित नहीं कर पाता। अगर यह अधिकार किसानों को दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका भी कल्याण हो सकता है। आज अगर किसान की उपज का दो भागों में बंटवारा कर दिया जाए तो उससे भी किसान का कल्याण हो सकता है। हम एक फसल का उदाहरण देना चाहेंगे। टमाटर हो, अन्य सब्जियां हों या फल हों, उन्हें दो भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, यह अति जनसंख्या वाला 125 करोड़ लोगों का देश है। यहां के लोग गरीब हैं, महंगे खाद्य पदार्थ खरीदकर अपने जीवन-यापन को ठीक से नहीं चला सकते। खाद्य पदार्थ के रूप में जो उपयोग किया जा

रहा हो, उसका जो एमएसपी निर्धारित हो, वह हो ही, लेकिन किसानों का वह उत्पाद जो फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, कृषि फसल के आधार पर जो सामग्री बनती है,, उस मैटीरियल का कृषि उत्पाद का उद्योग के माध्यम से अलग निर्धारण हो। अगर मार्किट में 10 रुपये किलो आलू है और चिप्स 200 रुपये किलो है तो चिप्स बनाने वाली कम्पनियों को आलू 50, 60, 80 रुपये किलो किसानों से खरीदने की मजबूरी का प्रावधान हो। अगर सरकार ऐसा प्रावधान लाए तो मैं समझता हूं कि किसानों को लाभ होगा।

अंत में, हम आग्रह करना चाहेंगे कि जिस समय किसानों की फसल खेत में होती है और उस समय कोई व्यापारी खरीदता है, तो वह व्यापारी एक कार्ड ईशू करे। जब किसान के घर पर अनाज नहीं हो, मार्किट से खरीदने की मजबूरी होती है, 10 रुपये किलो बेचता है और 20 रुपये किलो खरीदता है तो कम से कम 25 प्रतिशत उस व्यापारी को बेचे हुए लागत मूल्य पर किसान अभाव की अवधि में खरीद सके। अगर सरकार ऐसा प्रावधान करती है तो मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि में लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित हो। धन्यवाद।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे भारत की कृषि क्षेत्र की बात माननीय सदस्यों ने उठाई। मैं असम के जिस क्षेत्र से आता हूं, वह मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स से भरा हुआ है। उस क्षेत्र में कृषि की जितनी डैवलपमैंट होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। इसलिए पिछली बार हमने देखा कि मैक्सिमम कृषि परिवार से एक्सट्रीमिस्ट्स बढ़े हैं। जो युथ है, वह कोई उम्मीद नहीं देखता है जिसकी वजह से युथ एक्सट्रिमिज्म में चला गया, बाद में इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई और कुछ जिंदा हैं। क्या असम के फार्मर के लिए डबल क्रॉपिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती? वहां का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत खराब है। यदि कोई असम का दौरा करेगा तो देखेगा कि वहां का पैडी फील्ड सूखा पड़ा हुआ है, इसमें इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, डबल क्रापिंग का कोई सिस्टम नहीं है। केसीसी लोन दूसरे स्टेटों में मिल रहे हैं लेकिन असम में केसीसी लोन देने में बैंक अनिच्छा दिखा रहा है। खासकर नामरूप कॉरपोरेशन फर्टिलाइजर भी ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ा सका है। केमिकल फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिल रही है वह फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर को बेनिफिट मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुछ दिन पहले असम गए थे, वहां का अनोमॉली उन्होंने देखा, लेकिन जो मैकनिज्म होना चाहिए वह वहां नहीं है, असम गवर्नमेंट के पास इसके लिए प्रावधान है लेकिन फार्मर तक पहुंचाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं पवित्र सदन में बोलना चाहता हूं कि नार्थ ईस्ट के लिए आर्गेनिक खाद बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह ठीक नहीं है। नार्थ ईस्ट के बाकी स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर में क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन असम में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत इरिगेशन सिस्टम को भी ठीक किया जाए, केसीसी लोन दिया जाए, असम के फार्मर के पास ज्यादा जमीन नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उसे किया जाए। अभी एक क्रॉपिंग की व्यवस्था है, हम लोग केवल राइस के उत्पादन में ही व्यस्त हैं, बाद में मैक्सिम चीजें बाकी स्टेट से ज्यादा दाम देकर मंगाते हैं, इससे जीने में कठिनाई भी हो रही है, स्टेट मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। असम के कृषि क्षेत्र को माइनूटली देखना चाहिए, माइक्रो लेबल पर जाना चाहिए। वहां पर क्या असुविधा है, इसे देखना चाहिए। वहां का 18 लाख युथ बेरोजगार है। इन लोगों संस्थापित करने के लिए कृषि से ज्यादा अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहां सेंटेड राइस भी है, उसे बड़ा धान कहते हैं, वह बिस्कुट बनाने में काम आता है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती, जैसे बासमती राइस को असम में जोहा चावल कहते हैं, जोहा ब्रांड को भी पोपुलराइज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए प्रबंधन करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था असम का जो राइस है

उसको आर्मी तक पहुंचाएंगे, लेकिन वह स्कीम ठीक तरह से लागू नहीं हो सका। इरिगेशन सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाना जाना चाहिए, आर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी काम किया जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके लिए कहा है। मिनिस्टर को केवल गुवाहाटी तक ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रीक्टस में भी जाना चाहिए, फ्लड से बहुत डैमेज हुआ है, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसको देखना चाहिए और एक्सपर्ट टीम भेजकर इसको ठीक करने के लिए जो प्रावधान है उसको करना चाहिए। यही अनुरोध करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to say something about jute, mango and litchi, which grow in our country, in my State and also in my district. I am from Murshidabad district which is fully dependent on agriculture; there is no industry in my district except the *beedi* industry. Most of the farmers are dependent on farming jute and paddy; and in horticulture sector, they produce huge quantities of mango and litchi. In the last Session, I mentioned the problems of jute industry and jute growers. According to the report of the Government jute provides direct employment to about 0.37 million workers and supports the livelihood of around 4 million farm families. This industry also has an export earnings nearly to the tune of Rs. 1880 crore annually.

But I am sorry to say that eight jute mills have been closed and some others are sick on date. Jute growers are not getting Minimum Support Price (MSP) even though the present MSP is not profitable. JCI has some 171 purchasing centres they do not come forward at the time of crisis. They always purchase jute from a middleman who manages Jute Card by unfair means. What will be the result then of declaring MSP? Will declaring MSP be effective? Besides that the Government of India is reducing the usage of jute bags in sugar, fertilizer etc. The agricultural products like potatoes and onions are also not packaged in jute bags. What Bangladesh can do in respect of jute export, why can the Government of India not do that? It is a matter of shame after 67 years of Independence. Now it needs 100 per cent mandatory packaging of food grains, sugar, potatoes and onions by jute bags. Situation now demands quick modernisation of jute mills in West Bengal.

Sir, there is lack of warehouse and cold storages in our State. This year huge quantity of potatoes were produced in West Bengal but due to lack of cold storages and market price, the farmers are facing serious crisis. They are not getting minimum price also. So, they are committing suicides. Till date 104 farmers have committed suicide in the State of West Bengal itself. The

Government of West Bengal is not taking any positive steps to prevent these farmers from committing suicides.

Sir, in my district we have mangoes, litchis and some other vegetables but there are no effective food processing centres to process these valuable produce. It is because of these that the farmers are sometimes facing huge losses.

I would like to demand from the Central Government that they should take some fruitful steps to modernise jute industries; set up sufficient number of cold storages; food processing units; and should also arrange for supplying seeds, fertilizers etc. in subsidised rate and also increase the Minimum Support Price of agricultural products.

Thank you.

13.13dfx hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILLS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Hon. Deputy-Speaker, Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd March, 2015, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th March, 2015, with the following amendments:-

Clause 9

1.That at page 4, ***for*** lines 31 to 35 the following be ***substituted***, namely:

"(4) The State Government while making rules under sub-sections (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedule to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the
40 of 1996. Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act,
2 of 2007. 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

(5) The holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall, in addition to the royalty, pay to the District mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government.

(6) The holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and

* Laid on the Table.

Regulation) Amendment Act, 2015, shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to such categorization of the mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government."

Clause 14

2. That at page 8, line 35, ***for*** the word, bracket and figure "sub-section (4)", the words, brackets and figures "sub-sections (5) and (6)" be ***substituted***.

Clause 15

3. That at page 9, line 18, ***after*** the words "shall work", the words "for the interest and benefit of persons and areas affected by mining" be ***inserted***.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House."

2. Madam, I lay on the Table the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015 as returned by Rajya Sabha with amendments.

13.14 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193
Agrarian situation in the country – Contd.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अन्तर्गत देश में कृषि की स्थिति के बारे में जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश में बेमौसमी बारिश के कारण काफी प्रदेशों को नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान और किसान आधारित देश है। कृषि और किसानों पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान पिछली सरकारें नहीं दे पायीं, इस कारण देश और किसान का काफी नुकसान हुआ है। देश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ पाया। इसका कारण यह है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे देश को काफी नुकसान हुआ है। आज देश में किसान कम होते जा रहे हैं और मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इस ओर ज्यादा ध्यान नही दिया गया, इस कारण ऐसा हुआ।

मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बार किसानों का ध्यान रखा। उन्होंने कृषि क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। अब तक कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था जिससे देश को नुकसान हुआ था। रोजगार, महंगाई आदि कारणों से लोग मजदूरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस तरफ ध्यान दिए जाने के कारण किसान राहत महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किसान की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। खाद सस्ती होनी चाहिए ताकि किसान आसानी से खरीद सकें। सूखे और बरसात के कारण हुए नुकसान में दिया गया मुआवज़ा काफी नहीं है। एक कनाल पर 300-400 रुपया दिया जाता है। इसमें तो खेती की मजदूरी भी नहीं निकलती। मेरा कहना है कि कम से कम एक कनाल पर 5000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ताकि किसान तरक्की कर सके और कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान दे सके।

महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पिछले दिनों काफी बरसात हुई जिसके कारण धान की फसल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण किसान बहुत परेशान हुआ। इनके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ा। किसान कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। फसल बीमा की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि किसान आगे बढ़ सके।

मैं वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि जो लोग कृषि क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं, न हटें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए यहां अच्छी फसल होनी चाहिए और अच्छा वातावरण बनना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं शुरुआत में मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों के अच्छे और बुरे दिनों की चिंता करती है या नहीं? क्योंकि किसानों के प्यार, प्रेम और सहायता से सरकार बनी है लेकिन जब किसानों की जिंदगी में कष्ट आए, दुख आए तब यह सरकार किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। पिछले साल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ा तब सरकार किसानों के साथ दिखाई नहीं दी। महाराष्ट्र में किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार उनके साथ दिखाई नहीं दी। पिछले दिनों बारिश के कारण फसलों का बहुत नुकसान हुआ, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसानों के साथ सरकार नहीं तो किसके साथ है? आप देखिए कि कैसे आर्डिनेंसस आ रहे हैं, किस तरह से अलग-अलग बिल पास किए जा रहे हैं। आप किसी भी बिल को देख लीजिए, भूमि अधिग्रहण बिल देख लीजिए। राज्य सभा में माइन्स और मिनरल्स का बिल पास हुआ, उसे देख लीजिए। साफ साफ दिखाई देता है कि अगर केन्द्र सरकार किसी के साथ खड़ी है तो वह अमीर और ताकतवर के साथ खड़ी है। किसानों के साथ नहीं खड़ी है। अगर किसानों की वास्तव में यह सरकार चिंता करती तो सूखे पीड़ित किसानों के लिए कुछ करती। महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करती। बारिश के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कुछ करती। आज देश भर में जो किसान भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ निर्णय लेती लेकिन केन्द्र सरकार इस पर चुप है।

दूसरा प्रश्न मैं सरकार से करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से उत्तर पूर्वांन्चल क्षेत्र के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। अच्छा लगता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर पूर्वान्चल क्षेत्रों को अच्छी तरह से पढ़ा है? क्या इस संबंध में अध्ययन किया है? इसके बारे में मेरे मन में कभी कभी एक सोच आती है क्योंकि प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह एक जैविक मिशन लांच करना चाहते हैं और जिस तरीके से वह मार्केटिंग करते हैं, जिस तरीके से वह अपनी बात रखते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया होता तो पता चलता कि जैविक के इस कैम्पेन की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। सिक्किम ने बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी कि अगर वह जैविक स्टेट बनना चाहते हैं, असम में भी बहुत पहले ही शुरुआत हो गई थी कि वह जैविक स्टेट बनना चाहते हैं। हर जिले में सौ सौ एकड़ों में जैविक खेती हो, यह बहुत पहले ही आरम्भ हो गया था। प्रधान मंत्री जी का जो दृश्य है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन वह थोड़ा अध्ययन कर लेते और फिर पता चलता कि असम में हम कितना काम कर चुके हैं। My learned from the BJP, an

hon. Member from Jorhat, painted a very dismal picture of Assam and the North-East. The traditional method of farming in Assam was paddy. He is right that at one point of time, we would do only single cropping. But over the last decade, we have focussed on Mission Double Cropping. He would be happy to know that because of Mission Double Cropping, this new Central Government has awarded the State Government of Assam for the highest production in pulses. Pulses is not a traditional crop. पल्सेज हम असम में पैदा नहीं करते। हम वहां ज्यादातर धान की खेती करते हैं। लेकिन पिछली यू.पी.ए. सरकार और वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों के हित में काम करके उनको ट्रेनिंग और विभिन्न सर्विसेज की सहायता आगे बढ़ाकर आज नयी केन्द्र सरकार से भी अवार्ड ले लिया जिससे यह साफ साफ सिद्ध होता है कि काम बहुत आगे बढ़ चुका है और शायद यह भी हो सकता है कि मीन के उत्पादन में भी,...(व्यवधान) मैं युवा सांसद हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Gogoi, you address the Chair.

श्री गौरव गोगोई: सर, आज कृषि के मामले में ज्यादाततर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की आवाज सुनाई देती है। आज पहली बार मेरे भाई कामाख्या जी और मैं उत्तर-पूर्वान्चल के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ी हमारी बात सुनें। मीन के उत्पादन में भी आप लोग खुश होंगे कि जहां पर मीन के उत्पादन में देश भर में बहुत धीरे धीरे गति बढ़ रही है, असम में चार प्रतिशत मीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आज असम में मीन के उत्पादन में वर्ल्ड बैंक के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर यह केन्द्र सरकार असम और पूर्वांचल के बारे में थोड़ा और अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जितनी भी संबंधित ऑरगेनाइजेशंस हों, के.पी.एम.जी. हो, प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स हो, हमारी ही केन्द्र सरकार की विभिन्न रिपोर्ट्स हों, सब कहते हैं कि अगर उत्तर पूर्वांचल में इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है तो कृषि और एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री पर फोकस करना है।

I am happy to tell you that in the field of spices, we often compete with the State of Tamil Nadu. Various reports have now said that the level of organic content found in the spices of Assam is greater than the content found in spices of Tamil Nadu. Therefore, if you focus on spices like turmeric, black pepper, ginger, cardamom -- I am saying this not only for my State of Assam but also for the entire North-East – then we can actually make Assam and the North-East a spices hub from where we can export to our neighbouring countries of Bhutan, Myanmar,

Nepal and Bangladesh. If we only focus on production, post-harvest infrastructure and increase the connectivity as well, this can be done. अगर किसान को कुछ मारता है, तो वह ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है। जब बंगलादेश आया है तब से our economic growth has been hampered because transport costs have increased. Therefore, I urge upon the Government to focus on connectivity issues to lower the transport costs. अगर हम रेल के प्राइस कम कर दें, तो किसानों को बहुत लाभ होगा, लेकिन आपने यह भी नहीं किया। आपने फ्रेट प्राइस बढ़ा दिये, यूरिया के प्राइस बढ़ा दिये, इसका नुकसान किसान को होगा। मैं स्वागत करता हूँ श्री राधा मोहन जी का, उनसे मुझे आशीर्वाद भी मिला है, वे असम भी आये हैं और वे वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट भी लाना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि वे यहाँ पर बैठे हैं। मैं मंत्री जी को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि कोई है, जो कृषि विभाग में कृषि के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में एक नया दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहता है, तो वह मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अध्ययन करके आर.ए.आर.आई के इंस्टिट्यूट को मेरे संसदीय क्षेत्र कलियाबोर में स्थापित करें। वहाँ का पूरा जिला प्रशासन आपके साथ होगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पास में जोरहट में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसे गोलाघाट में करके जो नेबरिंग स्टेट्स जैसे नागालैंड है, उसकी भी आप सहायता कर सकते हैं।

I would like to just make one last request to the Government. I come to the area of tea. Tea comes under the Ministry of Commerce. Domestically, 50 per cent of tea in India is produced by Assam. Now, there is a revolution that has been taking place and 30 per cent of Assam’s tea is produced by the small tea growers. It is not that the companies like the TATAs, APPL produced it but the ordinary farmers have started taking to tea. If we deliver the same extension support that we give to horticulture farmers, paddy farmers, it will benefit them. मैं चाहता हूं कि मेरे भाई जो कामाख्या के क्षेत्र से, जो चाय का क्षेत्र है, से आते हैं, वे भी इस बात को रखने में मेरी सहायता करेंगे। If tea can be treated as an agricultural crop, then, 30 per cent of Assam’s tea grows who are now small tea growers, if we can give them the same extension support, subsidy support, post-harvest support,. I am telling you that not only Assam but also the entire North-East will benefit out of this. मैं आग्रह करूँगा कि चाय को हम कृषि तरह ही लें, इससे सभी पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा और पूरे देश को लाभ होगा।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस किसान के बेटे को इस गरिमामयी सदन में किसानों के दर्द को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

हमारे समाज में किसान और कृषि को बहुत ही उच्च दर्जा प्राप्त था। तभी कहा गया था- "उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी भीख निदान।" आखिर कालांतर में क्या वज़ह हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि आज आखिर किसान की यह दुर्दशा हो रही है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे किसान दोहरी मार झेलने के लिए विवश हैं। पूरे देश के किसान एक तरफ खेती-बाड़ी के संसाधन निरंतर महंगे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा का दंश है। हर किसान की इच्छा होती है कि वह खेती के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाए। यही सोचकर हर किसान जुगत करके, कर्ज़ लेकर, घर की सारी जमा पूंजी लगाकर समय से खेत तैयार करता है, उन्नत बीज, समय से पानी और खाद की व्यवस्था करता है, लेकिन बे-मौसम की बरसात, सूखा और अन्य दैवीय प्रकोप के कारण जब फसल बर्बाद हो जाती है, तो सरकार ऊँट के मुँह में जीरा जैसी सहायता देकर इतिश्री कर लेती है। एक बार कर्ज में डूबा किसान लगातार उबरने की कोशिश में डूबता ही जाता है, उसे न तो इंश्योरेंस द्वारा और न ही सरकार द्वारा उचित सहायता मिलती है। परिणाम यह होता है कि आत्महत्या जैसी घटनाएँ होने लगती हैं।

दूसरी तरफ, यदि किसान की किस्मत चमक भी गयी और फसल अच्छी हुई तो सरकार की गलत नीतियों के चलते आढ़ती और दलाल लागत से भी बहुत कम कीमत में मजबूर किसान की फसल खरीदने को एकजुट हो जाते हैं। किसान कहीं भी चला जाए, उसे वही कीमत मिलती है, जो उसके द्वारा लगायी गयी लागत से भी कम होती है। मजबूर किसान से अनाज और फलों,सब्जियों को औने-पौने दाम पर खरीदने वाला बिचौलिया मांग और पूर्ति के खेल को साधकर भारी मुनाफा कमाता है और बिना श्रम के वह धनवान बनता जा रहा है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। हमारी सरकार को एक ऐसी नीति बनानी होगी, जिसमें किसान के हर उपज की कीमत उसकी लागत और मुनाफे को जोड़कर तय की जाए। सरकार सुनिश्चित करे कि यदि किसान से उसकी उपज आढ़ती या दलाल खरीदते हैं, तो उन्हें मनमाने ढंग से कीमत तय करने की कतई छूट न हो। जब मुनाफे पर अंकुश लगेगा तो जमाखोरी हतोत्साहित होगी, जमाखोरी हतोत्साहित होगी तो आम लोगों को सही कीमत पर खाद्य वस्तुएँ मिलेंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। जमाखोरी हतोत्साहित होगी तो आम लोगों को सही कीमत पर खाद्य वस्तुएं मिलेंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य कल किसानों के प्रति बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, इनके शासनकाल में, जब से इनका दल सत्ता में आया है, उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसका पूरा बखान करने के लिए आप समय नहीं देंगे, लेकिन एकमात्र उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब ये लोग सत्ता में आए थे तो सत्ता में आने से पहले किसानों से वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपये कर देंगे। इनसे पहले वहां जो भी सरकारें पदारूढ़ रही हैं, उन्होंने प्रति वर्ष गन्ने का मूल्य कुछ न कुछ बढ़ाने का ही काम किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने 350 रुपये देने का वायदा किया था, लेकिन उससे पहले किसान को जो 280 रुपये मिल रहे थे, उसमें से भी 20 रुपये घटाने का काम इन्होंने किया और जो 260 रुपये देने का वायदा किया गया, उसे भी किसान को आज तक नहीं दिया गया है। इनके शासनकाल में किसान की यह दुर्दशा हो गयी है। अभी कांग्रेस के युवा सांसद किसानों के प्रति चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की बात कही। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो महाराष्ट्र में भी आप ही थे और केन्द्र में भी आप ही थे। आप क्यों किसानों की आत्महत्या पर तमाशा देख रहे थे। यही नहीं, कल से मैं चर्चा के दौरान स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सुन रहा हूं, यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आ गयी है। अगर आपके अंदर किसानों के प्रति इतना ही दर्द था तो वर्ष 2006 से आज तक क्यों उसको ठण्डे बस्ते में डाले हुए हैं? अगर उसको लागू कर देते तो शायद हमारे किसानों को पुनर्जीवन मिल गया होता।

महोदय, कृषि उत्पाद क्रय, बेचने के लिए, कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए एक कारगर नीति की कमी ही हमारे देश के किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण आज किसान जो आलू एक से दो रुपये किलो पर बेचने के लिए मजबूर होता है, वही आलू मात्र दो-तीन महीने बात 20 लेकर 50 रुपये किलो तक बाजार में बिकती है। इसी तरह जो प्याज किसान से दो रुपये किलो खरीद कर जमा की जाती है, वही प्याज खरीद से मात्र दो माह बाद 50 से 80 रुपये किलो बिकती है। एक तरफ तो किसान की कमर टूट जाती है क्योंकि भारी खर्च के बाद भी उत्पाद की सही कीमत उसे नहीं मिलती है, दूसरी तरफ आम जनता महंगाई को लेकर परेशान रहती है। मुनाफा मुट्ठीभर लोगों की जेब में जाता है। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कारगर नीति बनाने की आवश्यकता है। आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूर किसान को कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए साधन मुहैया कराए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्याजमुक्त कर्ज दिया जाए, किसान अपना उत्पाद यदि शीत गृहों में रखता है तो उसे उसके खर्च के लिए अग्रिम ऋण दिया जाए, एक निश्चित आबादी के बीच शीत गृहों एवं भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपने उत्पाद कि उस समय बेच सके जब उसे

उसकी वाजिब कीमत मिले। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां आज भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, उपजाऊ जमीन होने के बावजूद हमारे किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। श्रावस्ती और बलरामपुर, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, नेपाल की तलहटी में, तराई अंचल में बसा हुआ है, वहां पर आजादी के इतने वर्षों बाद तक शासन करने वाले लोग सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा सके। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो राप्ती नहर परियोजना की उन्होंने शुरूआत की थी। बाद में उसे बंद कर दिया गया था। अब हमारे प्रयासों से वह शुरू हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि सुचारू रूप से उसे पूर्ण कराकर तराई क्षेत्र के उस अंसिचित क्षेत्र को सिंचित करने का काम किया जाए।

महोदय, मेरा मानना है कि देश का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक सरकार की हर सफलता फीकी ही रहेगी। किसान और कृषि आधारित उत्पाद एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसान भयमुक्त होगा, निश्चिंत होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, बढ़े हुए उत्पादन की सही लागत मिलेगी तो आम जनता को भी उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त होगी। इससे मुठ्ठीभर दलाल और बेईमान जमाखोरों को अवश्य तकलीफ होगी। हमारी सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि किसानों की खुशहाली के लिए किसानों से उत्पाद खरीदने के लिए एक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाए और जो भी थोक भाव में कृषि उत्पाद का भण्डारण करता है, उसे खरीद से एक निश्चित मुनाफे तक ही उत्पाद बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए। ऐसी नीति किसान और जनता, दोनों के लिए हितकारी होगी।

महोदय, हमारी सरकार ने जो वायदा किया है कि हर खेत को पानी, हर खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होगी, उसको सही ढंग से लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

*__DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM) :__ Farming in India had become a business of loss.

Farmers have gained nothing but the false promises of the rulers of the country.

Farmers are considered the backbone of the economy but the reality is that 70 million farmers are exploited by the middle man of the country.

The incidence of farmers committing suicide is endemic in our country.

On one hand, we are having at tremendous growth in the sectors like IT, etc. on the other hand we still have 50% of the population living below the poverty line.

75% of our population is related to agriculture and allied activities yet the contribution of agriculture to our economy is only 21%.

We have attained an overall growth of 8% but our growth in agricultural sector is not even 4%.

Among the major reasons for the poor condition of our farmers, there is no sufficient financing, hence they loan money with high interests.

Indian farming is monsoon dependent, lack of sufficient rain is a major problem, to overcome this, farmers must be provided with alternative irrigational facilities. Subsidies on the agricultural products must be increased. There must be minimum support price for agricultural products. Government funding for the agricultural sector must be increased. Proper storage facilities for storing the produce must be provided to avoid wastage. Improve over public distribution system. Farmers suicide has increased at an alarming rate.

Agriculture continues to be the most predominant sector of the state economy, as 70 percent of the population is engaged in agriculture and allied activities for their livelihood.

Tamil Nadu has an area of 1.3 lakh sq.km. with a gross cropped area of around 63 L. Ha.

---

* Speech was laid on the Table.

The government policy and objectives have been to ensure stablity in agricultural production and to increase production in sustainable manner to meet the food requirement of growing population and also to meet the raw material needs of agro based industries, thereby providing employment opportunities to the rural population.

Tamil Nadu has all along been one of the states with a creditable performance in agricultural production with the farmers relatively more responsive and receptive to changing technologies and market forces.

The Agricultural Department has taken up the challenge to achieve higher growth rate in agriculture by implementing several development schemes and also propagation of relevant technologies to step up the production. Intensive integrated farming system, massive wasteland development programme, comprehensive watershed development activities, water management through micro irrigational systems, organic farming, soil health improvement through bio fertilizers including green manure, adoption of integrated nutrient management and integrated pest management technologies are given priority through various programmes, besides crop diversification to fetch better return and value addition to agricultural produce are also given priority to improve the economic status of the farming community.

FINANCIAL ISSUES : To help farmers there are several government schemes through which poor farmers can help themselves through sanction of loans. But due to unawareness or illiteracy they rely heavily of government funds whose credits partially reach the hands of farmers, as large amount of money is being siphoned off in between by public servants.

Also inadequate and unrevised old financial scheme do not meet the needs of costs of cultivation in present time.

KCC's (Kissan Credit Card) main objective is to help farmers and it is very helpful to them. But most farmers are unaware of its benefits. This scheme needs to be popularized.

High interest rates on agriculture term loan also do not offer much help.

Increased social expenditure and lack of access to consumption loans from the banking system leads to an increase of indebtedness to informal sources.

OLD FARMING PRACTICES AND LACK OF INFRASTRUCTURE : Any innovation or development in agricultural filed does not reach the farmers.

There is no or little supply of quality seeds and pesticides to farmers by the state government.

Inadequate power supply hinders the use of conventional pumps.

No guidance for adoption of bio fertilizers organic farming etc.

There is huge price difference in retail price and farm gate price due to which margin money is very less in farming.

Lack of organised market support for horticulture and garden crops result in over dependence on private dealers who never fail to exploit the situation.

Market stablization and intervention should be ensured by the government.

Unavailability of fertilizers testing facilities in districts.

Lack of proper roads and communication facilities.

Sharp decline in water table and unavailability of proper irrigation facilities by the government is forcing the farmers to go for pumping sets at heavy costs.

Too much dependency on monsoon rain also affect the yield.

In Tamil Nadu despite the water disputes like the Cauvery dispute by Karnataka, Mullai Periyaru dispute by Kerala and Palaru dispute by Andhra, our beloved leader Amma has managed the irrigation crises by drip irrigation, sprinklers, issuing free pipelines, free tractors, free seeds, sewing machines, harvest machines, fertilizers and pesticides are in subsided rates and uninterrupted free 3 phase electric power supply for the farmers. Our beloved Amma to uplift the agricultural labourers, widows, destitutes, and people below poverty lines,

gave milch cows and four goats to each family in order to safeguard the welfare of the people during the draught season. She also advised to desilt the ponds, tanks and river beds in order to retain more quantities of water. She also established the rain harvest system effectively in Tamil Nadu.

INTER-LINKING OF PENINSULAR RIVERS : The Government of Tamil Nadu has been urging the Government of India to implement the inter-linking of the rivers Mahanadi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery and then onto Gundar as also the diversion of waters of the west flowing rivers of Pamba and Achankovil to Vaipar in Tamil Nadu under the peninsular rivers development component.

While thanking the government of India for having notified the special committee for inter-linking of rivers, as requested by our beloved leaders on 03.06.2014, the other genuine request that all interstate rivers should be nationalised so that the water resources of the country are optimally utilized must be looked into seriously and implemented in a time bound manner.

INTER LINKING OF THE RIVERS WITHIN THE STATE : Government of Tamil Nadu had sought the assistance of Government of India for the implementation of Athikadavu Avinashi flood canal scheme at an estimated cost of Rs.1862 crores.

This may be sanctioned on a priority basis.

Pennaiyar (sathanur dam) palar link scheme and pennaiyar nedungal anicut palar link at an estimated cost of Rs.500 crores may kindly be expedited.

CAUVERY GUNDAR LINK : The proposal to divert the flood waters of Cauvery to draught prone areas by linking the Cauvery vaigai gundar at a cost of Rs.5166 crores which was kept pending and later returned by the previous Central Government may be expedited.

CAUVERY MODERNISATION SCHEME : The river Cauvery is the lifeline of Tamil Nadu. With the notification of final order of the Cauvery water disputes

tribunal the scheme for modernisation of the canal system in the Cauvery basin at a cost of Rs.11,421 crore may be accorded approval.

This request of our beloved leader Puratchi Thalavi Amma on 3.6.2014 is yet to be acceded to. We request this may be approved at the earliest.

[*]**SHRI Y.V.SUBBA REDDY (ONGOLE) :** Agriculture plays a pivotal role in the economy of a country and better performance of this sector is vital for inclusive growth, for a developing country like India. Development of agriculture and industrialization are both essential. There is no justification in putting one against another. Planned, balanced and harmonious developing industry and agriculture is essential for employment generation and economic development. Agriculture indebtedness have claimed thousands of lives of farmers because of their suicides.

Land relation in Andhra Pradesh are extremely complicated which have led to serious problems for actual cultivators, unregistered cultivators, tenants and tribal cultivators all face difficulties. There is need to record and registered actual cultivator including tenants and women cultivators.

The farmers suicide has been most virulent in Andhra Pradesh with two thirds of suicides deaths in the state alone. With high cost of cultivation of diminishing productivity and low returns, it become difficult for farmers of the state to withstand crop failures. Since, many farmers depend on crop for their livelihood, the situation becomes miserable when the crop fails or they do not get a remunerative price for their product. In this situation formers are invariably driven to debt trap. A former can repay the loan incurred, if gets reasonable crop and the reasonable price for the produce. Since, both these conditions are rarely met in the state, the loan of the poor farmers get piled up.

The agrarian economy in the state has fallen on such bad times that farmers hardly find buyers for their product. The present marketing structure for agrarian produce in Andhra Pradesh consists of a number of imperfections, leading to disastrous consequences on the price front. Due to a weak economic position in the state, small and medium farmers sell produce immediately after the harvest, when the whole sale price is at its lowest. Thus the farmers lose considerable income in this way.

---

[*] Speech was laid on the Table.

Agriculture in Andhra Pradesh has not received adequate credit support from formal financial sector, as a result of massive debt burden are evidence to neglect of agriculture by the institutional source of credit, particularly the banking sector. Excessive use of chemical pesticides, erratic rain fall, heavy debt burden and spurious seeds also take a heavy toll of farmers in Andhra Pradesh. Thousands of farmers have committed suicides during the last few years in the state and to add salt on their injury, the government has recognized only couples of hundreds as genuine and eligible for compensation.

Farmers suicide in the Andhra Pradesh and Telangana have risen in the recent months because debt loans have not been waived off as promised by the government in their election manifesto. The state government has not able to fulfill any commitment made during election period. It surprises that in Ananthapur district 44 formers committed suicide. It is also regretted that Reserve Bank has rejected a cabinet proposal for recasting outstanding farm loan.

The extreme agrarian crises and subsequently the distress in Andhra Pradesh achieved notional performance when it resulted in the dramatic increase in suicides by farmers in the region. The difficulties confronting in the state are complex and multifarious and needs a complete relook of economy strategy in the state. If these problems are adequately addressed, many of the problems in the agrarian economy in the state can be traced to the deduction of the government's positive attitudes toward farmers. More than 60% of India's population depend on agrarian livelihood, it is the responsibility of the government both Central and State to genuinely wave of the outstanding loan of farmers in Andhra Pradesh and provide suitable crops and better irrigation facilities and latest agriculture infrastructure to the farmers otherwise thousand of impoverished farmers juggling debt and failed crops will continue commit suicides. We should seriously solve over the problems of farmers immediately to prevent from killing themselves.

The recent Hudhud cyclone damaged most of the crops which resulted the farmers to take loans on high interest to start their livelihood. The cyclone played

havoc in the lives of many villages who could not even bear fodder expenses for their cattle. It is sensory that adequate compensation for farmers whose crops were destroyed in this natural calamity, the farmers should also be exempted from paying electricity bills.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir. Agriculture is the backbone of Indian economy; 70 per cent of our population earns its livelihood from agriculture. A majority of farmers of our country is farming for their own consumption. The entire production is largely consumed by the farmers and their families and they do not have any surplus to sell in the market because of small landholdings.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister, through you, Sir, that more awareness programmes are to be arranged to make the farmers aware about using modern technology to increase their production and to also to make them aware about the seasonal harmful insects so that they can protect their crops. Soil testing is a major issue in this regard so that farmers can know which crop is suitable for which field. Digging of canals and installation of tube wells are required to maintain the water flow to the field. I would like to request the hon. Minister to allot more funds in this respect.

The Government should take initiative to regulate the market so that farmers can get actual price. The Government should kindly look into the matter of insurance policy for farmers to save their lives.

Farmers use chemical fertilizers and pesticides to increase the production. We take poisonous food daily due to that reason. So I would like to request the hon. Minister to take positive measures for use of vermin-compost fertilizer instead of chemical fertilizer to save our lives as well as to protect our environment.

I would like to inform you that hon. Member, Shri Md. Badaruddoza Khan gave a false statement regarding a suicide case in West Bengal. Our Chief Minister Mamata Banerjee has taken various measures to protect the farmers of West Bengal.

Finally, I would like to request the hon. Minister to take measures for upgradation of Kalyani Krishi Vidyalaya so that scientists can make their innovative efforts and take more effective steps for greater interest of the farmers of West Bengal. Thank you.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कृषकों की हालत बहुत ही खराब है। किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। देखा जाए तो पूरे देश में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा विदर्भ और बुंदेलखंड क्षेत्र में है। मैं स्वयं बुंदेलखंड क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र बांदा और चित्रकूट है। यहां पर किसान निश्चितरूप से कराह रहा है और आत्महत्या कर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या घटकर लगभग साढ़े नौ करोड़ हो गई है यानि साढ़े तीन करोड़ लोगों ने किसानी का पेशा छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि हर रोज लगभग 2500 लोग खेती का पेशा छोड़ रहे हैं।

आज गांवों में लोगों को किसानी में कुछ न मिलने के कारण बड़ी संख्या में वहां से लोगों का पलायन हो रहा है और वे शहरों की ओर रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। बुंदेलखंड की हालत तो और भी खराब है। हर जगह देखा जाए तो बड़ी मात्रा में लोग ट्रकों, बसों और ट्रेनों के माध्यम से प्रति दिन लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब आदि जगहों पर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। सन् 1995 से लेकर आज तक लगभग तीन लाख लोग देश में आत्महत्या कर चुके हैं। बुंदेलखंड में इसी तिमाही में लगभग 200 लोगों ने आत्महत्या की है। आज जहां किसान का जीडीपी में योगदान 13.7 प्रतिशत रह गया है जो पहले 66 प्रतिशत था। सन् 2001 में कृषि मजदूरों की संख्या जहां 10 करोड़ 68 लाख थी, वहीं 2011 तक वह 14 करोड़ 43 लाख हो गई है। इसका मतलब यह है कि लगभग चार करोड़ किसान आज मजदूर बन गए हैं, इसमें हमारे बुंदेलखंड की हालत तो और भी खराब है। वहां के कृषकों के पास खुद के लिए खाने को अनाज नहीं है, जबकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वहां इतना भी अन्न पैदा नहीं होता है कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

मान्यवर, किसानों की हालत ऐसी क्यों होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शुरूआत होती है उनके भूमि विवादों से। यदि दीवानी के मुकदमे दायर होते हैं तो वे तीन पीढ़ी तक चलते हैं। चकबंदी की हालत तो यह है कि अगर किसी गांव में चकबंदी हो जाती है तो वहां लोग कहते हैं कि डकैती पड़ने की जरूरत नहीं है, वहां किसान अपने आप बदहाल हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की नीति बनायी जानी चाहिए जिससे भूमि विवादों का शीघ्र निबटान हो, चकबंदी के मुकदमों का शीघ्र निबटान हो, ऐसी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जमीन की मिट्टी का परीक्षण केन्द्र बना कर उन्होंने काम किया है, उससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

मान्यवर, अगर किसान को पानी मिल जाए तो वह खुशहाल हो सकता है। हर खेत को पानी देने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गयी है, वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसको यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, यह मेरी सरकार से मांग है। मान्यवर आज यह देखने में आता है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि हमारे बांदा-चित्रकूट क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। बुंदेलखंड और मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देकर ट्यूबवेल लगाए जाने चाहिए। वहां जो नदियां हैं, उनसे पानी लिफ्ट की योजना बना कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, हमारे कृषि राज्य मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विचित्र नियम है कि साढ़े सात हॉर्स पावर से नीचे के बिजली के कनैक्शन नहीं दिए जाते हैं। जबकि सिंचाई के लिए दो से ढाई हॉर्स पावर की मोटर सिंचाई के लिए लगाई जाती है, क्योंकि वहां छोटे-छोटे कृषक हैं, लेकिन उनको पैसा साढ़े सात हॉर्स पावर का देना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसकी जितनी मोटर की क्षमता हो, जितनी वह सिंचाई करे, उसको उतना ही पैसा देना पड़े, जिससे उसकी कृषि लागत न बढ़े।

मान्यवर, कृषि के लिए ऋण वितरण शिविर लगा कर किसान को पैसा बांटना चाहिए। हमारे यहां बिना दस परसेंट कमीशन लिए बिना किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनके लिए शिविर लगा कर ऋण वितरण किया जाना चाहिए। कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों पर ऋण की दरें बहुत ज्यादा हैं। मेरी मांग है कि इसके लिए किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वहा जीरो प्रतिशत पर सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाता है। हमारी सरकार को भी इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।

मान्यवर, हमारे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। जानवर खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसके लिए एक एक्ट बना था, जिसमें पशु क्रूरता एक्ट के कारण जानवरों के कांझी हाउस भी बंद कर दिए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि अन्ना प्रथा पर सख्ती से रोक लगायी जानी चाहिए। पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन उनको खुले घूमने की छूट नहीं होनी चाहिए जिससे वे किसानों का नुकसान न कर सकें।

मान्यवर, मार्च के महीने में चार बार बारिश और अतिवृष्टि हुई है। अभी अतिवृष्टि को आपदा नहीं माना जाता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और पाला और ओला की भांति अतिवृष्टि को भी दैवीय आपदा में शामिल करना चाहिए जिससे किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। इस तरह का संशोधन बीमा अधिनियम में किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीमा अधिनियम में संशोधन करके

एक नियम को हटाना चाहिए कि अगर 50 प्रतिशत से कम नुकसान दिखाया जाता है, क्योंकि बीमा कम्पनियां दबाव डालती हैं, यदि 50 परसेंट से कम नुकसान दिखाया जाता है तो भी सामान्य बीमा की भांति उनके नुकसान की भरपायी की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक और विचित्र नियम है कि साढ़े चार हजार रुपये असिंचित को और 9 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को दिया जाएगा। यह हमारे यहां सात-आठ रुपये बीघा पड़ता है और 1500-1600 रूपये एकड़ पड़ता है। आज कृषि की लागत कितनी आती है, आप यह देख लें, क्योंकि यह नियम तो पता नहीं कब का बना हुआ है? इसलिए इसको बढ़ा कर कम से कम 20 या 25 हजार प्रति हेक्टेयर दिया जाए।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज चारगाह नहीं रह गए हैं। इससे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन चरागाहों को भी मुक्त कराना चाहिए और पशुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है कि प्रदेश सरकारें बोनस दे देती थीं, लेकिन वहां समर्थन मूल्य वास्तव में बहुत कम है। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें किसानों के हित में राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए और समर्थन मूल्य के मामले में किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य देना चाहिए। अभी राज्य सरकारें जो बोनस देती हैं, उसे रोकने की कोई गाइडलाइंस खाद्य विभाग से गई है, उसे हटाना चाहिए और राज्य सरकार जिस प्रकार से दो सौ रुपये प्रति क्विंटल देती थी, उसमें राज्य सरकारें भी अलग से बोनस दे सकें और यहां से पर्याप्त समर्थन मूल्य की व्यवस्था हो, जैसे गेहूं है, यह कम से कम दो हजार रुपये क्विंटल होना चाहिए, तभी किसानों की कुछ हालत सुधर सकती है। इसकी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

***श्री राहुल कस्वां (चुरू):** आज कृषि क्षेत्र घोर संकट में फंसा हुआ हैं ऐसे देश में जहां साठ प्रतिशत से अधिक आबादी खेती-किसानी पर निर्भर हो, वहां का किसान बदहाली का जीवन ही व्यतीत नहीं कर रहा है, बल्कि भयावह जीवन जीने को मजबूर है। राष्ट्रीय नूमना सर्वेक्षण संगठन का एक सर्वे सामने आया है, जिसके अनुसार देश के किसानों की हालत बदत्तर होती जा रही है, लोगों का खेती-बाड़ी से रूझान घट रहा है, यह सर्वे देश में अन्न की पैदावार पर सवालिया निशान लगा रहा है। खेती-किसानी के कारण कर्ज में फंसे किसान न सिर्फ बदहाली का जीवन जी रहे हैं, बल्कि आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं, हर किसान पर औसतन 47000 रूपये का कर्ज है। पिछले दशक में जो सरकारें बनी उसने कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। देश के किसान को प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, कृषि और किसान कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, इसके लिए अध्ययन करवाने की आवश्यकता है। कृषि पर लागत खर्च बढ़ने से देश के किसान की स्थति दिन-ब-दिन बदत्तर होती जा रही है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि किसानों के लिए खेती लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है। खेती से किसान का मोहभंग होता जा रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, अगर किसानों को कृषि के प्रति यही बेरूखी रही तो वह दिन दूर नहीं, जब हम खाद्य असुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाएगें, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है। देश की आधी से अधिक आबादी की स्थति सुधारे बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आज के हालात में किसानों को परम्परागत फसलों के अलावा नकदी फसलों पर भी ध्यान देना होगा। देश में विभिन्न भागों विशेष रूप से राजस्थान में बेमौसम की वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र की सुजानगढ़ तहसील में इसबगोल व जीरा की 100 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। राजगढ़, सरदारशहर व तारानगर के किसानों को ओलावृष्टि से काफी नुकशान हुआ है राजस्थान के किसान को इस आपदा से उभरने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

कृषि लागत मूल्य में वृद्धि को देखते हुए किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे में संशोधन किया जाना चाहिए, उन्हें सिंचाई के लिए सिंग्ल व थ्री फेस बिजली कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनके ऋण के ब्याज और बिजली बिलों को माफ किया जाना चाहिए, राजस्थान सरकार ने काफी राहत देने का काम किया है, मेरी सरकार से मांग है कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए अधिकतम सहायता प्रदान की जाए।

---

* Speech was laid on the Table.

मौजूदा बीमा योजना में काफी विसंगतियां है, उन्हें दूर किया जाए। बीमा के लिए नए सिरे से नीति बनानी चाहिए। प्रीमीयम की 75 प्रतिशत राशि केन्द्र और 25 प्रतिशत राशि राज्य वहन करे एवं बीमा के लिए ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। किसान की हालात में सुधार के लिए मनरेगा को कृषि कार्य में जोड़ना चाहिए, बगैर किसी कन्डीशन के प्रत्येक किसान को पानी संचयन के लिए बड़े कुण्डों व डिग्गीयों का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत करना चाहिए। किसानों को पानी सिंचाई व अन्य सुविधा के लिए सोलर पम्पों पर वर्ष 2014-15 से पूर्व 86 प्रतिशत सब्सिडी थी, जिसे घटाकर 86 से 70 प्रतिशत किया गया है। सौलर पम्पों पर सब्सिडी 86 प्रतिशत रखते हुए उच्च तकनीक के कम कीमत वाले सौलर पम्प उपलबध करवाने की व्यवस्था की जाये।

दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ नर्धारित किया गया था लेकिन राजस्थान को अभी तक उक्त समझौते के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थति में है, इसके बावजूद भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ. जल ही आवंटन कर रहा है, राजस्थान अपने हिस्से के शेष 0.6 एम.ए.एफ. जल को देने के लिये केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास पंब्रधन मण्डल को कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को उनके हिस्से का पूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब विधानसभा द्वारा समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 पारित कर रावी व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल है। भारत सरकार द्वारा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्शियल रेफरेन्स द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैद्यता के परीक्षण हेतु भिजवाया है तथा राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उक्त रेफरेन्स की एक विशेष पीठ का गठन किया जाए। मेरी, सरकार से मांग है कि भारत सरकार, पंजाब सरकार /भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को राजस्थान के शेष 0.6 एम.ए.एफ पानी दिये जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा साथ ही रावी व्यास जल पर प्रेसीडेन्शियल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु एक विशेष पीठ गठित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन करें।

***डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** हम सभी जानते हैं कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और जब किसान की फसल बाजार में पहुंचती है और उसके क्रय-विक्रय से जो पैसा किसान के पास पहुंचता है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमता है और देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश आज देश का किसान बेमौसम के प्राकृतिक संकट से निराश, उदास और हताश है। संकट के इन क्षणों में हमें उनके आंसू पोछने की आवश्यकता है। वहीं उनकी आगे की फसल अच्छी हो, इसके लिए भी उनकी मदद करने की आवश्यकता है जिससे वह भविष्य में मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सके।

प्राकृतिक आपदा का यह संकट केवल दो-चार राज्यों का संकट नहीं है बल्कि यह पूरे देश की पीड़ा के क्षण हैं जिसमें हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशीलता के साथ किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है।

आज देश में कृषि क्षेत्र बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है जिससे कृषि निरंतर एक घाटे का सौदा साबित होता रहा है परन्तु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मृदा परीक्षण के द्वारा खेती की सेहत को जानने-समझने का प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है जिससे देश के हर एक खेत के मृदा परीक्षण के द्वारा हम देश में एक नयी कृषि क्रांति की शुरूआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शितापूर्ण पहल के लिए उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

इस वर्ष हमारे म0प्र0 में भी इस प्राकृतिक विपदा की मार हमारे किसान भाइयों पर पड़ी है तथा उनके सपनों को गहरा आघात पहुंचा है। इस असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों के साथ-साथ चने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने अपनी लहलहाती फसलों को देखकर अपने मन में सपने संजाये थे कि वे बेटी की शादी करेंगे अथवा बेटे को उचित शिक्षा हेतु किसी अच्छे शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिलाने की आर्थक व्यवस्था करेंगे तथा अपनी कृषि भूमि में इजाफा करने के लिए एक-दो एकड़ जमीन खरीदेंगे। परन्तु इस असामयिक प्राकृतिक आपदा ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

संकट की इस घड़ी में हम सभी को संवेदनशीलता के साथ तथा राजनीति से ऊपर उठकर अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में मेरी सरकार से पुरजोर विनती है कि वे किसानों को इस संकट से निकालने के लिए एक समन्वित नीति और प्रयास की तत्काल पहल करें तथा किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें जिससे किसान को बचाया जा सके।

---

* Speech was laid on the Table.

आज देश में कृषि क्षेत्र के सामने एक दूसरी समस्या परिवारों के निरंतर विघटन की वजह से कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना भी है। इसकी वजह से कृषि की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में मेरा मानना है कि देश में सहकारी खेती को बढ़ावा देकर हम भारत में कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। आज कृषि उपज की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। कुंए तथा ट्यूबवैल का खनन तथा इस तरह की कृषि हेतु किए जा रहे सभी प्रयास व्यय साध्य होते जा रहे हैं। इसके साथ ही देश में अभी भी भण्डारण की भारी कमी है जिसके चलते किसानों का कड़ी मेहनत से उपजाया गया अनाज खुले में पड़े रहकर सड़ जाता है। अब इस तरह की खबर हम अखबार में पढ़ते हैं तो मन को बहुत गहरी पीड़ा होती है।

साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि यंत्रों की खरीद पर किसान की पूरी राजसहायता प्रदान की जाए जिससे वह आधुनिक यंत्रों के माध्यम से खेती करके कृषि पैदावार को बढ़ा सके।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बारिश को प्राकृतिक आपदा के दायरे में शामिल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। देश का किसान जिस तरह विषम परिस्थितियों में खेती-बाड़ी करता है ऐसे में जब उसकी फसल बेमौसम और ओलावृष्टि से तबाह हो जाए तो उसकी दुर्दशा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के किसान को इन तमाम समस्याओं से उबारने के लिए सरकार को तत्काल पहल करते हुए उनको मुआवजा राशि उपलब्ध करानी चाहिए। मैं अपने गृह राज्य म0प्र. में बेमौसम बारिश के नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे म0प्र0 में एक केन्द्रीय जांच दल भेजकर इस आपदा से हुए नुकसान का सही आकलन करके उनको राहत स्वरूप तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए।

SHRI C. MAHENDRAN (POLLACHI): Thank you, hon. Deputy-Speaker, for giving me this opportunity to speak in this august House on the discussion under Rule 193.

I humbly thank to our people's Chief Minister, hon. Puratchi Thalaivi Amma for giving me the opportunity to be a Parliamentarian in this hon. House.

In my Pollachi Parliamentary Constituency nearly 92,000 hectare area is under coconut cultivation, which is one-fourth of coconut area in Tamil Nadu.

Due to failure of South-West and North-East monsoon, water level has hugely depleted in wells as well as underground. Owing to insufficient water and high cost of maintenance, the coconut farmers are in great crisis and are facing huge losses in the production of copra. So, the production of copra is dwindling in my Parliamentary Constituency.

Even though 2,02,000 Metric Tonnes of copra is being produced, yet the agriculturists cannot survive as the support price of copra fixed by the NAFED is only Rs. 52.50 per kilo whereas in the open market, it is being traded today at around Rs. 125 per kilo.

Hence, there is a need to increase the procurement price by the NAFED to the market level in order to stabilize the demand and supply mechanism. Now, the copra production is not remunerative to the coconut growers. They are, now, finding ways to grow some alternative crops. The present yield of coconut trees is maintained by the growers for more than 15 to 20 years. The coconut cultivation is a long term crop. So, they have no other alternative. Due to monsoon failure, with great hardship, only 50 per cent of the agriculturists are able to maintain their coconut cultivation.

Sir, in the year 2012-13, our people's Chief Minister, hon. Puratchi Thalaivi Amma had given Rs. 1,755 crore as the Drought Relief Package for the non-delta farmers. Of this package, six components were meant for about 17.9 lakh farmers, who had suffered the crop loss of over 50 per cent. The farmers, for their variety of crops, would receive a total compensation of Rs. 835.21 crore.

Making an announcement in the Assembly, our people's Chief Minister, hon. Puratachi Thailaivi Amma said that the package was based on the assessment made by a High Level Committee after visiting 18 Districts and interacting with the representatives of farmers and District officials apart from Reports from the District Collectors.

A sum of Rs. 312.89 crore had been earmarked for giving compensation of Rs. 5,000 per acre to 6,25,481 farmers who raised paddy over 6,25,786 acres. As per the Central norms on disaster relief, even small and marginal paddy farmers, experiencing more than 50 per cent crop loss, were entitled only to Rs. 2,429 per acre whereas our people's Chief Minister hon. Puratchi Thalaivi Ammma has also given for long term crops including coconut growing farmers 50,908 numbering would be given Rs. 4,000 per acre. A relief of Rs. 43.35 crore has extended covering 1,08,383 acres in the last year and also set up a Coconut Breeding Centre in Udumalpet constituency by allotting 100 acres of the Government land for the benefit of coconut growers to produce good quality seedlings with the participation of National Coconut Board by taking into consideration long term vision and mission of the coconut cultivators of Tamil Nadu.

Considering these facts, will the present Government headed by Shri Narendra Modi Ji move any proposal to increase the support price of copra to triple the NAFED price or even Rs. 140 per kilogram so as to give relief to the existing coconut growing agriculturists from their present financial crisis? I request the hon. Minister for Agriculture, Shri Radha Mohan Singh Ji to grant adequate compensation to the copra producers and save coconut growers from the present copra price crisis.

I have hundred per cent confidence that Agriculture Minister will do the best for the agriculture welfare of Tamil Nadu to tide over the copra price crisis. It would be very helpful to the coconut growers by allotting any financial assistance from the Agriculture Price Market stabilization fund that was announced in the Budget 2015-16.

Thank you Sir once again for giving me an opportunity and our people's Chief Minister hon. Puratchi Thalaivi Amma for sending me to this august House, the Parliament.

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों पर आई अपदा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, हिंदुस्तान का किसान दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित है। व्यवस्था का हर पक्ष उसके शोषण को तैयार खड़ा है, फिर चाहे वह बीज विक्रेता हो, खाद विक्रेता हो, कीटनाशक विक्रेता हो या व्यापारी हो। लेकिन किसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है, जब प्रकृति उसके साथ अन्याय करती है। महोदय, इस बार वर्षा व ओलों से मध्य प्रदेश में अनुमानित एक हज़ार करोड़ रूपये की फसल का नुकसान हुआ है। 3190 गांवों की 2 लाख 44 हज़ार हैक्टेयर जमीन पर वर्षा और ओलों की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। महोदय, किसान की आशाओं, अम्मीदों व सपनों पर ओले गिरे हैं। किसी ने बेटी की शादी के सपने पाले थे, किसी ने माँ-बाप को तीर्थ करवाने के सपने पाले थे तो किसी ने पुराना कर्ज अदा करने की उम्मीद की थी। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा कि ये ओले मेरे सीने पर गिरे हैं।

महोदय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सन् 2014-15 को दिए गए आंकड़ों में कृषि लागत मूल्य एवं समर्थन मूल्य को देखें तो इस नुकसान की भयावयता प्रकट होती है। गेहूं की लागत 744 रूपये की है और उसका समर्थन मूल्य 1450 रूपये मात्र है। चना 1902 रूपये है और उसका समर्थन मूल्य मात्र 3175 रूपये है। समर्थन मूल्य इसलिए दिया जाता है ताकि किसानों को उससे कम दामों पर बेचने को मजबूर न होना पड़े। यदि गेहूं की लागत दर 744 रूपये है और 70 प्रतिशत फसल यदि नष्ट हो जाती है तो किसान कर्जदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। बीते छह सालों में कांग्रेस के शासन काल में 66000 किसानों ने आत्महत्या की है और गैर सरकारी आंकड़ें इससे भी अधिक हैं। एसोचैम के मुताबिक भारत के किसान कीटों और बीमारियों के कारण लगभग 50 हज़ार करोड़ रूपये प्रति वर्ष का नुकसान सहता है। इसके अतिरिक्त जैविक बीज बनाने वाली, जेनेरिक बीज बनाने वाली कंपनियां भी किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण हैं। क्योंकि जैविक बीज प्रतिवर्ष खरीदना पड़ता है और खरीदने के बाद यदि इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे किसानों के पास आत्महत्या के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से बीज और कीटनाशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, तब से किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ी है। पिछले 20 सालों में 2 लाख 90 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। इन किसानों की आत्महत्या में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए और उन्हें प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।

महोदय, सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 107 प्रतिशत हो गया है। छठे वेतन आयोग के बाद अब सातवें वेतन आयोग की भी तैयारी चल रही है, लेकिन किसान कर्जदार, दुःखी और वैसे ही परेशान है। किसान भी देश की सेवा करता है, बल्कि किसान बड़ी सेवा करता है। अगर कर्मचारी को जोखिम भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, जनजाति क्षेत्र में तैनाती का भत्ता, मैडिकल भत्ता मिलता है तो किसानों का भी अतिरिक्त समर्थन मूल्य की आवश्यकता है और अतिरिक्त समर्थन मूल्य इन स्थितियों में देना चाहिए। मैं सदन से और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार किसानों को अतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि "मदर इन्डिया" फिल्म का सूदखोर "सुखी लाला" आज भी हमारे गाँव में अस्तित्व रखता है। आज भी हमारे गाँव की वह हकीकत है। हमारा किसान आज भी कर्ज में जिन्दा रहता है। यदि उस कर्ज से हमने किसान को नहीं बचाया तो निश्चित रूप से गाँव में अपराध बढ़ेंगे। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से सदन और सरकार से निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को अतिरिक्त सहायता दी जाए ताकि वहाँ के किसानों को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Sir, the Union Government is promising growth, development and progress of India in the form of increased scope of industrialization, increased chance of foreign investment, establishment of smart cities and increase in the standard of living. But is it for whom? It is beyond my understanding how we can at all thrive, not to think about advancement when 70 per cent of our rural people are depending on agriculture. They, themselves, are starving due to various obstacles in the cultivation system, due to natural calamities, non-availability of fertilizers on time at subsidized rates and not getting the right price. Even if the yield of agriculture is sometimes surplus, there is no uniform system or rule of distribution or export to different States of India or abroad, which can yield much money.

Moreover, West Bengal is full of farmers having only small fields with less production. These small field farmers need extra monetary support and there should be a special provision for that. This is not only for West Bengal but for anywhere in the country. But I am talking about West Bengal. My constituency, Bardhman district of West Bengal, is really a sort of Heaven for agriculture. There is production of, mainly, rice and potatoes in this district and it is first in production of rice in West Bengal. Still this year one or two farmers have committed suicide here and many people are leaving the fields and going in search of services or some other things in the towns. This year potato production is also surplus. Still the farmers are starving due to over production leading to lowering of market price. The farmers even cannot manage to get back their money spent on production due to lack of control or monitoring of market price.

I would request the Union Government to think about the farmers and their agricultural fields more seriously and they should make proper farmer friendly policy. My previous speakers from West Bengal, especially Badaruddoza Khan really said everything about this and also about the people of West Bengal. I am talking about West Bengal. But as you know, agriculture is one thing for which we

cannot depend on other countries for our food production by giving all our fields for industry and for every other thing.

14.00 hrs

But we should make a proper policy for that.

You know that the whole political scenario of West Bengal has changed because of the *do beegha jameen ka kissa.* I urge upon the Government to make a proper farmer-friendly policy, improve yield by scientific methods; fix appropriate market price for farmers and subsidise fertilizers not for special and poorer farmers only but also for all farmers. Steps should be taken for scientific storage and distribution system because yields of farmers including that of potato get rotten. There should also be an inter-State and foreign export mechanism in case there is a surplus production.

I would conclude my speech by saying that a system should be developed by the Government to inform farmers in advance about the ensuing natural calamities so that preparation could be done in advance to deal with that.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I am extremely grateful to you for giving me this opportunity to speak on the plight of the farming community in India today.

We have a lot of discussions in the House about infrastructure, roads and airports and everything. But there is also an alternative thought that India could probably become the food bowl not only for itself but also for half of the world, as has been forecast by the Food and Agriculture Organisation, which is a UN organisation. It says that much more land and much more agriculture will be required to feed the teeming millions if we calculate the present growth of the population of the world.

Sir, I come from the State of Odisha, which is primarily an agriculture dependent State and a majority of our population depends on agriculture for survival. But we find that while four-lane and six-lane highways have been built, many power plants have been built, many mine-based industries are coming into existence, there is least concern or least regard for the needs and the requirements of the farmers.

Sir, you are aware as a seasoned politician that before the late 60's and the early 70's we used to import even our basic necessities like wheat, paddy and other things. PL-480 is one such thing and I remember that it was American wheat. The lingering effects of those imports are still visible when one goes into the hinterlands of India where we find certain seeds, like in Bangalore there is a grass which neither goat nor cow eats. It is called the Congress Grass because it has a white *topi* kind of a thing on the flower. When the pollination takes place, a lot of people get asthmatic attacks and physical problems arise. That is one story. But the story is that we should concentrate on how to become a food bowl for the future of this world and not only for this country. We should make all efforts that we do not fall back into a food deficit country, which was the situation that existed in India prior to the Green Revolution.

Sir, there is a community on the internet called 'Reddit'. I asked people, would they be willing to give suggestions in respect of a discussion going on on farming and agricultural practices? I was surprised that educated young people, both men and women, were forthcoming from their own life experiences regarding agriculture suggesting how many things could be set right with very simple small efforts.

Sir, I will suggest one thing. As you know, different political parties come up with loan waivers to farmers. They come up with free electricity. Then, the Government for years and decades together has been subsidising production of fertilizers and chemicals. Instead of subsidising huge fertiliser plants or waiving off loans or pitying farmers that they are committing suicide because they are so poor, because we always look down on our farmers, is there a method by which we can make farming an attractive proposition or an attractive occupation so that people from cities, those who possess land, will wish to go back to their lands and start farming?

Sir, there are one or two concrete proposals that I would like to give. All subsidies should be stopped to farming. Instead of subsidising the inputs, would the Government be willing to consider that it will take into account the input costs? If a farmer owns a hectare of land, what is his electricity input, what is his fertiliser input, what is the cost he is incurring towards amount of water for which he is paying cess, what is the pesticides input and what is his family's and his labourers' input? You take that and make it a variable component. It should be a State based thing. The Central Government has to mandate the States to work out a figure before every harvest so that you have the basic information on the cost of production of your food grain, whether it is paddy, wheat or anything else. Then, you base your MSP on that cost and double it. Suppose a farmer spends Rs. 500 in a hectare of land as inputs, including his labour cost, your MSP should be such that when his food grains come out, it fetches him Rs. 1,000 for Rs. 500 he has put

in. Once you make farming profitable, people would want to go back to the villages. The Minimum Support Price is one thing.

Sir, the other issue is that we are not training our farmers with new technologies. For example, we are wasting a lot of water. Odisha is a State that has 10 per cent of this subcontinent's fresh water resources flowing through its geographical boundaries. There have been surveys - Sir, your State is deprived of water and we have excess of water – which have found that in one good and healthy monsoon in Odisha, the water that comes down, the rain that comes down and goes into the Bay of Bengal, if that could be stored, that would be sufficient to undertake complete farming activities and meet drinking water needs. We could produce electricity as well as supply fresh sweet water to neighbouring States for one whole decade. It means that if we could preserve the water of one rain, for rest of the nine years, we will have no drought, no shortage of drinking water and no problem at all.

In reality, what we find is that we do not harness the water resources. It just washes away the top soil and the farmer is left at the mercy of mother nature every year, without mercy and without any compensation. This idea of compensation to the farmer, I think, is also a very perverted idea. Once you enable the farmer, once you put money in his pockets, not through your sarcastic programmes like JNNURM or MNGREGS, through his activities, then the farmer is rich enough to avail of medical facilities, education facilities and health facilities also. He can do everything on his own. So, the Government has to work out a policy where the farmer is enabled to make money out of his produce. The question this Government has to ask itself is : Are we willing to do that?

It has thought too much about the big people, about the urbanites, about the people who are living in well to do conditions, but now let us give respect back to the farmer, let us put money back in the pockets of the farmer, let farming be a respectable and well considered profession. Let us give that confidence to our farmers. Thank you.

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे संक्षिप्त में अपनी बात कहनी है, क्योंकि समय का अभाव है। मैं दो दिनों से हो रही चर्चा को सुन रहा हूं, माननीय साथियों ने आंकड़ों के साथ अपनी बात कही है। संस्कृत में एक कहावत है : - 'नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नष्यति।' पेड़ की पत्तों को तोड़ देंगे तो पत्ते फिर आ जायेंगे, टहनियों को काटेंगे तो टहनियां फिर आ जायेंगी, फल-फूल को तोड़ेंगे तो फल-फूल फिर आ जायेंगे, लेकिन अगर उसकी जड़ को काट दिया गया तो पत्ते, फल और फूल, सब समाप्त हो जायेंगे। इसलिए कृषि देश का मूल है। अगर किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया, कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अभी हमारी स्थिति यह है कि कोई आदमी भूखा है, और भूखे आदमी से यहा कहा जाय कि आप रोटी का क्या करेंगे, आप कीमती कपड़े पहन लो, आप सोना ले लो, वह भूखा आदमी सोना, चांदी और कपड़े नहीं मांगेगा, उसको केवल रोटी चाहिए। विश्व में कोई रोटी देने वाला है तो वे किसान हैं।

माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर कहते हैं कि किसानों की हालत दयनीय है। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि सरकार किसानों को सब्सिडी देकर उन पर एहसान नहीं करती है। किसान 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हमें किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जब देश आजाद हुआ, उस समय हमें 30 करोड़ लोगों के लिए अन्न बाहर से मंगाना पड़ता था, परन्तु अब हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है कि हम सबको खाने के लिए अनाज मिल जाता है। वर्तमान में देश में ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है कि देश के युवा और किसान खेती से पीछे हटते जा रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 20 सालों में, हमारे सामने वही परिस्थितियां खड़ी हो जायेंगी, जो 50 साल पहले थीं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किसानों को कौन-कौन सी सुविधायें दें? अभी ओला वृष्टि हुई है। संसार में जितने भी बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, वे सब छत के नीचे होते हैं, लेकिन, केवल किसान एक ऐसा व्यक्ति है, जिसका सामान खुले आकाश में पड़ा रहता है। जितना भी बेकार सामान होता है, जैसे कोई मेटल बेकार हो जाता है, तो उसकी नीलामी होती है। लेकिन किसान इस मामले में दुर्भाग्यशाली है कि उनके ताजे सामान को बाज़ार में नीलाम किया जाता है। मैं किसान का बेटा हूं। मैंने खुद खेती की है। मैं पिछले 40 सालों से किसानों के साथ काम करता रहा हूं। मैंने अनेक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। जे.पी. आंदोलन से लेकर अब तक कम से कम दस आंदोलनों में मैं जेल जा चुका हूं। मेरी हमेशा से यह सोच है कि किसान का भला कैसे हो। हमारे जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, उन्हें हमें सक्रिय करना चाहिए। किसानों को तकनीक के अभाव में दिक्कतें आती हैं। मैं अपने साथियों से अभी इस विषय पर बात कर रहा

था। जैसे चावल की फसल सबसे अधिक पानी मांगती है। दुनिया में सबसे कम पानी हमारे पास है और भारत में अगर अनाज के अंदर किसी की सर्वाधिक खपत है तो वह चावल की है। चावल की फसल पानी में खड़ी रहती है। उसकी कटाई से बीस दिन पहले चावल के पानी को सुखाते हैं। जब चावल की रोपाई होती है, उस समय से लेकर तीन महीने तक चावल के खेतों में पानी रहता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें इस प्रकार के बीज की खोज करनी चाहिए जिससे कम पानी में ही चावल की अधिक पैदावार हो। जैसे जैविक खेती की बात है, इसी तरह से हमें ऐसे बीज का अनुसंधान करना चाहिए जो कम पानी में हो सके।

हमारे सीकर में एक किसान है। उसने एक तकनीक पैदा की है कि एक लीटर पानी के अंदर एक पौधा एक साल तक रह सकता है। उसकी तकनीक के ऊपर हम ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं। बहुत-से स्थानों पर ड्रिप सिंचाई नहीं हो पाती है। हमारी बहुत-सी फसलें इस प्रकार की हैं। गेहूं, चावल में ड्रिप सिंचाई काम नहीं कर सकती है। यह कपास में, उद्यान में काम कर सकती है। हमारा देश ऐसा है कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण चारों तरफ अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मेरा निवेदन है कि किसान के मूल्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं स्वयं गौशाला चलाता हूं, अनाज पैदा करता हूं और दूध भी पैदा करता हूं। मेरी गौशाला का दूध 20 रुपये लिटर बिकता है। उसकी छाछ पार्लियामैंट में लगभग 6 रुपये की एक पाव मिलती है। उस दूध में से छाछ, मक्खन निकालकर यहां 24 रुपये में देते हैं, किसान को केवल 20 रुपये लिटर मिलता है। किसान का टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है। मेरे क्षेत्र में टमाटर पैदा होता है। फसल के समय किसान उसे फेंकता है। उसकी सॉस की बोतल शायद 70-80 रुपये में मिलती होगी। इसी तरह आलू 2 रुपये में बिकता है, लेकिन आलू के चिप्स 200 रुपये किलो बिकते हैं। 2 रुपये की चीज को थोड़ा प्रोसैस करके, उसकी पैकेजिंग करके मार्किट में 200 रुपये में बेचा जाता है। उधर किसान लुट रहा है, इधर उपभोक्ता लुट रहा है। किसान का सामान बाजार में बिकता है तो हम उस पर नियंत्रण रखते हैं कि महंगाई न बढ़ जाए। 1976 में सीमेंट का भाव 9 रुपये थैला था अर्थात् 18 रुपये क्विंटल था। गेहूं 100 रुपये क्विंटल था। गेहूं का भाव समर्थन मूल्य देने के बाद केवल 14 गुना बढ़ा है, लेकिन सीमेंट का भाव 20 गुना बढ़ गया। किसान को जो चीज लेनी पड़ती है, उसे भी नियंत्रित करना पड़ेगा। किसान के मूल्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का समन्वय होगा तब उपभोक्ता को लाभ होगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी एक अभियान प्रारंभ किया। हमारे कई भाई निवेदन कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हुड्डा जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस ने यह किया। यहां शायद 1977 से पहले के सदस्य बैठे होंगे। 1947 से 1977 तक पंचायत को एक साल में 28 रुपये मिलते थे। पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन जनता पार्टी शासन में हुआ। 30 साल तक कांग्रेस ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन नहीं

कर पाई। किसान आज भी गांव में रहता है। हमने किसान को पीछे छोड़ा है। किसान के लिए हमें भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे किसानों के लिए परिस्थति खड़ी होती है कि वे भंडारण कहां करें। इसलिए किसान की सोसाइटी बनाकर जमीन देनी चाहिए ताकि वह मिलकर अपना गोदाम बना सकें। एक किसान के पास एक एकड़ जमीन है। उस एक एकड़ जमीन में वह गोदाम कहां बनाएगा। आज छोटे किसान बहुत हैं। किसान विकास केन्द्र बनाए जाएं, गोदामों की व्यवस्था की जाए, उसका मूल्य तय किया जाए। आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में हमारे देश की संसद में कोयला, खनिज एवं खादान और भूमि अधिग्रहण से संबंधित तमाम कानूनों पर चर्चा हुई। इन तमाम चर्चाओं के दौरान किसान के नाम का प्रयोग एक टोकन रैफरैंस के रूप में बार-बार हुआ, क्योंकि इन तमाम कानूनों का सीधा संबंध किसानों और मजदूरों से है। वर्षों से ऐसे तमाम संबंधित कानूनों की चर्चा के दौरान किसानों के नाम का प्रयोग टोकन रैफरैंस के रूप में होता आ रहा है। फिर भी हमारे देश के किसानों की समस्याएं जस की तस हैं।

मैं सीएसडीएस के सर्वे का उल्लेख करना चाहूंगी जो किसान संगठनों की ओर से 18 राज्यों से सैम्पल लेकर किया गया। हालांकि देश की आबादी को देखते हुए सैम्पल का आकार छोटा है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं, वे आश्चर्य चकित करते हैं और किसानों की वस्तु स्थिति से भी हमें अवगत कराते हैं। मैं उन आंकड़ों को इस सदन के सामने रखना चाहूंगी। देश के अंदर 76 प्रतिशत किसान खेती से इतर किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लागत मूल्य की भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य सत्पथी जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि खेती के प्रति आकर्षण धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उस आकर्षण को हम पुन: कैसे पैदा करें, इसकी नीति बनाने की जरूरत है। 61 प्रतिशत किसान शहरों में बसना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाए हैं। 70 प्रतिशत किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में नहीं जानता है, 27 प्रतिशत किसान भूमि अधिग्रहण कानून से अनभिज्ञ है, 83 प्रतिशत किसान एफडीआई के बारे में क्लूलेस है, 70 प्रतिशत किसान ने कभी भी किसान कॉल सेंटर से संपर्क नहीं किया, 50 प्रतिशत किसानों का मानना है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं किसानों के लिए बनती हैं लेकिन किसानों तक पहुंचते-पहुंचते पूरे तरीके से वह ध्वस्त हो जाती है। तमाम योजनाएं ऊपर बैठे हुए थिंक टैंक बनाते हैं, लेकिन जब इम्पलिमेन्टेशन की बात आती हैं, जब किसानों के लिए योजनाएं बनती हैं तो उसमें पंचायतों की राय या सुझाव नहीं लिए जाते हैं इसलिए किसानों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होती। योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सारी कमियां आती हैं। हम गंडक नदी परियोजना, सोन नहर परियोजना और बाण बाढ़ सागर परियोजना को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिनमें भंयकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों के लिए ये सारी योजनाएं बनी लेकिन इनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। हाल ही में देश में भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। रबी की फसल पूरी तरह से तहस नहस हो गई। मेरे क्षेत्र मिर्जापुर में चना, मटर, सरसों, अलसी और गेहू सब कुछ तहस-नहस हो गया। हमारे देश के अंदर दैवीय आपदा के कारण फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने मुआवजा नीति बनाई

है लेकिन हकीकत यह है कि इस मुआवजा नीति के बेनिफिट्स किसानों तक नहीं पहुंचता। ऐसे तमाम राज्यों में जाकर देखें जहां ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है। वहां राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारी जब मुआयना करने जाते हैं तो जितना नुकसान हुआ है, उससे काफी कम नुकसान दिखाकर वह किसानों को मुआवजे के नाम पर, उनके साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। मुझे अखबारों से यह जानकर खुशी हुई कि हमारे माननीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री प्रभावित राज्यों का स्वयं भ्रमण करने जा रहे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि जो आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा भेजी जाती है वह किसानों तक कैसे पहुंचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि उसमें पंचायतों के सुझावों को जरूर शामिल किया जाए।

आज देश की एग्रेरियन स्थिति पर इस संसद में चर्चा हो रही है। तमाम सदस्य अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जब स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जिसने देश के किसानों की स्थिति पर अपनी सिफारिशें बना कर दीं लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगर हम वाकई में देश के किसान की स्थिति बदलना चाहते हैं तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर शीघ्र विचार करे।

[*]श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): इस सदन में जिन विषयों पर चर्चा होती हे, उसमें कृषि व किसान पर अक्सर विभिन्न नियमों, प्रश्नों, भाषण के माध्यम से लगातार कृषि व किसान की स्थिति पर चर्चा होती है, परन्तु वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं।

मेरा ऐसा मानना है कि किसान की स्थिति ठीक करने के लिए तथा किसान खुशहाल हो, उसके लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है। किसान की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना, इसके लिए किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना तथा कृषि लागत कम करना, इससे किसान की जेब में पैसा आयेगा, जिससे वह अपनी व अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य को सुरक्षित रख सकेगा।

किसानों को बाढ़ व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हुए नुकसान का मुआवजा फसलों की औसत उपज निकालकर बाजार भाव से दिया जाये तथा उस वर्ष में कृषि ऋण को माफ किया जाये। यदि पूरा ऋण माफ करना संभव न हो तो कम से कम ब्याज माफ किया जाये तथा उस वर्ष विशेष में कृषि ऋणों की वसूली न की जाये।

कृषि फसलों के नुकसान का अनुमान सर्वे करके एक माह में करने तथा संबंधित जिले के जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाये।

कृषि बीमा का निपटान अन्य क्षेत्रों की तरह व्यावसायिक तरीके से किया जाये।

कृषि लागत कम करने के लिए मृदा परीक्षण, उर्वरक उपलब्ध कराना, बीज आदि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, जिससे लागत भी कम होगी व फसल भी अच्छी होगी, जिसका लाभ किसान को मिलेगा।

पारंपरिक खेती के साथ नकदी, फसल व अन्य रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संभव लघु उद्योगों को शुरू करने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाये, जिससे कृषकों की आय बढ़ेगी तथा कृषि उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, संचार माध्यम विकसित किये जायें, जिससे किसानों का जीवन भी सुखमय होगा तथा सुविधायें प्राप्त होने से जीवन स्तर ऊपर उठने के साथ ही गांव में अच्छी शिक्षा प्रापत होने से किसानों के बच्चे भी आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान दे सकेंगे तथा समाज की मुख्यधारा में आ सकेंगे।

---

[*] Speech was laid on the Table.

ग्रामीण क्षेत्रों की कानून व्यवस्था ठीक की जाये, जिससे किसानों की सम्पत्ति व सम्मान सुरक्षित रह सके।

कृषि ऋण उपलबध कराने के तरीके सरल किये जायें। किसानों को अपनी उपज रखने के लिए मण्डी समिति में गोदाम उपलब्ध कराये जायें तथा यदि किसान को सुविधा उपलब्ध करायी जाये कि वह उक्त गोदामों में अनाज रखकर बाजार भाव का 75 प्रतिशत धन मण्डी समिति से बिना ब्याज के ले सके, जिसके लिए विशेष फंड बनाया जाये। कृषि कार्य में प्रयुक्त डीजल व उर्वरक पर सब्सिडी दी जाये व सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाये।

प्राथमिक सहकारी समितियों में सीमान्त कृषकों को विशेष सुविधा दी जाये।

उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति इस समय की मौजूदा सरकार के कारण बेहद खराब है। धान/गेंहू का मूल्य सरकारी दाम से बहुत कम मिल रहा है। गन्ना सप्लाई के बावजूद पेमेंट नहीं मिल रहा। बाढ़ व प्राकृतिक आपदा का शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा मिलने में वहां वर्षों लग जाते हैं। कानून व्यवस्था अत्यंत खराब है। अतः उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेष पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाये, जिससे बाढ़/प्राकृतिक आपदा से निपटने के साथ कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ अन्य रोजगार भी किसानों को उपलब्ध हो सके।

भूमि अधिग्रण विधेयक में संशोधन करके किसानों की स्थिति ठीक करने का गम्भीर प्रयास किया गया, जिसका विरोध राजनैतिक कारणों के चलते किया जा रहा है। मैं भूमि अधिग्रहण बिल का समर्थन करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यह बिल किसानों की भूमि अधिग्रहण करते समय जो कठिनाइयां आती हैं तथा किसानों के पुनर्वास व रोजगार संबधी व्यवस्थाएं हों एवं किसानों व देश के लोगों में इस बिल को लेकर जो शंकाएं हैं, उनको दूर किया जा सके। इस कारण लाया गया है।

वास्तव में जनवरी 2014 में जबसे यह बिल लागू हुआ, कुछ बदलावों की मांग की जा रही है, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों व प्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखकर व इस विभाग के पूर्व मंत्री के साथ बैठक में भी इस कानून में बदलाव की मांग की गयी थी उसी को लेकर विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए यह बिल लायी है।

मेरा ऐसा मानना है कि दो तीन मसलों जैसे किसानों की सहमति न होने, अदालत में नहीं जा सकते, समय (योजनाओं को पूरा करने) तथा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थान ऐसे कई कारण बताकर पूरे देश में ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, जैसे मौजूदा सरकार किसान विरोधी है, वह सारी कृषि भूमि का अधिग्रहण करके उद्योगपतियों को देने जा रही है। यह उनका केवल राजनैतिक विरोध है, तथा उनको भी पता है कि यह बिल पास करना देश के विकास हेतु बहुत आवश्यक है।

हमारी सरकार न तो सारी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है, न किसी निजी उद्योग को कृषि भूमि देने जा रही हे, न किसानों के विरूद्ध कोई नीति बनायेगी। हमारी सरकार किसान, गरीब व मजदूर के हित के विरूद्ध कभी कोई काम नहीं कर सकती। उसको सिद्ध करने के लिए मौजूदा बिल में संशोधन लाये गये हैं, व जिन मुद्दों को लेकर विरोधी दल शोर मचा रहे हैं, उसको लेकर उनकी या तो जानकारी इस संबंध में कम है या वह जानूबूझकर विकास को अवरूद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि इस बिल में प्राईवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थानों व सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को परिभाषित करके पूर्व के अधिनियम में जो प्राईवेट संस्थानों को पुनर्वास की जिम्मेदारी में छूट मिलने वाली थी उसको समाप्त कर दिया गया है तथा पूर्व में जेसे यह कहा गया था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकते तथा सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, असत्य है। सभी को माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार ही नहीं अपितु सभी अधिकारी व कर्मचारी जो दोषी हैं, के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय में लंबित रहने के कारण जो देरी होती है, के अलावा योजनागत देरी में कोई छूट नहीं दी जा रही है। ऐसे सभी लोगों को जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जाती है, को सरकार रोजगार सुनिश्चित उपलब्ध करायेगी ऐसी व्यवस्था है।

कहने का तात्पर्य यह है कि मौजूदा बिल किसानों के हित में व देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला है। इस बिल में स्पष्ट है कि केवल सरकारी योजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजलीघर, सड़क, रेल लाइन, रक्षा जरूरतों आदि के लिए ही भूमि अधिग्रहीत की जायेगी तथा वह भूमि भी सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी तथा किसानों को उसकी अधिग्रहीत भूमि व चाहे जिस काम के लिए सरकार ले, मौजूदा बाजार भाव का चारगुना मुआवजा किसाना को दिया जायेगा, जबकि पहले कुछ कार्यों हेतु अधिग्रहीत कृषि भूमि का मुआवजा चार गुना नहीं देना था, परंतु हमारी सरकार ने यह छूट समाप्त कर दी है।

इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने जो वादे किये थे उनके प्रति प्रतिबद्ध है, उसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए देश के किसानों, गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए पूरे देश का विकास करने तथा देश में बुनियादी ढांचा खड़ा करने व किसानों, मजदूरों कापुनर्वास करने के साथ-साथ ऐसे कामों में आने वाली कठिनाईयां दूर करने के लिए यह बिल हमारी सरकार लायी है तथा मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको हमारे क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए चुना है।

अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस विकासोन्मुखी व देश को आगे बढ़ाने वाले बिल का समर्थन करें और किसानों को आगे बढ़ने में मदद करें।

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : महोदय, एग्रेरियन इश्यू भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है। मैं यहां एक बिन्दु रखना चाहता हूं, आजादी के बाद भारत में भूमिहीनों की संख्या लगभग 22 परसेंट थी वह अब 56 परसेंट हो गई है, यह एग्रेरियन सिच्यूएशन के लिए अनोखा परिवर्तन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी जिसके पास जमीन नहीं है और जमीन पर आश्रित हैं, मजदूरी की दरों में कमी होती जा रही है, उनका शोषण हो रहा है, वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अर्बनाइजेशन में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। वह इसी समस्या से उत्पन्न हुई है। भारत सरकार ने तय किया है कि युवाओं का स्कील डेवलप किया जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाए तभी हम लोकतंत्र को मजबूर कर सकेंगे अन्यथा यदि इस युवा पीढ़ी को रोजगार का अवसर नहीं मिला तो देश दिशाहीन हो जाएगा, देश को कमजोर कर देगा, इसलिए समय रहते शिक्षा और स्कील डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना दिया जाए। भूमिहीन किसानों और मजदूरों के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल सही होगी, तभी भारत मजबूत होगा। धन्यवाद।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कर्मयोगी के ऊपर जो चिंतन हो रहा है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वह कर्मयोगी ऐसा है, जो कर्म करता है, लेकिन उत्पादन होगा या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। उत्पादन की लागत तय करना भी उसके हाथ में नहीं है। उसे भी दूसरे लोग बाजार में तय करते हैं। इसलिए ऐसे किसान के बारे में आपने चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। I will concentrate only on 3 points. The First one is, how can we increase the productivity and production? दूसरा, उत्पादन लागत पर बात करना चाहूंगा और तीसरा, डिजास्टर मैनेजमैंट पर बात करना चाहूंगा। ये तीन बिन्दू हैं, जिन पर I will concentrate.

पहला प्वाइंट प्रोडेक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि देश में उत्पादन नहीं बढ़ा। भारत में चावल का उत्पादन पर हैक्टेयर वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 2011 में दोगुना हो गया। व्हीट में दोगुना हो गया और प्लसेज में तीन गुणा हो गया। लेकिन यदि हम दुनिया की ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन कम है। यहां पर माननीय कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कुछ प्वाइंट्स पर विशेष ध्यान दिया जाये। How can we increase our production और प्रोडेक्टिविटी कैसे बढ़ायी जाये? इसमें पहला है कि 35 per cent of land is under insured irrigation. It should be increased now. अब समय आ गया है कि हमें इरीगेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नदियों को आपस में जोड़ना, ड्रीप इरीगेशन, वन ड्राप मोर क्राप, हर खेत को पानी और हर हाथ को हुनूर। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बजट में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाने का प्रावधान किया गया है, उससे निश्चित रूप से हमारी सरकार किसानों के इरीगेशन पर पूरा ध्यान दे रही है। मेरा लोक सभा क्षेत्र अर्ध मरुस्थली क्षेत्र में बसा हुआ है। उसमें वर्ष 2004-05 से ट्यूबवैल्स खुदे हुए हैं। उन्हें वर्ष 2004 से डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। हमारा कहना है कि डार्क जोन को समाप्त किया जाये, क्योंकि when there are tube-wells, the irrigation is already there. इस पर तवज्जो दी जाये। हर खेत में तराई के लिए इसे मनरेगा से जोड़ा जाये। Even those who have slightly more land-holding than the marginal farmers. सीमांत काश्तकारों से, मार्जिनल फार्मर्स से ज्यादा भी है, तो उन्हें इसमें इनक्लूड किया जाये और तालाबों का निर्माण किया जाये।

दूसरा मेन प्वाइंट यह है कि कास्ट प्रोडक्शन कैसे कम की जाये। इसके लिए आपको सब्सिडाइज्ड खाद देनी चाहिए। कल मेरे एक विद्वान साथी सत्यपाल सिंह जी बता रहे थे कि जो रिपोर्ट आ रही है, उसके आधार पर यूरिया पर आपकी जो 50 परसेंट सब्सिडी जा रही है, that is going into the hands

of the private people, not to the farmers. So, kindly look into it. इसी प्रकार से कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जिन पर सब्सिडी कम कर दी गयी है। जैसे स्प्रिंकलर्स हैं, पम्पसैट्स हैं। इनके ऊपर सब्सिडी 90 परसेंट तक मिल रही थी, लेकिन पिछले दो साल में यह सैंट्रल सब्सिडी 30 परसेंट तक आ गयी है। इसे वापिस किया जाये और सब्सिडी ज्यादा दी जाये। फर्टिलाइजर्स में it should be direct benefit to the transferee, not to the factories or not to the middlemen. It should go directly to the farmers. किसानों के पास भेजी जाये। सब्सिडी का जो पैसा है, वह उन्हें मिले और उनके खातों में ट्रांसफर हो। जन-धन योजना के तहत जो खाते खुले हैं, इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनीफिट टू दी ट्रांसफर ही किया जाये।

तीसरा प्वाइंट डिजास्टर मैनेजमैंट है। इसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमैंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि फार्मर्स टोटली राम और राज के ही भरोसे हैं। ऊपर वाला राम, यानी प्रकृति और राज, यानी स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट। पूरे देश में स्पेशली एम.पी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यू.पी., बिहार आदि सब जगह ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में आपको दो-तीन काम करने पड़ेंगे। Since the Minister of Agriculture is one of the Members of that Committee. माननीय होम मिनिस्टर उनकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें अभी जो रूल्स हैं, they have to change these rules totally. उन रूल्स को सौ प्रतिशत चेंज करना चाहिए। आपने बहुत पुराना आंकलन कर रखा है। आज की तारीख में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हैक्टेयर ज्यादा आ रहा है, उसमें आप कुछ तो काश्तकार को दो। एक ऊंट के मुंह में जीरा जितना दे देते हैं। थोड़ा एनाउंस करके that also does not reach the eligible farmers. इसलिए मेरा अर्ज है कि एनडीआरएफ का पैसा है, उसके रूल्स में संशोधन किया जाये औरप काश्तकार को ढंग से पैसा दिया जाये।

दूसरा, जो डिजास्टर मैनेजमैंट है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समय तुरंत एक्शन लिया । राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने रिलीफ भी घोषित कर दिया और आपने सैंटर से टीम भी भेज दी। हम माननीय कृषि मंत्री जी से मिले, वह इस विषय पर चिंतित हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि चिंता वोटों के लिए जता रहे हैं तो यह सही नहीं है। यदि वास्तव में सरकार को काश्तकार की चिंता है, यदि वास्तव में किसान को अन्नदाता मानते हैं तो अन्नदाता की तरह ही रिगाड्र्स दें तब जाकर देश का भला होगा। धन्यवाद।

***श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत):** दिसम्बर 2014 तथा जनवरी, फरवरी और मार्च 2015 में लगातार बहुत अधिक वर्षा, तेज हवाएं तथा ओलावृष्टि के कारण गेहूं, सरसों के साथ अन्य सब्जी की फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर आदि को भारी नुकसान हुआ है। पहले ही किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज के समय में किसान के पास छोटी-छोटी जोत हैं। किसान को खाद, डीजल, कीटनाशक दवाईयां बड़े मंहगे भाव पर बाजार से खरीदनी पड़ती है जिससे खेती की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। बहुत से किसान तो जमीन को 30-35 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक वर्ष के लिए किराए पर लेते हैं। ऐसी स्थिति में किसान के लिए प्राकृतिक आपदा उनके पूरे परिवार के लिए भयानक स्थिति पैदा कर देती है।

जिन किसानों के खेत यमुना नदी के किनारे पर हैं वहां पर उनके खेत ऊंचे-नीचे होने के कारण उनकी पैदावार लागत बढ़ जाती है। इस पर उनका खर्चा बहुत अधिक हो जाता है।

पहले कहावत थी कि ''उत्तम खेती, मध्यम व्यापार'' लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हैं। आज तो खेती घाटे का सौदा बन गयी है। यदि किसान की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में हो सकता है कि किसान नुकसान के कारण खेती करना छोड़ दे। इसके पीछे उसकी पूरी मेहनत के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलना है। यदि वास्तव में देखा जाए तो किसान आज के दिन एक मजदूर बन गया है। वह इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी प्राकृतिक आपदा का शिकार होने पर अपने को ठगा हुआ महसूस करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे प्रदेश के किसान अधिक मात्रा में गेहूं और चावल की खेती करते हुए देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए इनको फसल उत्पादन पर कीमत पर अधिक बोनस देने का प्रावधान किया जाए। जिससे किसान की आय में बढ़ोत्तरी हो सके।

माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। जिसके कारण किसानों को अपनी फसल के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराया जा सके। अब माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। जिससे किसानों को समय पर नहरी पानी उपलब्ध होने पर उत्पादन लागत कम हो सकेगी। यदि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता है तो यह योजना किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होगी।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसान को प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर और दयनीय स्थिति को देखते हुए कम से कम 20,000 (बीस हजार रूपया) प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाने का कष्ट करें ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

---

* Speech was laid on the Table.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले दो दिन से कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने पिछले दो दिन लगातार सभी वक्ताओं की बात सुनी है, लगभग सभी की इनपुट्स को सुना है। कृषि महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर अन्नदाता की बदहाली, दुर्दशा का जिस तरह से चित्रण प्रकट किया गया, यह चिंताजनक है। यदि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि लगातार स्थिति गिर रही है। इसके कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सदन में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सदन देश के भविष्य की चिंता करने के लिए उत्तरदायी है। सदन का उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि इस बात की चिंता करे कि भविष्य में, 20-25 साल बाद देश की कृषि की स्थिति कहां जाएगी। इस बात की चिंता करते हुए योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे देश के कृषकों और कृषि की स्थिति सुधर सके।

वर्तमान में देश की कृषि की दुर्दशा के कारणों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि पहला कारण है कि देश के किसान की खेती योग्य जमीन की जोत लगातार जनसंख्या के दबाव की वजह से घटती जा रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह दबाव लगातार बढ़ता जाने वाला है। आज से तीस साल पहले किसान के पास प्रति व्यक्ति जमीन का एक तिहाई हिस्सा वर्तमान में रह गया है, केवल .6 हैक्टेयर जमीन एक किसान के पास प्रति युनिट बची है। जनसंख्या का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाली पीढ़ी की 25 साल बाद स्थिति बदतर हो जाएगी और आज की तुलना में एक किसान के पास एक-तिहाई जमीन रहने वाली है। इस स्थिति से उबरने के लिए आवश्यक है कि आज से ही चिंतन आरंभ कर दिया जाए। कृषि क्षेत्र के सामने जो चैलेंजिस हैं, सदन में इनके बारे में बात हुई है। दुनिया में जिन देशों की इकोनामी एग्रीकल्चर पर आधारित है, अगर ऐसे देशों से भारत की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि हमारे देश में कृषि में मैकेनाइजेशन सबसे कम है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। मैकेनाइजेशन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जोत की सीमितता है। कृषि क्षेत्र में बदहाली का कारण यह है कि यहां इरीगेशन नहीं है, इरीगेशन की सुविधाएं नहीं हैं।

महोदय, हम सबने जो चिंता की है, वह जायज है। अभी माननीय सदस्य डार्क जोन का उल्लेख कर रहे थे और वह उस क्षेत्र को डार्क जोन से बाहर निकालने की बात कह रहे थे। मेरा इस पर सोचने का तरीका अलग है। देश में भूजल पर दबाव बढ़ रहा है और इस कारण डार्क जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भूजल पर दबाव बढ़ रहा है, अगर हमने इसकी चिंता नहीं की तो आगे आने वाली स्थिति और भी भयावह होने वाली है। इजरायल हमारे देश की तरह भौगोलिक परिस्थित जैसा देश है। यहां बरसात

की मात्रा हमारे देश में होने वाली बरसात से कुछ कम है। जमीन का पानी राष्ट्रीय संपदा है। मैंने इजरायल में व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वहां हर एक कुएं पर पानी का मीटर लगा हुआ है। एक आदमी जितना पानी विड्रा करता है, उसके लिए कम्पलसरी है कि वह उतना ही पानी रिचार्ज करने के लिए अपने खेत में व्यवस्था करे। इस तरह की व्यवस्था यदि हमने आने वाले समय में नहीं की तो हमारे यहां का भू जल लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विश्व का जो पीने योग्य और कृषि योग्य पानी है, उस पानी का केवल चार प्रतिशत हमारे पास है। दूसरी सिंचाई का साधन नहरें हैं और जिस तरह से नहरें डिस्ट्रैस्ड हैं, जिस तरह से अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इस भारत की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र तरीका है कि जो माननीय प्रधान मंत्री जी की योजना है कि रिवर्स का लिंकेज किया जाए क्योंकि देश के एक तिहाई हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। देश के एक तिहाई हिस्से में, जहां से मैं आता हूं, 50 साल में से 42 साल अकाल पड़ा है। इस स्थिति से उबारने के लिए दोनों तरह की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम शीघ्र इन नदियों को जोड़ें। ये नदियां अगर जुड़ती हैं तो भूजल के स्तर पर भी काबू पाया जा सकता है। चौथी समस्या जो किसान के सामने खड़ी है, वह समस्या यह है कि नयी तकनीकियों का हस्तांतरण नीचे के स्तर पर नहीं हो रहा है। लैब में तकनीकियां विकसित की जा रही होंगी क्योंकि अनेक कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां अनेक तरह की शायद रिसर्च भी हो रही होगी, लेकिन लैब की रिसर्च नीचे स्तर पर नहीं आ रही होगी तो इसी के लिए प्रधान मंत्री जी ने पहल की है। उन्होंने जो बात कही है कि हमारी जमीन का परीक्षण होना चाहिए, वह इस देश के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है।

देश का एवरेज रेनफॉल 950 मिलीमीटर है। जिस क्षेत्र के किसानों की जो बात होती है, उन सारे क्षेत्रों का एवरेज यू.पी. और झारखंड का 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां केवल 346 मिलीमीटर बरसात होती है। जब 25 प्रतिशत बरसात कम होती है तो वहां पर सूखा घोषित किया जाता है। 50 प्रतिशत डैफिसिट होता है तो भयंकर अकाल माना जाता है और जब पचास प्रतिशत डैफिसिट होता है तो देश के उन हिस्सों में जहां एवरेज रेनफॉल 1000 मिलीमीटर है, वहां पर 500 और 400 एम.एम. बरसात होती है। केवल वहां पर क्रॉपिंग पैटर्न बदलने की जरूरत है। यदि पचास प्रतिशत बरसात हो रही है और वहां का किसान गन्ने और चावल की जगह यदि मक्का और गेहूं उगाता है तो उसका सरवाइवल हो सकता है लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां यदि पचास प्रतिशत रेनफॉल डैफिसिट होता है तो वहां पर पीने का पानी महिलाओं को दस दस किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। इस वर्ष हमारी दुर्दशा सबसे भयंकर है।

एक तिहाई जो हिस्सा है, जो 15 नं. नेशनल हाईवे के परे जोधपुर-बाड़मेर-जैसलमेर का जो हिस्सा है, वहां केवल तीन एम.एम बरसात हुई है। हमारी बेटियों की तरह गायें मर रही हैं और एन.डी.आर.एफ के

नियमों में संशोधन की बात मैं पिछले एक महीने से, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, तब से कर रहा हूं। लेकिन किसान के क्षेत्र में जब ओले पड़े हैं तब वापस सारा सदन एक राय होकर इसकी बात कर रहा है।

मेरा क्षेत्र पशुपालन पर आधारित है और यह क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए विषय हैं। हम पशु और गायों का संरक्षण किये बिना इस देश में खेती की कल्पना नहीं कर सकते। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कल से पूरा सदन किसानों की पीड़ा को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने प्रदेश के बारे में बातें उठा रहे हैं। लगभग सभी बातें किसी न किसी माध्यम से आई हैं, हम उनसे अलग कुछ सुझाव माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहते हैं, किसानों की उपज बढ़े, इसके लिए पूर्व सरकारों ने एन.जी.ओ. का सहारा लिया, कंपनियों का सहारा लिया। हमारा कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से सुझाव है कि एन.जी.ओ. और इन कंपनियों को समाप्त करके जो एम.एस.सी. ए.जी. तथा बी.एस.सी. (ए.जी.) के बच्चों को स्टाइपण्ड देकर और पी.एच.डी. पढ़े हुए लड़के हैं, इन सबको पढ़ाई के बाद एक साल के लिए एक-एक ब्लॉक में लगाकर उनसे किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करना चाहिए जिससे वह नौजवान जो पढ़कर निकलता है, वह जमीनी हकीकत को जान सके और किसानों को भी उसकी उपज में बढ़ोतरी कैसे हो, यह बताने का काम कर सकें। उसी के साथ-साथ अगर हम वास्तव में इस देश को किसान प्रधान देश मानते हैं, इस देश में किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार जो दुनिया भर की उपाधियाँ देती हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, वैसे ही कृषि उत्पादकों को भी सम्मान देने का काम करना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़ सके, उनका मनोबल बढ़ सके।

मान्यवर, प्रकृति ने हमें गांव-गांव और शहरों में झील, तालाब और पोखर दिया है। शहर के सभी झीलों, तालाबों और पोखरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। गांव में भी लोग निरंतर झीलों और तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि जिन गांवों में झीलों, तालाबों और पोखरों पर कब्जा हुआ है, वहाँ से अतिक्रमण हटाकर और आज तक सैंकड़ों सालों से उनकी तलहटी की सफाई का काम नहीं हुआ है, जिससे उसके माध्यम से रिचार्ज होता है, उससे जलस्तर मेनटेन रखा जा सकता है, वह नहीं हुआ है। इसलिए मनरेगा के माध्यम से इसे किया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र में लगभग 25-30 झीलें हैं, जो दो-दो किलोमीटर लम्बी हैं। यदि उनकी तलहटी की सफाई हो जाए, उनके बंद छिद्र खुल जाएं तो इस प्रकार से जलस्तर को मेनटेन किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरे देश में यह काम मनरेगा के माध्यम से करना चाहिए। किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे सदन को पीड़ा है।

हम तो अयोध्या के सेवक हैं। प्रभु श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को लात मारकर पूरी दुनिया को एक श्रेष्ठ राज्य देने की कल्पना की। वे गद्दी पर बैठने से पहले 14 वर्षों तक जंगलों में घूमे, गरीबों के बीच में उनकी समस्याओं को खुद देखा और खुद महसूस किया है, उनके जैसा जीवन बिताया, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा सदन जिनकी ज्यादा आयु है

और जो रोगी हैं, उनको छोड़कर एक सप्ताह के लिए गांवों में जाने का काम करें और वहाँ से सीधे उनकी पीड़ा को देखकर और महसूस करके आएं, तब इस सदन में चर्चा करें, तो हमें लगता है कि जो योजना बनेगी, वह श्रेष्ठ योजना बनेगी और उस आधार पर काम होगा। तभी हम जिस प्रकार से इस देश के किसानों की भलाई करना चाहते हैं, वह कर सकेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद):** मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि देश ऋषियों और कृषियों का रहा है हमारे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्य तक ऋषि और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय माता या गाय माता का दूध सर्वप्रथम पिलाया जाता है नामकरण, शिक्षा दीक्षा, विवाह और मृत्यु तक ऋषि व कृषि के बिना संपन्न नहीं होते हैं हमने गौ से गोवर्धन तक मां से धरती माता तक, कुंओं से लेकर नदियों तक, वट वृक्ष से लेकर पीपल, बेल, केला, तुलसी आदि के वृक्षों की पूजा की है। चीटियों से लेकर मछलियों तक को आटा खिलाया तथा पक्षियों से लेकर नाग तक की पूजा की है। ऋषियों, मुनियों की भी पूजा की है शास्त्र से लेकर शस्त्र की भी पूजा की है इससे लगता है सतयुग से लेकर कलयुग तक यह देश ऋषियों व कृषियों का रहा है।

एक अन्नदाता ही सबका भरण पोषण करता है सबकी भूख शांत करने वाला आज फटेहाल है अच्छे अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे मसाले, घी, दूध आदि पैदा करता है सबको पहले खिलाता है और बाद में स्वंय खाता है अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरे साफ देखी जा सकती है?

जब देश आज़ाद हुआ था उस समय विकास दर में कृषि की विकास दर 56 प्रतिशत हुआ करती थी लेकिन महोदय आज कृषि विकास दर 56 प्रतिशत से घटकर मात्र 12 प्रतिशत पर आ गई है तीन करोड़ 20 लाख किसान गांव से पलायन करके शहरों, महानगरों में बसने पर मजबूर हो गए हैं तथा तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था तब देश की आबादी तीस करोड़ थी लेकिन खाने के लिए गेहूं विदेशों से आयात करना पड़ता था लेकिन देश का किसान खुशहाल (मालामाल) था। गांव का किसान नौकरी चाकरी करने शहर नहीं जाता था, किसान अपने बेटों को नौकरी पर भी नहीं भेजता था।

हमारे सामने बैठे सीनियर संसद सदस्य आकड़ों का गणित बता रहे थे, कि अड़सठ वर्षों में मैंने यह किया, वो किया। आपने यदि अच्छा किया होता, तो आज तीन लाख किसान आत्महत्या नहीं कर चुके होते। आज किसान शहरों में नौकरी/मजदूरी को मजबूर नहीं होता। किसान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया एक दाना गेहूं खेत में बोता है उसके बदले 80-120 दाने भगवान उसे तीन से चार महीने में दे देता है फिर भी अन्नदाता आज फटेहाल जिंदगी जीने को मजबूर है।

विश्व में अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जिसमें एक किलो कच्चा माल डाला और उसके बदले 1 किलो माल तैयार करके दे सके? फिर भी सभापति महोदय फैक्ट्री वाला मालिक अमीर हो रहा है और किसान एक दाने से 80-120 दाने तीन महीने में तैयार करके भुखमरी की कगार पर है।

* Speech was laid on the Table.

कल से बड़ी चर्चा हो रही है 60,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया गया। माननीय सांसद धर्मेन्द्र यादव भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के किसानों का 16000 करोड़ का ऋण हमने माफ किया , भूमि विकास बैंक का नाम उत्तर प्रदेश में भूमि विनाश बैंक होना चाहिए (जिसमें लाखों किसानों ने अपनी जमीन गवां दी)। भूमि विकास बैंक में काम करने वाले अधिकारियों/कम्रचारियों की जांच होनी चाहिए 90 प्रतिशत एक पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारी अधिकारी है। भूमि विकास बैंक में जो भी खातेदार है वो भी 90 प्रतिशत एक ही पार्टी के कार्यकर्ता है या कर्मचारियों के परिजन या रिश्तेदार के खाते हैं आम किसान उत्तर प्रदेश की भूमि विकास बैंक से एक किलोमीटर दूर से निकलता है।

उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक ऋण ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक आदि बैंकों से अपनी सुविधानुसार ऋण लेता है लेकिन इन बैंकों से ऋण लेने वाले किसान का एक पैसा भी ऋण माफ नहीं हुआ है। उ0प्र0 सरकार बताये क्यों? उत्तर प्रदेश का किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है किसानों की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं किसान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन रहे हैं खाद,बीज और बिजली से परेशान है।

कार्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि इससे देश के किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभ होने वाला है क्योंकि टैक्स कम होने से देशी विदेशी उद्योगपति अपना धन नए उद्योगों की स्थापना में लगाएंगे जिसमें देश के कच्चे माल की खपत होगी तथा गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा एवं उपभोक्ताओं को स्वदेशी उत्पाद भी मिलेंगे। इससे देश के किसानों को काफी लाभ होगा।

अड़सठ वर्षों में कृषि उपज पर तो ध्यान हमारी सरकारों व वैज्ञानिकों ने दिया है लेकिन कृषि उत्पाद के वाजिब मूल्य के लिए न तो वैज्ञानिकों ने चिंता की और न ही सरकारों ने चिंता की जिससे आज अन्नदाता फटेहाल है।

माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेत की सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारम्भ की, किसान के उत्पाद के वाजिब मूल्य की चिंता कर रही है उसमें मार्केटिंग की व्यवस्था कर रही है।

मैं अपने वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करूंगा जो फाइव स्टार होटलों में एक कप चाय 350-450 रूपए की पीते हैं कि यदि किसान के उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां, फल कुछ महंगे हो जाए, तो सड़कों पर सदन तक हो हल्ला करते हैं जबकि हो हल्ला नहीं करना चाहिए।

मेरा माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे सदन में चर्चा के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास करना चाहिए जिससे किसानों का चौमुखी विकास हो सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।

यह चर्चा लगभग नौ घंटे से चल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कृषि से और किसान से संबंधित कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसकी चर्चा यहाँ पर न हुई हो। अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर हमारे माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के सुझाव भी दिये हैं, समस्याओं के हल भी बताये हैं। ऐसा लगता है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सम्पूर्ण सदन का एक मत है। यदि इसका विस्तार सदन के बाहर भी हो जाए, तो निश्चित रूप से आज नहीं, तो कल क्रमशः योजनाओं के माध्यम से, क्रियान्वयन के माध्यम से किसानों का और देश का संकट हम दूर कर सकते हैं।

कल श्री धर्मेन्द्र यादव जी यहाँ पर बोल रहे थे। मैं उनका नाम लेकर इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सामूहिक चिन्ता के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का किसान दो साल से अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। न उनको ठीक भुगतान मिलता है, न ही समय पर भुगतान मिलता है। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह किसकी चिन्ता है? यदि सम्पूर्ण सदन में चिन्ता व्यक्त करने के बाद भी गन्ने का किसान अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता है, तो हमें कोई नया मैकेनिज्म लाना चाहिए, ताकि वह आश्वस्त होकर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। जिससे वह आश्वस्त होकर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, उसमें अलीगढ़ का एक प्रसंग है कि एक किसान अपने खेत पर गया, उसने अपनी आलू की फसल को देखा जो ओले के कारण समाप्त हो गयी थी, उसे वहीं हार्ट अटैक आया और उसका देहान्त हो गया। इसके बारे में सदन ने विचार किया है, सुझाव दिए हैं क्या हम किसान को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि यदि कभी इस प्रकार का कोई संकट आया तो सारा देश और सरकार उसके साथ खड़ी होंगी, उसे ह्रदय पर आघात नहीं आना चाहिए कि उसकी यह फसल खराब होने से वह बर्बाद हो गया है। इसके लिए कुछ उपाय हमें सोचने होंगे। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, पानी और बिजली की सुविधा होनी चाहिए, अवसरंचनात्मक ढांचे का सहयोग किसान को मिलना चाहिए। अभी चार-पांच महीने पहले मेरे क्षेत्र की घटना है, वहां पर टमाटर, मिर्च आदि सब्जियां पैदा होती हैं। टमाटर की कीमत उस समय दो रुपये थी, हमारे किसान भाइयों ने टमाटर को खेत में ही छोड़ दिया या उस पर हल चलवा दिया क्योंकि उसकी तोड़ाई का मेहनताना टमाटर की दो रुपये कीमत से भी ज्यादा था। इसी तरह से मिर्च का बाजार में जो दाम था, वह उसकी तोड़ाई के मेहनताने से कम था, इसलिए उस फसल को भी छोड़ दिया गया। हम इस

पर चिन्ता करें कि हर वर्ष बहुत सी सब्जियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं, कैसे उनका ठीक दाम किसानों को मिले।

महोदय, हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव है। अभी गौरव गोगोई जी असम का अनुभव बता रहे थे कि वहां पर मसालों और दालों का अच्छा उत्पादन हुआ है। हम इन अनुभवों का आपस में तालमेल करें और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, टीम इंडिया बैठकर समग्र रूप से किसानों की समस्याओं पर चिंतन करे। अभी मैं जनवरी के महीने में गांव में था, उस समय उत्तर भारत में बहुत ठण्ड पड़ती है। हमारे यहां बिजली रात में केवल चार घण्टे आती थी, रात के 12 बजे से सुबह चार बजे तक आती थी। किसानों ने मुझसे कहा कि रात में कड़ाके की ठण्ड में खेत में पानी लगाने के लिए उनको जाना पड़ता है। क्या बिजली विभाग के उच्चाधिकारी उस समय को बदल नहीं सकते, मैंने उन अधिकारियों से बात की, उन्होंने समय को बदला, लेकिन मेरी चिन्ता यह है कि अधिकारियों के ध्यान में यह बात स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आई कि किसान के लिए बिजली का कौन सा समय निर्धारित करें? अभी बारिश होती है, ओला पड़ता है तो हमारे टीवी चैनल्स कहते हैं कि मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। क्या उनको यह बात ध्यान में नहीं आती है या यह संवेदनहीनता है कि जिस मौसम को वे सुहाना बता रहे हैं, उसके कारण इस देश का अन्नदाता बर्बाद हो रहा है? शायद हमारी जो मानसिकता है, उसमें किसान प्राथमिकता पर नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसान को केन्द्र में रखें, तभी इस प्रकार की चिन्ताएं और समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सकेगा और जिस उद्देश्य को लेकर करूणाकरण जी ने इस चर्चा को प्रारम्भ किया था, वह प्राप्त हो सकेगा। आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सम्पूर्ण सदन के सम्मानित सदस्यों ने कृषि और किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तात्कालिक एवं दीर्घकालिक रूप से, दोनों की चर्चा कर ली है, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा । लेकिन मैं चह चाहूंगा कि जब मंत्री जी उत्तर दें तो यह भी बताएं कि जैसे पिछले दिनों पूरे उत्तर भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में असमय बारिश एवं ओले से नुकसान हुआ है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य का, जिलों का दौरा आरम्भ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदया ने इस समस्या को अगर नियम 193 के तहत चर्चा के रूप में स्वीकार किया है तो उसके पीछे हम सभी की चिन्ता थी कि आज खेती अलाभप्रद हो रही है। एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि आज 76 प्रतिशत किसान खेती को छोड़ना चाहते हैं और खेती में सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। उत्पादन लागत एक चीज है, समर्थन मूल्य दूसरी चीज है और लाभप्रद मूल्य तीसरी चीज है।

जैसे हर व्यापार में लोगों को लाभप्रद मूल्य मिलता है उत्पादन लागत के मुकाबले, आज देश के किसानों के सामने वास्तविकता है कि उन्हें उनके उत्पादन लागत के बदले लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वे कर्ज में फंस जाते हैं और आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक प्रमुख कारण है कि जब वह बीज, खाद या पानी के लिए किसी बैंक से कर्ज लेता है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए, अगर उसे चुका नहीं पाता है तो फिर मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है। मंत्री जी अगर यह मानते हैं कि आज खेती का रकबा कम हो रहा है, जोत छोटी होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पैदावार पर ओलावृष्टि या असामयिक बारिश से नुकसान हो रहा है, तो किसानों की खेती कैसे लाभप्रद बनाई जा सके, किसानों को फिर से कैसे खेती की ओर उन्मुख किया जाए, जो खेती छोड़ चुके हैं, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज खेती का जीडीपी के अंदर 14-15 प्रतिशत तक ही है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि कैसे इतना कम हो गया है, लेकिन वह 65 प्रतिशत से घट गया है। उसे फिर से कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर गौर करना चाहिए।

अगर कोई व्यापारी है, वह कोई व्यापार करता है, तो बैंक उसकी लिमिट बनाता है, उसके लिए ओ.डी. का प्रावधान करता है। वह जब चाहे बैंक से अपने व्यापार के सापेक्ष ओ.डी. ले सकता है, लोन ले सकता है। किसान के पास जितनी जमीन है, जितना उसके पास बेनामा या मालिकाना हक है, क्या उस

जमीन को मद्देनजर रखते हुए उसे बैंक की पासबुक दी जाएगी कि किसान भी जब चाहे अगर कोई नुकसान होता है, तो वह ओ.डी. के रूप में या लोन के रूप में अपनी पासबुक से पैसा निकाल सके?

प्रधान मंत्री जी ने एक योजना शुरू की है। उसके पीछे कहीं न कहीं यह निश्चित और निहित उद्देश्य है कि आज प्रधान मंत्री जन धन योजना में वह अपने बैंक खाते को आपरेट करेगा, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्होंने कई योजनाओं को उसमें जोड़ा है, डायरेक्ट कैश सब्सिडी ट्रांसफर की जैसे बात है, उससे वह 5,000 रुपए ओ.डी. पाएगा। लेकिन अगर किसी किसान के पास अचल सम्पत्ति है, भूमि का स्वामित्व है, तो उस किसान को बैंक क्यों नहीं एक किसान पासबुक इश्यू कर सकता, जिससे उसकी मालियत के अगेंस्ट उसे ओ.डी. या लोन मिल सके? अगर ऐसा हो जाता है तो किसान को जब भी बीज, पेस्टीसाइड्स, सिंचाई या फर्टिलाइजर की जरूरत हो तो वह पैसे के लिए मोहताज नहीं होगा, जैसे कि आज है।

आज कैश क्रॉप में गन्ना, कपास और आलू की फसल आती है। जिस तरीके से गन्ने का जिक्र कई माननीय सदस्यों ने किया, गन्ना खेतों में खड़ा है, लेकिन चीनी मिलें बंद हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इसे दो हिस्सों में बांटना चाहिए। मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर बताएं कि जो तात्कालिक रूप से दो बार उत्तर भारत में और अन्य जगह भी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसके सम्बन्ध में उचित मुआवजा दिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यह रकम नाकाफी है। क्योंकि जिस तरह से नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में 7.5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, राजस्थान में 14. 5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, वैस्ट बंगाल 50 हेक्टेयर में नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक the foodgrain production is India is expected to decline by 3.2 per cent. इसका मतलब है कि 257 मिलियन टन इस बार पैदावार होने जा रही है। इसकी कल्पना न तो सरकार ने की थी और न ही किसान ने की थी। किसान ने अपनी मेहनत से, खाद, पानी, बीज और कीटनाशक दवाएं छिड़कर उत्पादन किया। इसलिए जो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, पैदावार कम होगी, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

फसल बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरे क्षेत्र के लोगों को एक गारंटी मिलती है बीमा से, तो किसान की भी हर फसल का बीमा हो, जिससे इस तरह के एक्ट आफ नेचर हैं, जिसे न सरकार रोक सकती है, न किसान रोक सकता है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा आए, तो किसान फसल बीमा से सुरक्षित रह सकता है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, चूंकि मैं भी एक धरतीपुत्र हूं, एक किसान का बेटा हूं।

आज देश में किसान की जो हालत है, किसान इस देश का अन्नदाता कहलाता है, वह धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, आज वह किसान बदहाल है। आज किसान जैसे-तैसे अपनी फसल को जोतता है, नीराई-ढुलाई करता है, पीलाई करता है, तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। वह सोचता है कि फसल तैयार होगी तो अपने बच्चों की शादी करवाऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा, ऋण चुकाऊंगा, यह सभी सपने लेकर वह काम करता है, लेकिन जब ओलावृष्टि होती है तो उसके यह सपने टूट जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ही रात में चार-चार सौ ग्राम के ओले गिरे हैं। किसान का खेत तो दूर, उसका घर भी टूट जाता है, ऐसे में किसान की खेती और फसल क्या बचेगी? किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही अपना जीवन गुजार देता है और कर्ज में ही वह मर जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला किसान आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। कभी खाद के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी किसानों के ऋण चुकाने के लिए, कभी समर्थन मूल्य के लिए, कभी किसी अन्य समस्या के लिए और कभी बारिश के पानी का इंतजार करता है कि कब बारिश का पानी आएगा और कब मैं अपने खेत को पानी दूंगा।

अभी फसल बीमा योजना की बात हो रही थी, किसान क्रेडिट योजना की बात हो रही थी, इस देश की नदियों को जोड़ने की योजना की बात हो रही थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी थी। आज उन योजनाओं को आगे बढ़ाने काम हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में किसान फसल तैयार करता है और उस बनी बनायी फसल को नील गाय का समूल आकर समाप्त कर देता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा में किसान को अनुदान देकर उसके खेत की बाड़बंदी की जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में ही नहीं, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ और मंदसौर में, माननीय वित्त मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरे क्षेत्र में अफीम के किसान भी हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। आज कोई भी नेता चुनाव हार जाता है तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है। अगर कोई भी विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसको दूसरी बार परीक्षा में बैठने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अफीम का किसान ऐसा होता है कि यदि वह एक बार औसत पूरी नहीं कर पाता है और उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसको दूसरी बार लाइसेंस नहीं मिलता है। वह किसान अपने को ठगा सा महसूस करता है जो बरसों से औसत दे रहा है, लेकिन एक बार ओलावृष्टि के कारण वह औसत पूरी नहीं कर पाता है तो उसका लाइसेंस कट जाता है और जिस घर में लाइसेंस होता है, उस किसान को यह लगता है कि मेरे परिवार में

एक जवान की मौत हो गयी। हमारे देश में औषधियां और दवाइयां बनती हैं, कॉर्डीन और मॉर्फिन का निर्माण होता है, यह सब हमारे अफीम के किसान के कारण होता है।

14.57 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ईसबगोल, धनिया, जीरा इत्यादि फसलें तो बिलकुल नष्ट हो गयी हैं। ईसबगोल के खेत में ओला गिरने से न केवल फसल बर्बाद हुई बल्कि वे खेत भी बर्बाद हो गए। वे खेत एकदम पत्थरनुमा हो गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने वहां के किसान को राहत पैकेज देने का काम किया है और मैं केन्द्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां से टीम भेज कर उसका आकलन कराने का काम शुरू किया गया है। हमारे किसानों को उचित मुआवजा देने के साथ-साथ मनरेगा के तहत बाड़बंदी का काम होना चाहिए। यदि किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसके भंडारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके आदेश पर तुरन्त ही बैठ जाता हूं इसलिए भविष्य में भी मुझे इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर दिया जाए।

HON. SPEAKER: Hon. Members, we have a Supplementary List of Business. We will take up Discussion under Rule 193 afterwards when we get time. Now, Supplementary List of Business – Bills to be introduced. Shri Arun Jaitley.… (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Madam, I have a point. …(*Interruptions*) These Bills have just come at the fag end of the day. …(*Interruptions*) The Minister has already announced the Budget proposals. The whole country knows it.… (*Interruptions*) We welcome the Bill but the question is… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is only introducing it; nothing more than that.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): We are not passing it today. You will get sufficient time in the break to go through the Bill.

15.00 hrs

UNDISCLOSED FOREIGN INCOME AND ASSETS (IMPOSITION OF TAX) BILL, 2015*

HON. SPEAKER: You will get sufficient time after the introduction of this Bill.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill to make provisions for undisclosed foreign income and assets, the procedure for dealing with such income and assets and to provide for imposition of tax on any undisclosed foreign income and asset held outside India and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to make provisions for undisclosed foreign income and assets, the procedure for dealing with such income and assets and to provide for imposition of tax on any undisclosed foreign income and asset held outside India and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 20.03.2015

15.01 hrs

*MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2015-Contd.

(Amendments made by Rajya Sabha)

HON. SPEAKER: Now, there are amendments made by Rajya Sabha for consideration in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015. Hon. Minister Shri Narendra Singh Tomar may move the amendments.

THE MINISTER OF MINES AND MINISTER OF STEEL (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): I beg to move:

> "That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 1957, be taken into consideration:-"

Clause 9

	1.	That at page 4, ***for*** lines 31 to 35, the following be ***substituted,*** namely:-
40 of 1996. 2 of 2007.		"(4) The State Government while making rules under sub-sections (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedule to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchyats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
		(5) The holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent

* The Bill was passed by Lok Sabha on the 3rd March, 2015 and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held today, the 20th March, 2015 and returned it to Lok Sabha.

		to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government.
		(6) The holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to the categorisation of the mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government.”

Clause 14

	2	That at page 8, line 35, ***for*** the word, bracket and figure “sub-section (4)”, the words, brackets and figures “sub-sections (5) and (6)” be ***substituted.***

Clause 15

	3	That at page 9, line 18, ***after*** the words “shall work”, the words “for the interest and benefit of persons and areas affected by mining” be ***inserted***.”

HON. SPEAKER: Motion moved:

> “That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 1957, be taken into consideration:-”

Clause 9

	1.	That at page 4, ***for*** lines 31 to 35, the following be ***substituted,*** namely:-
40 of 1996.		“(4) The State Government while making rules under sub-sections (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedule to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchyats (Extension

2 of 2007.		to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
		(5) The holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government.
		(6) The holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to the categorisation of the mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government."

Clause 14

	2	That at page 8, line 35, ***for*** the word, bracket and figure "sub-section (4)", the words, brackets and figures "sub-sections (5) and (6)" be ***substituted.***

Clause 15

	3	That at page 9, line 18, ***after*** the words "shall work", the words "for the interest and benefit of persons and areas affected by mining" be ***inserted***."

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment No. 1 to Clause 15?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

"*for* "for the interest"

substitute "exclusively for the interest"." (1)

Madam, I would like to support the amendments made by Rajya Sabha subject to certain minor reservations or minor amendments.

Madam, it is quite unfortunate and also strange that we, during the debate in Lok Sabha, have raised so many important amendments. More or less, similar amendments have been moved by us but unfortunately the Government has killed all those amendments without showing any mercy to us. Here, two amendments have been brought by Rajya Sabha.

The first Amendment is relating to Clause 9. At the time of initiating the debate, I had raised a point that this is affecting the constitutional rights of the tribal people which are provided under Article 244, Schedules V and VI. This right has been taken away by means of this legislation. That has to be taken care of. This was the point which I had made at the time of initiating the discussion in the Lok Sabha. Unfortunately, the Government did not care to hear the words from the Opposition. We have also moved amendments but they have not been carried out by the Government.

I do appreciate that, at least, in the elders' House, the Rajya Sabha, the Government has conceded to the demands of the elders. My submission to the hon. Minister as well as to the Government is that please consider to the harmless amendments that are being made from the Opposition side in Lok Sabha. That is my appeal to the Government.

The second amendment is regarding the 'District Mineral Foundation'. Madam, you may be remembering that I had moved an amendment in this respect that the nomenclature of 'District Mineral Foundation' has to be changed as the 'District Mining Welfare Foundation'. That was my amendment. My amendment was with a *bona fide* intention. My *bona fide* intention is that this Foundation

should 'exclusively be for the benefit and interest' of the people who are affected by means of mining. That was the amendment. But unfortunately, it had not been taken care of.

Now, in Rajya Sabha, this amendment has come to Clause 15 of the Bill. You may kindly see this Clause. According to their wisdom, they have made an amendment to Clause 15, Clause 4, Sub-Clause (a), the manner in which the District Mineral Foundation shall work for the interest and benefit of persons and areas affected by mining. So, that has become more specific and clear.

The amendment that I am moving is that the word 'exclusively' may also be added immediately after 'shall work'. I know that there is a difficulty in carrying out this amendment. Again it has to go to the Rajya Sabha. I know that. But, at least, for our personal satisfaction and for making it on record, we are moving this amendment. As per the amendment, it should come in such a way, 'the manner in which the District Mineral Foundation shall work 'exclusively' for the interest and benefits and areas affected by mining.' That is my amendment. It is also a harmless amendment. I am moving my amendment. Thank you very much for giving me this opportunity.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मुझे इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि अगर हम ना भी कहेंगे तब भी पास होने वाला है, अगर हाँ भी कहेंगे तब भी पास होने वाला है। ...(व्यवधान) जेटली साहब उठ कर चले गए, वे आए तभी मैं जल्दी यहां पर आया। उहोंने यहां पर एक बात बताई थी कि ऐसे जो बिल आ रहे हैं, उनको आप सदन में पास नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्सट्रेक्शनिस्ट बने हैं यानि रूकावट बने हैं। इस पर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ और नायडू साहब को तो जल्दी से याद आता है क्योंकि वे जल्दी रिएक्ट कर देते हैं।

Shri Arun Jaitley-ji on January, 13, 2011 in Ranchi said that 'obstruction in Parliament is not undemocratic.' He said: "Parliament's job is to conduct discussions but many times, Parliament is used to ignore issues; and in such situations, obstruction of Parliament is in favour of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic.'

यह आपने ही कहा था। जब हमने उनके सामने रखा, तब उन्होंने कहा कि आप डिवेल्पमेंट के लिए ऑब्सट्रेक्शनिस्ट बने हैं। अगर आपने समय दिया तो मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने कितने बिलों का विरोध किया है और कितना टाईम उन्होंने खराब किया। हम फॉर्च्युनेट हैं कि आपके जमाने में कम से कम 125 पर्सेंट काम हो रहा है। उस वक्त तो आपने 30 पर्सेंट काम भी नहीं करने दिया, ऑब्सट्रेक्शनिस्ट बने। यह ऑब्सट्रेक्शन करना आपका फंडामेंटल राईट है, हम वह छीनना नहीं चाहते हैं। We do not want to snatch that. जैसा कि धर्मसिद्ध हक है, वैसा ही यह है। इसीलिए हमने उसी वक्त बोला था कि जैसा कि प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि अगर आप यह स्टैण्डिंग कमेटी को भेज देते तो यह अमेंडमेंट हो कर फिर सिर्फ दो-तीन दिन में पास हो जता, लेकिन आपने नहीं सुना। वहां पर मैजोरिटी है, उन्होंने इस क्लॉज को, अमेंडमेंट्स की सूचना दी, तब आपने सिलेक्ट कमेटी को भेज कर, इस अमेंडमेंट को मान कर फिर से यहां से ला रहे हैं। पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में अपोजिशन की तरफ से अगर कोई अच्छी सूचना आती है, तो आपको उसको सोच कर स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। कोल का हो, माइनिंग का हो या किसी का भी बिल हो। आपने कम से कम यह प्रोसिजर अगर फॉलो किया होता तो सबका वक्त भी बचता है और वक्त के ऊपर कानून भी पास होते हैं। मैडम, इसलिए मैं फिर से उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम आइंदा ऐसी गलती न करें।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम स्पीकर, खड़गे जी बहुत अनुभवी हैं। हम जरूर उनसे सीखेंगे। उन्होंने जो पुरानी परंपरा सदन के सामने रखी है, वह सब हमको याद है। जरूरत पड़ी और जब अवसर आएगा तब याद दिलाएंगे मगर मैं उनको आश्वासन दे रहा हूँ कि जो अच्छा सुझाव आएगा, हम हमेशा उसको स्वीकार करेंगे। दूसरे सदन का भी महत्व है, दोनों सदन मिल कर पार्लियामेंट होती है, इसलिए वहां विवेचन के आधार पर लोगों ने सजेस्ट किया तो हमने स्वीकार किया। ...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): You should not have taken us for granted

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Lok Sabha and Rajya Sabha both are important. There is no question of taking anybody for granted. Everything is decided by voting only.

SHRI K.N. RAMACHANDRAN (SRIPERUMBUDUR): Hon. Madam Speaker, we wholeheartedly support this Bill.

In a vast country like ours, several minerals are available. They are widely spread in several parts of the country. The Mines and Minerals Act of 1957 has vested with Centre to bring in measures for developing the mines. The present amendments seek to give more say to the State Governments both in granting approvals and in carrying out mining operations. This had become necessary because of innumerable litigations that had come in the way of using the potential of our minerals' wealth at an optimum level.

Our people's leader Amma and our party, AIADMK strongly believe in Cooperative Federalism. We have no hesitation – certainly, we have no hesitation – to support this Bill in accommodating the latest amendments inserted as new Sections 9B and 9C with regard to the District Mineral Foundation.

Madam, certainly, we support this Bill. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, at times, one gets confused saying that perhaps the end justifies the means. But always sensible people believe that it is the means which justified the end. Our Father of the Nation believed in that philosophy and I request this Government that believe in the means that justifies the end. At least good sense has prevailed and the suggestions that were propounded when this Bill was under consideration in this House has been corrected before the Government went to the Rajya Sabha and our suggestion was incorporated as an amendment to the amendments and subsequently, a select Committee was formed. The Select Committee suggested certain suggestions and those suggestions unanimously have been accepted in Rajya Sabha. Therefore, it has come back again to us for consideration and passing. I would only say when we are dealing with Scheduled areas which are demarcated by the Constitution Schedule V and Schedule VI, it is a sensitive area and a sensitive issue. In that respect, I would again reiterate Madam, let us not rush through certain Bills and certain amendments in such a manner because of the majoritarian outlook. We may trip and fall. It is a bicameral system in our country of Parliamentary democracy, it has been corrected. I would thank this Government that in their wisdom, they have corrected the mistake that was being committed, and all mineral bearing States, by these amendments are going to be benefited tremendously especially those people who reside in Schedule V and Schedule VI areas. I would only ask Madam that in this District Mineral Foundation and how they are going to function, how that money is going to pass on for the area development of those mineral where the mining is going to take place. That needs to be monitored.

I think the Government of India would take the State Government into confidence and they should frame rules or make certain methods available so that the poor people who will be working in the mines maximum, who will be displaced for mining, their development should be taken care of. With this, I would say I support the amendments that have been moved by the Government.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदया , हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो दो चैम्बर्स का महत्व है, वह आज फिर स्थापित हो रहा है। हम समझते हैं कि ट्रैज़री बैंच के सदस्य इससे सबक लेंगे, शिक्षा लेंगे। कहा जाता है कि 'elders are wiser'. Advani ji will also support me. कम से कम एल्डर्स के हाउस में जाकर the Governmet has become wiser.

दूसरी बात यह है कि संख्या के आगे हम गुण को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। जब यहाँ अमैंडमैंट सजैस्ट किए गए थे, तर्क के साथ बताए गए थे, लेकिन मैं ट्रैज़री बैंच के जो हमारे आदरणीय माननीय सदस्य हैं, उनसे कह रहा हूँ कि सिर्फ संख्या के ज़ोर पर अगर आप सिर्फ हाँ में हाँ मिला देंगे तो हमें इस तरह से ठोकरें खानी पड़ेंगी। कहते हैं कि -

"रंग लाती है हिना पत्थरों में पिस जाने के बाद
सुर्ख रूह होते हैं इंसां ठोकरें खाने के बाद।"

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा कहा।

श्री मोहम्मद सलीम: हमारी संसद में जो विधेयक पास करने की परंपरा और तरीका है, यह बहुत इंपॉर्टैन्ट है। चूँकि राज्य सभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो स्टेट्स के इंटरस्ट लेकर वे लड़े। लेकिन हम भी हाउस ऑफ पीपल हैं। हमें जनता की जो महत्ता है, उनका जो स्वार्थ है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यह बोलकर कि हम केवल विरोधी पक्ष हैं और गलत बात कह रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जो कमेटीज़ हैं, सैलेक्ट कमेटीज़ हैं, स्टैन्डिंग कमेटी हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने और हमने बनाई हैं, उनके प्रति हमें थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि इस तरह से रश नहीं करके बिल पर थोड़ा समय लेकर करने से हमें इस मामले को फिर से खँगालना नहीं पड़ता। धन्यवाद।

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Madam, this Bill was discussed at length in Lok Sabha and it was passed with certain amendments. But in Rajya Sabha some amendments were suggested, and accordingly, the Government has accepted them. I, on my own behalf and on behalf of my Party, support this Bill with all those new amendments. Thank you.

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, जब लोक सभा से यह बिल पारित होकर राज्य सभा में गया तो राज्य सभा ने इस पर बहुत लम्बे समय तक विचार-विमर्श किया और उसके बाद राज्य सभा ने यह तय किया कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए। प्रवर समिति ने बहुत ही संक्षिप्त समय लिया, इस पर गंभीर और व्यापक विचार-विमर्श किया और सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सभा को दे दी। मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने जो विचार-विमर्श किया, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन भी सुझाए और संशोधन में किसी प्रावधान को बदला नहीं है, बल्कि यह किसी प्रावधान को जोड़ने वाला मामला है। सरकार ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की, क्योंकि वे अच्छे प्रावधान हैं और उन्हें स्वीकार करने में सरकार को पहले भी कभी कोई हिचक नहीं थी और आज भी नहीं है। आज राज्य सभा ने उसे पारित करके यहां भेजा है।

आज माननीय सदस्य प्रेमचन्द्रन जी ने इसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सिर्फ़ 'केवल' शब्द जोड़ देने से इसमें कोई बहुत वज़न नहीं आ जाएगा। उनकी जो भावना है, वह पूरी तरह इसके प्रावधान में और कानून में निहित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूं कि कानून का अपना स्थान होता है, लेकिन कानून के क्रियान्वयन में सरकारों की दृढ़ इच्छा-शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आज केन्द्र में है और यह सरकार राज्यों को अधिक अधिकार देना चाहती है, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है और वह राज्य सरकारों पर विश्वास कर रही है कि राज्य सरकारें अधिक जवाबदेही के साथ काम करें। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया है और उसमें माइनिंग से प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र के लिए उसकी राशि खर्च होने वाली है तो मैं समझता हूं कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। राज्य सरकार को जो दिशा-निर्देश देना चाहिए, वह कानून में भी दिए गए हैं और अगर आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकारों से आग्रह किया जाएगा। इसलिए मैं प्रेमचन्द्रन जी को कहना चाहता हूं कि आपका जो संशोधन है और उस संशोधन के पीछे जो भाव है, वह कानून के प्रावधान में निहित है। इसलिए कृपा करके वे अपना संशोधन वापस ले लें।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के और भी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि यह बात आयी है कि अगर लोक सभा में यह बात ध्यान में आ जाती तो फिर राज्य सभा में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी

लोकतांत्रिक परंपराओं में भरोसा करने वाली पार्टी है। बहुमत के बल पर हम किसी को भी दबाना नहीं चाहते, न ही हमने कभी किसी को दबाने का प्रयत्न किया है। उस दिन भी सदन में इस पर बहुत लम्बे तक बहस हुई। सभी माननीय सदस्यों के विचार आए। हमने उन विचारों का स्वागत किया और हमने कहा था कि आपके विचार योग्य हैं और हम जो यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं, यह संशोधन आखिरी नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारे संशोधनों की गुंजाइश बनी रहेगी। जब भी विषय आएगा, जब भी रूल्स बनाने की बात आएगी, तो हम आपकी सारी सलाह को मानने की कोशिश करेंगे। उस दिन जो परिस्थिति बनी, यह एक अलग पक्ष है। लेकिन, राज्य सभा अपर हाउस है। राज्य सभा ने प्रवर समिति को भेजना तय किया। निश्चित समय में प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गयी और आज अमेंडमेंट होकर वह बिल आप सब के समक्ष आ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो अमेंडमेंट बिल है, जो राज्य सभा से संशोधनों के साथ परिमार्जित होकर आया है, यह बिल माइनिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, माइनिंग के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाला है, देश में रोज़गार को सृजित करने वाला है, निवेश को बढ़ाने वाला है, माइनिंग आबंटन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला है, पारदर्शिता को बढ़ाने वाला है। आप सभी की सहमति इन संशोधनों को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The question is:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 1957, be taken into consideration:-

Clause 9

	1.	That at page 4, ***for*** lines 31 to 35, the following be ***substituted,*** namely:-
40 of 1996. 2 of 2007.		"(4) The State Government while making rules under sub-sections (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedule to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchyats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
		(5) The holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government.
		(6) The holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to the categorisation of the mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government."

Clause 14

	2	That at page 8, line 35, ***for*** the word, bracket and figure "sub-section (4)", the words, brackets and figures "sub-sections (5) and (6)" be ***substituted.***

Clause 15

	3	That at page 9, line 18, ***after*** the words "shall work", the words "for the interest and benefit of persons and areas affected by mining" be ***inserted***."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: We shall now take up the amendments made by Rajya Sabha.

I shall now put the Amendment Nos. 1 and 2 made by Rajya Sabha together to the vote of the House. The question is:

Clause 9

	1.	That at page 4, ***for*** lines 31 to 35, the following be ***substituted,*** namely:-
40 of 1996. 2 of 2007.		"(4) The State Government while making rules under sub-sections (2) and (3) shall be guided by the provisions contained in article 244 read with Fifth and Sixth Schedule to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchyats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
		(5) The holder of a mining lease or a prospecting license-cum-mining lease granted on or after the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 shall, in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount which is equivalent to such percentage of the royalty paid in terms of the Second Schedule, not exceeding one-third of such royalty, as may be prescribed by the Central Government.

		(6) The holder of a mining lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, shall in addition to the royalty, pay to the District Mineral Foundation of the district in which the mining operations are carried on, an amount not exceeding the royalty paid in terms of the Second Schedule in such manner and subject to the categorisation of the mining leases and the amounts payable by the various categories of lease holders, as may be prescribed by the Central Government.”

Clause 14

	2	That at page 8, line 35, ***for*** the word, bracket and figure “sub-section (4)”, the words, brackets and figures “sub-sections (5) and (6)” be ***substituted.***

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: I shall now put the Amendment No.1 to Amendment No. 3 to Clause 15 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The Amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 3 made by Rajya Sabha to the vote of the House.

The question is:

	3	That at page 9, line 18, ***after*** the words “shall work”, the words “for the interest and benefit of persons and areas affected by mining” be ***inserted***.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the amendment made by Rajya Sabha in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मान लिया जाए।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

15.23 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Agrarian situation in the country – Contd.

HON. SPEAKER: We shall now again take up the Discussion under Rule 193.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : ब्लैक मनी के ऊपर जो बिल आया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह तो इंट्रोड्यूस हो गया है। वह अभी नहीं आयेगा।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, I want to share with the House that the other House is discussing the Coal Mines (Special Provisions) Bill 2015. If a contingency arises, then I may have to bring it back here. I only appeal to the Members to have some more patience and continue with the other business. After an hour only we will be able to know what exactly the position is. … (*Interruptions*)

We are discussing one of the most important issues of the problems of agriculturists in the country. I do not think any time any Government had this much discussion when such a large number of Members is participating.

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 193 के तहत बोलने का मौक दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज कृषि और कृषक की स्थिति बहुत बदहाल स्थिति में है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी थोड़ा शांति से बाहर जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत: जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि देश की रीढ़ है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरने वाला किसान स्वयं आत्महत्या करने को क्यों मजबूर है? यह बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। मैं दो दिनों से विद्वान साथियों की चर्चा सुन रही थी। हर कोई किसान और खेती की चिन्ता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन, इसका समाधान क्या है? क्या किसान को सब्सिडी मिले, प्राकृतिक आपदा के समय उसे मुआवजा मिले? वह भी ऊंट के मुंह में जीरे जितना। क्या यही समाधान है? नहीं। कृषि को

बदलना होगा। कृषि नीति बहुत पुरानी है। उसे अब बदलने का समय आ गया है। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। किसान के पढ़े-लिखे बेटे-बेटी खेती की तरफ अपना मन बनाएं, ऐसा तब हो पाएगा जब लागत से अधिक आमदनी खेती से प्राप्त होगी। हर खेत को पानी मिले, उपज को उचित मूल्य मिले। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। वे दूसरों की भूमि पर बटाई पर खेती करते हैं। जिनका परिवार पूरी तरह मात्र खेती पर ही निर्भर है, जिनके आय के कोई और स्रोत नहीं हैं, घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई पैंशन नहीं हैं। ऐसे में अगर ओला वृष्टि हो जाए, फसल को बीमारी लग जाए, अंधड़ और बारिश हो जाए और फसल चौपट हो जाए, तो वह बेचारा कर्ज कैसे चुका पाएगा, यह भी देखना पड़ेगा। फसल कटाई के समय को लेकर किसान सपने देखता है। अनेक कार्यक्रम बनाता है। शादी करनी है, बच्चों की फीस देनी है, तीज-त्योहार मनाने हैं, घर का सामान खरीदना है। आप ही बताएं अगर खेत ही चौपट हो जाएगा, तो यह सब लुटता हुआ देखकर वह ठगा सा रह जाएगा। उस भूमिहीन किसान के आंसू पोछने वाला कोई नहीं है। आपको दो लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगी --

हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे का
हल संग हस्ती मिटा देई एक बीघे का हकदार नहीं।

ऐसे लोग जिन्होंने कभी हल की सूरत तक नहीं देखी, उनके पास हजारों बीघे जमीन है, जो खेती करना नहीं जानते और जिसने हल के साथ सम्पूर्ण हस्ती मिटा दी, उसके पास एक बीघे जमीन नहीं है। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसान को सूद खोरों के चंगुल से बचाया जाए। सरल और कम ब्याज पर बैंक ऋण दे। फसल बीमा का सरलीकरण हो और मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसान के खेत में भी काम हो सके। नदियों को आपस में जोड़कर हर खेत में पानी पहुंचाया जाए। खाद, बीज, बिजली और पानी मिले, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। राज्यों और केन्द्र सरकार को खेत और खेती को बचाने के वास्तविक प्रयास करने होंगे।

मेरे क्षेत्र में शनिवार और रविवार को ओला वृष्टि हुई। एक वाक्या बताना चाहूंगी। एक महिला कृषक है। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे की मई में शादी है। उसे बैंक से मैंने ऋण दिलाया। उसने दो भैंस खरीदी। अभी बेचती तो शायद उसे डेढ़-दो लाख रुपये मिल जाते। उसने बटाई पर पास वाले किसान का खेत बोया था। फसल गई तो गई, उसकी दोनों भैंस भी ओला वृष्टि में मर गईं। उसकी सिसकियां और उसका रुदन मेरे कानों में गूंज रहा है। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से

कहना चाहूंगी कि सरकार को ठोस निर्णय लेने चाहिए। कृषक को बचाना होगा क्योंकि खेत में अन्न कृषक ही पैदा करता है। धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करके कीड़ी से लेकर पशु-पक्षी और मनुष्यों तक का पेट भरने वाला कृषक ही है। आपने विनम्र निवेदन करूंगी कि उसे बचाने के लिए सरकार मजबूत कदम उठाए। यही कहकर अपनी बात को विराम देती हूं। धन्यवाद।

***श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर)**: नियम 193 के तहत किसानों की समस्या के बारे में इस सदन के कई संसद सदस्यों ने चर्चा की।

यह सही बात है कि जिन किसानों को देश का विकास का कन्हा कहा जाता था वो 70 प्रतिशत किसान आज संकट में है। किसान आत्महत्या कर रहा है। इसीलिये उनकी समस्या की तरफ गंभीरता से ध्यान देना बहुत जरूरी हे।

इस चर्चा के दरम्यान मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में गड़चिरोली, चन्द्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर आदि जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो धान (चावल) की फसल लेने वाले जिले है।

वर्ष 2014-15 में देरी से कम और समय पर न आने वाली बारिश से 50-60 प्रतिशत किसानों का नुकसान हुआ है। पहले ही इस साल की बेहिसाबी मौसम से नुकसान और इस वर्ष भी नुकसान, इसलिये किसान परेशान है।

ऐसी स्थिति में किसान के खेतों में जो अनाज है उसको बाजार में भाव न मिलने से और व्यापारियों द्वारा कम दाम पर लेने की चेष्ठा करने से और एफसीआई द्वारा भी धान खरीदी न करने से धान या तो किसानों के घर में या फिर गोडाउन में पड़ा हुआ है।

इस स्थिति का जायजा लिया गया या मालूमात निकालने पर पता चला कि भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि देश चावल का का निर्यात करते हैं। लेकिन, इन्हीं देश के स्पर्धा में अभी छोटे-छोटे देश भी उतरे हैं वो भी कम दाम पर निर्यात करते हैं।

दूसरी ओर, इरान, इराक यह देश बड़ी प्रमात्रा में चावल का आयात करते है। उन्होंने मार्च एंडिंग तक पाबंदी लगायी है। ऐसी स्थिति में देश के बाहर माल न जाने से और माल को सही मूल्य न मिलने से माल या तो किसानों के घर या गोडाउन में भरा हुआ है।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों को अपने माल का सही मूल्य मिलने के लिए उत्पादन खर्च के मुताबिक भाव घोषित किया गया तो उनको राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा।

इस गंभीर विषय के तरफ ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करें ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

---

* Speech was laid on the Table.

***श्रीमती रीती पाठक (सीधी):** हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है। जिसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे किसानों को सीधा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है।

मुझे बताने में काफी हर्ष हो रहा है कि मैं जिस प्रदेश से आती हूं वो प्रदेश पिछले तीन वर्षों से कृषि के क्षेत्र में अव्वल रहा है। जिसे इस वर्ष कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी का विभिन्न योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हुए बधाई देती हूं। जैसे- अटल पेंशन योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, किसानों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले एक टीवी चैनल शुरू करने की योजना, चमन योजना (11 राज्यों में फल, सब्जियों व मसालों के फसल उत्पादन व क्षेत्रफल का उपग्रह तकनीकी से वैज्ञानिक आकलन लगाया जा रहा है), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (देसी गयों की नस्ल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मेरा गांव, मेरा गौरव योजना।

मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वो भविष्य में किसानों के लिए लाभप्रद होगा जैसे राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना; भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास; पूर्वोत्तर में 6 नये कृषि महाविद्यालय तथा मेघालय में एक नये केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।

माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी योजनाओं को किसानों तक शीघ्र पहुंचाने की कृपा करें जिससे गांवों से पलायन रूक सके व किसानों का जीवन खुशहाल बन सके।

---

* Speech was laid on the Table.

***श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):** हमारा देश गाँवों का देश है। यहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है। आज भी हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कुल जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा इस व्यवसाय पर निर्भर रहकर अपना जीवनयापन करता है और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती में सहयोग करता है परन्तु आज तक इस देश की कृषि व किसान को ऐसी कोई ठोस योजना नहीं दी गयी जिससे कृषि और किसान का समुचित विकास हो सके। इसके कारण ही सदन में कृषि पर चर्चा कराने की आवश्यकता हुई हे। अभी कुछ दिन पहले बेमौसम बरसात हो जाने के कारण तथा पिछली खरीफ की फसल के समय कम वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ, उसके चलते ही किसान के आत्महत्या जैसे दर्दनाक कार्य करने के लिए मजबूर हो रहा है। इससे अहसास होता है कि कृषि व किसान के लिए मजबूत ठोस योजना देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक कारणों से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए समान/मजबूत इंतजाम करने की जरूरत है। पिछली खरीफ व वर्तमान में रबी की फसल को लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ परंतु किसान के नुकसान की भरपाई किसी भी तरह से नहीं गई। कृषि फसल बीमा का कार्यक्रम तो जारी है परंतु फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। किसान बेहाल है। अतः कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पूरे देश के किसानों का बिजली का बिल और सिंचाई के बिल तत्काल माफ कर दिए जाए और साथ ही मैं चाहूंगी कि केन्द्रीय स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए जो यह आकलन करें कि किसानों को कितनी फसल का नुकसान हुआ है और कहां पर हुआ है। उस टीम में सांसद को भी शामिल किया जाए।

किसान खेती करता है तो उसे उम्मीद होती है कि मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं, अपना घर बनाऊंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा। परन्तु इस तरह से जब बेमौसम बारिश हो जाती है तो वह किसान बर्बाद हो जाता है। मैं जानती हूं क्योंकि उन का दर्द मैंने समझा है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक कोई ऐसी विशेष तकनीक चलाएं जिससे हमारा 'मौसम विभाग' होने वाली ऐसी बेमौसम बरसात और होनी वाली ऐसी प्रलय से पहले ही कोई कदम उठा ले और जिससे किसान पहले से सतर्क हो जाएं।

''कोई चिड़िया चहचहाये तो मुझे अच्छा लगता है।
कोई भंवरा गीत गाये तो मुझे अच्छा लगता है।
कोई किसानों के बारे में सोचता है, तो मुझे अच्छा लगता है।
कोई किसानों को अन्नदाता कहता है, तो मुझे अच्छा लगता है।''

---

* Speech was laid on the Table.

हमारे लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले आते हैं- हरदोई, सीतापुर, कानपुर क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब किसानों ने फसल नुकसान की पीड़ा को मुझसे व्यक्त किया तब मैंने उनसे पूछा आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाये हैं तो अधिकतर लोगों का जवाब था किसान क्रेडिट कार्ड है। फसल का बीमा भी है परन्तु बैंक व बीमा कंपनियां हमसे फसल बीमा का पैसा तो लेती हैं परन्तु फसल का नुकसान हो जाने पर क्लेम नहीं देती है। क्लेम के समय बैंक व बीमा कंपनी कहती है जब तक सरकार दैवी आपदा, बाढ़ सूखा नहीं घोषित करेगी तब तक फसल की बीमा राशि नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार की घोषणा के उपरांत किसानों को जो पैसा आता है, जो सहायता मिलती है उसका लाभ किसानों को नहीं हो पाता। बिचौलिए उसे खा जाते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूॅं कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि उन्हें सीधे तौर पर मिले यानी कि सीधे उनके खातों में जाए।

सरकार से मांग करती हूं कि फसल बीमा की नीतियों में परिवर्तन कर यदि किसी भी किसान के किसी भी खेत या खेत के कुछ हिस्से में फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई यदि फसल बीमा है तो बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए इस बेमौसम बरसात से हमारे लोकसभा क्षेत्र के मिश्रिख के किसानों की लगभग 80 प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई सरकार द्वारा करने की घोषणा अविलंब की जाये तथा कृषि व किसान के विकास के लिए ठोस योजनाएं बनायी जाये जिससे जो अन्नदाता हमें भोजन देता है वह भी भोजन पा सके।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I thank you for giving me an opportunity to speak on the issue of agrarian crisis.

Agriculture scenario in Kerala is getting worse day by day, especially in paddy production.

15.29 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

The provisional estimate of agricultural income of the State recorded a negative growth of 1.79 per cent during 2009-10. The quick estimate for 2010-11 also indicated a decline of 0.78 per cent in growth over 2009-10. The share was 17.48 per cent during 2004-2005, which declined to 10.59 per cent in 2010-2011. The real GDP growth at factored cost increased to 8.5 per cent in 2010-2011 from 8 per cent in 2009-2010 in the country.

After two consecutive years of subdued performance, agriculture … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Member, you can continue it afterwards. Now, we have to take up the Private Members' Business.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): What about the reply? … (*Interruptions*) Already, the Government has stated that the most important matter is being discussed in the House. … (*Interruptions*) The Minister of Parliamentary Affairs has himself said this. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, let him finish.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : What would happen to the reply?… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The reply will come next.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: When will it be? … (*Interruptions*) Sir, already, the Minister of Parliamentary Affairs has stated here the reason why the Government has taken up the discussion under Rule 193 for two days. … (*Interruptions*) It is because it is such an important subject relating to the agrarian situation in the

country. … (*Interruptions*) Why cannot the Government reply now? … (*Interruptions*) We need a reply from the Government. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please allow me to explain. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Till now, we have discussed about the agrarian situation in the country, and the Minister has to reply to the discussion.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, you are correct, but at the same time, it is the priority of the House to take up the Private Members' Business and that cannot be postponed. Therefore, as regards your query about when the Minister will reply, if the House feels, after 6 o'clock …

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: As far as the business is concerned, you can ask as to when the Minister is going to reply and I am not objecting to it. If the House feels that after the Private Members' Business is over at 6 o'clock, then let us sit after that and listen to the reply. I have got no objection to that. But as far as Private Members' Business is concerned, we cannot postpone it and that is all that I am telling. This is my ruling.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, what did the BAC decide, and what did the Minister of Parliamentary Affairs say yesterday? … (*Interruptions*) Sir, you were also there yesterday. … (*Interruptions*) What was decided yesterday? It was decided that at 12 o'clock we will have the reply of the Minister. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The reply at 12 o'clock is a different thing.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: The issue of agrarian situation is very important. … (*Interruptions*) We want to hear the reply of the hon. Minister on this important issue. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Mr. Venugopal, what you say is that this is a very important issue. We have been discussing about the agrarian situation in this country. The Minister has been here, and he is taking notes. There are many more people who want to participate. Why do you want to terminate the debate when the Government wants to hold the debate? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, let him continue.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: It cannot be after one month. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: There is nothing wrong in it. We can have it.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Then why was there this urgency? … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: What would be the importance of the issue if you give the reply after one month? … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : I think that if the Members want to speak on the subject, then it is for the Government to decide how much time we have to allow them to speak and the Government to reply. Now, we have never … (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, the time has already been allotted for it in the BAC. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : The BAC has already allotted time for it. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : Sir, nowhere in the BAC it was decided that the Government would not reply. … (*Interruptions*) It has been precedence for long

that for a discussion under Rule 193, the Members of Parliament participate and the Government will reply. Where is the Government saying that they will not reply? But the Government wants to hear more and more Members. … (*Interruptions*) So, under the Rules, the Private Members' Business is to be taken up at 3.30 pm. If you want to continue, then we will continue with the debate after 6 o'clock. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is the right of the Members, which cannot be forgot.

… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : We will have as many Members to speak, and we will see when the Government has to give a reply. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: I am also agreeing with you on it. But who is responsible for this? … (*Interruptions*) I am also agreeing with your views, but the hon. Minister of Parliamentary Affairs is saying that the topmost priority is Rule 193. … (*Interruptions*) The farmers of the entire country are facing severe problems. … (*Interruptions*) We are eager to hear the Government's view on this issue. … (*Interruptions*) Why is the Government delaying the reply on this important issue? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: We want to know as to when the hon. Minister will give the reply. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. This we will discuss.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Sir, the Government has to tell as to when they are going to give the reply. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already given my ruling on this issue.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: The issue that we are discussing here is very serious. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Karunakaran, what do you want to say?

… (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN : Sir, this discussion was listed two weeks ago, and it has been dragging on a daily basis. … (*Interruptions*) Every day, we see that the discussion under Rule 193 is being listed in the agenda paper. This has not come yesterday or today. This is the duty or the responsibility of the Government to take the agenda in time and complete it.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Shri Karunakaranji, we have taken the Calling Attention Motion. We also have taken other business. This business is continuing. We have the Private Members' Business. It comes after so much of an effort. Shri C.R. Patil is ready to speak. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Entire thing is done at your convenience. … (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: BAC is an advisory body and the House decides. Now it is a mandatory time for the Private Members' Business. Sir, you must ask the Private Member to start his business. … (*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: You want to pass all the Bills, but you are not taking up the Agrarian issue. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Karunakaran, that can be discussed. It can be discussed with all of you.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: What is the use of the discussion when there is no reply?

HON. DEPUTY SPEAKER: It has not concluded. It is still going on. Anyhow, he has to reply. We have sufficient time. Next Session is also there. At that time, let

some more Members speak and then the Minister will reply. Reply is going to be there. It is a serious issue.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue next time.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We can do one thing. If they want the Minister's reply, let this Private Members' Business be over. Then the Bill would come and let that also be over. If they want to sit further and then hear the reply, we can have the reply today also. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : That is why, we are saying that you are diverting the entire parliamentary convention.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Where is the question of diverting it? We are taking only people's issues. We are not taking anything personal. Secondly, hon. Deputy Speaker has rightly observed that this is a very serious issue and many Members are interest to speak. Some more Members want to speak. The Government is ready to accommodate them. If it is not possible today, we can have it during the next part of the Session. The issue is a live issue. Please try to understand. There is nothing personal, nothing pristine. About 40 more names are there to speak. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will take up next time.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If they want to extend it, we will extend it. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will take it up in the next part of the Session.

15.37 hrs

MOTION RE: EIGHTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the House shall take up Private Members' Business.

Shri Shivkumar Udasi.

श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

> " कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 18 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हूं।"

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th March, 2015."

The motion was adopted.

15.38 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Framing of a Comprehensive Scheme providing for development of technical skills amongst youth to enable them to contribute towards making India a modern country and achieving the goal of 'Make in India'...Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will take up further discussion on the following Resolution moved by Shri C.R. Patil on the 19th December, 2014 :--

> "Keeping in view the commitment of the Union Government to promote the development of our country, which can be effectively realized through 'skill development', this House urges upon the Government to frame a comprehensive scheme providing for development of such technical skills amongst youth as would enable them to contribute towards making India a modern country and in achieving the goal of 'Make in India'."

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने यह प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया हुआ है कि हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए ,जैसे कौशल विकास के माध्यम से इसे प्रभावित रूप से साकार किया जा सकता है। इसे देखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह युवाओं में ऐसे कौशल विकास उपलब्ध कराने वाली व्यापक योजना बनाये, जिससे उन्हें भारत को आधुनिक देश बनाने और भारत बनाओ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सहायता मिलेगी।

15.39 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

माननीय सभापति जी, इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण से देश के युवाओं को एक संदेश दिया था, एक दिशा दी थी और युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यह भी बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत देश में कुल जनसंख्या के 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष की आयु से कम हैं। उन्हें अगर विविध क्षेत्र में कुशलता हासिल करनी है, तो सरकार उसके लिए मदद करने को तैयार है। हमारे देश के युवाओं को कुशल ड्राइवर, पलम्बर, इलैक्ट्रीशियन और कुक इत्यादि क्षेत्रों में अच्छा मौका मिल सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया था कि कुशल प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन इंजीनियर के बराबर पैसा कमा सकता है। आज देश में युवाओं ने आईटी क्षेत्र में क्रांति की है। विश्व में हमारे देश के युवा आईटी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश की युवा जनसंख्या विश्व को कुशल कारीगर दे सकती है। विश्व की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता देश के युवाओं में है। विश्व में स्कील वर्कर्स की बहुत डिमांड है। इसे पूरा करने के लिए हमारे देश के युवा सक्षम भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास स्किल वर्कर्स होंगे तो अलग-अलग इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में बढ़ावा होगा, अच्छी क्वालिटी का सामान पैदा होगा। हम इससे ज्यादा दाम ले सकेंगे और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का माल दे सकेंगे। इससे युवाओं में ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देश के नौजवान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको कौशल के आधार पर काम मिले, इसलिए वह कौशल सीखना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अलग-अलग एलोकेटिड फंड्स का 97 परसेंट उपयोग किया था। यही कारण है कि पूरे देश में जो सौ नौकरियां पैदा होती थीं, उसमें से 71 परसेंट नौकरियां गुजरात में पैदा होती थी और युवा गुजरात की तरफ आकर्षित होते थे। यह एक इतिहास बना है। आज भी गुजरात का युवा नौकरी ढूंढने किसी और राज्य में नहीं जाता है क्योंकि उसके लिए गुजरात में ही इतनी उपलब्धियां हैं कि उसे किसी और राज्य की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुजरात में कौशल बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सम्मान गुजरात को दिलाया है। यही कारण है कि देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ आस लगाकर बैठा है। उन्हें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जैसा किया है, वैसे ही देश में युवाओं के लिए जॉब क्रिएट करेंगे और युवाओं को किसी और राज्य में रोजगार की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा।

महोदय, अगर हमें ड्राइवर चाहिए तो स्किल ड्राइवर उपलब्ध नहीं होता है। अगर अच्छा प्लम्बर चाहिए होता है तो वह भी उपलब्ध नहीं होता है। हमें अच्छा कुक भी नहीं मिलता है। दिल्ली की ही बात लीजिए, अगर कोई कुक चाहिए तो नहीं मिलता है। हमें अच्छा पुजारी की भी जरूरत होती है। अगर उसके पास स्किल है तो वह पूजा का अच्छा काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में आदिवासी विस्तार के लिए युवाओं को ड्राइवर की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सैंटर शुरु किए थे। गुजरात में ट्रेनिंग सैंटर से ट्रेनिंग लेने वालों की बहुत डिमांड है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वहीं के ट्रेंड ड्राइवर को रखना चाहते हैं। अगर ड्राइवर के पास स्किल नहीं है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगर वह ट्रेंड है तो वह अच्छी तरह से गाड़ी चलाएगा और बैठने वाला सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है यही वजह है कि स्किल ड्राइवर की डिमांड रहती है। गुजरात में यह पासिबल हो सका है क्योंकि यहां ट्रेनिंग सैंटर बना हुआ है।

गुजरात में सूरत शहर में करीब दस लाख से ज्यादा टैक्सटाइल कारीगर हैं। आज भी उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। पूरे देश के 70 परसेंट कपड़े का प्रोडक्शन सूरत में होता है। उनकी मौलिकता की वजह से नए डिजाइन का कपड़ा तैयार होता है, जो महिलाओं को आकर्षित करता है। विदेशों में बहुत कपड़ा यहीं से ही जाता है। इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं तो कम कॉस्ट में ज्यादा उत्पादन लाने की क्षमता वे रखते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। सूरत में टैक्सटाइल में मौलिकता के आधार पर नया विकास होता ही है परंतु स्किल डवलपमेंट के साथ जो किया जाए तो सोने पर सुहागा हो सकता है। पूरे देश के लोगों को सस्ता कपड़ा मिल सकता है। अच्छी क्वॉलिटी भी मिल सकती है। आज भी टैक्सटाइल के कारीगरों को 14-15 हजार रुपये की तनख्वाह मिलती है। अगर उन्हें ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो उनके पगार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ सूरत डाइमंड इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सूरत शहर में गुजरात सरकार ने ड्रीम सिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट डिक्लेअर किया है। उसके अंदर करीब दो साल में डायमंड वर्क शुरु हो जाने की संभावना है और लगभग लाखों लोगों को वहां पर नयी नौकरी मिलने की संभावना खड़ी हो गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा भी इस परियोजना के लिए सभी प्रकार की सहायता मिल रही है और सूरत में तैयार होने वाला डायमंड पूरे विश्व में बिकता है। डायमंड इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं, उनको अंदाजे से 25000 रुपये से ज्यादा पगार मिलती है और उनको यदि प्रशिक्षित किया जाए तो उत्पादन में भी बढ़ावा हो सकता है और इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सूरत शहर के एक डायमंड व्यापारी ने दो तीन महीने पहले अपने रत्न कलाकारों को, जिन्होंने वैल्यू एडीशन दिया, जिन्होंने अच्छा प्रोडक्शन दिया, उन लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में इनाम दिया, किसी को कार दी, किसी को फ्लैट दिया, किसी को डायमंड की ज्वैलरी दी तो एक तरह से उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की क्योंकि उसको फायदा हुआ था। 450 कारें उनको अपने कारीगरों को दी थीं। बाकी मकान वगैरह तो अलग से है।

मुझे लगता है कि विशेष रूप से गुजरात में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां आज गुजरात में हैं। गुजरात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है और आज जो उत्पादन शुरु किया है तो उनको भी स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए। आज के जमाने में हाउस कीपिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। हमारे राष्ट्रपति भवन से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में भी हाउस कीपिंग का कांट्रैक्ट दिया जाता है। उनके लिए भी स्कूल वर्कर्स की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र ही सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को देता है। मगर वहां भी कृषि वर्कर्स के लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है लेकिन अनस्किल्ड

होने के बावजूद भी अपने अनुभव के आधार पर कृषि क्षेत्र के वर्कर्स ने उत्पादन में क्रांति की है और जरुरत से ज्यादा धान का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। हम कृषि उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं और अगर उनके लिए सैमीनार द्वारा छोटे छोटे वर्कशॉप करके उनको ट्रेन्ड किया जाए तो उससे ज्यादा उत्पादन होने की संभावना है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी मजबूती आ सकती है। मेरी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को स्किल डवलपमेंट देने का लक्ष्य रखा है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। लक्ष्य के प्रति उनकी गंभीरता हम देख रहे हैं और वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को वह जरूर पूरा कर सकते हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा स्किल डवलपमेंट आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो स्किल डवलपमेंट का कार्य हो रहा है, उस कार्य में तेजी लाने के लिए मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं कि भिन्न भिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा कौशल्य विकास के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके बदले में उन सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। यानी पूरे राष्ट्र के लिए कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्यक्रम को एक जैसा करने की आवश्यकता है। कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्यक्रम पूरे देश में एक करने के बाद इससे संबंधित मंत्रालय और विभाग जिस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए विशेष मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लक्ष्यों के सम्पूर्ण प्राप्ति में कोई कमी न रहे। कौशल विकास से संबंधित वर्ष 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्किल कोर्स को दो भागों में बांटने की आवश्यकता है। एक है, जो युवक और युवतियाँ पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट का कोर्स अलग होना चाहिए क्योंकि वे इस क्षेत्र में नये हैं और जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको रि-स्किलिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास जो कौशल्य है, वह पूर्ण नहीं है। उनको पूर्ण कौशल्य देने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिसिएंसी बढ़ाने के लिए उनका कोर्स अलग प्रकार का होना चाहिए। स्कूलों में सेकेन्ड्री और हायर सेकेन्ड्री लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर का एक विषय जोड़ने की आवश्यकता है। उससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हमारा लक्ष्य जल्दी पूरा हो सकता है। अभी जो स्किल दी जा रही है उसका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि स्किल्ड वर्कर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए स्किल देने के बाद सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इसे देने के लिए भारत में सर्टिफाइड एजेंसी की जरूरत भी होगी। केवल सर्टिफिकेट आधार पर उसको अलग-अलग देशों में जाने में सुविधा हो जाएगी। कौशल्य विकास के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार की बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब जरूरी यह है कि उनका आउटकम क्या है, यह जानने के लिए इंस्टीट्यूट को यह जिम्मेदारी दी जाए कि

स्किल कोर्स करने वाला युवक और युवती कोई बिजनेस कर रहा है या नहीं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या नहीं? इन सब जानकारी से हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भारत को एक मजबूत मेनुफेक्चरिंग फाउण्डेशन बनानी होगी। इंजीनियरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पिछले कई वर्षों से 15 प्रतिशत पर ही टिका है। हमारे पास एक ऐसा प्रपोज़ल है कि हम इसे 25 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर अभी भी लेबर फोर्स का 12.6 प्रतिशत है। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर के पास ऐसी क्षमता है कि वह और जॉब पर यूनिक आउटपुट दे सकता है। 25 बिलियन नए काम पैदा करने में इस सेक्टर का बढ़ा योगदान है। अभी इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। यह एक ऐसा सेक्टर है जो देश को उन्नति की नई मंजिलों की ओर ले जा सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार को मेनुफेक्चरिंग के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, उन्हें दूर करना होगा। ऐसा करने से एक ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्किल लोगों को काम भी मिलेगा। हमें हमारे देश के उद्योगों को बढ़ावा देना होगा ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। स्किल को बढ़ावा देने का एक कदम देश में मेनुफेक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा और उसको ऐसा बनाना होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान दे सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "Keeping in view the commitment of the Union Government to promote the development of our country, which can be effectively realized through 'skill development', this House urges upon the Government to frame a comprehensive scheme providing for development of such technical skills amongst youth as would enable them to contribute towards making India a modern country and in achieving the goal of 'Make in India'."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the beginning, I must appreciate the hon. Member and esteemed colleague Shri C.R. Patil who has moved his Resolution which is very much relevant in view of the present situation of our society, in view of the job opportunities in our country, and the growing need for skills.

In this year's Budget, it has been stated that India is one of the youngest nations in the world with more than 54 per cent of the total population below 25 years of age. Our young people have to be both educated and employable for the jobs of the 21st century.

The hon. Prime Minister explained how 'Skill India' has to be closely coordinated with 'Make in India'. Yet, today less than 5 per cent of our potential work force gets formal skill training to be employable and stay employable. In the Economic Survey of 2015 it has been stated that merely 2 per cent of the country's work force is skilled. There is a dual challenge of developing skills and utilising them in a proper way. Promoting growth of micro, small and medium enterprises is critical from the perspective of job creation which has been recognised as a prime mover of the development agenda in India.

Sir, the problem is that there is a dearth of formal vocational education, high school drop-out rates, inadequate skill training capacity, negative perception towards skill, lack of industry-related skills even in professional courses. These are the major causes of poor skill level of India's work force. The Survey said that the major impediment to the pace of quality employment generation in India is the small share of manufacturing in total employment. However, National Survey Organisation's 68th Round indicated a revival in employment growth in manufacturing from 11 per cent in 2009-10 to 12.6 per cent in 2011-12. This is significant given that the National Manufacturing Policy 2011 has set a target of creating 100 million jobs by 2022.

We need skill because there is a severe shortage of skilled manpower in our country. So, in spite of the fact that India is host to the largest youth population in

the world, we have so far failed to extract the demographic dividend of our youth population. So, we have to be very careful that in the rhetorical exercise of 'Make in India' or 'Skilled India' and see that our demographic dividend should not get translated into a demographic burden. To that end, the Indian Government has been pursuing, for long, various skill development programmes in our country. When we attained Independence, 80 per cent of our population used to live in the rural areas, it has now been reduced to 70 per cent. When we attained Independence only 12 per cent of our population was educated, now the percentage has been increased to 74 per cent of our population. However, in spite of all the advantages we have gained over the decades, there is a severe mismatch between the supply of skilled manpower and the demand for it. Now, technology has been growing in a mind-boggling pace. Industry needs more and more technology savvy skilled work force which we need in order to cater to promote our economy, in order to create employment opportunities.

To achieve this target, the Skill Development Policy was announced in the year 2009 and a governance structure was designed. A Council with the hon. Prime Minister as the Chairperson was constituted to drive the policy. National Skill Development Corporation was set up in 2011 to involve the private sector in this initiative and a target to train 150 million workers was assigned to them. Budgets and targets were allocated to about 17 Ministries.

16.00 hrs

For better coordination among various stakeholders, a National Skill Development Coordination Board was set up in the year 2008 under the Planning Commission. In order to devise the strategy, chart out the plan, promote skill development, provide guidance to stakeholders and implementing agencies, a National Skill Development Agency under the Ministry of Finance was constituted. The National Skill Development Policy also outlined the academic structure by constituting National Skill Qualification Framework which provides

horizontal and vertical entry and exit system in pursuing vocational education. Vocational education is an imperative need to skill our future generation.

What is the present scenario of unemployment in our country? Why do we need Skill India? Why do we need India should be a skilling capital of the world, a skilling hub of the world? It is because India has a great opportunity. In the developed countries like America, Europe and Japan, gay population has been increasing which could be compensated by the talent outflow, by the skill outflow of the Indian population.

Sir, I would like to draw the attention of our hon. Minister Shri Rudy ji who has taken the charge of this very precious Ministry. However, I do not know how he will coordinate with the Ministries concerned so as to converge all the programmes into the skill development domain because it is an intricate job that, I think, he has been entrusted with. However, I am wholeheartedly wishing him a bright success.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I just take a minute. Hon. Minister, Shri Chowdhury is praising you a lot. I think he is thinking that you are going to give a lot of money to West Bengal and other areas! But totally your Budget itself is hardly, I think, Rs.40 crore or something like that. It is not much. You have to stretch your hands to all the Departments and collect it.

हमारे यहां एक कहावत है कि - एक रुपए का बजट और घड़ी भर की फुर्सत नहीं, यह विभाग भी वैसा ही है। आप स्किल डवलपमेंट के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं, उसे देखते हुए और आपके बजट को देखने से लगता है कि इस साल स्किल डवलपमेंट में कुछ होने का अंदाजा नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी आपके साथ नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): आपकी आखिरी बात का जवाब देना चाहता हूं कि बजट से कम से कम 25 गुना ज्यादा हमारे पास साधन हैं। भारत सरकार में लगभग तमाम मंत्रालयों द्वारा इस पर 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON : He is a coordinator!

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, what I would suggest is that the Government has to realize that out of the total training so far provided in skill development which caters to the organized sector, it is providing jobs only to 9 per cent. We need to look towards our unorganized sector and improve the skills of workers so that they benefit from this Mission. We also need to understand the strength of our villages and forests which cater to half of the job opportunity of the country. Unless our farmer improves his skills, he will not be able to produce more.

We have more than 250 non-timber forest products in our forests which can change the life of the tribal and improve his living condition. Only if we skill them and provide them with techniques like processing, packaging, and marketing his products, it would help them to reap the benefits from this programme.

What is the present scenario? Sir, 2011 data found that more than 20 per cent of Indians in the age group of 15-24 years were jobless and are still seeking work. In absolute terms, this army of unemployed is staggering huge around 4.7 crore, of which 2.6 crore were man and 2.1 crore were women. Among Dalits, the unemployment rate in the working age population of 15-59 years was a shocking 18 per cent, which is much higher than the general population. Among Adivasis, the unemployment rate was even higher, over 19 per cent. These are the two most marginalised sections of Indian society, and clearly they are struggling with widespread unemployment.

Naturally, those sections need to be given prime focus so that we can create an inclusive society. To that end, the National Manufacturing Policy of the Government was framed for providing 10 crore jobs by the year 2012. According to the last three surveys, the workforce grew from 45.91 crore persons in 2004-05 to 47.41 crore persons in 2011-12; the unemployment level decreased from 1.08 crore to 1.06 crore during the corresponding period. In order to improve the employability of the youth, around 20 Ministries run skill development schemes across 70 sectors.

What is the National Skill Development Mission? The National Skill Development Mission was launched in 2010 which consists of three institutions – the National Council of Skill Development, the National Skill Development Coordination Board, and the National Skill Development Corporation. The National Policy on Skill Development was approved by the Indian Government. The target sometime fixed for the financial year 2011-12, skilling target was fixed at 46.53 lakhs, and the achievement was 45.58 lakhs, that is, 98 per cent. In 2012-13, 72.51 lakh target was fixed and the achievement was 72 per cent. For 2013-14, 73 lakh skilling target was fixed, and the achievement was 104 per cent. For 2014-15, skilling target was fixed at 105 per cent was fixed but the achievement was 31.5 per cent.

I know that I do not have adequate time as is required. What I would like to draw the attention of the Government is that while devising the New Development Scheme, the Government should take a meticulous planning, and create a proper futuristic scenario so that the chasm between the skill gaps could be bridged. The skill gaps and the potential job opportunities should be linked while formulating any skill development scheme.

Skill development programmes should be focused on creating self-employment needs, to have adequate market linkages, such as, access to marketing know-how, coordination between sellers and buyers, low-cost financing that will help the newly skilled entrepreneurs to stay afloat and grow.

Sir, the newly skilled entrepreneurs could provide a huge potentiality especially to the unemployment sectors in our backward regions. Ruralization is another aspect that needs to be taken care of. During the period from 2004-05 to 2011-12, about 37 million people left agriculture and strived hard to earn from the urban areas. So, there had been a huge exodus that took place during that period. But already our urban infrastructure is about to crumble. Our urban infrastructure is not adequate to cope up the huge inflow, the huge migration, the huge traffic from rural to urban area. That is why, we should devise our ways and means so

that rural unemployed youths could be better accommodated in entrepreneurial jobs, in skilled jobs in their own environment so that the migration from rural to urban area could at least be abated.

Secondly, it is a very pertinent issue that मान लीजिए मैंने किसी को स्किल्ड बना दिया, स्किल्ड बनाने के बाद क्या होगा। पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि स्किल करने के बाद उन्हें नौकरी मिले। दूसरा यह देखना पड़ेगा कि उनकी नौकरी की गारंटी रहे। उनकी सिक्युरिटी क्या होगी, उनका अपग्रेडेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हम सबको देखनी पडेंगी। सिर्फ स्किल्ड बनाना ही हमारे काम का अंत नहीं है। स्किल बनाने के बाद उसके साथ और जो दूसरे मुद्दे हैं, उन सबके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में हम लोग टैक्नोलोजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हाउस में मंत्री जी बोलते रहते हैं कि 97 परसैन्ट पापुलेशन को मोबाइल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

Technology can be considered a harbinger of such a change and inclusive skills development. However, poor internet connectivity still remains a bugbear. Internet connectivity needs to be enhanced because we have a programme of National Optical Fibre Network which is amounting to Rs. 20,000 crore and which aims to provide high-speed broadband connectivity to 2,50,000 gram panchayats across the country in order to deliver services such as healthcare, education and commerce. My question is this. Why cannot this be utilized to deliver skills training in Government school premises that lie unused after school hours? स्कूल खत्म होने के बाद इन स्कूलों के सारे एरियाज को हम लोग स्किल डैवलपमैन्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किल डैवलपमैन्ट चाहते हैं, उन्हें दस से पांच स्कूल की जरूरत नहीं होती है। मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि चाहे केन्द्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, दोनों तरफ से स्किल डैवलपमैन्ट पर ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमैन्ट नहीं हो रहा है। The State Governments and the Central Government, both the Governments should increase allocation towards skill development. जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में, उच्च शिक्षा अभियान में हम पैसे का एलोकेशन कर रहे हैं, उसी तरह स्किल डैवलपमैन्ट में भी हमें पैसे का एलोकेशन करना चाहिए और जो स्कूल्स हैं, इन स्कूलों के करिकुलम में हमें स्किल डैवलपमैन्ट को शामिल करना चाहिए। इसके साथ-साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को हमें परसुएड करना चाहिए कि आप दो-चार स्कूलों को एडाप्ट करो और इन्हें स्किल्ड बनाओ और जॉब अपार्चुनिटी को निश्चित करो। जो इंडस्ट्रीज है, वह जो स्कूल एडॉप्ट करेगा, ये

स्किल डिवेल्पमेंट देगी, उन सबको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में स्किल डिवेल्पमेंट के दौरान हमारे देश के जो अनएंप्लॉएड यूथ है, उनके लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष जी, आदरणीय पाटिल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइवेट मैंबर्स बिल ले कर आए हैं, मैं इनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हिंदुस्तान को हर साल दो करोड़ स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। जबकि 67 साल की आजादी के पश्चात् हम केवल 43 लाख स्किल्ड लेबर्र को ही हम ट्रेनिंग दे पा रहे थे। महोदय, अभी खड़गे जी ने खड़ा हो कर हमारे इस जो मिशन के बारे में कहा, जो मिशन हमने स्किल डिवेल्पमेंट का लिया है और जिसके अंतर्गत 2022 तक 50 करोड़ स्किल डिवेल्पमेंट वर्कफोर्स खड़ा करने का संकल्प लिया है। मैं खड़गे जी को यह बताना चाहता हूँ कि 67 साल की आजादी के बाद भी आज तक भारत दुनिया की मात्र 10 प्रतिशत स्किल्ड वर्कफोर्स ही क्यों खड़ी कर पाया? आज कोरिया की जनता का 96 प्रतिशत स्किल्ड है। जापान में 80 प्रतिशत है। जर्मनी में 75 प्रतिशत है। यूनाइटिड किंगडम में 68 प्रतिशत है तो भारत पिछले 67 वर्षों में स्किल डिवेल्पमेंट के मामले में इतना क्यों पिछड़ गया? हिंदुस्तान के अंदर अधिकतर कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। ये गरीबों की बात करते रहे, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के उन 25 प्रतिशत शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब की तरफ भी नहीं देखा, जिनके बच्चे आज विस्फोटक बेरोजगारी का शिकार हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर पिछले 67 वर्षों में 10 करोड़ पढ़े-लिखों की फौज खड़ी हो गई, इसका जिम्मेवार आज कौन है? आज भी जब हम देखते हैं कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ 30 लाख स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर 3 करोड़ 50 लाख लोगों की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आज भी हमें 3 करोड़ 30 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट में हमें 1 करोड़ 77 लाख की आवश्यकता है। रिटेल में हमें एक करोड़ 73 लाख की आवश्यकता है। हैल्थकेयर के अंदर आज हमें 1 करोड़ 27 लाख की वर्कफोर्स की आवश्यकता है। जैसाकि मैंने कहा कि हमें हर वर्ष 2 करोड़ स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, हम बधाई देना चाहते हैं भारत के प्रधान मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका ध्यान स्किल डिवेल्पमेंट की ओर गया और उन्होंने इसके लिए एक एक अलग मंत्रालय बनाया और मंत्रालय बना कर उसका प्रभार भी एक यंग टर्क मंत्री रूडी जी को दिया है। मैं यह आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से ये जहाज को आसमान की बुलंदियों पर ले जाते है, इसी तरह से ये स्किल्ड डिवेल्पमेंट के इस कार्यक्रम को, भारत के इस कार्यक्रम को जो परम आरणीय मोदी जी ने जो शुरू किया है, इस कार्यक्रम को भी ये ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह सब तो अच्छा है, लेकिन हाथ में बैट ही नहीं है तो क्या मारेंगे? ...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया: बैट है सर। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो जनसमर्थन मिला है, इस जनसमर्थन में हिन्दुस्तान के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दुस्तान के युवाओं ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की आँखों में एक सपना देखा कि यह वह व्यक्तित्व है जो हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। आज यूपीए शासनकाल में भ्रष्टाचार की वजह से, जिस वजह की निराशा हिन्दुस्तान के लोगों के अंदर थी, जिस प्रकार वे अपने भविष्य को लेकर तड़प रहे थे, उनको किसी ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत थी जो उनको रोशनी दिखा सके। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुस्तान के युवाओं को वह रोशनी दिखाई और आज जब हमारी सरकार है, तो उनके सपनों को पूरा करने का सारा दायित्व हमारे ऊपर है। हमारे देश के 25 साल से कम के जो 54 प्रतिशत युवा हैं, ये कल हमारी ग्रोथ स्टोरी को लिखने वाले हैं। आज हमें उस क्षेत्र के अंदर आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है।

महोदय, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ भारतवर्ष आई थीं। उन्होंने कहा कि जो कल तक यह मानते थे कि हिन्दुस्तान कहीं स्टैन्ड नहीं करता, आज वर्ल्ड बैंक की चीफ ने भी यह कहा है कि ऐ भारत के लोगो! सीज़ द अपॉर्चुनिटी। आज दुनिया आपकी ओर देख रही है। आपने नौ महीने के अंदर ही चाइना की अर्थव्यवस्था को भी पीछे पछाड़ दिया है। आज मैं देख रहा था कि भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति की लोकप्रियता को भी पीछे पछाड़ दिया है, इस प्रकार के कार्यक्रम हमने अपने देश के अंदर लिये हैं।

मैं आदरणीय सदस्य महोदय का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री रूडी जी से पूरी-पूरी आशा करते हुए यह जताना चाहूँगा कि आप भी यंग्स्टर हैं और हिन्दुस्तान का युवा आपके अंदर अपनी आशाओं को पूरा होने का सपना देख रहा है। आइए, हम सब मिलकर इस भारत को महान बनाएँ।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Respected Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Resolution.

First of all, I would like to thank Mr. C.R. Patil for raising this important issue. We can know from the narrations of our colleagues that it is a very important issue regarding 'Make in India' as it is related to skill development. About 65 per cent population of India is youth and most of them are without any job.

We are glad that we are having so much of youth, which should be the main workforce for building modern India. But it is for our policies, programmes and initiatives that we could not make use of them.

The previous speaker from West Bengal has already said about the steps of coming to this position of idea of skill development. Though it is coming in phases in different ages – from year after year – yet there is no comprehensive programme really to deal with that. अगर यह रिज़ॉल्यूशन साकार हो गया तो यह काम में आएगा। Most of the people have said what is it about, what we should do but I think it has got various stages. First of all, 'Make in India' vision is a very good thing and to make that vision it in action requires proper planning. In this resolution, we have a big task because it involves actually a holistic approach by different Ministries and different sorts of people. So, everybody has said so and has given various statistics also. I would just mention a few things to be included, if possible, in this Skill Development. There are a lot of workers who are unskilled who make the gold ornaments. The main force of making ornaments for different parts of our country especially for the Gujarat and Mumbai people are from the West Bengal especially from the areas of Murshidabad, parts of Nadia district, Howrah, Burdman and Hooghly. These people are quite efficient and they are doing the job at various places but because of their non-availability of the recognized certificate/degree, they are really very ill-fed. If we can put them

under Skill Development Programme and give a proper certification, they can have their own small enterprises. They are also going to Middle East and other foreign countries but they hardly are paid. There they can have foreign money also for India if they are also properly skilled.

There is another section of workers who are lady zari workers. I do not know about the other States. Zari work is done all over India. Adhir Choudhary who is my friend, always mentions about zari workers. He is from Murshidabad. Most people of Murshidabad and Howrah belt, work in the zari field. He mentioned about the provision of the Skill Development programmes through rural regions. I request that zari workers also need a proper skill and zari work is done in saree and dress materials. It is very popular not only all over India and the sub-continent but also these things are transported to the other places, that is to the developed countries.

We also have another section of workers who are very innocent. They are very skilled but they do not have any certification. They are mason workers. We call them *Raj Mistries* who make the building and they are very good in architecture. If you can visit the villages in the Bengal, you will be very surprised to see very beautiful small buildings with good architectural beauties and those *Raj mistries* are not even trained. If we make the provision of this skill development, it will be very good. These Raj mistries are building big mansions in UK and even in France. They are constructing the bridges with the help of these workers.

There is another one. You know, it is West Bengal's beauty stitches, that is, *katha's* stitch over the rugged clothes. It is made for ओढ़ने वाले चद्दर के लिए होते हैं। Now it is used in sarees and dresses all over. The other day we had a meeting with the European Parliamentarians. There, one of the ladies wore something like *katha* cloth. She asked me, "What is this?" I said, "This is a stitching system, and it is coming from West Bengal." So, this is very popular. So, those unskilled workers

can be taken under the purview and we can teach many other people in these things also.

Another thing that we all know is garment business. I am sorry. I do not remember the name of my friend. From Gujarat somebody has already mentioned about the clothes and other things in Surat. I would say now-a-days, whenever we go to UK, USA or anywhere, when you buy a shirt in big shops in the markets like Spencer and all, you will find either it is made in China or Korea or Bangladesh, and the fifth country is India. So, we can become first also in this stitching and tailoring business.

Another fact is that the women of Bangladesh are empowered by the Government. So, we can make the same thing in India suiting to our purview also because as you know about the garment factories in Bangladesh, they are all run by women.

Then, you may know another thing which is leather design. The Shanti Niketan leather design is famous. This also needs skill development. Those Shanti Niketan bags, shoes, etc., are famous. So, with this skill development, we can empower the youth. They can be imparted skill training. As already Adhir Chowdhury said, not only in micro enterprises but also in bigger enterprises and even in factory produced things, we can impart them skill training.

As far as including this in schools is concerned, my other friend has suggested for including it in school. That may be possible. Or, even if it is not possible, we can do these things with the school dropouts. Along with some teachings in mathematics or in vernacular language and a little bit of English, we can give them certification. Later on, I would request our hon. lady Minister in the HRD Ministry regarding this.

It is a very pertinent Resolution. I think we should all pass it. The constraint of the Minister is money. Everybody knows that. As you have already mentioned, that money may be coming. I should say it is a holistic approach. If it is concerned with women empowerment, then the Department of Women and Child

Development can give some of it or we can give it by loan also to the skill developed persons so that when they make enterprise, they can return part of it back to the Government.

With these few words, I am concluding. Thank you very much.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री सी.आर. पाटिल जी 'मेक इन इंडिया' और स्किल इंडिया के ऊपर प्राइवेट मैम्बर रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक सपना लेकर जाता है कि मैं पढूंगा-लिखूंगा, और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। उसका पूरा परिवार और वह 25 साल तक इस उम्मीद में शिक्षा प्राप्त करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर आत्मनिर्भर बनेगा और कुछ रोजगार पाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी, जिस तरह से बच्चे पढ़ कर निकलते थे, वे किताबी पढ़ाई तो करते थे, लेकिन योग्यता में कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी रह जाती थी, जो योग्यता उन फैक्ट्रीज, कंपनियों और बड़े-बड़े लोगों को चाहिए थी, उनमें वह फिट नहीं होती थी। इसी वजह से हमारा युवा, हमारा व्यक्ति जो मेहनत करता था, लम्बी मेहनत के बावजूद भी कहीं रोजगार प्राप्त करने से दूर रह जाता था। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझा था। एक बार उन्होंने लाल किले से भी सुनाया था कि उनके पास एक लड़का आया तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो। वह बच्चा नौकरी चाहता था। उसने कहा कि बीए पास हूं। दुबारा पूछा कि तुमको क्या आता है। उसने फिर बोला कि बीए पास हूं। तब प्रधान मंत्री जी को भी लगा कि लोग शैक्षणिक योग्यता और किताबी ज्ञान को ही अपनी योग्यता समझ लेते हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस कमी को बहुत गहराई से समझा था। जब पहली बार लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, उसी में उन्होंने अपनी पीड़ा को उजागर किया था। उन्होंने उसी भाषण में संकल्प लिया था कि इस देश में हम स्किल इंडिया डैवलपमैंट का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करेंगे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा करेंगी। प्रधान मंत्री जी ने इसी सपने को पूरा करने के लिए लाल किले से घोषणा की थी। लाल किले से घोषणा नेशनल स्किल डैवलपमैंट एजेंसी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी ने 13 जून, 2014 में अपनी प्रतिबद्धता को, जो देश के युवाओं, बेरोजगार लोगों के लिए थी, उसे दर्शाया था। इसे पूर्ण करने के लिए हमारे होनहार मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी को कार्य दिया गया। उन्होंने लगभग 22 मंत्रालयों और अन्य विभागों के साथ मिलकर 73 प्रकार के ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए जिसके माध्यम से डैवलपमैंट स्कीम का लाभ दे सकें। देश के हर जिले में स्किल डैवलपमैंट का कोर्स चलाकर उसका लाभ उन युवाओं को रोजगार देने के लिए कर सकें, ऐसा समन्वय, योजना युवा मंत्री द्वारा बनाई गई। मुझे उम्मीद है कि इस योजना का लाभ पूरे देश में वे सभी सांसदों के साथ मिलकर पूर्ण करेंगे।

प्रधान मंत्री जी ने देश के लोगों के लिए वर्ष 2022 तक कुछ लक्ष्य रखे हैं। उनमें महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि 2022 तक लगभग 30 करोड़ लोगों को स्किल डैवलपमैंट के माध्यम से ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैं आशा करता हूं कि सभी सांसद, पूरी टीम इंडिया मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करेंगे।

क्रिसल नाम की एजेंसी ने एक सर्वे किया कि वर्ष 2005 से 2010 के बीच लगभग 10 करोड़ युवाओं ने श्रम बाजार में प्रवेश किया था। वे इस लैवल पर आए कि श्रम शक्ति के माध्यम से रोजगार पा सकते थे और देश के निर्माण में साथ दे सकते थे। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय रहा कि इन 10 करोड़ श्रम शक्ति का उपयोग न के बराबर हुआ और इनमें से सिर्फ 5 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने में हम सफल रहे। उस वक्त क्या कमियां रहीं, उन्हीं को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री जी ने स्किल इंडिया डैवलपमैंट को मिशन बनाया। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश का गौरव बढ़ाने, हर चीज का उत्पादन देश में करने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था। मेक इन इंडिया के सपने की उन्होंने 25 सितम्बर, 2014 को पूरी दुनिया के सामने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में घोषणा की। उसी दिन से पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगी थी। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री ने पूरी दुनिया के देशों को आह्वान किया था कि हिन्दुस्तान आइए और भारत में इन्वैस्टमैंट कीजिए, एफडीआई की योजना बनाकर विभिन्न देशों को निमंत्रण दिया था। फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट न होकर फर्स्ट डैवलप इंडिया उनका मिशन बन गया था।

मैं राजस्थान सरकार की स्किल इंडिया डैवलपमैंट की योजना की इसके अंतर्गत तारीफ करना चाहूंगा। राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रधान मंत्री जी की इस भावना को देश में सबसे पहले हाथों-हाथ लिया था।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कील डेवलपमेंट में अगर किसी ने कार्य किया है तो वह श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में किया है। मै विश्वास कर सकता हूं कि हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मिलकर स्कील इंडिया और मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे देश के युवाओं, देश के नौजवानों को रोजगार और योग्यता के अनुसार उनको रोजगार देगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रौशन करेगा और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने का हक पाएगा।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदय, हमारे विद्वान साथी सी.आर.पाटील जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की संरचना गांव की संरचना है। पूरा देश गांव में बसता है, जब उसकी परिकल्पना बनाई जाती है वहां के किसानों को एक नाई की जरूरत पड़ती थी, एक धोबी की जरूरत पड़ती थी, एक वैद्य की जरूरत पड़ती थी, एक दाई की जरूरत पड़ती थी। किसान के साथ पशुपालक, लोहार और कुम्हार और बढ़ई की जरूरत पड़ती थी और इनके पास अगर कौशल नहीं होता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। यह कौशल उनको प्रकृति प्रदत्त या परिवार प्रदत्त था। यही कारण है कि जब हम गांव में जाते हैं तो लोग पूछते और कहते हैं कि क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा, क्या कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई ही बनेगा, सोनार का बेटा सोनार ही बनेगा और कलेक्टर का बैटा कलेक्टर ही बनेगा, क्या ऐसा होगा? इस समाज के परिवर्तन के लिए ही सारा कुछ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विद्या की तरफ आकर्षित होना, उसका भी यही कारण है। कालांतर में हमने देखा है कि कभी भारत कौशल विद्या में सबसे अग्रिम था, उसका प्रतीक है, उसका साक्षात उदाहरण है, आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता सके हैं कि अशोक स्तंभ जो लगा हुआ है वह किस ऍलाए का बना हुआ है और उस ऍलाए को गलाने के लिए कौन सी भट्टी यूज की गई थी, वह कितनी बड़ी भट्टी थी, कितनी बड़ी ब्लास्ट फर्निश थी या कास्टिंग फर्निश थी, वह तकनीक किसके पास थी, उसे कौन लेकर आया था, आज तक उसका जवाब नहीं दे सके हैं। यही नहीं मुगलिया सल्तनत के समय जो ताजमहल बना, उसको बनाने वाले कारीगर कौन थे? उसे बनाने वाले कारीगर भारतवासी ही थे। अगर कौशल विद्या नहीं होती तो ताजमहल नहीं बन पाता। जो बिना बीम लगाए हुए स्तूप बने हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप बिना कोई बीम दिए हुए बने हैं, बिना कोई रिइनफोर्समेंट दिए हुए बने हैं, यह टेक्नोलॉजी कहां से आई, यह वास्तुकला कहां से आई, यह वास्तुशास्त्र किसका है, वह कौन सी टेक्नोलॉजी थी। आप पूरे दक्षिण भारत के मंदिर देख लीजिए, पश्चिम भारत और राजस्थान के किले देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सारे कारीगर भारतवासी ही थे, हमारे ही पूर्वज थे। पार्लियामेंट को बनाने का निर्णय ब्रिटिश साम्रज्यवाद ने लिया हो लेन इसे बनाने वाले कारीगर यहीं के थे, आर्क्टिकेट का नक्शा बनाने वाला बाहर से आया होगा, आज नक्शे यहां बनते हैं और विदेशों में जाते हैं।

महोदय, मलमल का पूरा थान एक अंगूठी के बीच में से पार कर दिया जाता था, यानी इतनी महीन मलमल बनाने वाले लोग भी यहां थे। यह हाथ के करघे से बनती थी और जहां पर सूत काता जाता था। यह कौशल विद्या थी। यह कौशल विद्या किसी गुरूकुल में पढ़ाई जाती थी, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। वह कहां विलोप हो गयी? वह कौशल विद्या युग-युगान्तर, यानी प्रकृति से लेकर परिवार में आयी और परिवार से उसका ट्रांसफर, हस्तांतरण होता रहा। किन्तु इस कौशल विद्या में जो अर्निंग है, वह कम होती गयी। जब ट्रेड एंड कामर्स का जमाना आया, तो लोग दूसरी तरफ जाने लगे। लोगों ने हाथों के औजारों पर विश्वास करना छोड़ा और मशीन पर विश्वास करना ज्यादा शुरू किया।

महोदय, यही कारण है कि जब कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूरज कहीं नहीं डूबता था, तो उस समय सारी दुनिया में जितने भी काम होते थे, वे ब्रिटिश स्टैंडर्ड के तरीके से होते थे। अमेरिका के आजाद होने से पहले जर्मनी ने अपने स्टैंडर्ड लगाये। लेकिन अमेरिका ने आजाद होने के बाद अमेरिकी स्टैंडर्ड लगाये। यही कारण है कि हमारे यहां जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्य रहा, वहां-वहां राइट हैंड ड्राइव है। राइट हैंड ड्राइव की गाड़ी मिलती है। किन्तु जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद नहीं था, वहां-वहां लैफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ी मिलती है। वहां ट्रैफिक उलटा चलता है। उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है, एक सोच है। लेकिन मेरा कहना है कि इन सारी चीजों में हम कहां पिछड़ गये? हमसे पहले जापान बहुत आगे निकल गया, जर्मनी निकला, फिर चीन निकला। उसका कारण क्या है? जर्मनी क्यों आगे निकला? आज भी अगर संस्कृत का कोई विख्यात, विद्वान, प्रकांड पंडित है, तो वह भारतवासी न होकर एक जर्मन है। वह क्यों है? उसका कारण यह है कि हमारी पाण्डुलिपियां जो उस भाषा में लिखी हुई थीं, वे सारी की सारी उठाकर ले गये और उन्होंने उसका अनुवाद किया। जो हमारा मास्टर कम्प्यूटर है, जिसे लेकर हम इतना गर्व करते हैं और अमेरिका से इम्पोर्ट करके हिन्दुस्तान लाते हैं, वह मास्टर कम्प्यूटर कहां लिखा हुआ है? उसका बनाना हमारी ही पाण्डुलिपियों में लिखा हुआ है।

यह आर्यभट्ट का देश, जिसने जीरो का कान्सैप्ट दिया, जिसने सारी दुनिया को थर्टीन फार्मूला ऑफ एलजेबरा दिया, उस देश से तकनीकी बाहर चली गयी, कौशल बाहर चला गया। आज हम कौशल बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नैशनल डेवलपमैंट, स्किल डेवलपमैंट काउंसिल बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि हमारी दूरदर्शिता कहां अटक गयी है? हम अटक गये कि रियल एस्टेट में कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। इंडस्ट्री में कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। हमने अभी तक उसका इन्क्यूबेशन सिर्फ थर्टीन सैक्टर्स में किया है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सब्जैक्ट वाइस ट्रेड को इन्क्यूबेशन आस्ट्रेलिया ने किया है। आस्ट्रेलिया की आस्ट्रेलियन वर्कफोर्स एंड प्रोडेक्टिविटी एजैंसी, जो ओ.डब्ल्यू.पी.ए. है, उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए। उससे आपको पता चलेगा कि कितने ट्रेड कोर्सेज को उन्होंने आईडेंटिफाई किया है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइये, वह मेड इन चाइना है। उसके पीछे दो कारण हैं। वह प्रोडक्ट यूएस में रिसर्च करके पैटेंटेड हुआ है, किन्तु मैनुफैक्चर्ड इन चाइना है। क्योंकि एक तो वह सस्ता है और दूसरा वहां पर व्यवस्था है। उन्होंने ओर्जिनली इक्विपमैंट मैनुफैक्चरिंग हब बनाया है। भारत में भी वह हब बनाने की जरूरत है. उस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मैनपावर की जरूरत है और उसके लिए हमें स्किल डेवलपमैंट की जरूरत है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कनाडा ने ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमैंट बनाया, नैशनल आक्यूपैशनल क्लासीफिकेशन किया। हमारे यहां अभी तक नहीं हो सका है। हमने यू.के. कमिशन फॉर इम्प्लायमैंट एंड स्किल्स के बारे में तैयारी ही नहीं की है। चाइना में 50 हजार से ज्यादा ट्रेड कोर्सेज आईडेंटिफाइड हैं, जिनकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। हम साधारण सी बात करें, तो हम सबके पास स्मार्ट फोन है। सबकी कांस्टीटूएंसी में स्मार्ट फोन है। स्मार्ट फोन को ठीक करने वाले मिस्त्री मिल सकते हैं। मैं हांगकांग एक रिफरबिशिंग युनिट देखने गया। मुझे वहां यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने मिस्त्री से पूछा कि एक महीने में कितने स्मार्ट फोन रिफरबिश करते लेते हो। उसने कहा कि प्रति महीना तीन मिलियन फोन रिफरबिश करता हूं। इसका मतलब हुआ तीस लाख फोन। वह पुराने फोन में एक एटमॉसफेयर क्रिएट करके रिफरबिश करता है, उसका सब कुछ बदल देता और वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बिकता है और लोग खरीदते हैं। इस पर यू एन की गाइडलाइन है। युनाइटेड नेशन ने स्किल डैवलपमेंट पर गाईडलाइन्स बनाई हुई हैं और बहुत सहायता देते हैं। हमें चाहिए कि हम गांव-गांव तक 'मेक इन इंडिया' का सपना पूरा करने के लिए कोशिश करें। पहले हम पहचान बनाएं कि हमारे पास जो ग्राहक आएगा वह क्या लेकर आएगा। वह जो लेकर आएगा, उसे न नहीं कहना है और यह नहीं कहना है कि सोचेंगे। हमारे पास उसकी ड्राइंग पढ़ने वाला और उसे इम्पलीमेंट करने वाला आदमी होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सपना देश के सवा अरब लोगों के लिए देखा है।

इसे साकार करने के लिए जो संकल्प लाया गया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह रोशनी गांव-गांव तक पहुंचेगी। धन्यवाद।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बात सही है कि अगर किसी भी आदमी के पास कोई स्किल, गुण, कौशल नहीं है तो वह आज के जमाने में जी नहीं सकता है। उसे जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही कारण था कि पुराने जमाने में काम के हिसाब से जातियों की सृष्टि हुई थी। जिस काम में जो प्रवीण है, वही काम करता था। जिसे पूजा, पाठ, पढ़ना आता था, ब्राह्मण बन गया, जो अच्छा युद्ध कर सकता था, क्षत्रिय बन गया। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हर गांव सैल्फ सफिशिएंट रहा, वहां नाई, लौहार, मिट्टी का काम करने वाले रहते थे ताकि एक गांव दूसरे पर निर्भर न करे। तब हर कोई आदमी बहुत खुशहाली से आराम से रहता था। आज हम स्किल डैवलपमेंट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लोगों की जरूरतें बदल गई हैं, जीवन शैली बदल गई है। अब टैक्नोलॉजी आ गई है। आज हाथ से खेती से मुनाफा नहीं हो सकता है। मैकेनाइज्ड वे में जाना होगा, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। अब मिट्टी का मटका खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, स्टील का पसंद करते हैं। आज हम प्लास्टिक, मोबाइल, आईपैड के युग में आ गए हैं। सब चीजें बदल गई हैं इसलिए हिंदुस्तान में यह सब हो रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया है। कृषि भी अब मुनाफे का काम नहीं रहा है। अगर किसी को मौका मिले तो वह कृषि का काम छोड़ना चाहेगा, कोई दूसरा धंधा करना चाहेगा।

महोदय, बेरोजगार की परिभाषा क्या है? अगर कोई पढ़ लिख गया और उसे नौकरी नहीं मिली, तो वह बेरोजगार हो गया। महोदय, मुझे जो आंकड़ा प्राप्त है, सारी राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक, प्यून से लेकर केन्द्र सरकार के चीफ सैक्रेटरी तक यदि हम आंकड़े मिलाते हैं तो सरकारी नौकरी सिर्फ चार करोड़ के आसपास होती है। 25 करोड़ आबादी में चार करोड़ नौकरी रहती है और मंशा यह रहती है कि कोई थोड़ा पढ़-लिख लिया तो सरकारी नौकरी करना चाहता है। अगर नौकरी नहीं मिली तो या तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, चोरी करेगा या दूसरा धंधा करेगा। हम लोगों ने इस तरह से सिस्टम नहीं बनाया है कि पढ़कर भी कुछ कर सके। पढ़ाई का सिस्टम हमारे यहां ब्रिटिशों के जमाने वाला, क्लर्क बनाने वाला सिस्टम ही चल रहा है। एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर किसी भी सरकार ने क्या सोचा है? वही पुराना बी.ए., बी.कॉम. पढ़ो। जिस आदमी ने साइंस पढ़ी, वह क्लेरिकल का काम करेगा। जिसने बी.कॉम की पढ़ाई की, वह आगे जाकर टीचर बनेगा। कोई खेती करेगा तो उसकी अलग से पढ़ाई हो।

जब हम कहते हैं कि 60-70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं तो हमारी शिक्षा नीति क्या ऐसी है कि 60 प्रतिशत हम शिक्षित किसान बना रहे हैं? इस दिशा में हमने कभी नहीं सोचा। किसी भी

दिशा में कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की जरूरत है, इसकी प्रोपर एनेलिसिस नहीं की गई है और एआईसीटी जैसी संस्था बना दी गई है। उसका परिणाम यह हुआ है कि बिना सोचे समझे उड़ीसा जैसे प्रदेश में आज की तारीख में 110 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 40000 सीट्स हैं। 40000 सालाना अगर इंजीनियर निकलेंगे तो उड़ीसा में तो इतनी नौकरी नहीं हैं। परिणाम यह हो रहा है कि चालीस हजार सीट्स जो हैं, वे तो प्राइवेट में चला रहे हैं, उन्हें तो मुनाफा कमाना है, बच्चों को जबर्दस्ती भर्ती करना है, वह कोई धर्म काज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जबर्दस्ती थर्ड डिवीजन बच्चों को भी लोग उनमें भर्ती करा रहे हैं और परिणामस्वरूप जिन बच्चों का इंटेलीजेंस इंजीनियरिंग के लायक भी नहीं है, वे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। परिणामस्वरूप उनमें से प्रतिदिन इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बच्चा उड़ीसा में सुसाइड कर रहा है क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता है। लेकिन मां-बाप सोचते हैं कि जैसे बच्चा इंजीनियर बन गया तो लाखों करोड़ों कमा लेगा और परिवार का कल्याण हो जाएगा।

मेरा निवेदन है कि हर चीज के लिए सरकार को प्रोपर एनेलिसिस करनी चाहिए। मेरे जिले में जहां डॉ. की जो बात करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि 24000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। मेरा नवरंगपुर जिला उड़ीसा में है, वहां 24000 आदमी के लिए एक डॉक्टर है। इसलिए यह जो विडम्बना है, ड्राइविंग एक ऐसी चीज है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा रोजगार ड्राइविंग के क्षेत्र में ही मिल रहा है लेकिन सरकार की ओर से कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिसने भी थोड़ी गाड़ी चलानी सीख ली, वह ड्राईवर बन गया और गाड़ी चलाने लगा।

महोदय, आज अकेले दिल्ली में ही यदि आप देखेंगे कि शत प्रतिशत गाड़ी में स्क्रैच लगा हुआ है। कोई एक भी गाड़ी साफ सुथरी नहीं है, यहां तक कि नयी गाड़ी भी ऐसी नहीं है जिस पर स्क्रेच न लगा हो। इसका कारण यह है कि हमने कभी इस दिशा की ओर ध्यान नहीं दिया और कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन कभी नहीं खोला। ठीक है कि सरकार ने स्किल्ड डवलपमेंट की तरफ सोचा है लेकिन हर क्षेत्र में कैसे करें? मेरा मानना है कि हर क्षेत्र में प्रोपर एनेलिसिस की जाए कि इस क्षेत्र में इतनी जरूरत है और वहीं पर ट्रेनिंग दी जाए तब जाकर हमारे प्रयास सही मायने में सार्थक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री अक्सर स्किल डवलपमेंट की बात किया करते थे और उसकी रूपरेखा पर भी कई बार उन्होंने प्रकाश डाला कि पहली बार कई मंत्रालयों में जो अलग-अलग स्कीम्स चल रही थीं, यह भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार में माननीय प्रधान मंत्री जी के इनीशिएटिव से यह भारत में पहली बार हुआ। मैं लंच करने के लिए घर चला गया था। मैंने लंच करते हुए देखा कि एक बार हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के पास शायद बैग नहीं है तो कहां से यह मंत्रालय चलेगा?

17.00 hrs

मैं घर चला गया था। श्री खड़गे जी, मैं आपका उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जी हाँ, बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैंने देखा, जब माननीय खड़गे जी खड़े हुए, तो मैंने सोचा कि शायद डिबेट में भाग ले रहे हैं क्योंकि विधेयक के बाद लंच करने चला गया था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के पास बैग नहीं है, तो यह मंत्रालय कैसे चलेगा या स्किल डेवलपमेंट के संबंध में कुछ नहीं है, तो मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन माननीय खड़गे जी भी इस बात से सहमत होंगे कि आज देश में जिस तरह से दुनिया में भारत के बाद चाइना में जो वर्क फोर्स है, यूथ्स हैं, शायद वर्ष 2020 में हम दुनिया के सबसे जवान देश हो जाएं। आज आवश्यकता है, चाहे आप प्रतिपक्ष में बैठें या हम सरकार में बैठें, इस सदन को चिन्ता करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान इस देश में होंगे, तो उसको स्किल्ड करके उनके हाथों में रोजगार देने का दायित्व इस सदन का और इस सरकार का होना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जैसा कि सबको मालूम है कि "चिन्ता से चतुराई घटे, दुःख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी" , जैसा बोला गया, जो लक्ष्मी के पुत्र हैं, यदि उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका स्किल डेवलपमेंट स्किल में रह जाएगा, वह डेवलपमेंट में नहीं आ पाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं आभारी हूँ कि सम्मानीय खड़गे जी को इस बात की चिन्ता है। निश्चित रूप से वे एक जिम्मेदार नेता हैं और उन्होंने इसकी चिन्ता की है। मैं समझता हूं कि जो उनकी चिन्ता है, उसकी चिन्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है और हमारी सरकार को है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल उल्लेख करना चाहता हूँ कि अभी 12 पंचवर्षीय योजना के तीन साल गुजरे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग यूपीए-वन और यूपीए-टू में थे। As per the 11th Five Year Plan, only 10 per cent of

the Indian work force had formal training in the form of higher education, technical education or vocational training. जिस तरह की ट्रेनिंग थी, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्नीकल ट्रेनिंग हो, सभी को मिलकार, इस देश के 10 पर्सेंट यूथ्स को हम अभी 11वीं पंचवषीय योजना में स्किल्ड कर पाये हैं। इन तीन वर्षों में, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का है, उसकी स्थिति यह है- Currently, India has an annual training capacity of 4.3 million which is less than 20 per cent of the industry requirement of 22 million skilled workers a year. आज भारत जैसे देश को जहाँ पर 22 मिलियन स्किल्ड वर्क फोर्स की जरूरत है, जिनके हाथों में हुनर हो, चाहे आईटीआई द्वारा या वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा हो या फीटर हो, स्मिथ-मैन हो, कारपेंटर हो, किसी भी तरह के मैकेनिक हों, उस प्रकार के 22 मिलियन लोगों की जरूरत है, उनके अगेंस्ट आज 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जब से यह सरकार बनी है, 4.3 मिलियन को ही ट्रेन्ड करने की हमारी क्षमता है। यही नहीं, as per estimates, various publicly funded organisations produced 3.5 million trained personnel per annum against 12.8 millions new entrants into the work force every year, thus 9.3 per cent of the work force added is unskilled. मतलब 9.3 मिलियन, हम कहाँ जाएंगे? हम देश में रोज चर्चा करें, लेकिन जो देश के नौजवान हैं, जिनका भविष्य है, जिनके परिवार के लोगों को उम्मीद है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद, स्किल ट्रेनिंग करने के बाद, कहीं पर उसे इम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वह घर में बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जो माननीय खड़गे जी ने चिन्ता प्रकट की है, उस चिन्ता का समाधान पहली बार भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि वे इस बात से सहमत होंगे। नैशनल स्किल मिशन कारपोरेशन की स्थापना की गयी और वह नौजवानों को ट्रेन्ड करेगी। इसके संबंध में भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी, यदि इसके लिए नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसे नैशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से करेंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं? India is placed at 135th place out of 187 countries in Human Development Index as per the Human Development Report 2014 issued by UNDP.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have taken five minutes. Please conclude early.

श्री जगदम्बिका पाल: मान्यवर, दो मिनट दे दीजिए।

आज हम दुनिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 187 देशों में 135वें पायदान पर खड़े हैं। मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिससे कांग्रेस के हमारे साथी भी सहमत होंगे कि हमने अभी जनरल बजट में 1500 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में रूरल यूथ के लिए दिए हैं। देश के

ग्रामीण यूथ के लिए इस जनरल बजट में 1500 करोड़ रुपये केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। अभी तक हम स्किल ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा देते थे? स्किल ट्रेनिंग के लिए हमने बजटरी सपोर्ट में 1500 करोड़ रुपये दिए हैं, निश्चित रूप से इससे लाखों नौजवान तैयार होंगे और उनको रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से 150 करोड़ रुपये हमने कौशल विकास योजना में भी दिए हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा।

Japan has pledged around $ 3,50,000 dollars for four grassroots projects in India, including setting up vocational training classes for children with disabilities in Delhi and for setting up a community health clinic in a Mizoram village.

आज जापान भी हमारे डिसएबल्ड लोगों के लिए मदद दे रहा है। पहली बार हम इस तरह नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं। यदि डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में भी हमने दस लाख लोगों को ट्रेन्ड करने की बात की है। नेशनल डिजिटल लिट्रेसी मिशन ने यह काम करने की बात की है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इसे लांच करने जा रही है। इसी तरीके से अभी तक 20 मंत्रालयों में कम से कम 80 अलग-अलग प्रोग्राम चल रहे थे, दस प्रतिशत वर्कफोर्स नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस मंत्रालय के तहत, जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने रूडी साहब को दी है, आने वाले दिनों में हमारी यह परिकल्पना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो हम 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स को लेकर 474 जिलों में 2930 सेंटर्स खोल करके लोगों को ट्रेन्ड करेंगे। उस ट्रेनिंग का मतलब होगा कि in total, we will have over 850 million Indians in the working age group by 2020. This will account for 28 per cent of the global workforce. आने वाले दिनों में हम दुनिया की 28 प्रतिशत वर्कफोर्स को तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए यह मंत्रालय, मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for givine me a change to participate.

HON. DEPUTY SPEAKER: You will have to conclude within five minutes.

SHRI PREM DAS RAI: Yes, Sir, I will conclude in five minutes.

This is a very important Resolution that has been brought and I think the hon. Minister must be listening to the views of everybody. It is such an important issue because skill has caught the imagination of not only all of India but it has been echoed and it also resonated with some of the major public policy initiatives of the present Government like 'Make in India' and 'Digital India'.

Let me just recount that I had gone to Japan and I had the opportunity to go to one of their major markets where they sell fresh fish which is then made into products known as 'sushi' and 'sashimi'. I had the pleasure of going into one of the restaurants within the market which was selling the products. There were the chefs who make these products. They were involved in this intricate little work of art of producing these products for the customers, *in situ*, that is immediately it was being done by these chefs. When I inquired about how much time the chefs took to reach this stage of skill, they said it took as much as eight to ten years. This is the kind of work that needs to go behind the skilling process. This is just an example of how one actually acquires skills. It is a long drawn process. This is the way in which we should do it, with a sense of excellence rather than just saying, 'This is a *jugaad*' or '*chalta hai*' or 'It is okay'. This is where we need to say that it must reach a level of excellence. Therefore, one of the first things is, it is a question of measure. It is a question of saying whether we can reach that level of excellence in any sectoral skill development programme.That is where - I think, the first thing which, I would like to request the hon. Minister, through you -- we should not lose sight of the fact that if you want to become a super power, if you want to become the manufacturing hub of this country, then we definitely need to look at the issue of measurement and also to say that we need to attain a level of excellence in everything.

I would like to make a second important thing. It is important because innovation will go hand in hand with skills. Why does innovation have to go hand in hand with skills is because of the changing nature of our economy; the changing nature of the requirement of skills and the changing nature of technology. Technology infusion as you might have seen is the highest and the most important is in the area of electronics. That is where, I think, we have to look at when we talk of 'Digital India'. That is why a country like the United Kingdom has advanced in a sense that they have a full Ministry of Innovation. So, I think, one of the things that can happen here is that the hon. Minister could think, why not integrate innovation within his Ministry even if it does not have a caption like 'Ministry of Skill and Innovation? But I think, innovation should become an integral part of the Ministry.

Sir, finally I would like to state that a small State like Sikkim, we had thought in the year 2002 that skills would be required and from that time onwards under the leadership of our Chief Minister Dr. Pawan Chamling, we have actually moved ahead in this field. We have set up a State Institute of Capacity Building. We have instituted many sectoral skills, especially in the area of agriculture and horticulture. This is something that our young people are being paid to do. They are getting a stipend of Rs. 2500 a month and one year skills programme so that they reach a level of excellence.

Sir, with these words I would like to close my arguments and just inform the hon. Minister that this is a hugely important Resolution brought forward by Shri C. R. Patil ji, my fellow colleague here and we need to support this.

Thank you.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को इस सदन में चर्चा के लिए पेश किया है। मैं अपनी बात श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू करूंगा। उन्होंने जनसंख्या के बारे में एक बात कही थी कि मैं सिर नहीं गिनता, लोगों के हाथ गिनता हूं वह भी हुनर के साथ। उस समय लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद खड़गे जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सुना है, अपना हाथ, सबके साथ।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्योंकि अभी बार-बार वह लक्ष्मी की बात कर रहे थे, मैं इस बात को बाद में कहना चाहता था, लेकिन अभी कह देता हूं।

माया तेरे तीन गुण, सुंदर, सुभग, सुभास
अवगुण तोमे एक है सांच न आवे पास।

यह प्रस्तुति है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नेशनल स्किल डवलपमेंट पालिसी 2009 में बनी थी। आप ही ने लक्ष्य रखा था कि हम 50 करोड़ लोगों को स्किल डवलपमेंट के आधार पर रोजगार देंगे। इसका समय आपने 2009 से 2022 तक का निश्चित किया था। 12वीं योजना में आपको पांच करोड़ लोगों को रोजगार देना था, जो कि 2017 तक थी। बचे हुए 45 करोड़ लोगों को 2022 तक कैसे आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, यह आपकी दूर-दृष्टि का सबसे बड़ा पैमाना है। मुझे लगता है कि जब देश के प्रधान मंत्री ने यह कहा, यह सबसे अहम् बात है, क्योंकि जो आपने सोचा था, चाहे जिसने भी लिखकर दिया हो पूर्व यू.पी.ए. सरकार को, मुझे नहीं पता। मैं रूडी जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यहां मौजूद हैं। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, आपने अगर उसे मिनीमाइज़ किया है, तो यह व्यावहारिक बात है कि वास्तव में आपने जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर इस बात को किया है।

मैं सिर्फ दो उदाहरण यहां देना चाहूंगा। पहला तो यह कि 24 मंत्रालय में स्किल डवलपमेंट का काम होता है। मेरे पास श्रम विभाग की सूची है, जिसमें 91 स्किल डवलपमेंट के काम हैं। लेकिन इनमें से मैं कुछ ऐसे मानता हूं जो बिलकुल निरर्थक हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनको आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। रैन वॉटर हार्वेस्टिंग इनएक्टिव है, जो सबसे जरूरी है, वह इनएक्टिव है। उसके बाद बेसिक आर्ट भी इनएक्टिव है। फिशिंग और उससे संबंधित जितना भी क्षेत्र है, जो वास्तव में सबसे जरूरी है, वह इनएक्टिव है। टेक्सटाइल्स और कॉटन में तो ऐसी 5-6 योजनाएं हैं, जहां स्किल डेवलपमेंट का काम होता था, अब वह उद्योग धीमा पड़ गया है, लेकिन उसमें 6 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से इनएक्टिव हैं। जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है जो सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है। पोलट्री और

बॉयलर फॉर्मिंग जो आम आदमी भी कर सकता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम अनएक्टिव है। हमारे एक बहन हेण्डीक्राफ्ट की बात कह रही थीं, चाहे हमारे बस्तर में हों या कहीं और हो, लेकिन उसका ट्रेनिंग सेंटर इनएक्टिव है, जो सर्वाधिक लोगों को रोजगार दे सकता है, जो हुनरवादियों को हुनर दे सकता है। पैंटिंग, मेहंदी, फिटनेस और एनिमल हसबैंडरी है, मैं गांव से आता हूं, लेकिन यह भी अनएक्टिव है। आपने पांच मिनट का समय दिया था, लेकिन अभी तक पांच मिनट नहीं हुए हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister has to reply at 5.30 p.m. and there are four to five more Members to speak. You have to adjust your time accordingly.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा है मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

एनीमल हसबैंडरी और कृषि लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कि कृषि क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जिनको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कभी आप हुनर वालों को तकनीक देंगे तो इस देश को लाभ होगा। मैंने अखबार में देखा था कि एक व्यक्ति के हाथ-पैर नहीं है, लेकिन मुंह में दातून दबा कर वह सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है। उसके पास हुनर है, यदि उसको तकनीक मिलेगी तो देश का भला होगा। अगर जरूरतमंद है और वह हुनर सीखता है तो भी देश की जरूरत पूरी होगी, लेकिन ऐसे लोगों को जिनको जरूरत भी नहीं है, उन पर अगर तकनीक और पैसा आप खर्च करेंगे तो इस देश का नुकसान होगा। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि पूंजी भी चली जाती है। हम जैसे किसानों की जमीनें बिक जाती है। इस तरह से देश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि हुनर हो, जरूरत हो, तकनीक हो, प्रशिक्षण हो और पूंजी लगे, साथ ही साथ उसको रॉ मैटीरियल भी मिल जाए तथा बाजार उसको मिलता है तो शायद आपका स्किल डेवलपमेंट सार्थक होगा और देश को मजबूत करने का काम करेगा।

यह विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसे विषयों पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सामूहिक रूप से मैं अपील करूंगा और मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि सभी 24 मंत्रालयों के स्किल डेवलपमेंट के प्रयोग हैं वह अगर आपके मंत्रालय में एक साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। मैं फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं समझता हूं कि वही देश और प्रांत आगे बढ़ सकता है, जिसके नौजवान ने अच्छी शिक्षा हासिल करे। आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन बहुत महत्व रखती है। मैं पंजाब प्रांत से आता हूं और मुझे वह काला दौर याद है जब एक बहुत भयानक समय एटीज़ के बाद पंजाब में आया। उस समय पंजाब के नौजवान स्किल्ड नहीं थे, उनके पास रोजगार नहीं था तो उन्होंने अपने हाथों में मारू हथियार उठा लिए। उसके बाद एक टेरेरिज्म का युग पंजाब में शुरू हुआ। बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुईं और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया। मुझे वह दिन भी याद है, मेरे साथ बिट्टू जी बैठे हुए हैं, वर्ष 1992 में उस काले दौर के बाद सरदार बेअंत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की पहली सरकार बनी। मैं भी उस सरकार में मंत्री बना था और हमने पहली दफा टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने का रेवोल्युशनरी दौर प्रारम्भ किया। जो बच्चे, जो नौजवान, जिनके हाथों में फायर आर्म्स थे, उनके हाथों में हमने दस्तकारी के टूल्स दिये और हमने पंजाब को आगे ले जाने का यत्न किया। आज एक महीना हो गया है, बजट पर और इससे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी बोले और प्रधान मंत्री जी ने सबसे ज्यादा स्ट्रैस मेक इन इंडिया के ऊपर दिया। यह बहुत अच्छी बात है, इंडिया में बड़े लोग आएं, बड़े-बड़े फॉरेन के लोग हमारी इकोनोंमी में इनवैस्ट करें तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हमारे देश के और हमारे प्रांतों में जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे डोमैस्टिक उद्योग हैं, उनके बारे में न हमने बजट में सुना और न किसी के भााण में सुनाई दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूं कि ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगा, जब देश का लघु उद्योग डैवलप करेगा। इसलिए आज जो रिजोल्यूशन लाया गया है, स्किल डैवलपमैन्ट की मार्फत जो नौजवान शिक्षा हासिल करेंगे तो वे काम कहां करेंगे, क्या वे बाहर जाकर काम करेंगे? हमारे प्रांत की यह समस्या है कि जो कारपेंटर है, जो मेसन है, जो थोड़ी सी टैक्निकल शिक्षा हासिल करता है, वह अरब कंट्रीज में चला जाता है, क्योंकि हमारे यहां इम्पलायमैन्ट के एवेन्यूज नहीं हैं। हमारा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सिंक कर रहा है, वह मरता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया से पहले जो हमारे देश का लघु उद्योग है, जहां लाखों-करोड़ों स्किल्ड लेबर हैं या जो दूसरे लोग काम करते हैं, उन्हें डैवलप करें।

महोदय, मैं पंजाब की जालंधर कांस्टीटुएंसी से आया हूं और पंजाब में लगभग 15 लाख माइक्रो और स्माल स्केल यूनिट्स काम कर रही हैं, जिनमें साइकिल इंडस्ट्रीज, मोटर पार्टस, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंड टूल्स, बॉल्स एंड काक्स, ऑटो पार्ट्स, नट्स एंड बोल्टस, कास्टिंग, रबड और लैदर आदि स्माल स्केल

इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। ये सब मेरे प्रांत में हैं और इसमें से ज्यादा इंडस्ट्रीज मेरे जालंधर संसदीय क्षेत्र में है और हमारे यहां की स्पोट्र्स इंडस्ट्रीज ने देश में अपना नाम कमाया है। जालंधर को स्पोर्टस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है, वह जालंधर से अपना बैट बनवाता है। अभी भी वर्ल्ड कप में हमारे जिन साथियों ने जीत हासिल की, उनका बल्ला भी जालंधर में बना है। यह एक ऐसी प्रमुख इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना और पाकिस्तान से है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लेबर बहुत सस्ती है। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो रॉ मैटीरियल बाहर से आता है, उसके ऊपर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगती है, लेकिन जो यहां से जाता है, उस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रॉ मैटीरियल है, उस पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी न लगे और जो बाहर से मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स आता है, उन पर ड्यूटीज लगनी चाहिए। आज से बीस साल पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की एक्साइज ड्यूटी की लिमिट डेढ़ करोड़ थी और आज भी वह डेढ़ करोड है। आज जरूरत इस बात की है कि उसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो स्पोर्टस इंडस्ट्री है, इसका जो एक्साइज है, सिर्फ 7 और 8 करोड़ रूपये है। यह सभी बल्लेबाजों को मैटीरियल देती है। मेरी यह गुजारिश है कि इसको एबोलिश किया जाए और मेरे क्षेत्र में एक बड़ा मल्टी स्किल डिवेल्पमेंट इंस्टिट्यूट खोला जाए, जिसमें ये सारी सुविधाएं हों।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सी.आर. पाटिल साहब कौशल विकास का जो विषय ले कर आए हैं, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है, जो भारत के हर युवा को समृद्ध बना सकता है। सदन का कोई भी व्यक्ति इससे असहमत नहीं हो सकता है। सशंकित हो सकता है कि पता नहीं इसकी सफलता कितनी होगी। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं और मुझे लगता है कि यह देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि यह हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर यहां खड़ा हो कर कुछ बोल रहा है, महोदय, मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ाई से फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं गाना गाता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरा गाना मुझे एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है और मैं एक दिन संसद में भी बोल सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा स्किल है, जिसको आगे लाने की जरूरत है और निश्चित रूप से कल जैसे हमारे कई साथियों ने कहा कि क्या लुहार का बेटा लुहार, राजमिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री, क्या नाई का बेटा नाई ही रहेगा, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संस्थागत रूप से इन सारी चीजों को रखा है। आने वाले समय में इसका पूर्ण लाभ हमारे देश के युवाओं को मिलेगा, यह मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक विषय पर बहुत चिंतित हूँ कि आखिर राजमिस्त्री जैसे लोगों को, नाई जैसे लोगों को, लुहार जैसे लोगों को, हमारे गांव में एक राजमिस्त्री है, जो कि चार चार गांवों में घूम-घूम कर काम करते हैं। मेरी यह चिंता है कि इनको अपने कार्य से विरक्ती क्यों हो रही है? हमारे देश की सरकार और यह सदन उनको सम्मानित कैसे करा सकता है, मुझे लगता है कि अगर इस पर हम काम करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कोई ऐसे राजमिस्त्री को पद्म अवार्ड दिया गया, जिसने बहुत अच्छा किया, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिसके कारण उसको इस कार्य में लगने की प्रेरणा मिले? यह बहुत ही दुखद है कि जब हम टीवी पर देखते हैं कि लोग अपने-अपने बच्चों को परीक्षा में नकल करा रहे हैं। लोग चार-चार मंजिल पर चढ़ कर अपने-अपने बच्चों को नकल करा रहे हैं। जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनका कितना दोष है, यह तो वे जानें, लेकिन मैं हर माता-पिता और बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि डिग्री समृद्धि का आधार नहीं है। आपको हुनर पर आना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई के सामान राजीव प्रताप रूडी जी इन पर जरूर ध्यान देंगे। जगह-जगह पर फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, जो दिन पर भर सिर्फ क्राउड के रूप में काम करते हैं, उनको सिर्फ 1000-1100 रूपये प्रति दिन मिलता है। लेकिन वे ट्रेंड नहीं हैं। हमारे यहां एक डायलॉग

बोलने वाले को पांच हजार रूपये मिलते हैं, लेकिन उनको ट्रेंड करने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम फोक म्युजिशियन को ट्रेन्ड करने की जरूरत समझें, एक फोक म्यूजिशियन एक दिन बजाने का पांच से छह हजार रूपया लेता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था फोक आधार पर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके अलग-अलग इंस्टिट्यूट खोले जाएं तो हम इस स्किल डिपार्टमेंट को और भी आगे ले कर जा सकते हैं। हमारे एक सदस्य ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम खेती के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करें, यह भी हमारे स्किल का एक हिस्सा होना चाहिए। आपने मुझे बोलने मौका दिया और मैं समझता हूँ कि यह विभाग आने वाले समय में भारत के युवाओं को बहुत ही अच्छा दिन दिखाएगा।

महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ दो लाइन बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ से विदा होकर बहू जाती है तो वह यही कहती है कि "सोना मत दिहा बाबा, चाँदी मत दिहा, बस हुनरवा दिहा ना, ससुरवा हमके पूजे बस सुनरवा दिह ना।" बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I just want to end the suspense. There is no proposal to extend the Session.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, बड़ा दुःख होता है कि हम गम्भीर विषय पर भी बहुत हल्के रूप में सारी बात करते हैं। जिस देश में और जिस देश को बनाने में किसानों, मजदूरों और जवानों का खून-पसीना बहा हो, जिस देश ने 67 सालों में किसानों, मजदूरों और जवानों का सम्मान न किया हो। स्किल इन्डिया की बात हो, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्डिया, मेक इन इन्डिया की बात आप सब लोग यहाँ कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पप्पू जी, जवानों का बहुत सम्मान हुआ है।

श्री राजेश रंजन: कोई सम्मान नहीं हुआ है, जब वह चर्चा आएगी तो उस पर भी आएंगे, वे सब बातें भूल जाइए। तीन अरब लोगों के पास जितनी सम्पत्ति है, उतनी सम्पत्ति मात्र तीन व्यक्तियों के पास दुनिया में है और एक प्रतिशत लोगों के पास दुनिया की अकूत सम्पत्ति हो, सारी 99 प्रतिशत सम्पत्ति उनके पास है। स्किल इन्डिया और डेवलप इन्डिया की बात हम करते हैं, एक तरफ एफडीआई, मॉल, एक तरफ नौकरी से निकालने की व्यवस्था और दूसरी तरफ धनपतियों के द्वारा हजारों-हजार इंजीनियरिंग और आईटीआई, स्कूल और कॉलेज खोलकर लाखों, हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोड़ पर खड़ा करने के लिए छोड़ देना। जिस देश में माँ-बाप जमीन और जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हों और कोई ऐसा विभाग और ऐसी फैक्ट्री नहीं है, जहाँ से आज नौजवानों को निकाला न जा रहा हो, जो रोड़ पर न हों, आत्महत्या न कर रहे हों और वहाँ पर नये हुनर की बात, हुनर देने के बाद उसे आत्महत्या करने पर जिस देश में मजबूर कर दिया जाता हो और नये हुनर की बात की जाती है। यह देखकर, सुनकर बहुत दुःख होता है और यह बात कहना जरूरी था। मैं कहना चाहूँगा कि सुईं, धागा जैसी चीजें जो गाँव की सड़कों पर मिलती थीं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की दुकान में अब मिलने लगी हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पहले से ही बढ़ई, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, पेंटर, राजमिस्त्री आदि ये सारी व्यवस्थाएं इस देश में हैं। मैं अपने मित्र विद्वान मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लोग सीख तो लेंगे, हमारे पास कार है तो हम उसे चलाना सीख लेंगे, लेकिन जो कार चलाना जानता है, उसके पास कार नहीं होगी तो उसके सीखने का क्या फायदा। क्या इसके लिए आपने गाँवों में कोई ऐसी व्यवस्था की है मतलब रोजगार की सुरक्षा की गारन्टी आपके पास क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसे उसके काम की सही मजदूरी कैसे मिले, इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जितने भी हमारे तकनीकी कॉलेज हैं या आई.टी.आई. से सम्बन्धित कॉलेजेज हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं, जिसमें कि रोजगार की पूरी गारन्टी उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं उसके कॉलेज के द्वारा इसकी शुरूआत हो। ताकि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर न होना पड़े।

महोदय, मैं अपनी दो-तीन सब्मिशन करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं आग्रह करूँगा कि जब तक आप उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, वे कौन से उद्योग हैं, गाँव मे जूट का उद्योग है, यह मेरे यहाँ बिहार में है, मेरे यहाँ केला है, मेरे यहाँ बाँस है, मेरे यहाँ काठ है, जिससे बड़ा-बड़ा सुन्दर घर बनता है। हम आपसे दो-तीन बातें जानना चाहेंगे। फूड प्रोसैसिंग के लिए आप स्किल डैवलपमैंट में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? जो किसान सरसों उपजाता है, वह तेल खुद नहीं निकालता, वह उद्योगपति निकालेगा। मैं पॉइंट बताकर खत्म कर रहा हूँ। उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? गांव के कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज़ और हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आइल इंडस्ट्री और फूड प्रोसैसिंग के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक एग्रीकल्चर को आप स्किल डैवलपमैंट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक स्किल डैवलपमैंट की योजना और मेक इन इंडिया बेकार होगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, जो गाँवों में फ्लावर है जिसे किसान उपजाता है, उन फूलों से दवाई बनती है, उससे जूस बनता है। तो आप फ्रूट्स के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? जो एनिमल प्रोडक्शन है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जब तक किसान को ध्यान में रखकर आप योजना नहीं बनाएँगे,...(व्यवधान) तब तक आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। धन्यवाद।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सी.आर.पाटिल जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, और जिस प्रकार से सदन की रुचि इस विषय पर है और हर सदस्य इसमें भाग लेना चाहता है, मैं बताऊँगा कि इस प्रस्ताव के आने के बाद अभी 30-35 माननीय सदस्यों का नाम वहाँ लंबित है। मैं सदन से आग्रह करूँगा, स्पीकर महोदया ने भी कहा था और मैं आपसे भी कहूँगा कि इस पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है जो सरकारी कामकाज के दौरान हो। यह तो हमारा सौभाग्य है कि सी.आर.पाटिल साहब इस प्रस्ताव को लाए और हम लोग इस पर निजी तौर पर विमर्श कर रहे हैं जिसमें सरकार इनकी बात को सुन रही है। खड़गे साहब ने भी इसमें रुचि दिखाई है और इनका भी यह क्षेत्र रहा है। बार-बार इनकी इस बात पर चिन्ता रही है कि आखिर इतनी बड़ी योजना जो सरकार ने घोषित की है, इसको हम पूरा कैसे करेंगे?

महोदय, मैं एक बात देख रहा था कि जिस प्रकार से भी आप सब लोग कह रहे थे, मैं भी जब इस मंत्रालय में आया तो मुझे लगा कि आखिर में यह क्या है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे-वैसे मैं इस मंत्रालय को समझ रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक सांसद हूँ। मैं भी देहात से हूँ और छपरा से हूँ। हमारे लोक सभा के सदस्य जानते हैं कि सब पीड़ा एक तरफ है - अस्पताल में आप डाक्टर को दिखवा लेंगे, लेकिन जो रोज़गार की लंबी कतार हमारे घर के बाहर लगी रहती है, ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Just a minute Rudy *ji*. Hon. Members, the time allotted for this business is over. We can extend it till the Minister's reply.

श्री राजीव प्रताप रूडी : जिस प्रकार से लोग आकर कहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमारे लिए संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में रोज़गार दिया जाए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में और व्यवस्थित क्षेत्र में जो रोज़गार है, वह मात्र 3 करोड़ के आस-पास है। सवा सौ करोड़ के आस-पास के इस देश में सरकार में हम जो रोज़गार दे पाते हैं, वह लगभग 3 करोड़ है और 1 करोड़ के आस-पास व्यवस्थित क्षेत्र में होगा, जिसको हम ऑर्गनाइज्ड सैक्टर कहते हैं। फिर भी हमारे देश में 120 करोड़ में से जो 97 करोड़ लोग हैं, वह एक बड़ी संख्या है जिसके बारे में चुनौती है।

प्रहलाद पटेल जी ने कहा और बाकी सदस्यों ने कहा कि 2009 में इसकी शुरूआत की गई। उस समय वर्तमान सरकार ने तय किया। आज हम उसको विरोधाभास में कह सकते हैं, लेकिन कहीं तो शुरूआत हुई, आपके समय शुरूआत हुई और उस समय की सरकार ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। It is approximately 500 million people. This came under the National Skill Development Policy which was a policy passed by the Cabinet. It is an ambitious project. It is a fact. But it was rather a big challenge. वहाँ 2009 से

चलते-चलते हमने एन.एस.डी.सी. का गठन किया, एन.एस.डी.ए. का गठन किया और वर्तमान में जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी तो माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि यह सचमुच एक चुनौती का क्षेत्र है। जब भी माननीय प्रधान मंत्री से मेरी मुलाकात होती है तो कई बार तो वे कहते हैं कि मैं सब काम अलग रखकर एक काम खुद करना चाहता हूँ और वह कौशल विकास है, स्किल डैवलपमैंट है। अगर किसी भी सांसद या व्यक्ति से पूछा जाए तो हुनर एक शब्द है और इसके बारे में हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि 'हुनर है तो कदर है।' य़ह एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में इस ताकत को प्रमाणित करता है। अभी हमारे मित्र मनोज जी कह रहे थे कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, आखिर परीक्षा के समय यह आपाधापी क्यों? बिहार में तो यह सामान्य है कि एक बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए पूरा परिवार निकल जाता है। पिताजी भी पढ़ते रहते हैं, भाई साहब भी पढ़ते रहते हैं, माताजी भी पढ़ती रहती हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। गांव के मददगार लोग आते हैं। एक व्यक्ति की परीक्षा के लिए कोई खिड़की के ऊपर चढ़ा होता है, कोई गेट के बाहर खड़ा होता है और सब लोग उसे परीक्षा दिलाते हैं, क्योंकि हमने साठ वर्षों में जो परंपरा बनायी है, हमने कहा है कि हमारे लिए हमारी डिग्री आवश्यक है। अगर हम मैट्रिक्युलेट नहीं हों, हम आई.ए. पास नहीं हों, हम बी.ए. पास नहीं हों, तो समाज में एक तो हमारी मान्यता नहीं है और दूसरा हमारे पास रोज़गार नहीं है। जहां से हम लोगों ने शुरूआत की, इसकी कई चीज़ों पर विवाद नहीं किया जा सकता है। जिस सरकार में हम लोगों ने शुरूआत की है कि आखिर में इस पूरे प्रशिक्षण को कामयाब बनाया जा सके। विद्यालय से लेकर फैक्ट्री तक किस मानक के तहत, किस सिलेबस के तहत हम इसको लागू करेंगे, यह तो समझना जरूरी है। इसलिए देश में चार चीज़ें तय हुईं। पहली चीज़ को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। यह तकनीकी शब्द दिखता है, लेकिन इस बात को तय किया गया है कि पूरे भारत में, चाहे वह सिलाई का प्रशिक्षण हो, गाड़ी मैकेनिक हो, बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, असेम्बली लाइन पर काम करने वाला हो, फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर हो, मेसन हो, प्लंबर हो, जो भी आपकी आंखों के सामने दिखता हो, उसकी पढ़ाई का एक सिलेबस होगा। जैसे हम लोग क्लास-वन से लेकर क्लास-टू, क्लास-थ्री, क्लास-फोर, क्लास-फाइव में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से हर चीज़ के लिए, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, जो भी सामान्य सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं, हर चीज़ों का एक सिलेबस बनना चाहिए। प्लंबर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्राइवर बनने के लिए क्या करना होगा, यह सब तय होगा। हम लोग उसकी मान्यता सरकार के बाहर ले गए हैं। आज तक हम लोग समझते हैं कि सरकारी संस्था ही सर्टिफिकेट्स देती है।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: यह बनने के बाद वह कहां जाएगा?

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य, मैं सब बता रहा हूं।...(व्यवधान)

यह नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसे एक वेल्डर होता है तो हम सब लोग यह समझते हैं कि यह वेल्डर है। लेकिन एक वेल्डर वह होता है, जो बड़े-बड़े कारखानों में जो गाड़ियां बनती हैं, तो वह अपना टॉर्च लेकर आता है और अपनी वेल्डिंग मशीन से छः जगह छोटी-छोटी वेल्डिंग करता है। उसके बाद फिर दो मिनट में उस गाड़ी की चेसिस आगे बढ़ जाती है। एक वेल्डर होता है, जो बड़ी-बड़ी गैस पाइपलाइन पर काम करता है, जिसमें उसका टॉर्च अलग होता है। उसमें वेल्डिंग का तरीका अलग होता है। वह भी वेल्डर होता है। उसका मानक अलग होता है। एक वेल्डर होता है, जो समुद्र के भीतर जाता है और उसके अंदर जो ऑयल रिग्स होते हैं, जहां से तेल निकाला जाता है, उसके पाइप की वेल्डिंग करता है। उसकी क्वालिफिकेशन यह है कि उसे गोताखोर भी होना पड़ेगा और साथ-साथ समुद्र के भीतर जाकर वेल्डिंग का काम भी करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक मानक तैयार करना है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इस काम को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Another important Resolution is there. It should not be lapsed.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, we will take it very soon.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I have taken note of it and that is why I have requested the hon. Members, in case this is required – hon. Speaker also mentioned –we will take it in the next Session. But meanwhile, I will just try to make my reply very short so that the Members can have a brief answer.

श्री भर्तृहरि महताब : आपकी मुश्किल कम हुई या नहीं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : बहुत कम हो गयी।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: चैम्बर मिला या नहीं?...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसे मैं समझ सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, खड़गे साहब ने कहा कि इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र में जितने पैसे की आवश्यकता होगी, देश के कौशल विकास के लिए हम देंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन, हमें इस बात को ताकत बनाना है, हमें इस बात का तरीका बनाना है कि आखिर आप सांसदों के क्षेत्र में यह किस प्रकार से पहुंचे और इसकी एक बड़ी श्रृंखला कैसे बनायी जाए ताकि हम अपने नौज़वानों की मदद कर सकें।

महोदय, इस देश में जो अभी वर्तमान वर्कफोर्स है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको इसे कृषि क्षेत्र में करना होगा।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य, मैं जानता हूं कि आप साधन के बारे में कह रहे हैं। अगर कोई तीन महीने का कोर्स हो, चार महीने का कोर्स हो, जब उसके खर्च की बात होती है तो किसी भी व्यक्ति को कौशल योग्य बनाने में, अलग-अलग क्षेत्रों में जो अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, उसके लिए लगभग दस हजार रुपये की खर्च है। मैं जानता हूं कि यह कितनी बड़ी चुनौती है। आज इस देश में लगभग 500 मिलियन लोग अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में हैं। इसमें 54% लोग कृषि क्षेत्र में है। वर्तमान में कृषि को थोड़ा अलग रखते हैं, फिर भी नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स लगभग 250 मिलियन है, यानि कि 25 करोड़। उस 25 करोड़ लोगों को, यदि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, जो गांवों में हैं, सड़कों पर हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना है और उनके लिए यदि दस हजार रुपये की आवश्यकता हो, और अगर हम 25 करोड़ को दस हजार रुपये से गुना करें तो हमें लगभग पांच लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में चाहिए। यह बड़ा एमाउन्ट है। यह सच्चाई है कि हमें इसकी आवश्यकता है। हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्रत्येक चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं कि किस माध्यम से इसे पूरा किया जाये। हम सी.एस.आर. और टैक्स इग्जैम्पशन की तरफ जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा गैप है उसको भर कर, इस देश में संसाधन को पूरा करें।

कठेरिया साहब कह रहे थे कि चिंता कहां है? चिंता वहां है कि हम 66 वर्ष के बाद कहां खड़ा हैं? यह जानना बड़ा जरूरी है। जर्मनी के पूरे वर्कफोर्स का 74 फीसदी लोग आज प्रशिक्षित हैं। Eighty per cent of the workforce in Japan is skilled. In China, with a population of around 1.4 billion, 47 per cent of its workforce is skilled. In Australia, this figure is 60 per cent; in UK, it is 68 per cent. Similarly, in South Korea, 96 per cent of its workforce is skilled. In India, just two per cent of its workforce is skilled. If this is two per cent, it is a real challenge. We have just started. We are late but we not disappointed; we are not disheartened. We have to take it यह विषय हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है।

जगदम्बिका पाल जी ने यंग वर्कफोर्स के बारे में कहा है। हम 'मेक इन इंडिया' की बात कर रहे हैं। आज जी.डी.पी. में विभिन्न सैक्टरों का योगदान देखें। Today, the maximum training, which is taking place in India is in the services sector, in hospitality, in tourism. जब तक

हम मैन्यूफैचरिंग के तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक ऐक्चुअल वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। मैन्यूफैक्चरिंग की तरफ जाने के लिए निवेश की जरूरत है, बड़े फैक्ट्रियों से संबंद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि आज इंडस्ट्रीयल जी.डी.पी. 24-25 प्रतिशत है, उसमें 12 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग है, जिसको हमें 20-22 प्रतिशत तक पहुंचाना है। एग्रीकलचर एलाइड सैक्टर लगभग 14 प्रतिशत है। हर क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है।

अगर हम मान कर चलें कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद 8-9 प्रतिशत तक रहेगा। वर्ष 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 10 करोड़ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। ऑटो और ऑटोमोटिव केयर में, गाड़ी चलाने से लेकर गाड़ी निर्माण के क्षेत्र में, लगभग सवा तीन करोड़ लोगों की आवश्यकता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सवा तीन करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हेल्थ केयर सैक्टर में, मैं नर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, उनके नीचे जो वार्ड अटैन्डेन्ट होते हैं, उनकी आवश्यकता इस देश में लगभग सवा तीन करोड़ है। देश का सबसे बड़ा इम्प्लॉयमेन्ट का क्षेत्र टेक्सटाइल है, उसमें दो करोड़ लोगों की आवश्यकता है। अगर उन्हें हम डिमाण्ड से जोड़ कर देखें तो यह तभी पूरा हो पायेगा जब हम लोगों को प्रशिक्षण दे पायेंगे।

हमने रिर्सोसेज के बारे में बात की है। चिंता कहा हैं? मुझे लगता है कि अभी सरकार ने देखा है कि अभी हम लगभग साढ़े छः हजार से सात हजार करोड़ रुपए विभिन्न मंत्रालयों में योजना चला कर खर्च कर रहे हैं। उनमें से चार मंत्रालय को लिया गया है, जिनमें से श्रम मंत्रालय को बड़ी पूंजी दी गयी थी।

वर्ल्ड बैंक ने एक इंडीपेन्डेन्ट असेसमेन्ट किया है और यह पाया गया है कि आज की तारिख में जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वर्तमान व्यवस्था के तहत उन 100 प्रशिक्षित लोगों में मात्र 27 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है, यह बड़ी चिंता की बात है। आज की व्यवस्था में प्रशिक्षित, जिन 27 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है, एक वर्ष के बाद उनमें से 60 प्रतिशत लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने तय किया है कि पूरे विषयों का मानक तैयार करके, हम जो भी प्रशिक्षण दें कि उनकी योग्यता ऐसी हो कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिल जाय, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है।

महोदय, एक सर्वेक्षण किया था कि आज जो एम.बी.ए. ग्रैजुएट निकलते हैं, उनमें से मात्र 10 प्रतिशत एम.बी.ए. ग्रैजुएट इम्प्लॉबल हैं, यानि कोई कम्पनी उनको रखने के लिए तैयार है। जो इंजीनियरिंग ग्रैजुएट इस देश में निकलते हैं, उनमें 100 में 17 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको हम अपने या कम्पनियां रोजगार के लिए ले सकते हैं। यह सच्चाई है। आखिर ऐसी डिग्री का क्या मतलब है?

एक माननीय सदस्य ने ऐसपीरैशन के बारे में कहा है। आज इश्तेहार में निकलता है कि मेरा होने वाला दामाद बी.ए. एम.ए. डॉक्टर या इंजीनियर हो, हम माननीय मोदी जी के सरकार में उस दिन के

इंतजार में हैं, जिस दिन अखबारों में इश्तेहार हो कि मेरा होने वाला दामाद चीफ प्लम्बर, चीफ कारपेन्टर है, और वह मेरा दामाद बनेगा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये होगी। यह ऐसपरेशन बदलना है क्योंकि उसकी मान्यता नहीं हो पा रही है। आज व्यक्ति के पास हुनर है, लेकिन उसके हुनर की पहचान नहीं बन पा रही है। यह शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने के बाद हो सकता है। यह कैसे हो सकेगा, हम बताएंगे।

अगर विश्व का नक्शा देखें तो पेरू एक देश है। वह यहां से 17 हजार किलोमीटर दूर साउथ अमरीका में है। पता नहीं जाने में कितना समय लगेगा। वहां की ऐम्बेसी ने हमें सूचित किया कि भारत से यहां की कम्पनियां वीज़ा मांग रही हैं। हमने छानबीन की कि पेरू से 17 हजार डाक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, रॉकेट साइंटिस्ट आ रहे हैं। उस देश में मात्र ढाई सौ भारतीय हैं। पेरू में इंग्लैंड और कनाडा की तरह भारत के लोग नहीं हैं। शायद उनकी भाषा भी अलग होगी। पता चला कि वहां से फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, जो आप रोज देखते हैं, उसका वीज़ा कम्पनियां ले रही हैं। लॉग होल्ड ड्रिल ऑपरेटर के लिए वीज़ा दे रही हैं ताकि भारत में आकर वे चलाएं। इस देश में 66 साल बाद बड़े डम्पर्स चलाने के लिए, लॉग होल्ड ऑपरेटर्स चलाने के लिए, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर्स चलाने के लिए भारत में 17 हजार किलोमीटर दूर से लोग आकर वेतन कमाकर चले जाएं, यह चिन्ता का विषय है। मैं आपको यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आखिर हम इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की आबादी वैसे ही बहुत कम है। जैसे हमारे यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, वैसे ही उनका एक प्रांत है जिसकी आबादी 1.10 लाख के आसपास है। वहां 1,032 क्वालीफिकेशन पैक्स हैं, यहां तक कि हमारे यहां जो आईपीएस बनता है, पुलिस की नौकरी करता है, एसपी, डीएसपी बनता है, उनके यहां आईपीएस ऑफिसर की बहाली के लिए सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग होती है, वह स्किल इंस्टीट्यूट में जाता है। सिपाही की ट्रेनिंग का भी स्किल टैस्ट होता है, क्वालीफिकेशन पैक होता है। वह शिक्षा नहीं होती, यूपीएससी का इम्तहान नहीं होता। यह देखा जाता है कि बचपन से लेकर थोड़ी पढ़ाई, उसके बाद प्रशिक्षण, यह अच्छा सिपाही बनेगा, अच्छा दरोगा बनेगा या अच्छा एसपी बनेगा। यह उसके शिक्षा काल में तय हो जाता है। जब वह निकलकर आता है तो उसे सरकार वहां नौकरी देती है। National Skills Qualification Framework has decided that till 2016 every employment or every organisation which is giving skill development, has to align with the National Skills Qualification Framework. यह भी तय हुआ है कि वर्ष 2020 तक भारत सरकार की तमाम नियुक्तियों में आपके सर्टीफिकेट में अगर स्किल नहीं होगा तो आपकी योग्यता सरकारी नौकरी के लायक नहीं होगी। यह बड़े परिवर्तन की व्यवस्था की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह बहुत दूर तक जाएगा।

महोदय, समय कम बचा हुआ है। हम अभी तक सरकार से बड़े जुड़े रहते हैं। सैक्टर स्किल काउंसिल जिसकी आपके समय में शुरूआत हुई, उसमें 33 सैक्टर स्किल काउंसिल हैं। अगर मैं ऑटोमोटिव केयर में हूं, टायर इंडस्ट्री, लैदर इंडस्ट्री में हूं, तो मुझे इंडस्ट्री में काम करने के लिए किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, शायद आईटीआई पर उन्हें विश्वास नहीं है, इंडस्ट्री तय कर रही है कि हमारा क्वालीफिकेशन पैक क्या हो। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मान लें मैं पॉयलट हूं। पॉयलट के रूप में जहाज उड़ाना जानता हूं, लेकिन साथ ही नेविगेशन भी जानता हूं। वह एक अलग कोर्स होता है। मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम भी जानता हूं क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन करता हूं। यह मिलाकर क्वालीफिकेशन पैक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अलग से भी अपनी नौकरी कर सकता है। नेविगेशन, मेट्रोलॉजी में भी व्यक्ति अलग से नौकरी कर सकता है। पॉयलट अलग से भी प्रशिक्षण का काम कर सकता है। इसके तहत 33 सैक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए गए हैं। सैक्टर स्किल काउंसिल हमारे और आपके लोगों का नहीं हैं, यह इंडस्ट्री का है और इंडस्ट्री बॉडी तय करती है कि इतने हजार लोगों को इम्प्लॉयमैंट दिलाने के लिए आखिर किस प्रकार की ट्रोनिंग दी जाए। उसके मोबिलाइजेशन का काम करती है, उसकी ट्रेनिंग के लिए सिलेबस बनाती है, उसको हम लोग क्वालिफिकेशन पैक कहते हैं। उस सिलेबस का एसेसमेंट का तरीका होता है, वह एसेसमेंट करती है और फिर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हमारा प्रयास है कि देश की हर फैक्ट्री चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसकी मान्यता बढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन पैक के तहत सेक्टर स्कील कॉऊंसिल का सर्टिफिकेट देश में सर्वोत्तम हो तभी इस देश में कौशल विकास दिए जाने वाली डिग्री की अहमियत स्थापित हो सकती है।

महोदय, कल सुषमा स्वराज जी के साथ मेरी बैठक थी। सुषमा जी ने कहा कि मिडल ईस्ट में लगभग छह हजार लोग जेलों में बेद है। कुछ लोग यहां से रिक्रुट करके ले जाते हैं, हाऊस हेल्पर और कई तरह के काम के लिए ले जाते हैं, उनकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है। उन्हें ड्राइवर बना कर ले जाते हैं, अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, सऊदी अरब में एक गरीब आदमी को फांसी की सजा दी गई है, उनका कानून अलग है। उनका उचित तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ, अब हमने तय किया है कि जब तक स्कील ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा हम भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं देंगे। हम उसे जेल जाने की अनुमति नहीं देंगे। हम लोगों को डिफेंस में ट्रेनर की जरूरत है। डिफेंस सेक्टर से 50 हजार लोग जो बीस साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई है, हम 50 हजार लोगों को जब उनकी नौकरी का अंतिम साल होगा उनको ट्रेनिंग दिलाकर या तो वे ट्रेनर के रूप में बाहर आएंगे या इन्टरप्रन्यूर के रूप में बाहर जाएंगे। देश में फौजियों की एक बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। इंडियन रेलवे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है, उसके पास शेड है, प्लेटफार्म है, पानी है,

बिजली है। ...(व्यवधान) Sir, I have to conclude. … (*Interruptions*) I will come back to you. इंडियन रेलवे के पास एक चीज है जो किसी भी संस्था के पास नहीं है, वह है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, रेलवे के पास 47,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल् फाइबर नेटवर्क है। गांव-गांव के कैचमेंट एरिया में कम्प्यूटर लगाने के लिए वहां वर्चुअल ट्रेनिंग की व्यवस्था करा सकते हैं। रेलवे वहां पहुंचती हैं जहां सड़क भी नहीं पहुंचती है। हम नए-नए विचार लेकर आ रहे हैं। उसमें सदन का समर्थन चाहिए। खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी, मुनियप्पा जी और भतृहरि महताब जी का समर्थन चाहिए, यह बड़ा काम है और सभी का काम है, हुनर है तो कदर है। I have got many more things. I do not have the time. I want Mr. Nishikant Dubey to introduce his next Resolution. So, I would request Mr. Patil to withdraw it. The Government is fully sensitive to it and I would request him to withdraw it.

श्री सी.आर. पाटील (नवसारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं लेकर आया था, उस पर सभी साथियों ने अपने विचार प्रकट किए और जिस तरह से मंत्री जी ने जिस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में बताया। मैं अपना प्रस्ताव विड्रा करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Are you withdrawing your Resolution?

SHRI C.R. PATIL: Sir, I withdraw my Resolution.

HON. DEPUTY SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri C.R. Patil be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.58 hrs

(ii) Immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No.31. Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।"

जब हम कश्मीर की बात करते हैं तब कश्मीर के इतिहास, भूगोल, पहाड़ और झरना की बात करते हैं, लेकिन जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को देखते हैं, क्योंकि हम उसे यूनाइटेड कश्मीर मानते हैं। कश्मीरी पंडित देश के कई इलाकों में विस्थापित हैं। खासकर जब जम्मू के इलाकों में जाकर देखते हैं। भारत दुनिया में एकमात्र देश होगा जो स्थानीय नागरिक है वही विस्थापित हो गया। जब उसकी पुनर्वास की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2008 में एक बहुत बढ़िया पैकेज अनाउन्स किया और 1612 करोड़ रुपये कश्मीरी पंडित के विस्थापित लोगों को वहां स्थापित करने के लिए दिया। कश्मीर वैली के जो कश्मीर पंडित विस्थापित हो गए हैं। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can continue next time.

<u>18.00 hrs</u>

MESSAGE FROM RAJYA SABHA ---Contd.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Deputy-Speaker, Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 20th March, 2015 agreed without any amendment to the Coal Mines (Special Provisions) Bill, 2015 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 4th March, 2015."

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is 6 o'clock. We are continuing the 'Zero Hour'. I want the sense of the House. I hope that all the Members would agree to extend the House till the 'Zero Hour' is over.

… (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में एक बड़ा हादसा हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी लैंड एक्वीजिशन बिल पर बहुत हल्ला हुआ है। मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट लागू है। वह इसलिए लागू है, क्योंकि वर्ष 1855 में जो संथाल म्यूटनी हुआ था, उस म्युटनी के बाद अचानक अंग्रेजों ने वर्ष 1872 में संथाल सेटलमैंट कमिशन बना। संथाल सेटलमैंट कमिशन के कारण उस इलाके में रहने वाले लोग अपनी जमीन खरीद-बेच नहीं सकते और न ही उसमें स्कूल, कालेज या मदरसा नहीं बन सकता। इसलिए वहां डेवलपमैंट रुका हुआ है। वहां के 70 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि वर्ष 1932 में एक रेस्सल कमेटी की रिपोर्ट आयी थी, जिसने यह कहा था कि आदिवासी को छोड़कर जितने भी गैर-आदिवासी हैं, उनको जमीन खरीदने-बेचने का अधिकार दे देना चाहिए। लेकिन वर्ष 1949 के कानून के बाद भी यह लागू नहीं हो पाया है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि आप सारे कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, तो वे एस.पी.टी. एक्ट में संशोधन करें, जिससे वहां रहने वाले जो दीपू हैं, उनको जमीन खरीदने-बेचने का अधिकार मिल पाये। ...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Everyday we are hearing that the bullet train will be running in our country. … (*Interruptions*) But what about the security of the passengers?… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Sir, this information has been brought to the House by the hon. Member. I have every reason to believe that he has heard the news that possibly there has been a railway accident and lives have been lost. It is a matter of great concern. Any accident and loss of so many lives is a concern for the Government. We appreciate that you have brought this point. But I do not have the facts with me to respond. Since the

sitting of the House is almost virtually coming to an end, I can assure you that the Government will provide all possible relief which is required. We all do understand that if such a grievous situation has arisen, it is a matter of concern. We appreciate your point.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, we do not want to disturb you. Generally, when the Session is going on and such an incident occurs, the Government informs the House how many people have died; how many people have been injured; what measures have been taken; what the compensation is… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister has already informed about it.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, it occurred four hours back. … (*Interruptions*) It is a fresh news.… (*Interruptions*)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I have been informed by my colleague, Shri Sadananda Gowda that the State Minister for Railways, Shri Manoj Sinha has gone there. We will have to wait till the final situation is told to us. I think the hon. Member would agree that the Government has already responded and the State Minister for Railways has already gone there.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही जरूरी चीज को जोड़ना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूलों में सातवीं, आठवीं और नौंवी कक्षा में पढ़ते हैं, वे बड़े होकर डाक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते हैं। उनको पढ़ने से केवल किताबी ज्ञान मिलता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में कोई करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी डाक्टर बनना चाहता है, तो वह पूरा एक दिन डाक्टर के साथ बिताये। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो पूरा एक दिन वह इंजीनियर के साथ बिताये, कोई पायलट के साथ पूरा दिन बिताये। इससे उन्हें अपना करियर चुनने में सुविधा होगी। इससे उनमें निष्ठा का भी जन्म होगा, जो उसके करियर में एक नया आयाम छूने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान हो सकता है। इसके साथ-साथ करियर के प्रति उसका जो नजरिया है, वह भी निखर कर सामने आयेगा। करियर च्वाइस और अपनी शिक्षा के प्रति वह बहुत निष्ठावान हो सकता है।

मैं शिक्षा मंत्रालय से इस बात की प्रार्थना करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हुक्म देव जी कुछ दिन पहले कहा था कि लगातार प्राइमरी स्कूल से लेकर तकनीकी, मेडिकल कॉलेज में डोनेशन की परंपरा बढ़ती जा रही है और रिएडमिशन के नाम पर शोषण हो रहा है। खास तौर पर मध्यम वर्ग के छात्र और किसान के बच्चों को इससे परेशानी हो रही है। अब देश में डोनेशन और रिएडमिशन संस्कृति बन गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे समाप्त किया जाए। मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूं कि आज भी चार से आठ हजार बेटियां तकनीकी एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं। मिडल क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की संख्या अभी तक लाख और करोड़ तक नहीं पहुंच सकी है। बिहार में मिडल और प्राइमरी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, निजी प्राइवेट स्कूल शोषण कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हर परिस्थिति में कानून बने ताकि डोनेशन और रिएडमिशन की परंपरा खत्म हो सके।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में जिला मुख्यालय करवी में पिछले तहसील दिवस के दिन ओला पीड़ित किसानों, गरीब महिलाओं एवं वृद्धों पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बर्बर लाठी चार्ज किया गया। एक लेखपाल आठ गांव में लगे हैं, वे रिपोर्ट ठीक से नहीं बना रहे हैं। उनका दोष केवल इतना था कि वे ओला वृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट ठीक से न बनने की शिकायत लेकर गए थे। लाठी चार्ज से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों की हालत गंभीर है। महिलाओं की बेइज्जती की गई है, उनके कपड़े और अंतरवस्त्र तक फट गए हैं। यहां सैंकड़ों की भीड़ थी। यहां सौ फीसदी फसल नष्ट हो गई है जिस कारण शादियां स्थगित कर दी गई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी उस क्षेत्र का दौरा करें और राहत देने का पर्याप्त इंतजाम करें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Anoop Mishra – not present.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सेना की जमीनों का कुछ भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं उनके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके कुछ लोगों को बेचा जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सेना की जमीनों को चिह्नित करके बड़े बोर्ड लगाए जाएं और जिन लोगों ने राजस्व कार्डों में हेराफेरी की है, जांच कराकर उन्हें दंडित किया जाए।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. I wish to raise a very important matter.

The Integrated Tribal Action Plan known as the additional Central assistance was first started in 2010 under which the assistance is provided to the areas which are affected by Left wing extremism. Eighty eight districts of India have got Left wing extremism and have been identified as Left wing extremist areas. They are being given a grant of Rs. 30 crore per district. My area Araku is the most affected area and four districts of Araku constituency fall within its territorial jurisdiction.

The intention of the Government is deeply commendable. I wish to bring to the notice of the hon. Home Minister, through you Sir, one important thing that I have been waiting for the past few days to get in touch with him because the grants that have been granted – Rs. 60 crore for 2013-14 and Rs. 40 crore for 2014-15 - are yet to be released. Almost all the works, including the infrastructure works, have been stopped and there is a lot of unrest. Hence, I request the hon. Home Minister, through you Sir, to please release these grants in time.

Thank you so much.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी सावित्राबाई फुले के बारे में सदन में कुछ बातें रखना चाहता हूं। देश में सबसे पहले महिला शिक्षा की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने की थी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले ने काम किया।

जाति प्रथा की बुराई की बात हो या असमानता के खिलाफ उनका संघर्ष हो या विधवाओं की अमानवीय दशा सुधारने की बात हो, इन सभी कामों में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसीलिए विधवा पुनर्विवाह हो या महिला शिशु सुरक्षा सहित कई सारे मसलों पर इन दोनों ने बहुत काम किया। उस समय बाल हत्या प्रतिबंध ग्रुप की स्थापना उन्होंने की और घर का पानी सभी लोगों के लिए उन्होंने खुला किया था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इनका सामाजिक काम देखते हुए महात्मा ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Arjun Ram Meghwal, Shri A. T. Nana Patil, Shri Gajendra Singh Shekhawat, and Shri Rattan Lal Kataria are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajeev Satav.

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Thank you very much, Sir. I am raising an issue concerning the pollution of River Godavari.

The Godavari River is getting polluted on a large-scale due to release of industrial effluents as well as domestic waste into this sacred River, which needs to be addressed urgently on top-priority basis. Sewerage is being released into the River, and there is a need to stop such a practice forthwith.

I would request the Union Government to draw a roadmap for cleaning the River Godavari by allocating funds at least to the tune of Rs. 500 crore under the National River Conservation Plan and also under the National Plan for the Conservation of Aquatic Eco-systems. Thank you very much, Sir.

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. My Parliamentary Constituency, Karimganj, is situated on the international border with Bangladesh. There is a Border Trade Centre at Sutarkhandi, Assam, which is functioning since 2009. There is huge demand for passport in that Region for businessmen, students willing to study abroad, *Haj yatri* and other sections of the people also. But it is inconvenient for the local people to collect passport from Guwahati due to geographical barriers, disrupted road connectivity and due to long-distance, that is, about 340 kms., which becomes very costly.

The people of my Constituency have a long-standing demand to establish a Passport Seva Kendra in that Region. Recently, the Union External Affairs Ministry had announced to setup a new Passport Seva Kendra in the North-East Region.

So, my earnest request, through this august House, to the Union Government is to establish a Passport Seva Kendra at Karimganj, near Sutarkhandi Trade Center.

*SHRI R. PARTHIPAN (THENI): Hon'ble Deputy Speaker Sir. Thank you for this opportunity. I thank Hon. Puratchithalaivi Amma for this opportunity to raise an important issue in this august House. In my Theni constituency, fruits like mango, jack fruit, banana and grapes are grown in large scale. Due to change in climatic conditions these fruits do not get remunerative price. I urge that in order to protect the farmers a cold storage facility should be set up in Theni district. To make use of large scale fruit production in this area, a fruit juice factory should be set up. I also urge the Union government to take necessary measures for exporting banana in large scale from his area to foreign countries. I urge the Union government to set up an Agricultural University in Theni constituency. Cash crops are grown in Theni area surrounded by dense forests of Western Ghats. Very often wild animals destroy these cash crops and due to which farmers incur heavy losses. Even general public are affected by animal-human conflicts. I urge that the Department of Forests should take necessary measures to protect farmers, general public and standing cash crops from the attacks of wild animals. As Theni district is in the border of Kerala, many farmers are into cardamom cultivation. The Union government, besides putting restrictions for cardamom pods in open market, should increase the Minimum Support Price for Cardamom pods. Thank you.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Sir, I am ever grateful to hon. Leader, Makkalin Mudhalvar Puratchi Thalaivi, Amma, because of whom I am here today.

I wish to draw your kind attention to a very important issue of the problems being faced by the Gram Dak workers in India. They are the main source of income of the Postal Department by various means like Rural Postal Life Insurance policies; Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA), which functions in 96,375 branch Post Offices all over India; and many Social Security Pension Schemes in rural Areas.

They have been working for more than 8 to 10 hours a day in the nook and corner of rural India for the last 150 years with very low pay as only 50 paise incentive per account is paid to them by the Postal Department. They are denied pension, medical facility and other necessary facilities. Their problems are due to anti-employee attitude of the Postal Department, and their reasonable grievances are pending with the Postal Department for years together.

Last week, a nation-wide strike was also held. I urge upon the hon. Communications Minister and the Union Government to look into this matter and do justice in this matter at the earliest.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय से यह मांग करता हूँ कि आंतरिक रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को सैन्य प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए मेरे अम्बाला लोक सभा क्षेत्र में एक डिफेन्स यूनिवर्सिटी खोली जाए। मेरा क्षेत्र एक मिलिस्ट्री बेस है, जहाँ पर भारत की सबसे बड़ी थल सेना और वायु सेना का केन्द्र है। वहाँ पर पूरे साल भर्ती चलती रहती है। आप जानते हैं कि कोई भी देश रक्षा क्षेत्र में भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी नाम मात्र की सौ करोड़ रुपए की एफडीआई आ पाई है। मेरी यह मांग है कि हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपने देश में ही जगुआर विमान, पनडुब्बियाँ बनायें। इन सब चीजों को मद्देनज़र रखते हुए, मैं यह मांग करता हूँ कि रक्षा मंत्री मेरे लोक सभा क्षेत्र डिफेन्स सेक्टर में बच्चों के ब्राईट फ्यूचर के लिए एक डिफेन्स यूनिवर्सिटी खोलें।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।

भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत सरकार द्वारा किसानों को वर्ष 2014-15 से पहले जो सोलर पंप लगाने के लिए 86 पर्सेंट सब्सिडी प्रदान की जा रही थी और सोलर पंप की कॉस्ट पाँच लाख रुपए की थी। सरकार को किसानों को इसके पार्ट्स के लिए 70 हजार रुपए का भुगतान करना होता था, पर इसके बाद सब्सिडी को घटा दिया गया है, इसे 70 प्रतिशत कर दिया गया है। उसके बाद किसानों पर जो 1.74 लाख रुपए का जो कॉस्ट आया है, किसानों की हालत वैसे भी बहुत खराब है, वे इतनी बड़ी राशि जमा कराने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से यह विनती करता हूँ कि इसे वैसे का वैसा रखा जाए।

इसी प्रकार से हमारे लोक सभा क्षेत्र में और राजस्थान के अन्य इलाकों में जो सिंचित एरिया है, वहाँ डिग्गी बनाने के लिए 50 पर्सेंट की सब्सिडी थी, उसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार से मेरी मांग है कि इसे यथावत रखा जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary is permitted to associate with the matter raised by Shri Rahul Kaswan.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और आसपास के संसदीय क्षेत्र पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर के लोग दक्षिण भारत के शहरों में व्यावसायिक कार्यों के दृष्टिकोण से रहते हैं। वे अनेक वर्षों से वहाँ निवास करते हैं और दक्षिण भारत के कई शहरों के कई विधाओं की इकोनॉमी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके आवागमन के साधन के लिए जो रेल चलती है, 15 वर्ष पूर्व जोधपुर से चेन्नै के लिए एक ट्रेन शुरू हुई थी। जिस दिन यह शुरू हुई थी, तब से अब तक यह साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चल रही है। इसके अतिरिक्त पुणे के लिए जो ट्रेन चलती है, वह सप्ताह में दो दिन चलती है। मुम्बई के लिए जो ट्रेन चलती है, वह सप्ताह में एक दिन चलती है। ऐसे में वहाँ जो काम करते हैं, उनके परिवार में आठ-दस लोग रहते हैं, यदि कोई दुर्घटना या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पास वापस घर लौटने का कोई अन्य साधन नहीं होता है।

HON. DEPUTY SPEAKER: What do you want? You tell me that.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलती है, उस पर इतना दबाव है कि जब दो महीने पहले रिजर्वेशन शुरू होता है, जिसे अभी माननीय रेल मंत्री जी ने चार महीने कर दिया है, तो पहले ही पाँच

मिनट में पूरी ट्रेन बुक हो जाती है। उन लोगों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा करनी पड़ती है या किसी अन्य ट्रेन से आना पड़ता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि ये जो हमारी साउथ इंडिया से जोड़ने वाली ट्रेन्स हैं, उन ट्रेनों के फेरे बढ़ाये जाएं और इन्हें नियमित किया जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri P.P. Chaudhary is permitted to associate with the matter raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.

Prof. Chintamani Malviya – Not Present.

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं।

2 दिसम्बर, 2014 को तारांकित प्रश्न संख्या 121 में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र सतना में खेल-कूद सम्बन्धित इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण सुविधा देने हेतु पूरक प्रश्न पूछा था। जिसके जवाब में मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि सतना में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करने एवं उनको प्रशिक्षण देने के लिए एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा, किन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और उन्होंने यहां पर जो आश्वासन किया था, उसे पूरा करें ऐसा निवेदन करता हूं।

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, In Tmil Nadu, our beloved leader Amma evolved a plan to double the agricultural production and to increase the agricultural income threefold. The Coconut Development Board and Research Centre was set up at the instance of the State Government. India ranks first in the world in coconut productivity and stands second in coconut production.

Though Tamil Nadu ranks second in the country, the coconut producing farmers of Tamil Nadu are not getting proportionate assistance from the Centre. These days coconut trees are affected by many factors. In Kerala such affected plantations got Rs.641 crore as Central assistance for re-plantation whereas Tamil Nadu could not get proportionate compensation. It is stated that only the coconut farmers producer companies are eligible to get various Central incentives. In

Kerala there are 12 such companies, in Karnataka there are four, whereas in Tamil Nadu we have none.

Very recently the Tamil Nadu Small Farmers' Agri Business Consortium recommended the first such Coconut Farmers Producer Company from Pudukkottai District in my Constituency. I urge upon the Centre to give due approval to such coconut farmer company. Thank you.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे रेल यात्रियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

हमारे देश में यात्रा का प्रमुख साधन रेलवे है। छुट्टियों में यात्रियों की संख्या अधिक होने से रेल टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता। ऐसे में एजेंट आदि सक्रिय हो जाते हैं। जब दो माह पहले टिकट मिलने लगता है, तभी ये लोग टिकटों की खरीद-फरोख्त आरम्भ कर देते हैं। कन्फर्म तत्काल टिकट के लिए यात्रियों से दोगुना तक राशि वसूल की जाती है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए कई एजेंट्स ने खुद के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखे हैं, जिसमें पैसेंजर डिटेल्स एक दिन पहले ही भरी जा चुकी होती हैं। टिकट मिलना प्रारम्भ होने पर वे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम आदमियों को टिकट नहीं मिल पाता।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से इन महत्वपूर्ण बातों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat is allowed to associate with Shri P.P. Chaudhary on this issue.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Mr. Deputy-Speaker, Sir, NGOs in Meghalaya, mainly Christian, that claim income tax exemption on the ground of being charitable organizations used to fill form 10A and get registration under Section 12A at IT Office in Shillong, which was user-friendly and very convenient. After this Government came to power, the entire process has been shifted to Siliguri and Kolkata. This has created a lot of problems because of the connectivity and the language issues. Therefore, through you I urge the Finance Minister to restore the earlier practice of allowing the NGOs in Meghalaya to get

income tax exemption certificate under Section 12A from IT Office in Shillong. Thank you.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत की ऋषि परम्परा के अन्यतम मनीषी थे। राजनीति उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं। उनकी आस्थाएं शताब्दियों पराने अक्षय राष्ट्रजीवन की जड़ों से रस ग्रहण करती थीं। भविष्य के निर्माण के लिए वह भारत को समृद्धिशाली आधुनिक राष्ट्र बनाने की कल्पना लेकर चले थे। उन्होंने सदैव आदर्शों पर बल दिया तथा सिद्धांतों के लिए जीना सिखाया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सहज एवं सरल था। राजनैतिक क्षेत्र में वह शुचिता एवं प्रमाणिकता के प्रतीक थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था की वह एकात्मवादी दृष्टि दी जो उपभोक्तावादी दर्शनों, साम्यवाद और पूंजीवाद की विफलताओं के सामने तीसरे रास्ते का विकल्प प्रस्तुत करती है। अन्त्योदय उनका लक्ष्य था। सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रेरणास्पद है।

उपाध्यक्ष जी, इस वर्ष 25 सितम्बर से उनका जन्मशती वर्ष प्रारम्भ होगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दीनदयाल जी के जन्मशताब्दि वर्ष में उनकी एक भव्य प्रतिमा संसद परिसर में स्थापित की जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Satya Pal Singh and Shri Ashwini Kumar Chaubey are allowed to associate with the matter raised by Shri Rajendra Agarwal.

[*]SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): Hon'ble Deputy Speaker Sir. Thank you for this opportunity. I am happy to mention that the government of Tamil Nadu provides employment to the legal heirs of the government employees who die while in service. But the present guidelines followed by BSNL do not provide employment on compassionate grounds, in time, to the legal heirs of BSNL employees who died while serving the organization. It is a matter of great worry. The poor and orphaned family members, already suffering from the loss of the single earning member, have to bear the brunt of not getting a job on compassionate grounds due to the indifferent attitude of BSNL. Whereas the heirs of some deceased employees, besides being rich, get employment on compassionate grounds after presenting their case with even inappropriate and innovative reasons. I therefore urge that the BSNL should bring out basic and common guidelines for providing jobs to legal heirs of deceased employees on compassionate grounds. I urge the Union government to look into this matter. Thank you.

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत के युवाओं ने विशेषरूप से वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और शूटिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम कमाया है। लेकिन मेरे क्षेत्र में खेल सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। इसलिए मैं आपके माध्य से भारत सरकार से मांग करता हूं, विशेषकर खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कि वहां एक राष्ट्रीय खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, it is shocking to note that a number of cancer patients are increasing every year in our country. It is also unfortunate to say that though our medical science has made so much progress, we are not in a position to give satisfactory treatment to the poor people. Sir, the prices of the life saving medicines are going up. It is not possible for the poor people to meet the demand of medical treatment. So I request the Government to make adequate arrangements in all the district hospitals and taluka hospitals. The Government should also bring a package or scheme in which the treatment of the cancer patients should be free.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष जी, भारत में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 से लागू है, जो देश की आज़ादी से पहले का है। इस एक्ट के अंतर्गत गांवों के थाने हैं, मैं किसी एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश की बात कर रहा हूं, कहीं महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल है तो उत्तर प्रदेश में चौकीदार है। अगर गांव में कोई घटना होती है तो ये लोग थाने में जाकर सूचना देते हैं कि कहां हत्या हुई है या डकैती पड़ी है। आज भी ये मात्र 1500 रुपया प्रति माह पाते हैं, जबकि मनरेगा के मजदूर को 3500 रुपया प्रति माह मिलता है। थाने का जो चौकीदार है, जो रात को दो बजे उठकर कहीं कोई वारदात होती है, तो वह थाने में उसकी सूचना देने के लिए 20 किलोमीटर तक नदी पार करके जाता है। उसके बावजूद भी उसे 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल को 500 रुपए प्रति माह मिलते हैं और किसी राज्य में 1000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मैं मांग करता हूं कि इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे आज बढ़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौती को सुचारू रूप से राज्य सरकारें निपट सकें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Satya Pal Singh is allowed to associate with the matter raised by Shri Jagdambika Pal.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, कल भारतीय नववर्ष है और नववर्ष की पूर्व संध्या में आपके माध्यम से मैं सदन और पूरे देश को विक्रम संवत 2072 एवं चैत्र नवरात्र के प्रारम्भ की बधाई देता हूं

महोदय, ज्ञातव्य हो कि बिहार के बक्सर, कैमूर और रोहतास, शाहबाद (भोजपुर) एवं औरंगाबाद जिला में एनएचएआई का कोई कार्यालय नहीं रहने के कारण इन दूरस्थ क्षेत्रों में एनएच पथों की समुचित निगरानी के अभाव में न तो समय पर निर्माण या मरम्मती का कार्य हो पाता है और न ही समुचित गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो पाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पटना-बक्सर के बीच एनएचएआई की एक सड़क है। यह बहुत ही गड्ढेदार सड़क है। इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका मुख्यालय पटना में है और दूसरा मुख्यालय बनारस में है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बक्सर जिले में एनएचएआई की एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआई यूनिट) खोला जाना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Sir, I want to raise a pertinent issue in this ‘Zero Hour’.

The hon. Finance Minister presented the Union Budget on the National Science Day. The hon. Prime Minister expressed his concern over science and technology on the occasion of the National Science Day. Recently, the National Science Congress was also conducted in a grand manner in Mumbai. But I am sorry to say that the present Budget allocation for science and technology is not that much encouraging. Only seven per cent growth is shown in the Budget allocation. inflation compensates this growth. We have to necessarily concentrate on research and development.

Our meritorious students are going abroad for research and development. We are mostly dependent upon foreign imports in the defence field. If we give thrust to research and development, we can control imports. In turn, we can save our foreign exchange. I request you to kindly give top priority to science and technology. I also request you to identify one of the cities in Andhra Pradesh as

'Science City' and develop it as a model science city and also as a destination for the future scientists.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश में शिमला लोक सभा क्षेत्र के नालागढ़, बददी, बरोटीवाला के औद्योगिक क्षेत्र से होकर एक राष्ट्रीय उच्चमार्ग (एनएच-21-ए) गुजरता है जो कि हरियाणा के पिंजोर, जो चार लेन के साथ जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक जाता है। इसकी लम्बाई लगभग 35 किलोमीटर है। जब से हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज मिला है नालागढ़, बददी और बरोटीवाला में काफी विकास हुआ है, अरबों रुपयों का निवेश हुआ तथा लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। इसी के साथ-साथ इस क्षेत्र में सड़क पर काफी यातायात बढ़ गया है और उसके कारण नित दिन यहां पर सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही है इसका कारण संकरी सड़ का होना है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि एनएच-21-ए को शीघ्रातिशीघ्र चार लेन का किया जाए। धन्यवाद।

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Respected Deputy-Speaker, Sir, for the last several days, I have been trying to raise an important issue. I wish to draw the urgent attention of this august House to an important issue, a heart rending issue relating to the tragic death of an NCC Cadet, late Anas who hailed from my constituency.

While practising shooting at the firing range at the NCC Camp at Nirmalagiri College, Koothuparamba, Kerala, Mr. Anas, a first year B.Com. student of NAM College, Kallikandi, sustained grievous injuries. This happened in the course of the firing practice. Later on, he succumbed to the injuries at a Bengaluru hospital.

How could such an incident happen at a firing range where adequate safety measures ought to be ensured? Moreover, senior NCC officials and officers would have been on duty. A thorough inquiry is to be conducted so that such incidents do not recur anywhere in the country.

It is extremely sad to note that the Defence Department has not come out with adequate compensation to the family of the late Cadet Anas. I request that the Defence Ministry should extend adequate compensation to the bereaved family without further loss of time.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir.

The mobile users are increasing day by day in our country but mobile towers are very less compared to the connections. As a result of lesser mobile towers and the use of battery, in many places the mobile phones are not working properly due to weak signal.

In my constituency Krishnagiri, many villages are not connected with mobile service because of lack of mobile towers. Mobile towers are required for the benefit of the people of Nochipatty, Karuvanoor villages at N. Vellalapatty, Uthankarai Union Phase 7 Hosur TNHB area at Brindavan Nagar, Bargur Union on Panangattur, Veppanapalli Union on Nallur, Chickapoovathy on Krishnagiri Union and Pannandur on Kaveripatnam Union. These towers will benefit the surrounding far away village subscribers.

The BSNL has also stopped the Internet service provider WIMAX in the area due to which the local people are not able to use the Internet properly in the area. So, I request you to install mobile towers at required places and re-start the WIMAX service for the benefit of the people of my constituency.

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to draw the attention of the Union Government towards the need to permit MCF to start Urea production. Mangaluru Chemicals and Fertilizers Limited is the only Urea production plant in Karnataka. It is a Naphtha based Urea production plant. The previous UPA Government had issued a notification to switch over from Naphtha based Urea production to LNG based one to reduce subsidy burden of the government. The MCF has invested over RS. 305 crores to convert it into gas based plant. Now the MCF plant is fully equipped to receive the Gas and start manufacturing urea using gas. But LNG (Liquified Natural Gas) is not made available to the plant due non-completion of pipeline connection work. Now MCF is forced to produce urea using Naphtha as there is no gas connectivity till date. Otherwise MCF is to be closed down from April 16th 2015 as per the deadline given by the Union Government. If the MCF is closed down the livelihood of more than 2000 employees would be affected. It would lead to shortage of Urea for farmers as the khariff sowing season is approaching and it would also affect the agriculture production of the state and the country as well. Therefore I humbly request the Union minister for Fertilizer and Chemicals and also the Union Government to take immediate step to permit the MCF plant to start the Urea production using naphtha. Thank you.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Shobha Karandlaje is permitted to associate with the issue raised by Shri Nalin Kumar Kateel.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Mr. Deputy-Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of importance during 'Zero Hour'. Nowadays, different black marketers are packing foods beautifully and selling them in the markets. By consuming these foods the people are suffering from different health hazards, like Gastroentitis, food poising etc. After repeated warnings, nothing so far has happened in this regard till today. So, I would like to urge upon the Government to take necessary steps in this regard to check this menace in the future.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of importance. India is the second richest country in the world next to China in bamboo resources. Out of these bamboo resources, China is making a trade benefit to the tune of 20 billion US dollar per annum, whereas India's share is only 4.5 per cent. It is because it is still not clear to which Ministry this particular resource belongs to. Just before the 'Zero Hour' began there was a discussion on Skill Development. I would like to suggest if some initiative could be taken on skill development with regard to bamboo.

The other point is about the constitution of a Bamboo Board on the lines of the Rubber Board, Spices Board, Tea Board, Coffee Board in India and could be attached to the Ministry of Commerce. In that case the bamboo industry can expand and will be in a position to give employment to lakhs of people, particularly the tribals and the *adivasis*. I would like to draw the attention of the hon. Minister of Commerce that one Bamboo Board should be constituted.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, यह बड़ा सैंसिटिव मामला है और सभी माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे। हमें केन्द्रीय विद्यालय के छः कूपन दिये जाते हैं, इसमें मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट की बड़ी एम्बैरेसमैन्ट होती है, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है, उसका समर्थन करने वाले पांच सौ कार्यकर्ता होते हैं। उसको सपोर्ट करने वाले लोगों में उसकी विचारधारा और परिवार के लोग होते हैं, उनमें दोस्त भी होते हैं। मेरी कांस्टीटुएंसी में आठ सैंट्रल स्कूल हैं और मैं केवल छः एडमिशन करा सकता हूं। इस सरकार ने कोटा

तो फिक्स किया था कि जो सांसद वगैरह दूर से आएं, वे अपने स्टाफ के बच्चों के एडमिशन करा दें, क्योंकि वे बच्चे कहां पढ़ेंगे। लेकिन इन्हें जनरल कर दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि या तो इस कोटे को समाप्त कर दिया जाए, ताकि कोई आकर हमसे एडमिशन के लिए कह न सके। हमारी स्थिति एक फिल्मी गाने की तरह हो गई है - "ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मश्विरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मयकदा।" मैं किसे छोड़ू और किसे अपनाऊं। हमारी स्थिति बहुत अजीब हो गई है। इसलिए हमारा कहना है कि जहां मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं, वहां के सांसदों का कोटा बढ़ाया जाए और स्कूलों के अनुसार दिया जाए। यही मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है। धन्यवाद।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we all endorse his views and let it be scrapped.… (*Interruptions*)

Sir, my submission is in respect of the ESI medical college in my constituency. The ESI Corporation has spent more than Rs. 500 crore for the construction of the medical college, but unfortunately after assuming power this Government has decided to withdraw from medical education. And as a part of the decision, the Government of Kerala, in its Cabinet, decided to take over the Medical College.

My only submission to the hon. Minister is to convene an urgent meeting of the concerned officials so as to fix the terms and conditions of the takeover so that the Medical College can function this year.

So, I urge the Government to take immediate steps in this regard.

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Sir, I want the problems faced by the pomegranate and grape growers of Karnataka.

Pomegranate and grape are the important fruit crops grown in a large scale in many districts of Karnataka. Farmers of Koppal, Bijapur and Bagalkot districts are facing great hardship in recent years. But the problems faced by them are due to diseases such as bacterial blight and other things. As a result, the farmers are not in a position to make repayment of bank loan.

Therefore, I urge the Union Government to come to the rescue of both pomegranate and grape growers by announcing a special relief package to waive off interest and principal loan taken by the farmers.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Sir, I want to speak about my constituency where National Highway No. 2 is passing by Bardhman town. There are two wards on either side of the town. Rural population is living in the ward at Alam Bazar. They have to come around four kilometers either to vote or to go to school and for other work. So, it is my earnest request that there should be an underpass at least for public transport and for the people who can walk down across National Highway No.2 which passes through Bardhman town.

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Sir, while seeking the blessings of my leader, Puratchi Thalaivi, I want to raise an important issue to enhance the financial benefits of employees who opted for VRS in Hindustan Photo Film Company Ltd.

The Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited is a public sector undertaking under the Department of Heavy Industry. It was incorporated in 1960 with a vision to make India self-reliant in the field of photo sensitized goods. The HPF is the only integrated manufacturer of photo sensitized goods in the whole of South East Asia. It is the only company with the technology for manufacture of medical X-ray, graphic arts and black and white products of international standard.

The previous Government's Ed approved the proposal for providing non-Plan budgetary support of Rs. 181.54 crore for VRS employees at notional pay scales of 2007 as one time relaxation of the Department of Public Enterprises guidelines for the employees of Hindustan Photo Films. With increased cost of living, it is very difficult for the employees to survive and meet their immediate financial obligations.

However, the amount is meager and not enough to meet the day-to-day expenses. The existing employees who opt for VRS requested that gratuity may be paid for full services at notional pay scales of 2007 since the latest VRS is already open and valid till March, 2015 only.

I urge upon the Government to enhance the financial benefits to VRS opted employees.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। मेरा क्षेत्र नबरंगपुर, ओडीशा में है, जिसमें मेरे दो ब्लॉक हैं - एक है चंदाहाडी दूसरा ब्लॉक है झरीगांव। इन दोनों ब्लॉकों के बीच में करीब 20 किलोमीटर जंगल होता है। जंगल में बी.एस.एन.एल. की केबल को पेड़ ऊपर से लिया गया है। जिसकी वजह से जब भी पेड़ टूटता है या हवा चलती है तो केबल टूट जाती है और सर्विस डिसरप्ट हो जाती है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस केबल को अंडरग्राउंड किया जाए ताकि बार-बार यह जो समस्या हो रही है, वह न हो।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): महोदय, छत्तीसगढ़ में अभी जो विमान सेवा उपलब्ध है, मैं उसके बारे में माननीय विमानन मंत्री जी से आग्रह करूँगा। वर्तमान में दो कम्पनियों की फ्लाइट इंडिगो और जेट की शाम को चलती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेट कम्पनी की जो फ्लाइट है, उसको इसी महीने बन्द किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से विमानन मंत्री जी से माँग करता हूँ कि जेट कम्पनी के विमान की जगह पर एयर इंडिया का विमान शाम को चलाया जाए। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही जगह रायपुर में एयरपोर्ट है। उस फ्लाइट से पूरे प्रदेश के लोग यात्रा करते हैं। यदि उस फ्लाइट को बन्द किया जाएगा तो बहुत असुविधा होगी। मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया का विमान शाम को चालू किया जाए।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Mortality due to air pollution has been increasing alarmingly in our country. As per a Report of the World Bank, as has been published in an illustrious news journal, in the year 1996, more than 40,000 Indians were estimated to have died prematurely because of air pollution; in the year 2000, one lakh Indians have died due to pollution; in the year 2010, 6,27,000 Indians have died due to air pollution.

The horror of airpocalypse in China is still haunting them. With the result, for 15 days, people of China could not sight the Sun. We are talking about

'Swachh Bharat'. We should also concentrate on 'Pollution *mukt* Bharat". Otherwise, India has to suffer in the future.

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, with the blessings of Makkal Mudalvar Puratchhi Thalaivi Amma Avargal, I would like to say that there are 665 universities in India which include 42 Central Universities, 290 State Universities and more than 200 private Universities apart from other deemed universities, open universities and institutes of national importance. Among these 665 universities, only 10 universities are language universities. There are three deemed universities for Sanskrit, and three Central Universities, one each for Hindi, Urdu and English. Apart from these six universities, there are four language universities each one for Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam.

Now, I would like to invite the attention of our hon. Minister of Human Resources to pay more attention and support these language universities for language is basic for all life and culture. Also, I would request our Minister of Human Resource Development to start basic science courses in these language universities where some ancient science courses are only taught. Literature and science must go together for the total development of the nation. In language universities, Mathematics, Physics, Chemistry and other basic science courses should be introduced because a student, who understands science through his mother tongue would be strong in his subject also.

So, I would request our hon. Minister to take some urgent steps to introduce basic science courses in language universities. In this connection, I would request our Minister to sanction Rs. 100 crore through the University Grants Commission to Tamil University which is in my constituency for introducing science courses and the funds for establishing well equipped science laboratories and other infrastructure facilities for Tamil University at Thanjavur.

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से पार्टी से अवसर माँग रहा था, लेकिन नहीं मिल पाया, आप मेरी आवाज सुनिए।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला है। जहाँ के अधिकतर लोग खेती-किसानी पर निर्भर रहते हैं। अभी फरवरी माह में बेमौसम हुई भारी बारिश से किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से गेहूँ, चना, मटर, सरसों व आलू की फसल को व्यापक क्षति हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि भारी बारिश एवं तेज हवा के कारण गेहूँ की खड़ी फसल गिर चुकी है, आलू की तैयार फसल खेतों में सड़ने की स्थिति में है और यही समस्या सरसों की फसल और अन्य फसलों के साथ भी है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस बेमौसम बरसात को दैवीय आपदा एवं व्यापक आर्थिक क्षति मानते हुए किसानों को अविलम्ब आर्थिक सहायता, मुआवजा देने की कृपा करें। किसान क्रैडिट कार्ड से ऋण लेने वाले किसानों को राहत दिलाने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का शुल्क माफ करने, नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली बिल माफ करने, खाद से सब्सिडी देने और अगली फसल हेतु किसान भाइयों को मुफ्त बीज देने का प्रबंध करके उनको प्रोत्साहित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy-Speaker, Sir, with your kind permission, I would like to draw the attention of our Home Minister to this very important issue.

So far as my constituency is concerned, there are at least sixty to seventy kilometers of Indo-Bangladesh border. Some BSF outposts are there which are situated at least 10 kilometres inside our country from the zero point. Thousands of people are living between zero point and B.O.P. When I was going to visit Char Paraspur on 19th February, 2015, I was also stopped by B.S.F. at the outpost. After detention of 45 minutes, one officer came and allowed me to go. Meeting with the villagers of Char Paraspur, I came to know that everyday those people who want to go outside i.e. school, college, market, health centre and Government offices, etc. are bound to deposit their Identity Cards to B.O.P. It is almost impossible for them to purchase cows for milk or cultivation. It is also very hard for their relatives to meet them on any occasion without submitting Identity Card. If they want to build their own house, it is also very hard to seek permission from the B.S.F. to carry building materials. Some robbers from Bangladesh cross the border without any obstacle and loot their cattle.

So, I have some questions to our hon. Prime Minister and the Home Minister. Are not these people Indian citizens? Actually, they have no constitutional rights except voting. But they are always bound to carry out duties for our country. Why B.S.F. will set up check post inside 10 kilometres from the border? Why the B.S.F. outposts will not be prepared near zero point? Hence, my demand is: please shift the border outpost to border area and stop the harassment of common people.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Those who want to associate with him may send slips.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Abhijit Mukherjee is permitted to associate with Shri Badaruddoza Khan with reference to his 'Zero Hour' issue.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड में तीन चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना की गई है, परंतु उक्त महाविद्यालय और अस्पतालों में सभी विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आवश्यक चिकित्सा की जो व्यवस्था है, वह चरमरा गई है और हज़ारों मरीज़ इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। आदिवासी और पिछड़े राज्य की परिकल्पना के आलोक में राज्य निर्माण के 15 वर्ष के पश्चात् भी इस राज्य में अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना नहीं की गई है। सरकार द्वारा पाँच राज्यों में एम्स और बिहार में एम्स जैसी अन्य चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है जो स्वागत योग्य है। आपसे और सरकार से मेरा निवेदन है कि झारखंड में एम्स की स्थापना की जाए ताकि झारखंड वासियों को इसका लाभ मिल सके और नए राज्य को इसका लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मुनियप्पा साहब ने एक बात कही थी। मैं उस संदर्भ में सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री दोनों ही मीटिंग में व्यस्त हैं, इस वजह से हाउस में नहीं हैं, नहीं तो हमेशा हाउस में प्रैज़ैन्ट रहते हैं। हाउस ने बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए हम सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जो आगामी भारतीय नव-वर्ष आ रहा है, उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाएँ देते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप बहुत समय तक इस आसन पर बैठते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आगामी समय के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Thank you very much.

The House stands adjourned to meet on Monday, the 20th April, 2015 at 11.00 a.m.

18.53 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, 20th April, 2015/Chaitra 30, 1937(Saka).